



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23032026-271181  
CG-DL-E-23032026-271181

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 71]  
No. 71]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 19, 2026/फाल्गुन 28, 1947  
NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 19, 2026/PHALGUNA 28, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
(वाणिज्य विभाग)

[व्यापार उपचार महानिदेशालय]

अंतिम परिणाम अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2026

मामला सं. – एडी (ओआई) – 45/2024

विषय: चीन जनवादी गणराज्य और वियतनाम के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित नायलॉन फिलामेंट यार्न के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच।

फा. सं. 6/48/2024-डीजीटीआर.— समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे “अधिनियम” कहा गया है) तथा समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे “पाटनरोधी नियमावली” या “नियमावली” कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

### क. मामले की पृष्ठभूमि

1. यतः, सेंचुरी एंका लिमिटेड, गुजरात पॉलीफिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड तथा ओरिलॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जिन्हें आगे “आवेदक” कहा गया है) ने अधिनियम और नियमावली के अंतर्गत चीन जनवादी गणराज्य और वियतनाम (जिन्हें आगे “संबद्ध देश” कहा गया है) से नायलॉन फिलामेंट यार्न (जिसे आगे “विचाराधीन उत्पाद” या “संबद्ध वस्तु” कहा गया है) के आयात के संबंध में पाटनरोधी जाँच की शुरुआत करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे “प्राधिकारी” भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन अनुरोध किया।
2. और यतः, आवेदकों द्वारा प्रस्तुत विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित अधिसूचना सं. 6/48/2024-डीजीटीआर दिनांक 26 दिसंबर 2024 एक सार्वजनिक सूचना जारी की जिसके माध्यम से पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार संबद्ध वस्तु के आयात के संबंध में पाटनरोधी जाँच की शुरुआत की गई, ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके तथा ऐसे पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो घरेलू उद्योग को हुई कथित क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

### क. प्रक्रिया

3. इस जाँच के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई गई है:

#### 3.1 जाँच की शुरुआत

- क. प्राधिकारी ने धारा 9क के नियम 5 के उप-नियम (5) के अनुसार जाँच की शुरुआत करने से पहले भारत स्थित संबद्ध देशों के दूतावासों को वर्तमान पाटनरोधी आवेदन की प्राप्ति के बारे में सूचित किया।
- ख. प्राधिकारी ने 26 दिसंबर 2024 को भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित एक सार्वजनिक सूचना जारी कर संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयात के संबंध में पाटनरोधी जाँच की शुरुआत की।
- ग. प्राधिकारी ने आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार, भारत स्थित दूतावासों के माध्यम से संबद्ध देशों की सरकारों, संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं, घरेलू उद्योग तथा अन्य घरेलू उत्पादकों को जाँच शुरुआत अधिसूचना की प्रति भेजी तथा उनसे निर्धारित समय-सीमा के भीतर लिखित रूप में अपने विचार प्रस्तुत करने का अनुरोध किया।

#### 3.2 आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर का परिचालन

- क. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और संबद्ध देशों की सरकारों को आवेदन के अगोपनीय अंश की एक प्रति उपलब्ध कराई। अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी, अनुरोध किए जाने पर, आवेदन के अगोपनीय अंश की प्रति उपलब्ध कराई गई।

#### 3.3 उत्पादक/निर्यातक द्वारा प्रतिभागिता

- क) भारत में संबद्ध देश के दूतावास से अनुरोध किया गया था कि वह अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें।

ख) प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली भेजी थी :

- i. बारबारिक इंटरनेशनल लॉजिस्टिक, हांगकांग, चीन जन. गण.
- ii. बेस्टोरी केमिकल फाइबर कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- iii. भारत ग्रीन-टेक ग्लोबल पीटीई लिमिटेड
- iv. भविष्या प्राइवेट लिमिटेड
- v. बोस्का एंटरप्राइज लिमिटेड
- vi. चांगले हाईसन सिंथेटिक फाइबर टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- vii. चांगशु पॉलिएस्टर कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- viii. चांगझोउ गैदर इम्प एक्सप कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- ix. डैनक्स वियतनाम इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड, वियतनाम
- x. डाइनेस्टी एशिया इंटरनेशनल लिमिटेड, हांगकांग, चीन जन. गण.
- xi. फॉर यू विन इंटरनेशनल लिमिटेड, चीन जन. गण.
- xii. फ्रंटियर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड
- xiii. फुजैन वानहोंग टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- xiv. फुजियान हाईसन सिंथेटिक फाइबर टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- xv. फुजियान जियाई केमिकल फाइबर कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- xvi. फुजियान जिनफेंग टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- xvii. फुजियान काइबांग पॉलीअमाइड टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- xviii. फुजियान शिनसेन सिंथेटिक फाइबर टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- xix. फुझोउ सिटी तियान फांग टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- xx. फुझोउ देवेई इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- xxi. फुझोउ हेंघे न्यू मटेरियल कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- xxii. जनरल टेक्स क्रॉसिंग कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- xxiii. ग्लोबल बेस्ट इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड, हांगकांग, चीन जन. गण.
- xxiv. जीटीडब्ल्यू इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- xxv. गुआंगडोंग शिनहुई मीडिया नायलॉन कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- xxvi. गुआंगझोउ हाईवाइड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- xxvii. हाईआन जिनहोंग केमिकल फाइबर कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- xxviii. हाईयांग टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- xxix. हांगझोउ डिर्काई इंडस्ट्रियल फैब्रिक्स कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- xxx. हांगझोउ डिर्काई इंडस्ट्रियल फैब्रिक्स कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- xxxi. हांगझोउ हेंगनिउ फैसी यार्न कंपनी, चीन जन. गण.
- xxxii. हेलर इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स सूझोउ, चीन जन. गण.

- xxxiii. हाई-टेक टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड, वियतनाम और चीन जन. गण.
- xxxiv. हांगकांग सीवाईएक्स इंटरनेशनल लिमिटेड, हांगकांग, चीन जन. गण.
- xxxv. हुनान नैट ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- xxxvi. इनविस्टा चाइना इन्वेस्टमेंट कंपनी, चीन जन. गण.
- xxxvii. जिआंगसू वनटच बिजनेस सर्विस कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- xxxviii. जिआंगसू टोंगशिन केमिकल फाइबर्स कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- xxxix. जिआंगसू वेनफेंग केमिकल फाइबर ग्रुप कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- xl. जिआशिंग स्काईटाइम इम्प एंड एक्सप कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- xli. जिनजियांग शिंगलिलाई यानर्स कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- xlii. जुनमा टायर कॉर्ड कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- xliii. जुनमा टायर कॉर्ड हांगकांग कंपनी लिमिटेड, हांगकांग, चीन जन. गण.
- xliv. कोह्येई ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- xlv. लिंकड फाइबर कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- xlvi. एम एस बेस्टोरी केमिकल फाइबर कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- xlvii. एम एस चांगले हाईसन सिंथेटिक फाइबर, चीन जन. गण.
- xlviii. एम एस चांगझोउ दाहुआ इम्प एंड एक्सप जी, चीन जन. गण.
- xlix. एम एस फुजियान जिंगफेंग टेक्नोलॉजी कंपनी, चीन जन. गण.
- I. मैपट्रास्को
- ii. मीडिया नायलॉन कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- iii. मेह्लर इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स, चीन जन. गण.
- iiii. मीडा नायलॉन कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- liv. मिकी इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- lv. नानजिंग फाइनेटेक्स टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- lvi. नानटोंग बेलियन इम्प एक्सप कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- lvii. नानटोंग जिनहोंग इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- lviii. नानटोंग पुफेइते फाइबर टिवस्टिंग कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- lix. नानटोंग सुयुआन केमिकल फाइबर कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- lx. नानटोंग शुआनफेई इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- lxi. निलिट नायलॉन टेक्नोलॉजीज सूझोउ, चीन जन. गण.
- lxii. निंगबो हाओयूए टेक्सटाइल टेक कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- lxiii. निंगबो होशेयर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- lxiv. निंगबो हुआयी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- lxv. निंगबो टॉपविन कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- lxvi. नॉनटोंग सुयुआन केमिकल फाइबर कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- lxvii. ओरिएंट इंडस्ट्रीज सूझोउ लिमिटेड, चीन जन. गण.
- lxviii. ओरिएंट टेकटेक्स सॉल्यूशंस पीटीई लिमिटेड
- lxix. ओरिएंटल इंडस्ट्रीज सूझोउ लिमिटेड, चीन जन. गण.

- lxx. पायनियर इलास्टिक हांगकांग लिमिटेड, चीन जन. गण.
- lxxi. पायनियर इलास्टिक हांगकांग लिमिटेड, हांगकांग, चीन जन. गण.
- lxxii. प्रूटेक्स नायलॉन कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- lxxiii. किन शियांग इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- lxxiv. किंगदाओ बांग्यू इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- lxxv. किंगदाओ टॉपफाइबर कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- lxxvi. किंगदाओ वेरी फाइबर टेक्नोलॉजीज कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- lxxvii. किंगयुआन वांजियाली हाई टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- lxxviii. रेडिएंट इंटरनेशनल वेंचर्स पीटीई लिमिटेड, चीन जन. गण.
- lxxix. रेडी सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- lxxx. रेब्लॉग इंटरनेशनल ट्रेडिंग एफजेडई
- lxxxii. सेवन स्टार्स इंटरनेशनल, चीन जन. गण.
- lxxxiii. शानडोंग रिफा टेक्सटाइल मशीनरी, चीन जन. गण.
- lxxxiv. शानडोंग शिफेंग ग्रुप कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- lxxxv. शंघाई एवरब्राइट इम्प एंड एक्सपोर्ट ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- lxxxvi. शंघाई शिलेजु टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- lxxxvii. शंघाई वीको इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- lxxxviii. शाओशिंग हेंगनिउ टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- lxxxix. शाओशिंग रेन होम टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- xc. शाओशिंग शिंगजी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- xcii. शाओशिंग याओनू टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- xciii. शेरी इंडस्ट्रियल एचके कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- xciv. शिनहान ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड
- xcv. शिशी यिमिंग डाइंग एंड वीविंग कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- xcvi. शितेक झांगजियागांग टेक्नोलॉजी, चीन जन. गण.
- xcvii. शुआंगयी इंडस्ट्रीज होल्डिंग लिमिटेड, चीन जन. गण.
- xcviii. सुप्रीम मटेरियल्स लिमिटेड
- xcix. सूज़ोउ डेवलप ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- c. सूज़ोउ हैरी मशीनरी कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- ci. सूज़ोउ आरएचजेड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- cii. सूज़ोउ सनीवेयर न्यू मटेरियल कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- ciii. तैकवांग इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- civ. ताइझोउ तियानफांग पैकेजिंग मटेरियल कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- cv. टास कमोडिटीज पीटीई लिमिटेड
- cvi. टोना इंटरनेशनल ट्रेडिंग एचके कंपनी लिमिटेड, हांगकांग, चीन जन. गण.

- cvii. तोराय इंटरनेशनल सिंगापुर
- cviii. यूनाइटेड राॅ मटेरियल पीटीई लिमिटेड
- cix. यूनिटेक्स इक्विपमेंट कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- cx. वेक्सस्टार टेक्सटाइल शंघाई कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- cxii. वेनझोउ वाॅकर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- cxiii. वूशी लॉन्गशाइन इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- cxiv. वूशी ताइयू इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- cxv. शियामेन आईटीजी ग्रुप कॉर्प लिमिटेड, चीन जन. गण.
- cxvi. शिन जी दा पीटीई लिमिटेड
- cxvii. शिनहुई देहुआ नायलॉन चिप्स कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- cxviii. यीवू हुआडिंग नायलॉन कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- cxix. यीवू यूजंप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- cxx. झांगजियागांग फॉरबस ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- cxxi. झांगजियागांग हेंगमेई टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- cxxii. झांगजियागांग होलीएन इम्प एंड एक्सप कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- cxxiii. झांगजियागांग काइरबेन फाइबर कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- cxxiv. झांगजियागांग ओबिस ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- cxxv. झांगजियागांग वेलहाउ ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- cxxvi. झांगजियागांग शिनयुआंडा टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- cxxvii. झेजियांग फ्री ट्रेड ज़ोन सोलिड कॉमर्स एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- cxxviii. झेजियांग गुक्सियानदाओ पॉलिएस्टर डोप डाइड यार्न कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण.
- cxxix. झेजियांग इंटरनेशनल ट्रेडिंग सप्लाई चेन कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- cxxx. झेजियांग किडा टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- cxxxii. झेजियांग समर प्लस ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- cxxxiii. झेजियांग शियांगशी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- cxxxiv. झूजी बैती इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- cxxxv. झूजी यूएकियांग निर्दिग मशीनरी, चीन जन. गण.
- cxxxvi. झूजी युशेंग इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- cxxxvii. झूजी झुओताई इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- cxxxviii. अपोलो टायर्स होल्डिंग्स सिंगापुर पीटीई लिमिटेड
- cxxxviii. अरेवा इंडस्ट्रीज पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर
- cxxxix. ब्रोटेक्स वियतनाम कंपनी लिमिटेड, वियतनाम
- cxli. चेन यार्न वियतनाम कंपनी लिमिटेड, वियतनाम
- cxlii. ह्योसंग डॉंग नाई कंपनी लिमिटेड, वियतनाम
- cxliii. ह्योसंग वियतनाम कंपनी लिमिटेड, वियतनाम

- cxliii. इंडोटेक्स टेक्सटाइल ट्रेडिंग एल एल सी  
 cxliv. इटालॉन कंपनी लिमिटेड, वियतनाम

ग. संबद्ध जाँच की शुरुआत होने के प्रत्युत्तर में संबद्ध देशों के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करते हुए प्रत्युत्तर दिया:

- i. फुजियान बेटरलाईफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- ii. फुजियान चांगले योंगदा टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- iii. फुजियान हाईसन सिंथेटिक फाइबर टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- iv. फुजियान काइवांग पॉलीअमाइड टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- v. फुजियान लिहेंग पॉलीअमाइड इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- vi. फुजियान वानहोंग टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- vii. हांगझोउ डिकाई इंडस्ट्रियल फैब्रिक्स कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- viii. यीवू हुआर्डिंग नायलॉन कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- ix. ह्योसंग डोंग नाई कंपनी लिमिटेड, वियतनाम
- x. ह्योसंग डोंग नाई नायलॉन कंपनी लिमिटेड, वियतनाम
- xi. प्रूटेक्स नायलॉन कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- xii. शिनहान ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, दक्षिण कोरिया

### 3.4 आयातकों/प्रयोक्ताओं द्वारा प्रतिभागिता

क. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आयातक और प्रयोक्ता प्रश्नावली भेज कर आवश्यक सूचना मांगी।

- i. अग्रवाल फैबटेक्स प्राइवेट लिमिटेड
- ii. एगलोन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
- iii. एवाईएम सिंटेक्स लिमिटेड
- iv. भद्रेश यार्न ट्रेडर्स
- v. ब्रदर्स स्ट्रेच यार्न प्राइवेट लिमिटेड
- vi. चंदक एक्सपो इंटरनेशनल
- vii. चिदंबरम फिशनेट्स प्राइवेट लिमिटेड
- viii. चिदंबरम फिशनेट्स प्राइवेट लिमिटेड
- ix. कोरफ्लो केमी ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड
- x. डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- xi. ईगल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड
- xii. ईगल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड
- xiii. एलीमेंट निट्स

- xiv. फिलिंक एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड  
 xv. गारवारे टेक्निकल फाइबर्स लिमिटेड  
 xvi. गारवारे टेक्निकल फाइबर्स लिमिटेड  
 xvii. गिन्जा इंडस्ट्रीज लिमिटेड  
 xviii. ग्लोफिल फाइबर्स प्लास्टिक्स  
 xix. हाइड्रागार्ड इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड  
 xx. जय सौभाग्य टेक्सटाइल  
 xxi. के. के. फिशनेट कंपनी  
 xxii. के. आर. कंपोजिट्स प्राइवेट लिमिटेड  
 xxiii. कोब मेडिकल टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड  
 xxiv. कोठारी रेयॉन्स प्राइवेट लिमिटेड  
 xxv. कृष्णा फैशन  
 xxvi. कुमारन फिलामेंट्स प्राइवेट लिमिटेड  
 xxvii. कुमारन फिलामेंट्स प्राइवेट लिमिटेड  
 xxviii. कुसुमगर कॉरपोरेट्स प्राइवेट लिमिटेड  
 xxix. एम. एस. सिंथेटिक्स  
 xxx. मदुरा इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल्स लिमिटेड  
 xxxi. मेकॉर्ड्स इंडिया लिमिटेड  
 xxxii. मेहर फिलामेंट्स  
 xxxiii. मेहर इंटरनेशनल  
 xxxiv. प्रतिमान टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड  
 xxxv. प्रतिमान टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड  
 xxxvi. प्राइम वीव टेक्स प्राइवेट लिमिटेड  
 xxxvii. आर. एस. प्रोसेसर्स  
 xxxviii. एस. जी. पी. इंडिया  
 xxxix. साक्षी यार्न्स प्राइवेट लिमिटेड  
 xl. साक्षी यार्न्स प्राइवेट लिमिटेड  
 xli. संगम इंडिया लिमिटेड  
 xlii. संगम इंडिया लिमिटेड  
 xliii. सनरिहा टेक्निकल टेक्सटाइल्स लिमिटेड  
 xliv. सील नेट्स प्राइवेट लिमिटेड  
 xlv. श्री साई केम  
 xlvi. स्काई इंडस्ट्रीज लिमिटेड  
 xlvii. एसपीजी इंटरनेशनल  
 xlviii. एसआरएफ लिमिटेड  
 xlix. टफरोप्स प्राइवेट लिमिटेड  
 l. टफरोप्स प्राइवेट लिमिटेड

ii. वाल्सन पॉलिएस्टर प्राइवेट लिमिटेड

ख. संबद्ध जांच की जाँच शुरूआत अधिसूचना के प्रत्युत्तर में, निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने प्रश्नावली उत्तर प्रस्तुत करके उत्तर दिया है:

- i. गिन्ज़ा इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- ii. जिगीषा फाइबर्स प्राइवेट लिमिटेड
- iii. स्काई इंडस्ट्रीज लिमिटेड

### 3.5 जांच की अवधि और क्षति अवधि

क. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2024 तक निर्धारित की गई है। क्षति विश्लेषण के संदर्भ में प्रवृत्तियों की जांच में वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 तथा जांच अवधि शामिल की गई है।

### 3.6 आगे की प्रक्रिया

क. प्राधिकारी ने आवेदन प्रपत्र तथा आर्थिक हित प्रश्नावली भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित अन्य घरेलू उत्पादकों को आवश्यक जानकारी और वर्तमान जांच में भागीदारी के लिए भेजी थी:

- i. पीएनपी पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड
- ii. एगलोन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
- iii. तोड़ी रेयॉन प्राइवेट लिमिटेड
- iv. शिवेन यार्न प्राइवेट लिमिटेड
- v. प्रफुल ओवरसीज़ प्राइवेट लिमिटेड
- vi. एवाईएम सिंटेक्स लिमिटेड
- vii. सरला परफॉर्मेंस
- viii. सालासर पॉलीटेक्स प्राइवेट लिमिटेड
- ix. जे कोरिन
- x. केजरीवाल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
- xi. जेपी फाइबर्स
- xii. वर्दा आत्मनिर्भर
- xiii. गार्डन वरेली
- xiv. ईगल सिंथेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड

ख. संबद्ध जांच की जाँच शुरूआत अधिसूचना के प्रत्युत्तर में, दिनांक 17 फरवरी 2025 को पीएनपी पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड ("पीएनपी") ने अपनी क्षति तथा लागत संबंधी सूचना प्रस्तुत की और संबद्ध जांच में स्वयं को घरेलू उद्योग का हिस्सा माने जाने का अनुरोध किया।

ग. प्राधिकारी ने पीएनपी की सूचना को शामिल करने के पश्चात परिचालित क्षति संबंधी सूचना पर टिप्पणियाँ आमंत्रित कीं।

- घ. जाँच शुरूआत अधिसूचना तथा आवेदन के अगोपनीय अंश की एक-एक प्रति भारत में प्रयोक्ताओं के निम्नलिखित ज्ञात संघों को भेजी गई:
- एसोचैम
  - फेडरेशन ऑफ गुजरात वीवर्स एसोसिएशन
  - फेडरेशन ऑफ इंडियन आर्ट सिल्क वीविंग इंडस्ट्री
  - सूरत ग्रे कपड़ा उत्पादक संघ
- ड. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के दूतावासों, सभी ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों, आयातकों/प्रयोक्ताओं, घरेलू उद्योग तथा भारत में अन्य ज्ञात उत्पादकों को आर्थिक हित प्रभावली जारी की। निम्नलिखित पक्षकारों ने आर्थिक हित प्रभावली का उत्तर दिया:
- घरेलू उद्योग (पीएनपी पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड सहित)
  - यीवू हुआडिंग नायलॉन कंपनी लिमिटेड
  - प्रूटेक्स नायलॉन कंपनी लिमिटेड
  - फुजियान वानहोंग टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड
- च. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित पीसीएन पद्धति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित किए। सभी हितबद्ध पक्षकारों से निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित रूप में अपने विचार प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया। अन्य हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर प्राधिकारी ने दिनांक 7 मार्च 2025 की अधिसूचना द्वारा पीसीएन पद्धति अधिसूचित की।
- छ. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का अगोपनीय अंश उपलब्ध कराया। सभी हितबद्ध पक्षकारों की सूची डीजीटीआर वेबसाइट पर अपलोड की गई तथा उनसे अनुरोध किया गया कि वे अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल कर दें।
- ज. क्षति अवधि तथा जांच अवधि के लिए भी संबद्ध वस्तु के आयातों का सौदा-वार विवरण उपलब्ध कराने के लिए डीजी सिस्टम्स से अनुरोध किया गया। आयात की मात्रा की गणना और यथा आवश्यक विश्लेषण के लिए प्राधिकारी ने सौदों की समुचित जांच के उपरांत डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों पर भरोसा किया है।
- झ. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को 24 जुलाई 2025 तथा 2 दिसंबर 2025 को आयोजित सार्वजनिक सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। जिन पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत किए, उनसे अनुरोध किया गया कि वे अपने मौखिक अनुरोधों के लिखित अनुरोध तथा तत्पश्चात प्रत्युत्तर अनुरोध प्रस्तुत करें।
- ञ. संबद्ध जांच में उत्पादक, निर्यातक, प्रयोक्ता, आयातक तथा प्रयोक्ता एसोसिएशनों सहित निम्नलिखित हितबद्ध पक्षकारों की ओर से अनुरोध प्रस्तुत किए गए:
- घरेलू उद्योग (पीएनपी सहित)
  - यीवू हुआडिंग नायलॉन कंपनी लिमिटेड
  - प्रूटेक्स नायलॉन कंपनी लिमिटेड
  - फुजियान वानहोंग टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड

- v. हांगझोउ डिकाई इंडस्ट्रियल फैब्रिक्स कंपनी लिमिटेड
  - vi. फुजियान चांगले योंगदा टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड
  - vii. फुजियान बेटरलाइफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
  - viii. ह्योसंग डोंग नाइ नायलॉन कंपनी लिमिटेड
  - ix. ह्योसंग डोंग नाइ कंपनी लिमिटेड
  - x. जिगीषा फाइबर्स प्राइवेट लिमिटेड
  - xi. निटर्स एसोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया
  - xii. पांडेसरा वीवर्स को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड
  - xiii. गिन्ज़ा इंडस्ट्रीज लिमिटेड
  - xiv. स्काई इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- ट. घरेलू उद्योग द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर और आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और नियमों के परिशिष्ट III को ध्यान में रखते हुए, भारत में संबंधित वस्तुओं के उत्पादन की इष्टतम लागत और निर्माण एवं विक्रय लागत के आधार पर गैर-हानिकारक मूल्य (एनआईपी) की गणना की गई है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि डंपिंग मार्जिन से कम एंटी-डंपिंग शुल्क घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा या नहीं।
- ठ. संबंधित मंत्रालय को ईमेल भेजकर एंटी-डंपिंग शुल्क जांच के लिए दायर आवेदन के बारे में सूचित किया गया और इस मामले में उनकी राय मांगी गई। हालांकि, संबंधित मंत्रालय से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है।
- ड. वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध, जहाँ तक वे साक्ष्यों द्वारा समर्थित और वर्तमान जांच के लिए संगत पाए गए, उन पर इस प्रकटन विवरण में प्राधिकारी द्वारा समुचित रूप से विचार किया गया है।
- ढ. प्राधिकरण ने 04.02.2026 को केंद्र सरकार को अंतिम सिफारिशें देने हेतु विचाराधीन सभी आवश्यक तथ्यों से युक्त प्रकटीकरण विवरण सभी संबंधित पक्षों को वितरित किया। प्राधिकरण ने इन अंतिम निष्कर्षों में संबंधित पक्षों द्वारा प्रकटीकरण के बाद प्राप्त सभी प्रासंगिक टिप्पणियों की जांच की है। संक्षिप्तता के लिए, ऐसी किसी भी प्रस्तुति को, जो पिछली प्रस्तुति की मात्र प्रतिलिपि थी और जिसकी प्राधिकरण द्वारा पर्याप्त रूप से जांच की जा चुकी है, दोहराया नहीं गया है।
- ण. जांच के दौरान, प्राधिकरण ने इस अंतिम निष्कर्ष का आधार बनने वाली संबंधित पक्षों द्वारा दी गई जानकारी की सटीकता के बारे में यथासंभव संतुष्टि प्राप्त की और घरेलू उद्योग तथा संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों और दस्तावेजों को प्रासंगिक, व्यावहारिक और आवश्यक समझे जाने तक सत्यापित किया।
- त. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहाँ आवश्यक हो, वहाँ गोपनीयता दावों को स्वीकार किया है तथा ऐसी जानकारी को गोपनीय मानते हुए अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका प्रकटन नहीं किया है। जहाँ संभव हुआ, गोपनीय आधार पर जानकारी प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

- थ. जहाँ किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना उपलब्ध कराने से इनकार किया या अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराया है, या जाँच में अत्यधिक बाधा डाली है, वहाँ प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है तथा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने विचार/अवलोकन रिकार्ड किए हैं।
- द. जांच पूर्ण करने तथा अंतिम जाँच परिणाम अधिसूचित करने के लिए तीन माह की समयावधि के विस्तार का अनुरोध किया गया। केंद्र सरकार ने संबद्ध जांच को पूर्ण करने तथा अंतिम जाँच परिणाम अधिसूचित करने के लिए समयावधि में 25 मार्च 2026 तक अर्थात् तीन माह के विस्तार की अनुमति प्रदान की।
- ध. इस अधिसूचना में '\*\*\*\*' चिह्न किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई है तथा नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा गोपनीय मानी गई सूचना को दर्शाता है।
- न. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 83.82 रुपये है।

### ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

#### ग.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

4. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद के दायरे तथा समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं —
- क. उच्च डेनियर (एचडी) उच्च दृढ़ता (एचटी) एनएफवाई तथा निम्न डेनियर (एलडी) उच्च दृढ़ता (एचटी) एनएफवाई का उपयोग फिश्नेट अनुप्रयोगों में किया जाता है और पूर्ववर्ती जांचों की भांति इन्हें बाहर रखा जाना चाहिए। उत्पाद के तीन प्रमुख उत्पादक क्षमता कम होने के कारण फिश्नेट क्षेत्र की मांग को पूरा नहीं करते हैं। सेंचुरी फिश्नेट की मांग का 10% से भी कम आपूर्ति करती है।
- ख. सेंचुरी को छोड़कर आवेदक और समर्थक केवल टेक्सटाइल ग्रेड एनएफवाई का उत्पादन करते हैं, एचडी एचटी एनएफवाई का नहीं। एवाईएम सिंटेक्स लिमिटेड ने एचडी एचटी एनएफवाई का उत्पादन प्रारंभ किया है, परंतु वह गुणवत्ता संबंधी समस्याओं का सामना कर रही है।
- ग. भारतीय उद्योग में एचडी एचटी एनएफवाई (840 डेनियर और उससे अधिक) की मांग में हिस्सेदारी केवल 15% है। एलडी एचटी एनएफवाई (210 डेनियर; 420 डेनियर और 630 डेनियर तक) की हिस्सेदारी 75% है।
- घ. 210 डेनियर और उससे अधिक का एचटी एनएफवाई आवेदकों और समर्थकों द्वारा उत्पादन नहीं किया जाता है।
- ड. चूंकि मोनोफिलामेंट यार्न्स को जांच के दायरे से बाहर रखा गया है, अतः मोनोफिलामेंट यार्न के उत्पादन के लिए इनपुट में प्रयुक्त मदर यार्न को भी बाहर रखा जाना चाहिए।
- च. मदर यार्न को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि केवल सेंचुरी एंका प्राइवेट लिमिटेड ही घरेलू स्तर पर मदर यार्न का उत्पादन कर रही है, जिसकी क्षमता कुल घरेलू क्षमता का मात्र 15% है। गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के संभावित अधिरोपण तथा पाटनरोधी जांच के कारण विचाराधीन उत्पाद के आयात में गिरावट देखी गई है। आपूर्ति प्रतिबंधों के कारण मदर यार्न की कीमतों में वृद्धि हुई है तथा बाजार आयात पर निर्भर है।

- छ. डाउनस्ट्रीम उद्योग द्वारा उन्नत स्प्लिट वार्षिक मशीनों को अपनाए जाने के कारण मदर यार्न की मांग और कीमतों में वृद्धि हुई है। इससे मदर यार्न की मांग में और वृद्धि होगी।
- ज. चूंकि घरेलू उद्योग 70/68 एफडी एफडीवाई तथा 70/48 एफडी एफडीवाई का उत्पादन नहीं करता है, अतः इन्हें विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए।
- झ. निम्नलिखित विनिर्देशनों वाले यार्न को जाँच से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किया गया यार्न निम्नस्तरीय गुणवत्ता का अथवा असमान लंबाई और वजन का है, जबकि आयातित यार्न समान लंबाई का होता है —
- i. 20 डेनियर /16 से 34 फिलामेंट्स सेमी डल और फुल डल एफडीवाई
  - ii. 30 डेनियर /24 से 48 फिलामेंट्स सेमी डल, फुल डल और ब्राइट एफडीवाई
  - iii. 40 डेनियर /12 फिलामेंट्स सेमी डल एफडीवाई
  - iv. 40 डेनियर /12 फिलामेंट्स फुल डल एफडीवाई
  - v. 40 डेनियर /12 फिलामेंट्स ब्राइट एफडीवाई
  - vi. 40 डेनियर /34 फिलामेंट्स सेमी डल एफडीवाई
  - vii. 40 डेनियर /34 फिलामेंट्स फुल डल एफडीवाई
  - viii. 111 डेनियर /24 फिलामेंट्स सेमी डल डीटीवाई
  - ix. 170 डेनियर पुनर्नवीनीकृत नायलॉन यार्न
  - x. 280 डेनियर पुनर्नवीनीकृत नायलॉन यार्न
  - xi. 170 डेनियर मल्टीफिलामेंट यार्न
  - xii. 280 डेनियर मल्टीफिलामेंट यार्न
  - xiii. 200 डेनियर /10 फिलामेंट्स सेमी डल मदर यार्न
  - xiv. 200 डेनियर /10 फिलामेंट्स ब्राइट मदर यार्न
  - xv. 240 डेनियर /12 फिलामेंट्स ब्राइट मदर यार्न
  - xvi. 240 डेनियर /12 फिलामेंट्स सेमी डल मदर यार्न
  - xvii. 250 डेनियर /10 फिलामेंट्स राउंड ब्राइट मदर यार्न
  - xviii. 250 डेनियर /10 फिलामेंट्स ब्राइट मदर यार्न
  - xix. 300 डेनियर /10 फिलामेंट्स सेमी डल मदर यार्न
  - xx. 300 डेनियर /10 फिलामेंट्स ब्राइट मदर यार्न
  - xxi. 300 डेनियर /10 फिलामेंट्स राउंड ब्राइट मदर यार्न
- ञ. घरेलू उद्योग “यार्न डाइंग गारंटी” प्रदान नहीं करते हैं, जबकि आयातित यार्न के साथ यह नियमित रूप से प्रदान की जाती है। चीन के उत्पादकों ने प्रयुक्त और दोषपूर्ण वस्तुओं को चीन में वापस स्वीकार किया तथा धनराशि वापस की है।
- ट. नायलॉन-स्पैन्डेक्स कवरड यार्न को जांच के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि इसकी तकनीकी विशेषताएँ भिन्न हैं, निर्माण प्रक्रिया अलग है तथा अंतिम उपयोग विशिष्ट है।

- ठ. विचाराधीन उत्पाद के प्राइम ग्रेड और ऑफ-ग्रेड को पृथक पीसीएन के रूप में माना जाना चाहिए क्योंकि गुणवत्ता, कीमत, उपयोग, भौतिक विशेषताओं, स्वरूप और प्रमाणन मानकों के संदर्भ में इनमें वास्तविक अंतर है। प्राइम ग्रेड के कठोर गुणवत्ता मानक होते हैं तथा ये उच्च-सटीकता अनुप्रयोगों में उपयोग होते हैं, जबकि ऑफ-ग्रेड उच्च-सटीकता अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त नहीं है; दोनों एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं। ये ग्रेड एक ही बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं करते। प्राइम-ग्रेड के क्रेता बी2सी उत्पादों के विनिर्माता हैं, जबकि ऑफ-ग्रेड के क्रेता बी2बी उत्पाद बनाने वाले विनिर्माता हैं।
- ड. मदर यार्न तथा फुली ड्रॉन यार्न को एक ही पीसीएन श्रेणी में समेकित नहीं किया जाना चाहिए। इनके उत्पादन के लिए प्रयुक्त मशीनरी, लागत, अनुप्रयोग और अंतिम उपयोग में भिन्नताएँ हैं।
- ढ. पूर्ववर्ती जांच में अपनाई गई पीसीएन पद्धति को संबद्ध जांच में भी अधिसूचित किया जाना चाहिए।
- ण. औद्योगिक उपयोग के लिए प्रयुक्त उत्पादों तथा वस्त्र उपयोग के लिए प्रयुक्त उत्पादों के लिए पृथक पीसीएन अपनाए जाने चाहिए।
- त. ग्रेड प्रकारों में अंतर के आधार पर भी पृथक पीसीएन बनाए जाने चाहिए, अर्थात् उच्च ग्रेड (एए); मध्यम ग्रेड (ए0); निम्न ग्रेड (ए1)।

## ग.2. घरेलू उद्योग के विचार

5. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद तथा समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :

- क. 840 डेनियर तथा उससे अधिक के उच्च दृढ़ता (एचटी) यार्न को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा जा सकता है क्योंकि इसका मुख्यतः उपयोग टायर कॉर्ड फैब्रिक में किया जाता है।
- ख. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, मदर यार्न एक मल्टी-फिलामेंट यार्न है तथा मोनो-फिलामेंट यार्न के उत्पादन के लिए एक मध्यवर्ती उत्पाद है। इसका उत्पादन और बिक्री घरेलू उद्योग द्वारा की गई है। अतः इसे बाहर रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्राधिकारी ने पूर्ववर्ती जांच में भी विचाराधीन उत्पाद के संदर्भ में मदर यार्न को बाहर नहीं रखा था।
- ग. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नस्तरीय गुणवत्ता का उत्पादन किए जाने के आधार पर कतिपय फिलामेंट्स और डेनियर को बाहर रखने के दावे अप्रमाणित हैं।
- घ. डेनियर और फिलामेंट में मामूली परिवर्तन से उत्पाद की विशेषताओं, अनुप्रयोगों या कीमतों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होता है। घरेलू उत्पादकों द्वारा स्थापित मशीनरी विभिन्न डेनियर और फिलामेंट्स के उत्पादन के लिए उपयोग की जा सकती है। फिलामेंट्स में परिवर्तन के लिए केवल स्पिनरेट में बदलाव आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, डेनियर में परिवर्तन पिघले हुए पदार्थ के प्रवाह की गति में परिवर्तन द्वारा किया जा सकता है। यार्न की चमक — अर्थात् सेमी डल, फुल डल या ब्राइट — प्रयुक्त चिप्स पर निर्भर करती है। अतः डेनियर और फिलामेंट के विशेष संयोजन और संयोग के लिए अपवर्जन के अनुरोध अनुचित हैं।

- ड. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों के विपरीत, घरेलू उद्योग ने 70/48 एफडी एफडीवाई का उत्पादन और बाजार में बिक्री की है। 70डी/68एफ एफडी एफडीवाई के आयात संबद्ध देशों से मात्रा में नगण्य हैं। घरेलू उद्योग ने 70डी/48एफ एफडी एफडीवाई तथा 70डी/72एफ एफडी एफडीवाई का भी उत्पादन और आपूर्ति की है, जो तुलनीय उत्पाद हैं।
- च. यदि डेनियर और फिलामेंट के विशेष संयोजन वाले यार्न को बाहर रखा जाता है, तो समान डेनियर और फिलामेंट के आयातक बाहर रखे गए उत्पाद का आयात कर सकते हैं और किसी भी पाटनरोधी शुल्क को अप्रभावी बना सकते हैं।
- छ. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, निम्न घनत्व या उच्च घनत्व एचटी यार्न को बाहर रखने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि घरेलू उद्योग ने उनका उत्पादन और आपूर्ति की है। प्रयोक्ता संघ ने स्वयं कहा है कि घरेलू उद्योग ने उक्त उत्पादों की बाजार में आपूर्ति की है।
- ज. घरेलू उद्योग समान लंबाई का यार्न आपूर्ति करते हैं, जैसा कि उन दस्तावेजों से प्रमाणित है जिनमें प्रत्येक बॉबिन का वजन स्थिर दर्शाया गया है।
- झ. चूंकि मदर यार्न को मोनो-फिलामेंट यार्न में विभाजित किया जाता है, अतः प्रति फिलामेंट डेनियर की समानता संगत है। घरेलू उद्योग ने भारतीय बाजार में, उन कतिपय पक्षकारों को भी जिन्होंने अपवर्जन का अनुरोध किया है, समान प्रति फिलामेंट डेनियर वाली समान वस्तु उत्पादित और आपूर्ति की है।
- ञ. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, घरेलू उद्योग द्वारा डाइंग गारंटी प्रदान की गई है तथा जिन ग्राहकों ने चिंताएँ व्यक्त कीं, उन्हें क्रेडिट नोट जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए 81% संबद्ध वस्तु एए ग्रेड के हैं, जबकि संबद्ध आयातों में केवल 45% एए ग्रेड के हैं।
- ट. यह अनुरोध कि घरेलू उद्योग ने असमान लंबाई वाले निम्नस्तरीय उत्पाद की आपूर्ति की है, असंगत है, क्योंकि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा उच्च रहा है। इसके विपरीत, निर्यातकों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने भारत को ऑफ-ग्रेड उत्पाद निर्यात किए हैं।
- ठ. यह दावा कि घरेलू उद्योग पुरानी मशीनरी का उपयोग करते हैं जिससे निम्नस्तरीय उत्पाद का उत्पादन होता है, निराधार है। घरेलू उद्योग ने अत्याधुनिक मशीनरी स्थापित की है जो विदेशी उत्पादकों द्वारा स्थापित मशीनरी के समान है, जो टीएमटी जापान तथा बार्माग जर्मनी से प्राप्त की गई है।
- ड. भारतीय उद्योग वैश्विक मानकों को पूरा करते हैं, जिसका प्रमाण घरेलू उद्योग के बढ़ते निर्यात निष्पादन से मिलता है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उत्पादकों ने बीआईएस लाइसेंस प्राप्त किए हैं, जो घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की गई वस्तुओं की गुणवत्ता को प्रदर्शित करते हैं।
- ढ. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, मांग-आपूर्ति अंतर किसी उत्पाद प्रकार को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखने का औचित्य नहीं है। किसी भी स्थिति में, भारत में मदर यार्न के लिए कोई मांग-आपूर्ति अंतर नहीं है।

- ण. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, पाटनरोधी शुल्क को लागू करना कन्वर्टर्स को संकट में नहीं डालेगा, बल्कि उन्हें वैश्विक प्रतिस्पर्धियों के समकक्ष लाएगा क्योंकि पाटनरोधी शुल्क सामान्य मूल्य और निवल निर्यात कीमत के अंतर की सीमा तक लगाया जाता है।
- त. घरेलू उद्योग ने नायलॉन कवर्ड स्पैन्डेक्स यार्न का उत्पादन और आपूर्ति की है। विचाराधीन उत्पाद का दायरा पूर्णतः समरूप होना आवश्यक नहीं है, जैसा कि यूरोपीय समुदाय – नॉर्वे से आयातित फार्मिड सैल्मन पर पाटनरोधी उपाय [डब्ल्यूटी/डीएस337/आर], यूरोपीय समुदाय – चीन से आयातित कतिपय लौह या इस्पात फास्टनर्स पर अंतिम पाटनरोधी उपाय [डब्ल्यूटी/डीएस397/आर] तथा हुआवेई टेक्नोलॉजीज कंपनी लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी [2016 (334) ई.एल.टी. 339 (ट्राइ.-दिल्ली)] के निर्णय में स्पष्ट है।
- थ. एफडीवाई और मदर यार्न की उत्पादन लागत में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। पृथक पीसीएन का अनुरोध आयातकों/प्रयोक्ताओं द्वारा किया गया है, न कि विदेशी उत्पादकों द्वारा, अतः इसे अस्वीकार किया जाना चाहिए।
- द. प्राइम ग्रेड और ऑफ-ग्रेड उत्पादों के लिए पृथक पीसीएन बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि गुणवत्ता के आधार पर उत्पादन लागत में परिवर्तन नहीं होता। दोनों ग्रेड समान कच्चे माल का उपयोग करते हैं तथा समान उत्पादन प्रक्रिया और परिवर्तन लागत से गुजरते हैं।
- ध. अनुप्रयोग के आधार पर पीसीएन बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अनुप्रयोग से उत्पादन लागत प्रभावित नहीं होती।
- न. विशिष्ट उत्पादों के लिए पृथक पीसीएन बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उन्हें पहले ही विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा जा चुका है।

### ग.3. प्राधिकारी द्वारा जॉच

6. वर्तमान जांच की शुरुआत के समय, प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर निम्नानुसार विचार किया था —

“विचाराधीन उत्पाद ‘सिंथेटिक फिलामेंट यार्न’ है जो नायलॉन से निर्मित है, जिसे पॉलीएमाइड यार्न या नायलॉन फिलामेंट यार्न भी कहा जाता है। नायलॉन फिलामेंट यार्न एक सिंथेटिक फिलामेंट यार्न है जो जैविक मोनोमर्स के पॉलिमरीकरण द्वारा उत्पादित किया जाता है। विचाराधीन उत्पाद मल्टी-फिलामेंट यार्न है। इसमें मदर यार्न, फुली ड्रॉन यार्न, पार्शियली ओरिएंटेड यार्न, ड्रॉ टेक्सचर्ड यार्न या क्रिम्प यार्न, एयर टेक्सचर्ड यार्न, एयर कवरड यार्न, हाई ओरिएंटेड यार्न तथा हाई टेनासिटी यार्न शामिल हैं। नायलॉन या पॉलीएमाइड से रहित सभी मानव-निर्मित फिलामेंट यार्न विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर हैं। निम्नलिखित को विशेष रूप से विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है —

- क. मोनो फिलामेंट यार्न  
 ख. बल्क कंटीन्युअस फाइबर  
 ग. नायलॉन 66 यार्न  
 घ. हॉट मेल्ट यार्न

- ड. लो मेल्ट यार्न  
 च. बॉन्डेड यार्न  
 छ. कंडक्टिव यार्न  
 ज. एंटी-स्टेटिक यार्न  
 झ. नोमेक्स तथा एरामिड्स यार्न

विचाराधीन उत्पाद में नायलॉन या पॉलीएमाइड के सभी प्रकार के सिंथेटिक फिलामेंट यार्न शामिल हैं, जैसे फ्लैट यार्न — ट्विस्टेड और/या अनट्विस्टेड, फुली ड्रॉन यार्न (एफडीवाई), स्पिन ड्रॉन यार्न (एसडीवाई), फुली ओरिएंटेड यार्न (एफओवाई), हाई ओरिएंटेड यार्न (एचओवाई), पार्शियली ओरिएंटेड यार्न (पीओवाई), टेक्सचर्ड यार्न — ट्विस्टेड और/या अनट्विस्टेड, तथा डाइड यार्न, सिंगल, डबल, मल्टीपल, फोल्डेड या केबल्ड, तथा हाई टेनासिटी नायलॉन यार्न, जो सीमा शुल्क शीर्षक 5402 के अंतर्गत अध्याय 54 में वर्गीकृत है। उत्पाद में नायलॉन (या फिलामेंट यार्न या पॉलीएमाइड यार्न) के सभी प्रकार शामिल हैं, जैसे फ्लैट/टेक्सचर्ड/ ट्विस्टेड/अनट्विस्टेड, ब्राइट/सेमी डल/फुल डल प्रकार, ग्रे/रंगीन/डाइड प्रकार, सिंगल/डबल/मल्टीपल/फोल्डेड/केबल्ड प्रकार, चाहे साइज्ड हों या नहीं।”

7. हितबद्ध पक्षकारों ने इस आधार को बताकर मदर यार्न को बाहर रखने का अनुरोध किया है कि इसका उपयोग मोनो-फिलामेंट यार्न के निर्माण में किया जाता है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मदर यार्न एक मल्टी-फिलामेंट यार्न है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल है। उत्पाद का अंतिम उपयोग, अर्थात् मोनो-फिलामेंट यार्न में रूपांतरण, विचाराधीन उत्पाद के दायरे से अपवर्जन का आधार नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं कि जांच अवधि के दौरान उसने घरेलू बाजार में मदर यार्न का उत्पादन और बिक्री की है। अतः घरेलू उद्योग ने भारत में आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु की आपूर्ति की है।
8. कतिपय डेनियर और फिलामेंट वाले मदर यार्न के अपवर्जन के संबंध में, जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा जोर दिया गया है, चूंकि मदर यार्न को मोनो-फिलामेंट यार्न में विभाजित किया जाता है, अतः मदर यार्न के प्रकारों में कोई अंतर नहीं है, बशर्ते प्रति फिलामेंट डेनियर समान हो। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने 300/10 और 250/10 मदर यार्न, जिनका प्रति फिलामेंट डेनियर क्रमशः 30 और 25 है, के अपवर्जन का अनुरोध किया है। घरेलू उद्योग ने 300/10 और 300/12 मदर यार्न की आपूर्ति का साक्ष्य अनुरोध किया है, जिनका प्रति फिलामेंट डेनियर क्रमशः 30 और 25 है। अतः घरेलू उद्योग ने घरेलू बाजार में समान वस्तु की आपूर्ति की है। उपर्युक्त के आलोक में, प्राधिकारी 300/10 और 250/10 मदर यार्न को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखने के अनुरोध में कोई औचित्य नहीं पाते हैं।
9. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने 840 डेनियर और उससे अधिक वाले उच्च डेनियर उच्च दृढ़ता यार्न को इस आधार पर बाहर रखने का अनुरोध किया है कि उनका मुख्य उपयोग टायर कॉर्ड फैब्रिक्स में होता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने भी स्पष्ट किया है कि 840 डेनियर और उससे अधिक वाले उच्च दृढ़ता यार्न का मुख्य उपयोग टायर कॉर्ड फैब्रिक्स में होता है तथा उन्हें विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा जा सकता है। अतः 840 डेनियर और उससे अधिक वाले उच्च दृढ़ता यार्न को जांच के दायरे से बाहर रखा जाता है।
10. उच्च डेनियर उच्च दृढ़ता और निम्न डेनियर उच्च दृढ़ता यार्न के अपवर्जन के अनुरोध के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के दौरान घरेलू बाजार में ऐसे उत्पाद की बिक्री का साक्ष्य अनुरोध किया है। आगे यह भी नोट किया जाता है कि प्रयोक्ता संघ ने स्वयं अनुरोध किया है कि भारतीय उद्योग ऐसे उत्पाद की 75% मांग की पूर्ति करते हैं। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि वह अल्प-प्रयुक्त क्षमता के साथ कार्य कर रहा है

तथा आदेश प्राप्त होने की स्थिति में अधिक मात्रा में आपूर्ति कर सकता है। चूंकि घरेलू उद्योग ने भारत में आयातित उत्पाद के समान वस्तु की आपूर्ति की है, अतः प्राधिकारी उक्त उत्पाद को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखने की आवश्यकता नहीं पाते हैं।

11. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने डेनियर और फिलामेंट की संख्या सहित विनिर्देशों के आधार पर विभिन्न उत्पाद ग्रेड के अपवर्जन का अनुरोध किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने यह प्रदर्शित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि डेनियर और फिलामेंट में मामूली परिवर्तन से ऐसा भिन्न उत्पाद उत्पन्न होता है जिसकी विशेषताएँ और उपयोग अलग हों। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि उसने आयातित डेनियर और फिलामेंट के समान वस्तु की आपूर्ति की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि फिलामेंट की संख्या प्रयुक्त स्पिनरेट पर निर्भर करती है तथा पिघले पदार्थ के प्रवाह की गति में परिवर्तन से संबद्ध वस्तु के डेनियर में परिवर्तन होता है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने भारत में आयातित उत्पाद के समान डेनियर और फिलामेंट वाले समान वस्तु के उत्पादन और बिक्री का साक्ष्य अनुरोध किया है। अतः घरेलू उद्योग ने आयातित उत्पाद के निकट तुलनीय विशेषताओं वाले उत्पाद का निर्माण किया है। उपर्युक्त के आलोक में, विशिष्ट डेनियर और फिलामेंट के आधार पर अपवर्जन उपयुक्त नहीं होगा।
12. 70 डेनियर/68 फिलामेंट्स फुल डल एफडीवाई और 70 डेनियर/48 फिलामेंट्स फुल डल एफडीवाई को इस आधार पर बाहर रखने के अनुरोध के संबंध में कि उनका उत्पादन घरेलू उद्योग द्वारा नहीं किया जा रहा है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने 70 डेनियर/48 फिलामेंट्स फुल डल एफडीवाई के उत्पादन और बिक्री का साक्ष्य अनुरोध किया है। इसके अतिरिक्त, यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने 70 डेनियर/72 फिलामेंट्स एफडी एफडीवाई का भी बिक्री की है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि 70 डेनियर/72 फिलामेंट्स एफडी एफडीवाई भौतिक और तकनीकी विशेषताओं तथा अनुप्रयोग की दृष्टि से तुलनीय उत्पाद है।
13. कतिपय डेनियर और फिलामेंट वाले यार्न के अपवर्जन के अनुरोध के संबंध में, इस आधार पर कि घरेलू उद्योग ने निम्नस्तरीय गुणवत्ता तथा असमान लंबाई और वजन वाला यार्न आपूर्ति किया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नस्तरीय उत्पाद की आपूर्ति के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। घरेलू उद्योग ने असमान लंबाई के आरोप का खंडन करते हुए साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। यह भी नोट किया जाता है कि विदेशी उत्पादकों ने निम्नस्तरीय गुणवत्ता वाले यार्न की आपूर्ति स्वीकार की है। विदेशी उत्पादकों ने इसी कारण ग्रेड या गुणवत्ता को पीसीएन के एक मानदंड के रूप में विचार करने का अनुरोध भी किया था। किसी भी स्थिति में, संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद और घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद की गुणवत्ता में अंतर विचाराधीन उत्पाद के दायरे से किसी उत्पाद प्रकार को बाहर रखने का आधार नहीं हो सकता।
14. इस दावे के संबंध में कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रयुक्त मशीनरी पुरानी है और इससे निम्नस्तरीय उत्पाद का निर्माण होता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिकार्ड में उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार घरेलू उद्योग अपने संयंत्रों में नवीनतम मशीनरी का उपयोग कर रहा है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उत्पादकों के पास बीआईएस लाइसेंस हैं तथा वे भारत में गुणवत्ता मानकों के अनुरूप संबद्ध वस्तु का निर्माण करते हैं।
15. हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी तर्क दिया कि घरेलू उद्योग डाइंग गारंटी प्रदान नहीं करता, जबकि विदेशी उत्पादक रियायतों के रूप में यह प्रदान करते हैं। तथापि, घरेलू उद्योग ने यह दर्शाने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं कि ग्राहकों द्वारा पहचानी गई डाइंग समस्याओं की स्थिति में वह क्रेडिट नोट जारी करते हैं।
16. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने नायलॉन-स्पैन्डेक्स कवर्ड यार्न को इस आधार पर बाहर रखने का अनुरोध किया है कि उक्त उत्पाद की विशेषताएँ, निर्माण प्रक्रिया और अंतिम उपयोग अन्य ग्रेड से भिन्न हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पाद की विभिन्न श्रेणियाँ/प्रकार विभिन्न अंतिम प्रयोक्ता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अभिप्रेत हैं। यह

स्थापित सिद्धांत है कि विचाराधीन उत्पाद के दायरे में आने के लिए उत्पाद प्रकारों का परस्पर पूर्णतः समान होना आवश्यक नहीं है। घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के दौरान घरेलू बाजार में नायलॉन-स्पैन्डेक्स कवरड यार्न के उत्पादन और आपूर्ति का साक्ष्य अनुरोध किया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, केवल अन्य उत्पाद प्रकारों से भिन्नता के आधार पर अपवर्जन का अनुरोध स्वीकार्य नहीं है।

17. उपर्युक्त के आलोक में, प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद के निम्नलिखित दायरे के निष्कर्ष को प्रस्तावित करते हैं —

“विचाराधीन उत्पाद ‘सिंथेटिक फिलामेंट यार्न’ है जो नायलॉन से निर्मित है, जिसे पॉलीएमाइड यार्न या नायलॉन फिलामेंट यार्न भी कहा जाता है। नायलॉन फिलामेंट यार्न जैविक मोनोमर्स के पॉलिमरीकरण द्वारा उत्पादित सिंथेटिक फिलामेंट यार्न है। विचाराधीन उत्पाद मल्टी-फिलामेंट यार्न है। इसमें मदर यार्न, फुली ड्रॉन यार्न, पार्शियली ओरिएंटेड यार्न, ड्रॉ टेक्सचर्ड यार्न या क्रिम्प यार्न, एयर टेक्सचर्ड यार्न, एयर कवरड यार्न, हाई ओरिएंटेड यार्न तथा हाई टेनासिटी यार्न शामिल हैं। नायलॉन या पॉलीएमाइड से रहित सभी मानव-निर्मित फिलामेंट यार्न विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर हैं। निम्नलिखित को विशेष रूप से विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है —

क. मोनो फिलामेंट यार्न

ख. बल्क कंटीन्युअस फाइबर

ग. नायलॉन 66 यार्न

घ. हॉट मेल्ट यार्न

ङ. लो मेल्ट यार्न

च. बॉन्डेड यार्न

छ. कंडक्टिव यार्न

ज. एंटी-स्टेटिक यार्न

झ. नोमेक्स तथा एरामिड्स यार्न

ञ. 840 डेनियर और उससे अधिक वाले हाई टेनासिटी यार्न

विचाराधीन उत्पाद में नायलॉन या पॉलीएमाइड के सभी प्रकार के सिंथेटिक फिलामेंट यार्न शामिल हैं, जैसे फ्लैट यार्न — ट्विस्टेड और/या अनट्विस्टेड, फुली ड्रॉन यार्न (एफडीवाई), स्पिन ड्रॉन यार्न (एसडीवाई), फुली ओरिएंटेड यार्न (एफओवाई), हाई ओरिएंटेड यार्न (एचओवाई), पार्शियली ओरिएंटेड यार्न (पीओवाई), टेक्सचर्ड यार्न — ट्विस्टेड और/या अनट्विस्टेड, तथा डाइड यार्न, सिंगल, डबल, मल्टीपल, फोल्डेड या केबल्ड, तथा हाई टेनासिटी नायलॉन यार्न, जो सीमा शुल्क शीर्षक 5402 के अंतर्गत अध्याय 54 में वर्गीकृत है। उत्पाद में नायलॉन (या फिलामेंट यार्न या पॉलीएमाइड यार्न) के सभी प्रकार शामिल हैं, जैसे फ्लैट/टेक्सचर्ड/ट्विस्टेड/अनट्विस्टेड, ब्राइट/सेमी डल/फुल डल प्रकार, ग्रे/रंगीन/डाइड प्रकार, सिंगल/डबल/मल्टीपल/फोल्डेड/केबल्ड प्रकार, चाहे साइज्ड हों या नहीं।”

18. प्राधिकारी ने दिनांक 26 दिसंबर 2024 की जांच शुरुआत अधिसूचना द्वारा पीसीएन पद्धति पर भी टिप्पणियाँ आमंत्रित की थीं। विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध प्रस्तुत किए, जिन पर विचार किया गया तथा दिनांक 7 मार्च 2025 की अधिसूचना द्वारा प्राधिकारी द्वारा पीसीएन अधिसूचित किया गया था।

19. हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया कि विशिष्ट उत्पादों को पीसीएन का एक मानदंड माना जाए। तथापि, विशिष्ट यार्न को पहले ही विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा जा चुका है, अतः इस संबंध में पृथक पीसीएन बनाने की आवश्यकता नहीं है।
20. औद्योगिक अनुप्रयोगों और वस्त्र अनुप्रयोगों के लिए प्रयुक्त उत्पादों के लिए पृथक पीसीएन के अनुरोध के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह प्रदर्शित करने के लिए कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की है कि विभिन्न लागत और कीमत वाले उत्पाद ग्रेड इन अनुप्रयोगों के लिए प्रयुक्त होते हैं। यह भी नोट किया जाता है कि उत्पाद की लागत और कीमत अनुप्रयोग के आधार पर परिवर्तित नहीं होते, अतः वर्तमान जांच में अनुप्रयोग को पीसीएन का उपयुक्त मानदंड नहीं माना गया है।
21. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया कि लाइन डेंसिटी डेविएशन रेट, लाइन डेंसिटी वेरिएशन को-एफिशिएंसी, फ्रैक्चर स्ट्रेथ, डाइंग यूनिफॉर्मिटी स्तर और स्ट्रिप ड्राइंग की असमान दर जैसे तकनीकी मानकों को ध्यान में रखते हुए पृथक पीसीएन बनाया जाना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उपर्युक्त तकनीकी मानकों के आधार पर उत्पाद की लागत और कीमत में महत्वपूर्ण अंतर होने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। लागत अंतर दर्शाने वाली जानकारी के अभाव में इस संबंध में पृथक पीसीएन नहीं बनाए गए हैं।
22. मदर यार्न और फुली ड्रॉन यार्न के लिए पृथक पीसीएन के अनुरोध के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसी उत्पादों की लागत और कीमत में काफी अधिक अंतर होने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। पर्याप्त जानकारी के अभाव में प्राधिकारी ने इसे पीसीएन मानदंड के रूप में स्वीकार नहीं किया है।
23. प्राइम ग्रेड और ऑफ-ग्रेड यार्न के लिए पृथक पीसीएन के अनुरोध के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि गुणवत्ता को पीसीएन बनाने का आधार नहीं माना जा सकता क्योंकि उत्पाद की लागत गुणवत्ता के आधार पर परिवर्तित नहीं होती। इस संबंध में दावों के बावजूद, किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने यह प्रदर्शित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि प्राइम और ऑफ-ग्रेड की उत्पादन लागत भिन्न है। ऑफ-ग्रेड, प्राइम ग्रेड के उत्पादन प्रक्रिया के दौरान ही उत्पन्न होता है। कच्ची सामग्री, उपयोगिताएँ तथा अन्य व्यय समान रहते हैं। अतः उत्पाद की गुणवत्ता के आधार पर पृथक पीसीएन बनाने की आवश्यकता नहीं है।
24. तदनुसार, वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी यार्न के प्रकार, डेनियर, फिलामेंट, चमक और रंग को पीसीएन मानदंड के रूप में विचार करने का प्रस्ताव करते हैं, जो निम्नानुसार है।

क्र.सं.	मानदंड	उत्पाद प्रकार	कोड
1	यार्न	पार्शियली ओरिएंटेड यार्न / हाई ओरिएंटेड यार्न	पीओवाई
		फ्लैट यार्न / फुल्ली ड्रॉन यार्न/ स्पिन ड्रॉन / ड्रॉ वाइंडर / मदर यार्न	एफडीवाई
		हाई टेनेसिटी यार्न	एचटीवाई
		ड्रॉ टेक्सचर्ड यार्न / क्रिम्पड यार्न	डीटीवाई
		एयर टेक्सचर्ड यार्न	एटीवाई
		एयर कवर्ड यार्न	एसीवाई
		ट्रिवस्टेड और केबल्ड यार्न	टीसीवाई
		ऊपर दिए गए के अलावा (कृपया अलग से बताएं और एक्सप्लेनेशन/जस्टिफिकेशन दें)	ओटीवाई
2	डेनियर	अगले 3 डिजिट डेनियर को दिखाते हैं, जैसा कि नीचे दिखाया गया है	xxx

		15 डेनियर	015
		20 डेनियर	020
		100 डेनियर	100
3	फिलामेंट्स	अगले 3 डिजिट फिलामेंट को दिखाते हैं, जैसा कि नीचे दिखाया गया है	Xxx
		12 फिलामेंट्स	012
		34 फिलामेंट्स	034
		210 फिलामेंट्स	210
4	चमक	ब्राइट लस्टर	बीआर
		सेमी डल	एसडी
		फुल डल	एफडी
		ऊपर दिए गए के अलावा (कृपया अलग से बताएं और एक्सप्लेनेशन/जस्टिफिकेशन दें)	ओटी
5	रंग	रौं व्हाइट/ग्रे	जीआर
		डोप डाइड	डीवाई
		अनआइडेंटिफाइड	यूएन
		ऊपर दिए गए के अलावा (कृपया अलग से बताएं और एक्सप्लेनेशन/जस्टिफिकेशन दें)	ओटी

25. संबद्ध वस्तु सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 54 के अंतर्गत शीर्ष 5402 में वर्गीकृत हैं। संबद्ध वस्तु का वर्गीकरण किया गया है तथा इनका आयात विभिन्न कोडों के अंतर्गत किया गया है, जिनमें 5402 19 10, 5402 19 90, 5402 31 00, 5402 32 00, 5402 45 00, 5402 51 00, 5402 61 00 शामिल हैं। अतिरिक्त रूप से, इस उत्पाद का आयात एचएस कोड 5402 19 20 के अंतर्गत भी किया गया है। संबद्ध वस्तुओं का आयात शीर्षक 5402 के अंतर्गत आने वाले अन्य एचएस कोडों के अंतर्गत भी किया गया है। प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के उद्देश्य से 4-अंकीय स्तर पर एचएस कोडों पर विचार किया है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है तथा यह विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
26. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देशों से आयातित वस्तुओं के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद तथा संबद्ध देशों से आयातित वस्तुएँ भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, कार्य और उपयोग, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद तथा संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद उपभोक्ताओं द्वारा एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जा रहे हैं। उपरोक्त के दृष्टिगत, घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित उत्पाद को संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद के समान वस्तु के रूप में माना जाना प्रस्तावित किया जाता है।

### घ. घरेलू उद्योग का दायरा और स्थिति

#### घ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

27. घरेलू उद्योग के दायरे और स्थिति के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. कुल घरेलू उत्पादन में आवेदकों का 36% हिस्सा प्रमुख हिस्सा माने जाने के लिए बहुत कम है। यह देखते हुए कि उत्पाद लंबे समय से शुल्क के अधीन रहा है, कम से कम 50% घरेलू उत्पादन का प्रतिनिधित्व करने वाले उत्पादकों को विचार में लिया जाना चाहिए। संबद्ध वस्तु से संबंधित सभी पूर्ववर्ती जांचों में आवेदकों ने घरेलू उत्पादन के 40% से अधिक हिस्से का प्रतिनिधित्व किया है।
- ख. यह स्पष्ट नहीं है कि पूर्ववर्ती जांचों में भाग लेने वाले घरेलू उत्पादकों, जैसे प्रफुल ओवरसीज़ प्राइवेट लिमिटेड, एवाईएम सिंटेक्स, जेसीटी लिमिटेड, ने वर्तमान जांच में भाग क्यों नहीं लिया है।
- ग. याचिका दायर करने के पश्चात ओरिलोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड तथा सेंचुरी एन्का की विनिर्माण सुविधाओं में लगी आग के कारण उत्पादन और आपूर्ति में कमी आई है। ओरिलोन की सुविधाओं में आग लगने के बाद घरेलू उद्योग के उत्पादन की स्थिति 36% से कम हो गई है।
- घ. ओरिलोन इंडिया द्वारा उत्पादन पुनः प्रारंभ करने के दावे को समर्थक सूचना द्वारा सिद्ध किया जाना चाहिए।
- ङ. सेंचुरी एन्का और ओरिलोन ने जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है। इसके अतिरिक्त, कतिपय समर्थकों ने भी संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है।
- च. पीएनपी वर्तमान जांच में समर्थक भी नहीं है। घरेलू उद्योग ने पीएनपी को घरेलू उद्योग के हिस्से के रूप में शामिल करने के लिए कोई औचित्य प्रस्तुत नहीं किया है। 14 अन्य घरेलू उत्पादक हैं जिनपर विचार नहीं किया गया है।
- छ. व्यापार सूचना 20/2018 में निर्धारित हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकरण की 40 दिनों की समय-सीमा समाप्त हो चुकी है। शामिल करने का अनुरोध विलंबित है। विलंबित अनुरोधों को चीन जन. गण. और वियतनाम से एनिलीन (फा. सं. 6/42/2019-डीजीटीआर) तथा थाईलैंड से न्यू न्यूमेटिक रेडियल टायर (फा. सं. 6/30/2019-डीजीटीआर) में अस्वीकार किया गया था।
- ज. ओरिलोन में आग के कारण घरेलू उद्योग के स्थिति में हुआ परिवर्तन पीएनपी को शामिल करके पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता।
- झ. पीएनपी के आँकड़ों का उपयोग जांच समाप्ति से बचने के लिए क्षति के अनुकूल दावे प्रस्तुत करने के लिए नहीं किया जा सकता।
- ञ. यदि वर्तमान जांच समाप्त कर दी जाए और संशोधित घरेलू उद्योग के साथ नया आवेदन दायर किया जाए तो कोई पूर्वाग्रह उत्पन्न नहीं होगा।
- ट. पीएनपी से संबंधित सूचना 17 फरवरी 2025 को प्राधिकारी को प्रदान की गई थी और 3 महीने बाद परिचालित की गई। इस अनुचित विलंब के संबंध में कोई कारण प्रदान नहीं किया गया।
- ठ. जांच की शुरुआत आवेदकों द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर की गई थी और घरेलू उद्योग की स्थिति उसी समय निर्धारित हो गई थी। मैनुअल के अनुसार, पर्याप्त और ठोस औचित्य के बिना स्थिति में मनमाना परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। इस चरण पर पीएनपी को शामिल करने का कोई औचित्य प्रस्तुत नहीं किया गया तथा इसे जाँच शुरुआत चरण में क्यों शामिल नहीं किया गया, यह भी स्पष्ट नहीं किया गया।

- ड. जाँच की शुरुआत होने के 5 महीने बाद पीएनपी पॉलिमर्स को घरेलू उद्योग के घटक के रूप में विलंब से शामिल करना प्रक्रियात्मक रूप से अनियमित है और पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) का उल्लंघन है, जो जांच की शुरुआत को आवेदकों के स्थिति और समर्थन की संख्या पर आधारित करते हैं।
- ढ. यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि क्या पीएनपी ने विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है या वह किसी आयातक या निर्यातक से संबंधित है। पूर्ववर्ती जांच में प्राधिकारी ने उल्लेख किया था कि पीएनपी संबद्ध वस्तुओं का आयातक था।
- ण. नए उत्पादक को शामिल करने से क्षति विश्लेषण के अंतर्निहित सभी आर्थिक मापदंड प्रभावित हो जाते हैं।
- त. घरेलू उद्योग को स्थिति संशोधित करने और समेकित आँकड़े पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति देना अनुचित है, क्योंकि अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इस चरण पर जांच में शामिल होने अथवा अपने उत्तरों में संशोधन/उन्हें पूर्ण करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया।
- थ. जाँच की शुरुआत के समय आवेदकों का हिस्सा पूर्ववर्ती जांचों की तुलना में कम है।
- द. यदि पीएनपी को स्वीकार किया जाता है, तो प्राधिकारी को जाँच की शुरुआत के बाद के चरण में मानदंड, प्रक्रिया और समर्थक साक्ष्य का विस्तृत स्पष्टीकरण प्रदान करना चाहिए।
- ध. पीएनपी द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों को क्षति और कारणात्मक संबंध विश्लेषण के लिए तब तक पृथक रखा जाना चाहिए, जब तक कि हितधारकों को इसके समावेशन और प्रभाव पर टिप्पणी करने की अनुमति न दी जाए।

## घ.2. घरेलू उद्योग के विचार

28. घरेलू उद्योग द्वारा दायरे और स्थिति के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- क. वर्तमान जांच की शुरुआत के लिए आवेदन सेंचुरी एन्का लिमिटेड, गुजरात पॉलीफिल्म्स लिमिटेड तथा ओरिलोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदकों का भारत में कुल घरेलू उत्पादन में प्रमुख हिस्सा बनता है।
- ख. पाटनरोधी जांच की शुरुआत के लिए आवेदन का समर्थन एगलॉन इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड, एवाईएम सिंटेक्स लिमिटेड, सालासर पॉलीप्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड तथा टोडी रेयॉन्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है।
- ग. अन्य हितबद्ध पक्षकारों की अनुरोधों के विपरीत, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि घरेलू उद्योग का गठन करने के लिए आवेदकों को कुल भारतीय उत्पादन का कम से कम 50% प्रतिनिधित्व करना अनिवार्य हो।
- घ. अन्य हितबद्ध पक्षकारों की अनुरोधों के विपरीत, प्रत्येक जांच में घरेलू उद्योग का दायरा समान होना आवश्यक नहीं है। कई ऐसी निर्णायक समीक्षाएँ हुई हैं जिनमें घरेलू उद्योग का दायरा परिवर्तित हुआ है। पूर्ववर्ती जांच में भाग लेने वाले उत्पादकों में से जेसीटी लिमिटेड ने संचालन बंद कर दिया है, प्रफुल ओवरसीज़ प्राइवेट लिमिटेड को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति घोषित किया गया है और एवाईएम सिंटेक्स लिमिटेड ने वर्तमान आवेदन का समर्थन किया है।
- ड. पीएनपी पॉलिमर्स लिमिटेड ने प्राधिकारी द्वारा भागीदारी के लिए भेजे गए पत्र के अनुपालन में विस्तृत सूचना प्रस्तुत की तथा स्वयं को घरेलू उद्योग के हिस्से के रूप में उस पर विचार किए जाने का अनुरोध किया।

- च. जाँच की शुरुआत के चरण में, आवेदकों का कुल भारतीय उत्पादन में 37% हिस्सा था तथा समर्थकों के साथ उसका हिस्सा 62% था। पीएनपी को शामिल करने के पश्चात, घरेलू उद्योग के पास कुल भारतीय उत्पादन का 46% हिस्सा हो गया। यह ईसी – फास्टनर्स (चीन) मामले में अपीलीय निकाय की रिपोर्ट के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
- छ. पीएनपी को शामिल करने से क्षति निर्धारण के लिए प्राधिकारी को अधिक सटीक और व्यापक परिदृश्य प्राप्त होता है तथा सूचना के विकृतिकरण की संभावना कम होती है। जाँच की शुरुआत के पश्चात घरेलू उद्योग के दायरे में किसी घरेलू उत्पादक को शामिल करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है और ऐसी प्रथा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ तथा प्राधिकारी की पूर्ववर्ती प्रथाओं के अनुरूप है।
- ज. अन्य हितबद्ध पक्षकारों की अनुरोधों के विपरीत, पीएनपी को केवल क्षति प्रदर्शित करने के लिए शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि प्राधिकारी ने वर्तमान जाँच की शुरुआत आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों के आधार पर की थी, जो पहले से ही घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दर्शाते थे।
- झ. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, यद्यपि स्थिति का मानदंड जाँच की शुरुआत के समय पूरा किया जाना आवश्यक है, तथापि जाँच की शुरुआत के पश्चात घरेलू उद्योग के दायरे में उत्पादक जोड़ने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। प्राधिकारी ने पहले की अनेक जाँचों में जाँच की शुरुआत के पश्चात घरेलू उत्पादकों को घरेलू उद्योग के दायरे में शामिल किया है।
- ञ. हितबद्ध पक्षकारों ने परस्पर विरोधी दावे किए हैं, क्योंकि प्रारंभ में उन्होंने आवेदन का विरोध यह कहते हुए किया कि स्थिति अपर्याप्त है और बाद में अतिरिक्त उत्पादकों को शामिल करने का विरोध किया।
- ट. पीएनपी को शामिल करने का अनुरोध विलंबित नहीं है, क्योंकि पीएनपी ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उत्तर प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से काफी पहले अपनी सूचना प्रस्तुत की थी। चूँकि पीएनपी आवेदक नहीं है, अतः उस पर भी अन्य हितबद्ध पक्षकारों के समान समय-सीमाएँ लागू होती हैं। निर्धारित समय-सीमा के भीतर विस्तृत सूचना प्रस्तुत करने के कारण हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकरण नहीं किए जाने की कोई प्रासंगिकता नहीं है।
- ठ. ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि जो उत्पादक समर्थक नहीं है, उसे घरेलू उद्योग का हिस्सा न माना जाए। संयुक्त राज्य अमेरिका में तो पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का विरोध करने वाले उत्पादक को भी घरेलू उद्योग का हिस्सा माना जाता है।
- ड. पीएनपी ने जाँच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है तथा वह विचाराधीन उत्पाद के किसी निर्यातक अथवा भारत में किसी आयातक से संबंधित नहीं है।
- ढ. पीएनपी से संबंधित सूचना प्राधिकारी से मांगे गये और प्राप्त मार्गदर्शन और निर्देशों के अनुसार अन्य हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित की गई है।
- ण. 4 उत्पादकों को शामिल करते हुए घरेलू उद्योग की समेकित सूचना स्वेच्छा से परिचालित की गई है। हितबद्ध पक्षकार यह प्रदर्शित करने में विफल रहे हैं कि पीएनपी को शामिल करने से उनके हितों को कैसे क्षति पहुँची है, क्योंकि सभी पक्षकारों को समेकित सूचना पर टिप्पणी करने का अवसर प्रदान किया गया। समेकित क्षति संबंधी सूचना मौखिक सुनवाई से 2 महीने पहले परिचालित की गई थी तथा पक्षकारों को उनपर टिप्पणी करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया।

- त. अन्य हितबद्ध पक्षकारों की अनुरोधों के विपरीत, ओरिलोन और सेंचुरी के संयंत्रों में लगी आग जांच अवधि के पश्चात की घटनाएँ हैं, जिनका संचालन पर अस्थायी प्रभाव पड़ा। इससे घरेलू उद्योग के स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
- थ. ओरिलोन और सेंचुरी ने जांच अवधि के दौरान नगण्य आयात किए हैं और ऐसे विवरण पहले ही आवेदन में प्रदान किए जा चुके हैं। नियमावली किसी ऐसे उत्पादक को, जिसने विचाराधीन वस्तुओं का आयात किया हो, आवेदन का समर्थन करने से नहीं रोकती है। अतः समर्थकों द्वारा किए गए आयात की मात्रा संगत नहीं है। शुल्क लगाए जाने के पश्चात उत्पादकों द्वारा किए गए किसी भी आयात पर भी पाटनरोधी शुल्क लागू होगा।

### घ.3. प्राधिकारी द्वारा जाँच

29. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

*“(ख) ‘घरेलू उद्योग’ से अभिप्राय उन घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण में संलग्न हैं तथा उससे संबंधित किसी भी गतिविधि में संलग्न हैं, या ऐसे उत्पादक जिनका सामूहिक उत्पादन उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक प्रमुख हिस्सा बनाता है; परंतु यह तब लागू नहीं होगा जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित की गई वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित हों या स्वयं आयातक हों। ऐसे मामलों में ‘घरेलू उद्योग’ शब्द का आशय शेष उत्पादकों से लगाया जाएगा।”*

30. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्तमान जांच की शुरुआत के लिए आवेदन सेंचुरी एन्का लिमिटेड, गुजरात पॉलीफिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड तथा ओरिलोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया था। आवेदन का समर्थन एगलॉन इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड, एवाईएम सिंटेक्स लिमिटेड, सालासर पॉलीप्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड तथा टोडी रेयॉन्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया था।
31. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जाँच की शुरुआत होने के पश्चात, जाँच की शुरुआत की सूचना तथा प्रपत्र आवेदन प्रारूप भारत में विचाराधीन वस्तुओं के सभी ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों, जिसमें सभी घरेलू उत्पादक भी शामिल थे, को भेजा गया। उक्त सूचना के अनुसरण में पीएनपी पॉलिमर्स लिमिटेड ने 17 फरवरी 2025 को अपनी क्षति और लागत संबंधी जानकारी प्रस्तुत की तथा अनुरोध किया कि उसे वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग का हिस्सा माना जाए। घरेलू उद्योग में इसके समावेशन के पश्चात, पीएनपी पॉलिमर्स लिमिटेड द्वारा दायर आँकड़ों का अगोपनीय अंश तथा पीएनपी को शामिल करते हुए समेकित क्षति संबंधी जानकारी 14 मई 2025 को हितबद्ध पक्षकारों को घरेलू उद्योग द्वारा परिचालित की गई। अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को पीएनपी की ओर से परिचालित जानकारी, जिसमें समेकित जानकारी भी शामिल है, पर टिप्पणी करने का अवसर प्रदान किया गया।
32. प्राधिकारी को इस अनुरोध में कोई तथ्य प्रतीत नहीं होता है कि पीएनपी द्वारा दायर सूचना विलंबित है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीएनपी वर्तमान जांच में आवेदक नहीं था। वर्तमान जांच में सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निर्यातक उत्तर/आयातक उत्तर/प्रयोक्ता उत्तर तथा आर्थिक हित प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 6 अप्रैल 2025 थी। चूँकि पीएनपी ने 17 फरवरी 2025 को अपने अनुरोध सहित सूचना दायर की, जो कि अंतिम तिथि से काफी पहले है, अतः उक्त सूचना को विलंबित नहीं माना जा सकता।
33. हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि स्थिति को इस चरण पर संशोधित नहीं किया जा सकता क्योंकि यह जाँच की शुरुआत के समय निर्धारित हो जाता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि स्थिति को जाँच की शुरुआत के समय स्थापित करना होता है, तथापि जाँच की शुरुआत के पश्चात उत्पादकों को जोड़ने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

जाँच की शुरुआत के समय आवेदन पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) की आवश्यकताओं को पूरा करता था। इस तथ्य पर किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रश्न नहीं उठाया गया है। जाँच की शुरुआत के पश्चात किसी अन्य उत्पादक का समावेशन नियम 5(3) के अंतर्गत स्थापित स्थिति को प्रभावित नहीं करता है।

34. हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों के विपरीत, प्राधिकारी के लिए यह सुनिश्चित करना अपेक्षित है कि घरेलू उद्योग की संरचना इस प्रकार निर्धारित की जाए कि वह समग्र रूप से घरेलू उत्पादकों का अधिक प्रतिनिधित्व करे। यदि कोई उत्पादक जाँच की शुरुआत के पश्चात आगे आता है, तो नियमावली के अनुसार उसे घरेलू उद्योग का हिस्सा माना जाना चाहिए, बशर्ते यह पाया जाए कि उसके द्वारा प्रस्तुत आँकड़े क्षति विश्लेषण के उद्देश्य से पर्याप्त और सटीक हैं। पीएनपी को शामिल करने से घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में प्राधिकारी को अधिक व्यापक जानकारी प्राप्त होती है तथा सूचना के विकृतिकरण का जोखिम कम होता है।
35. इस अनुरोध के संबंध में कि पीएनपी का उपयोग क्षति के दावों को मजबूत करने के लिए किया गया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकार यह प्रदर्शित करने में विफल रहे हैं कि यदि पीएनपी को घरेलू उद्योग का हिस्सा न माना जाए तो घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है। किसी भी स्थिति में, यदि कोई उत्पादक जाँच में भाग लेने के लिए आगे आता है, तो उसे घरेलू उद्योग के दायरे में शामिल या बाहर रखने का निर्णय इस पर निर्भर नहीं करता कि उसका समावेशन क्षति को मजबूत करेगा या कमजोर करेगा।
36. इस बात पर भी ध्यान दिलाया गया है कि पीएनपी समर्थक नहीं था और उसे घरेलू उद्योग का हिस्सा नहीं माना जा सकता है। तथापि, हितबद्ध पक्षकारों ने ऐसा कोई विधिक प्रावधान प्रस्तुत नहीं किया है जो यह अपेक्षा करता हो कि किसी उत्पादक को जाँच की शुरुआत के चरण में समर्थक होना अनिवार्य है, ताकि उसे बाद में घरेलू उद्योग का हिस्सा माना जा सके। पीएनपी भारत में विचाराधीन वस्तुओं का एक घरेलू उत्पादक है और उसने विस्तृत क्षति संबंधी जानकारी प्रदान की है। तदनुसार, उसे घरेलू उद्योग का हिस्सा माना गया है।
37. इस अनुरोध के संबंध में कि ओरिलोन के संयंत्र में लगी आग के पश्चात स्थिति को पुनर्जीवित करने के लिए पीएनपी की सूचना प्रदान की गई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि ओरिलोन के संयंत्र में आग जाँच अवधि के पश्चात लगी। चूँकि घरेलू उद्योग का दायरा और स्थिति जाँच अवधि के दौरान के उत्पादन के आधार पर निर्धारित किया जाता है, अतः जाँच अवधि के पश्चात लगी आग आवेदकों के स्थिति को प्रभावित नहीं करती। अतः पीएनपी का समावेशन जाँच की शुरुआत के समय के स्थिति को प्रभावित नहीं करता।
38. इस अनुरोध के संबंध में कि वर्तमान जाँच समाप्त कर दी जाए और पीएनपी को आवेदक के रूप में शामिल करते हुए नया आवेदन दायर किया जाए, यह नोट किया जाता है कि वर्तमान जाँच समाप्त करने का कोई आधार नहीं है। पीएनपी को घरेलू उद्योग के दायरे में शामिल करना या न करना आवेदकों को वर्तमान जाँच दायर करने से अयोग्य नहीं बनाता है। चूँकि आवेदक पीएनपी को शामिल किए बिना भी स्थिति मानदंड को पूरा करते हैं, अतः वर्तमान मामले में जाँच समाप्त करना उचित नहीं है।
39. इस दावे के संबंध में कि सेंचुरी और ओरिलोन द्वारा उत्पादन में व्यवधान के कारण देश में मांग-आपूर्ति अंतर उत्पन्न हुआ है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि देश में कोई मांग-आपूर्ति अंतर नहीं है और आग लगने के कारण उत्पादन में व्यवधान एक अस्थायी स्थिति थी।
40. इस दावे के संबंध में कि जाँच की शुरुआत के समय आवेदकों का हिस्सा पूर्ववर्ती जाँच की तुलना में कम है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रत्येक जाँच में घरेलू उद्योग का दायरा पृथक रूप से निर्धारित किया जाता है। चूँकि

आवेदक और पीएनपी पॉलिमर्स जांच अवधि के दौरान कुल भारतीय उत्पादन का प्रमुख हिस्सा दर्शाते हैं, इसलिए उन्हें घरेलू उद्योग का गठन करने के लिए पात्र माना गया है।

41. हितबद्ध पक्षकारों ने इस बात पर भी जोर दिया है कि पूर्ववर्ती जांच के आवेदकों ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया। तथापि, जैसा कि घरेलू उद्योग ने रेखांकित किया है, पूर्ववर्ती आवेदक जेसीटी लिमिटेड ने प्रचालन बंद कर दिया है, जबकि प्रफुल ओवरसीज़ लिमिटेड को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति घोषित किया गया है। एवाईएम सिंटेक्स के संबंध में, उक्त उत्पादक ने जांच का समर्थन किया है। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्राधिकारी या आवेदकों पर घरेलू उद्योग का वही दायरा बनाए रखने का कोई विधिक दायित्व नहीं है। प्राधिकारी को केवल यह सुनिश्चित करना है कि उनके समक्ष प्रस्तुत घरेलू उत्पादकों का उत्पादन कानून के अंतर्गत घरेलू उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।
42. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग का गठन करने वाले किसी भी घरेलू उत्पादक का संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के किसी निर्यातक या भारत में विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक से कोई संबंध नहीं है।
43. पूर्वोक्त के आलोक में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक और पीएनपी घरेलू उत्पादन का प्रमुख हिस्से को दर्शाते हैं। अतः प्राधिकारी यह निष्कर्ष प्रस्तावित करते हैं कि आवेदक और पीएनपी पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग का गठन करते हैं तथा आवेदन नियम 5(3) की दृष्टि से स्थिति संबंधी आवश्यकता को पूरा करते हैं।

### **ड. गोपनीयता**

#### **ड.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार**

44. गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
  - क. जहाँ घरेलू उद्योग में दो से अधिक उत्पादक शामिल हों, वहाँ समेकित जानकारी वास्तविक आँकड़ों में प्रदान की जानी चाहिए, न कि प्रवृत्ति के आँकड़ों में। आँकड़ों पर गोपनीयता के दावों की समीक्षा की जानी चाहिए।
  - ख. घरेलू उद्योग ने बिक्री कीमत, बिक्री लागत, बिक्री कीमत, लाभप्रदता, कीमतहास, नियोजित पूंजी, शुद्ध स्थिर परिसंपत्तियाँ, कार्यशील पूंजी तथा स्व-आयातित उत्पाद की मात्रा, कीमत और कुल कीमत के संबंध में समेकित आँकड़े साझा नहीं किए हैं।

#### **ड.2. घरेलू उद्योग के विचार**

45. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
  - i. निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा व्यापार सूचना 10/2018 के उल्लंघन में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया गया है।
  - ii. फुजियान काइबांग पॉलीअमाइड टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड ने अपने घरेलू बाजार में बेचे गए उत्पादों तथा भारत को निर्यातित उत्पादों के बीच कतिपय भिन्नताओं का दावा किया है। उक्त का बिना उचित कारण के गोपनीय होने का दावा किया गया है।
  - iii. भारत में निर्यात कीमत पर समायोजन का दावा करने की पद्धति का खुलासा नहीं किया गया है।

- iv. पीएनपी को शामिल करने के पश्चात गोपनीयता के दावे आवेदकों की जानकारी के समान ही रहे हैं।
- v. समग्र बिक्री मात्रा अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ साझा की गई है। समेकित कीमत संबंधी जानकारी का प्रकटन कीमत निर्धारण और लाभप्रदता संबंधी जानकारी का प्रकटन करेगा, जो संवेदनशील सूचना है; इसका प्रकटन भविष्य की वार्ताओं में प्रयोक्ताओं को महत्वपूर्ण लाभ देगा तथा घरेलू उत्पादकों के हितों को प्रभावित करेगा।

### ड.3. प्राधिकारी द्वारा जाँच

46. गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों की जाँच निम्नानुसार की गई है:
47. प्राधिकारी ने एडी नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार विभिन्न पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई जानकारी का अगोपनीय अंश सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया। गोपनीयता के संबंध में एडी नियमावली का नियम 7 निम्नानुसार प्रावधान करता है:

*“(1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जाँच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।*

*(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है। (3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।*

48. सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई जानकारी का गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में जाँच की गई है। संतुष्ट होने पर, जहाँ आवश्यक पाया गया, वहाँ गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया गया और ऐसी जानकारी को गोपनीय माना गया है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका प्रकटन नहीं किया गया है। जहाँ संभव हो, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर प्रदत्त सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। इस अनुरोध के संबंध में कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों अपने उत्तर में कतिपय जानकारी का प्रकटन करने में विफल रहे हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों ने अपने गोपनीयता के दावों का औचित्य सिद्ध किया है। इसके अलावा, ऐसी जानकारी के अप्रकटन से घरेलू उद्योग के हितों को कोई पूर्वाग्रह नहीं हुआ है।
49. इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग ने कीमत निर्धारण और लाभप्रदता संबंधी जानकारी के बारे में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है, घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि कीमत निर्धारण और लाभप्रदता की जानकारी के प्रकटन से उसकी लागत और लाभप्रदता संबंधी जानकारी का प्रकटन हो जाएगा और उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्राधिकारी इस संबंध में घरेलू उद्योग के गोपनीयता के दावों को स्वीकार करते हैं।

### च. विविध अनुरोध

#### च.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

50. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:

- i. घरेलू उद्योग द्वारा अपनाए गए आयात आँकड़ों को विचाराधीन उत्पाद के संशोधित दायरे और पीसीएन के अनुसार संशोधित नहीं किया गया है।
- ii. उपयोग किए गए आयात आँकड़ों की विश्वसनीयता की जांच की जानी चाहिए।
- iii. जाँच की शुरुआत करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं थे और आवेदन विधिक और तथ्यात्मक आधार से रहित था।
- iv. जांच अवधि में अनियमितता के कारण जांच अवैध है। पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3क) के अंतर्गत यथा अपेक्षित 12 माह की अवधि से विचलन की अनुमति देने के लिए प्राधिकारी ने कोई औचित्य नहीं दिया।
- v. जाँच अवधि के बारे में प्राधिकारी द्वारा स्वतंत्र जाँच के बिना, जाँच शुरुआत अधिसूचना में केवल आवेदकों के अनुरोधों को दर्शाया गया है। भारत संघ बनाम मोहन लाल कपूर और भारत संघ बनाम आनंद मोहन शरण मामलों में यह माना गया कि प्राधिकारी को स्पष्ट कारण लिखित में दर्ज करने चाहिए, जो विवेक के प्रयोग को प्रदर्शित करते हों।
- vi. मात्र आवेदकों की सुविधा, लंबी जांच अवधि पर विचार करने के मूल्यांकन की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है।
- vii. अपेक्षाकृत लंबी जांच अवधि पर विचार करने के संबंध में कारणों के अभाव में, जाँच की शुरुआत स्वयं कानूनी दृष्टि से अमान्य है।

#### च.2. घरेलू उद्योग के विचार

51. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:

- i. अन्य हितबद्ध पक्षकारों की अनुरोधों के विपरीत, अद्यतन आयात जानकारी प्रदान करने का घरेलू उद्योग पर कोई दायित्व नहीं है।
- ii. प्राधिकारी अपनी जाँच के लिए डीजीसीआईएंडएस अथवा डीजी सिस्टम्स की सूचना पर विचार कर सकते हैं।
- iii. अन्य हितबद्ध पक्षकार यह सिद्ध करने के लिए कोई औचित्य प्रस्तुत नहीं कर सके कि जाँच की शुरुआत करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं थे। जांच पर्याप्त सटीकता और पर्याप्तता वाले प्रदत्त साक्ष्यों के आधार पर प्रारंभ की गई है।

- iv. आवेदकों ने 15 माह की जांच अवधि प्रस्तावित की, जिसमें एक वित्तीय वर्ष और एक अतिरिक्त तिमाही शामिल है, क्योंकि जुलाई 2023 – जून 2024 (12 माह) को जांच अवधि मानने पर लागत संबंधी आँकड़ों को तैयार करने में महत्वपूर्ण व्यावहारिक कठिनाइयाँ उत्पन्न होतीं। इससे दो पृथक वित्तीय वर्षों की जानकारी संकलित करनी पड़ती, जबकि अधिकांश आवेदक सीमित संसाधनों वाली छोटी कंपनियाँ हैं। 15 माह की जांच अवधि मानक प्रचालन प्रक्रियाओं की पुस्तिका के अनुरूप है।
- v. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के अनुरोधों की जांच करने के पश्चात 15 माह की जांच अवधि पर विचार किया है।

### च.3. प्राधिकारी द्वारा जाँच

52. विचाराधीन उत्पाद के लिए संशोधित आयात आँकड़े तथा पीसीएन-वार आयात आँकड़े उपलब्ध नहीं कराए जाने तथा प्रस्तुत आयात आँकड़ों की विश्वसनीयता की जाँच किए जाने संबंधी अनुरोधों के संदर्भ में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उन्होंने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आयात आँकड़ों पर भरोसा नहीं किया है। इसके बजाय, वर्तमान जाँच के उद्देश्य से प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम्स के आँकड़ों पर भरोसा किया है। प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के संशोधित दायरे के अनुसार आयात सौदों पर विचार किया है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि एक बार पीसीएन पद्धति अधिसूचित हो जाने के पश्चात प्रत्येक पक्षकार पर यह दायित्व है कि वह उक्त पीसीएन पद्धति के आधार पर अपनी सूचना प्रस्तुत करे। घरेलू उद्योग ने उक्त आवश्यकता का विधिवत रूप से अनुपालन किया है।
53. जाँच की शुरुआत करने के लिए अपर्याप्त साक्ष्य के दावों के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि जाँच पाटन, क्षति तथा ऐसे पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के आधार पर आरंभ की गई है। आवेदकों द्वारा दायर की गई सूचना का सत्यापन किया गया तथा प्रस्तुत सूचना की सत्यता और पर्याप्तता के संबंध में प्रथम दृष्टया संतुष्ट होने के पश्चात ही वर्तमान जाँच आरंभ की गई थी।
54. इस अनुरोध के संबंध में कि जाँच अवधि अनियमित है तथा जाँच शुरुआत अधिसूचना में 15 माह की जाँच अवधि पर विचार करने का कोई कारण नहीं दिया गया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि 12 माह की जाँच अवधि से विचलन अनेक मामलों में स्वीकार किया गया है, बशर्ते कि ऐसे विचलन के कारण बताए गए हों। यदि 12 माह की अवधि पर विचार किया जाए तो व्यावहारिक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं, क्योंकि इससे दो वित्तीय वर्षों की सूचनाओं का विभाजन करना पड़ेगा। चूँकि उद्योग में छोटे उत्पादक भी शामिल हैं, अतः दो वित्तीय वर्षों में विस्तृत जाँच अवधि पर विचार करने से घरेलू उत्पादकों के लिए अनावश्यक कठिनाई उत्पन्न होती तथा छोटे उत्पादकों के लिए वर्तमान जाँच में भाग लेना भी असंभव हो सकता था। तदनुसार, वर्तमान जाँच में 15 माह की जाँच अवधि पर विचार किया गया है। प्राधिकारी ने जाँच शुरुआत अधिसूचना में भी इसका उल्लेख किया है।

*“11. आवेदकों ने 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2024 की अवधि को जाँच अवधि के रूप में प्रस्तावित किया है। आवेदकों ने अनुरोध किया है कि 15 माह की जाँच अवधि वर्तमान जाँच के उद्देश्य से उपयुक्त है, क्योंकि इससे एक पूर्ण लेखा वर्ष तथा हाल की अवधि दोनों को शामिल किया जा सकेगा। यह भी अनुरोध किया गया है कि जुलाई 2023 – जून 2024 को जाँच अवधि के रूप में विचार करने से लागत संबंधी आँकड़ों को तैयार करने में महत्वपूर्ण व्यावहारिक कठिनाइयाँ उत्पन्न होंगी, क्योंकि इसके लिए दो पृथक वित्तीय वर्षों से सूचना संकलित करनी होगी। आवेदकों ने दावा किया है कि उनमें से अधिकांश अपेक्षाकृत छोटी कंपनियाँ हैं जिनके संसाधन सीमित हैं। दो पृथक वित्तीय वर्षों से सूचना निकालकर और संकलित कर जानकारी तैयार करना आवेदकों के लिए अनुचित रूप से अत्यधिक बोझिल होगा।*

12. उपर्युक्त के आलोक में, वर्तमान जाँच के उद्देश्य से उपयुक्त जाँच अवधि 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2024 (15 माह) मानी गई है। क्षति विश्लेषण अवधि में जाँच अवधि तथा उससे पहले के तीन वित्तीय वर्ष शामिल हैं, अर्थात् 1 अप्रैल 2020 – 31 मार्च 2021, 1 अप्रैल 2021 – 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022 – 31 मार्च 2023 तथा जाँच की अवधि।”

### छ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत तथा पाटन मार्जिन

#### छ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

55. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत तथा पाटन मार्जिन के निर्धारण के संदर्भ में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- i. वर्तमान मामले में सैम्पलिंग अनावश्यक है क्योंकि केवल 8 उत्पादक चीन से और 2 उत्पादक वियतनाम से भागीदारी कर रहे हैं; अलग-अलग पाटन मार्जिन का निर्धारण व्यवहार्य है।
  - ii. केवल 2 उत्पादक/निर्यातक समूहों को प्रतिदर्श कंपनियों के रूप में मानना अपर्याप्त है। हाल की सभी जाँचों में जहाँ सैम्पलिंग की गई है, प्राधिकारी ने कम से कम 3 उत्पादक समूहों का चयन किया है।
  - iii. नियम 17(3) अलग पाटन मार्जिन के निर्धारण की अपेक्षा करते हैं, जो प्रत्येक सहयोगी उत्पादक के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए।
  - iv. संबद्ध वस्तुओं से संबंधित पूर्ववर्ती जाँच में प्राधिकारी ने सैम्पलिंग नहीं की थी तथा सभी के लिए अलग-अलग पाटन मार्जिन निर्धारित किया था। हाल की सभी जाँचों में जहाँ सैम्पलिंग की गई है, प्राधिकारी द्वारा कम से कम 3 समूहों का चयन किया गया है। इसके अलावा, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स तथा रेजिन बॉन्डेड थिन व्हील्स जैसे मामलों में प्राधिकारी ने पर्याप्त भागीदारों के होने के बावजूद सैम्पलिंग का सहारा नहीं लिया था।
  - v. सहयोगी उत्पादक/निर्यातकों ने बाज़ार अर्थव्यवस्था का दर्जा दावा नहीं किया है प्राधिकारी के लिए केवल निर्यात कीमत की जाँच करनी अपेक्षित है। अतः अलग-अलग निर्धारण अत्यधिक बोझिल नहीं होगा।
  - vi. सैम्पलिंग से ऐसे गैर-नमूना सहयोगी उत्पादक/निर्यातकों के साथ पक्षपात होगा, जिन्होंने प्रश्नावली का समय पर उत्तर प्रस्तुत किया है।
  - vii. दिसंबर 2025 तक चीन से भागीदार सभी उत्पादकों की अलग-अलग निर्यात कीमतों का मूल्यांकन करने के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध है।
  - viii. यदि सैम्पलिंग की जाती है, तो इसे जाँच शुरूआत से 80 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए तथा निर्यात मात्रा भागीदार उत्पादकों/निर्यातकों के एक क्रॉस-सेक्शन से ली जानी चाहिए, जैसा कि प्रचालन प्रक्रिया पुस्तिका में वर्णित है।

- ix. फुजियान हाईसन सिंथेटिक फाइबर टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड तथा फुजियान लिहेंग पॉलीएमाइड इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड एक ही समूह से संबंधित हैं, जैसा कि बाद में प्रस्तुत ईक्यूआर में दिया गया है। प्रभावी रूप से केवल दो उत्पादक समूहों को नमूना किया गया है।
- x. प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिकतम श्रेणियों के पीसीएन, उद्योग प्रथाएँ तथा निर्यात पैटर्न का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो।
- xi. कम से कम 5-6 समूहों पर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि जूट संबंधी जाँच में प्राधिकारी ने 19 तक उत्पादकों को नमूना का हिस्सा माना था। इसके अलावा, जूट उत्पाद संबंधी जाँच की तरह “स्तरीकृत और सोद्देश्य प्रतिदर्श पद्धति” अपनाई जानी चाहिए।
- xii. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नमूना में लिए गए निर्यातकों के उत्तर पूर्ण और उच्चतम गुणवत्ता के हों।
- xiii. प्रुटेक्स नायलॉन कंपनी लिमिटेड को नमूना उत्पादकों में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि इसकी निर्यात मात्रा नमूना उत्पादकों के तुलनीय है। प्रुटेक्स ने भारत को 20 से अधिक पीसीएन का निर्यात किया है जो नमूना को अधिक प्रतिनिधि बनाएगा।
- xiv. डिकाई को नमूना उत्पादक/निर्यातक बनाया जाना चाहिए क्योंकि उसने उच्च गुणवत्ता के उत्पाद उच्च कीमतों पर निर्यात किए हैं जिससे नमूना अधिक प्रतिनिधि होगा।
- xv. यदि पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की जाती है, तो सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए उनके द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर अलग-अलग शुल्क दर की सिफारिश की जानी चाहिए।
- xvi. यदि प्रुटेक्स को सैम्पल में शामिल नहीं किया जाता है तो सैम्पल उत्पादकों के भारत और पाटनरोधी शुल्क को प्रुटेक्स तथा वानहोंग पर लागू किया जाना चाहिए। यीवू हुआडिंग के लिए अलग-अलग शुल्क दर की सिफारिश की जानी चाहिए, क्योंकि उसका सैम्पल लिया गया है।
- xvii. ह्योसुंग टीएनसी, कोरिया की भारत में दो सहायक कंपनियाँ हैं, अर्थात् ह्योसुंग कॉरपोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड तथा ह्योसुंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये कोरिया में स्थापित कंपनी ह्योसुंग टीएनसी की प्रत्यक्ष सहायक कंपनियाँ हैं। ये ह्योसुंग डोंग नाई तथा ह्योसुंग नायलॉन, वियतनाम की सहायक कंपनियाँ नहीं हैं। इसके अलावा, इन ये सहायक कंपनियाँ समूह से संबंधित हैं किंतु वर्तमान जाँच में पीयूसी की बिक्री, खरीद या उत्पादन में शामिल नहीं हैं। इन दो कंपनियों के अलावा, ह्योसुंग डोंग नाइ और ह्योसुंग नाइलॉन, वियतनाम की भारत में कोई संबंधित कंपनी नहीं है।

## छ.2. घरेलू उद्योग के विचार

56. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत तथा पाटन मार्जिन के निर्धारण के संदर्भ में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं –
  - i. संबद्ध वस्तुओं के संबंध में अनेक देशों से पाटन का इतिहास रहा है। इससे यह प्रदर्शित होता है कि संबद्ध देशों के उत्पादक/निर्यातक उचित कीमत पर बिक्री करने में असमर्थ हैं और उन्हें भारत में बाजार हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए पाटन का सहारा लेना पड़ता है।

- ii. चीन जनवादी गणराज्य को चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) के अनुसार गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए तथा सामान्य मूल्य का निर्धारण एडी नियमावली के अनुबंध-1 के नियम 7 के अनुसार किया जाना चाहिए।
- iii. चूंकि चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) के प्रावधान अभी भी प्रभावी हैं, इसलिए चीन जन.गण. के उत्पादकों को यह प्रदर्शित करना आवश्यक है कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ विद्यमान हैं।
- iv. आवेदन में, चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण भारत में देय कीमत के आधार पर किया गया। वियतनाम के लिए सामान्य मूल्य की गणना वियतनाम में उत्पादन लागत के आधार पर की गई, जो कैप्रोलैक्टम के कीमत और वियतनाम में विद्युत दरों, तथा घरेलू उद्योग की रूपांतरण लागत और उपभोग मानकों और युक्तिसंगत लाभ पर आधारित है।
- v. पाटन मार्जिन सकारात्मक और काफी अधिक है।
- vi. ह्योसंग डोंग नाई कंपनी लिमिटेड तथा ह्योसंग डोंग नाई नायलॉन कंपनी लिमिटेड ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है, किन्तु दक्षिण कोरियाई वस्त्र निर्माता ह्योसंग टीएनसी की अपनी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सहायक कंपनियों का खुलासा करने में विफल रहे हैं।
- vii. ह्योसंग डोंग नाई कंपनी लिमिटेड, ह्योसंग डोंग नाई नायलॉन कंपनी लिमिटेड तथा उनकी व्यापारिक कंपनी शिनहान ट्रेडिंग ने अन्य पीसीएन के अतिरिक्त प्रथम ग्रेड और द्वितीय ग्रेड के आधार पर अपनी बिक्री सूचना प्रस्तुत की है। इन पक्षकारों ने अधिसूचित पीसीएन का पालन नहीं किया है तथा प्राधिकारी के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया है। ऐसे पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत उत्तर अधूरे हैं तथा अस्वीकृत किए जाने चाहिए।
- viii. सार्वजनिक सूचना से ज्ञात होता है कि ह्योसंग टीएनसी की वस्त्र और व्यापार में कार्यरत अनेक सहायक कंपनियाँ हैं। मूल्य श्रृंखला में ऐसी कंपनियों की भूमिका की जांच की जानी चाहिए।
- ix. हाईसन ने अपने द्वारा अथवा अपनी सहयोगी लिहेंग द्वारा उत्पादित उत्पादों का निर्यात किया है। चूंकि संबंधित कंपनियाँ संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री में कार्यरत हैं, इसलिए यह जांच किया जाना आवश्यक है कि समूह की कंपनियों के भीतर की गई बिक्री आर्म्स लेंथ कीमत पर की गई है या नहीं।
- x. प्यूटेक्स को नमूने का भाग नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि सैम्पल चयन सर्वाधिक निर्यात मात्रा के आधार पर किया गया है।
- xi. पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 6.10 तथा नियमावली में सैम्पल चयन के लिए उत्पाद श्रेणियों या पीसीएन को मानदंड के रूप में विचार करने का प्रावधान नहीं है।
- xii. पूर्ववर्ती जांच का संदर्भ, जिसमें अधिक उत्पादकों का नमूना लिया गया था, अनुपयुक्त है। प्राधिकारी ने हाल ही में अत्यधिक संख्या में जांचें आरंभ की हैं, जिससे प्रत्येक उत्पादक के लिए अलग-अलग पाटन मार्जिन निर्धारित करना अव्यावहारिक हो गया है।
- xiii. दो उत्पादकों/निर्यातकों का सैम्पल चयन यूरोपीय संघ, जीसीसी, चीन तथा अमेरिका जैसे वैश्विक प्रचलनों के अनुरूप है। इन क्षेत्राधिकारों ने भारत के प्राधिकारी की तुलना में कम मामलों की जांच शुरू की है, तथापि केवल 2-3 उत्पादकों पर ही विचार किया गया है।

- xiv. अन्य क्षेत्राधिकारों में 2 से 3 उत्पादकों का नमूना लिया गया है, यह नहीं कहा जा सकता कि उससे कोई पक्षपात नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में यह निष्कर्ष निकालने का कोई आधार नहीं है कि वर्तमान मामले में किया गया नमूना चयन पक्षपातपूर्ण है।
- xv. पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 6.10 तथा नियमावली में मात्रा बैंड, निर्यात चैनल या उत्पाद श्रेणियों को नमूना चयन के मानदंड के रूप में विचार करने का प्रावधान नहीं है। पाटनरोधी करार निर्यात की मात्रा के प्रतिशत पर विचार करने का प्रावधान करते हैं।
- xvi. प्रचालन की प्रक्रिया पुस्तिका भी यह प्रावधान करती है कि नमूना चयन के लिए निर्यात मात्रा अथवा आंकड़ों का एक प्रतिनिधिक खंड विचार किया जाना चाहिए।
- xvii. प्रचालन की प्रक्रिया पुस्तिका नमूना चयन के लिए कोई "समय-सीमा" निर्धारित नहीं करती है। पुस्तिका में प्रदत्त समय-सीमा केवल दिशानिर्देश है तथा प्राधिकारी पर बाध्यकारी नहीं है।
- xviii. कानून में प्रदत्त उत्तर की गुणवत्ता के आधार पर उत्पादकों का नमूना चयन करने का कोई प्रावधान नहीं है।
- xix. पाटनरोधी करार का अनुच्छेद 9.4 यह प्रावधान करता है कि गैर-नमूना उत्पादकों के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण नमूना उत्पादकों के भारित औसत पाटन मार्जिन के आधार पर किया जाएगा, जिसमें शून्य तथा न्यूनतम मार्जिन तथा उपलब्ध तथ्यों पर आधारित मार्जिन को शामिल नहीं किया जाएगा।
- xx. केवल इस आधार पर कि उत्पादक/निर्यातक ने उच्च गुणवत्ता के उत्पादों का निर्यात किया है, उसे नमूना चयन में शामिल नहीं किया जा सकता है। यह ऐसा इंगित करेगा कि ऐसे निर्यात प्रतिवादी उत्पादकों और समग्र आयातों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।
- xxi. नमूना उत्पादकों को, प्रस्तुत सूचना की सत्यता और पर्याप्तता के विधिवत रूप से सत्यापन के उपरांत, अलग-अलग शुल्क दर प्रदान की जा सकती है।

### **छ.3. प्राधिकारी द्वारा जॉच**

57. धारा 9 क (1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

- i. व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- ii. जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा :-  
(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो ; अथवा

उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत ;

(ख) परंतु यह कि उदगम वाले देश से इतर किसी देश से वस्तु के आयात के मामले में अथवा जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश के जरिए मात्र यानांतरित किया गया है अथवा जहां ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यातक के देश में नहीं किया जाता है, निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

58. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं –

- i. फुजियान लिहेंग पॉलीअमाइड इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड
- ii. फुजियान काइवांग पॉलीअमाइड टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
- iii. फुजियान हार्डसनसन सिंथेटिक फाइबर टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
- iv. यीवू हुआडिंग नायलॉन कंपनी लिमिटेड
- v. प्रूटेक्स नायलॉन कंपनी लिमिटेड
- vi. फुजियान वानहोंग टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड
- vii. हांगझोउ डिकाई इंडस्ट्रियल फैब्रिक्स कंपनी लिमिटेड
- viii. फुजियान चांगले योंगडा टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण.
- ix. फुजियान बेटरलाइफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण.
- x. ह्योसंग डोंग नाई नायलॉन कंपनी लिमिटेड, वियतनाम
- xi. ह्योसंग डोंग नाई कंपनी लिमिटेड
- xii. शिनहान ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड

59. ह्योसंग डोंग नाई कंपनी लिमिटेड, ह्योसंग डोंग नाई नायलॉन कंपनी लिमिटेड तथा उनके व्यापारी द्वारा प्रदान की गई पीसीएन-वार बिक्री सूचना के संबंध में यह नोट किया जाता है कि सूचना की सत्यता की जांच की गई है तथा पाटन मार्जिन का निर्धारण उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर किया गया है। प्राधिकारी ने उत्पाद के ग्रेड के आधार पर सूचना पर विचार नहीं किया है।

60. नियम 17 के प्रावधानों के अनुसार, यद्यपि प्राधिकारी उन सभी उत्पादकों/निर्यातकों के संबंध में अलग-अलग पाटन मार्जिन निर्धारित करेंगे जिन्होंने प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं; तथापि ऐसी स्थिति में जहां चीन से बड़ी संख्या में उत्पादकों/निर्यातकों ने उत्तर प्रस्तुत किए हैं, प्राधिकारी सीमित संख्या के उत्पादकों तक जाँच को सीमित करते हुए नमूना चयन की प्रक्रिया को अपना सकते हैं। नियमावली में इस संबंध में निम्नानुसार प्रावधान है –

“17(3) निर्दिष्ट प्राधिकारी जांच के अधीन वस्तु के प्रत्येक ज्ञात निर्यातक या उत्पादक के लिए अलग-अलग पाटन मार्जिन निर्धारित करेंगे:

परंतु ऐसे मामलों में जहां निर्यातकों, उत्पादकों, आयातकों या वस्तुओं के प्रकारों की संख्या इतनी अधिक हो कि ऐसा निर्धारण अव्यावहारिक हो जाए, वह अपने जाँच परिणाम को या तो उपलब्ध सूचना के आधार पर सांख्यिकीय रूप से वैध नमूनों का उपयोग करते हुए हितबद्ध पक्षकारों या वस्तुओं की युक्तिसंगत संख्या तक सीमित कर सकते हैं; अथवा संबंधित देश से निर्यात की उस अधिकतम प्रतिशत मात्रा तक सीमित कर सकते हैं जिसकी युक्तिसंगत रूप से जांच की जा सके; तथा इस प्रावधान के अंतर्गत किया गया निर्यातकों, उत्पादकों, या वस्तुओं के प्रकारों का कोई भी चयन, यथासंभव, संबंधित निर्यातकों, उत्पादकों या आयातकों से परामर्श और उनकी सहमति से किया जाएगा:

*परंतु आगे यह भी कि निर्दिष्ट प्राधिकारी किसी ऐसे निर्यातक या उत्पादक के लिए, जो प्रारंभ में चयनित नहीं किया गया हो, किंतु जिसने समय पर आवश्यक सूचना प्रस्तुत की हो, अलग-अलग पाटन मार्जिन निर्धारित करेंगे, सिवाय इसके कि जब निर्यातकों या उत्पादकों की संख्या इतनी अधिक हो कि अलग-अलग जाँच अत्यधिक बोझिल हो और जाँच के समयबद्ध समापन में बाधा उत्पन्न करती हो।”*

61. बड़ी संख्या में प्राप्त प्रत्युत्तरों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी ने चीन जन.गण. से उत्पादकों के नमूना चयन पर विचार किया। इसका प्रस्ताव दिनांक 8 मई 2025 की अधिसूचना के माध्यम से किया गया था। विभिन्न पक्षकारों से टिप्पणियाँ प्राप्त होने के पश्चात, नमूना उत्पादकों को दिनांक 5 जून 2025 की अधिसूचना के माध्यम से सूचित किया गया। नमूना चयन भारत को निर्यात की मात्रा के आधार पर किया गया, जिसमें सर्वाधिक निर्यात मात्रा वाले उत्पादकों को नमूने का भाग माना गया। निम्नलिखित उत्पादकों को नमूने के भाग के रूप में माना गया था—
1. फुजियान हाईसन सिंथेटिक फाइबर टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड तथा फुजियान लिहेंग पॉलीअमाइड इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
  2. यीवू हुआडिंग नायलॉन कंपनी लिमिटेड
62. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यद्यपि नमूने में केवल 2 समूहों का चयन किया गया है, तथापि इसके अंतर्गत तीन उत्पादकों के प्रत्युत्तरों का जाँच अपेक्षित है। हितबद्ध पक्षकारों ने इस बात पर बल दिया है कि नमूने में तीन उत्पादकों को अवश्य शामिल किया जाना चाहिए। तथापि, नियम तीन उत्पादकों के विचार को अनिवार्य नहीं करते हैं। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि अन्य क्षेत्राधिकारों जैसे अमेरिका और यूरोपीय संघ में प्रायः केवल 2 उत्पादकों का ही सैम्पल लिया जाता है। यह भी नोट किया जाता है कि नमूना उत्पादक सहयोगी उत्पादकों द्वारा किए गए निर्यात की मात्रा के 61% का प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः नमूने के आकार को अपर्याप्त नहीं माना जा सकता, विशेषकर जब ऐसे नमूने में तीन उत्पादक शामिल हों।
63. प्राधिकारी हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क में कोई सत्यता नहीं पाते हैं कि स्वैच्छिक प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने वाले निर्यातकों को अनिवार्यतः अलग-अलग पाटन मार्जिन प्रदान किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, यह तथ्य कि चीन जन.गण. के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे का दावा नहीं किया है, सभी ऐसे निर्यातकों के लिए अलग-अलग पाटन मार्जिन निर्धारित करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। नियम 17(3) तथा उसके उपबंध स्पष्ट रूप से यह दर्शाते हैं कि जाँच के समयबद्ध समापन के हित में, आवश्यकता पड़ने पर प्राधिकारी जाँच को कतिपय निर्यातकों तक सीमित कर सकते हैं।
64. यह नोट किया जाता है कि विशेष रूप से नमूना चयन संबंधी नियम प्राधिकारी को उत्पाद प्रकारों की संख्या तक अलग-अलग निर्धारण को सीमित करने की अनुमति देते हैं। इसका अर्थ यह है कि यह आवश्यक नहीं है कि प्राधिकारी ऐसा नमूना लें जिससे भारत को आपूर्ति किए गए सभी उत्पाद नमूने के अंतर्गत शामिल हो जाएँ।
65. इस संबंध में शामिल किए जाने के आधार के रूप में कि उत्पादक/निर्यातक ने विशेष उत्पादों की आपूर्ति की है या नमूने में शामिल उत्पाद प्रोफाइल व्यापक होना चाहिए, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि नियम 17(3) के अंतर्गत ऐसा कोई दायित्व नहीं है।
66. इस तर्क के संबंध में कि नमूना चयन जाँच शुरुआत की तारीख से 80 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली का नियम 17(3) उत्पादकों/निर्यातकों के नमूना चयन की अनुमति देता है। नियमावली में किसी पाटनरोधी जाँच में उत्पादकों/निर्यातकों के नमूना चयन के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

67. इस अनुरोध के संबंध में कि पूर्ण और उच्चतम गुणवत्ता वाले प्रत्युत्तरों को नमूने में लिया जाना चाहिए, यह नोट किया जाता है कि नियम 17(3) के अंतर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो प्रत्युत्तर की गुणवत्ता के आधार पर नमूना चयन की अपेक्षा करता हो। नमूना चयन निर्यात की मात्रा के आधार पर किया गया है तथा प्रत्युत्तर की गुणवत्ता इस बात का आधार नहीं हो सकती कि उस पर अलग-अलग जाँच के लिए विचार किया जाए या नहीं। विशेष रूप से इसलिए कि यदि प्राधिकारी को प्रत्येक प्रत्युत्तर का विस्तार से जाँच कर यह निर्धारित करना पड़े कि कौन-सा प्रत्युत्तर उच्चतम गुणवत्ता का है, और तत्पश्चात उसे नमूने में शामिल किया जाए, तो इससे नमूना चयन का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा।
68. उपर्युक्त के आलोक में, प्राधिकारी दिनांक 5 जून 2025 की अधिसूचना के माध्यम से यथा अधिसूचित नमूना चयन को अंतिम रूप देने का प्रस्ताव करते हैं। इसके अतिरिक्त, यह नोट किया जाता है कि अन्य सभी सहयोगी गैर-नमूना उत्पादकों के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण सहयोगी नमूना उत्पादकों के भारित औसत मार्जिन के आधार पर किया गया है।

### छ.3.1. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण

#### 1. चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य

69. डब्ल्यूटीओ में चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान है:

*"जीएटीटी का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता, 1994 ("पाटनरोधी समझौता") के अनुच्छेद-VI के कार्यान्वयन पर समझौता तथा एससीएम समझौता निम्नलिखित के अनुरूप डब्ल्यूटीओ सदस्यों में चीन मूल के आयातों वाली कार्यवाहियों पर लागू होंगे:*

*15. (क) जीएटीटी के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी समझौते के तहत कीमत की तुलना का निर्धारण करने में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित के आधार पर चीन में घरेलू मूल्यों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं है:*

*(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती हैं तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।*

*(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।*

*(ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजयसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य*

राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तों उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।

(ग)आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।

(घ)आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

70. घरेलू उद्योग ने चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) का उल्लेख करते हुए उस पर भरोसा किया है। घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि चीन जन. गण. के उत्पादकों से यह प्रदर्शित करने के लिए कहा जाना चाहिए कि समान उत्पाद के उनके उद्योग में विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ विद्यमान हैं। घरेलू उद्योग ने यह भी बताया है कि यदि चीन के प्रतिवादी उत्पादक यह प्रदर्शित करने में असमर्थ रहते हैं कि उनकी लागत और कीमत सूचना बाजार-प्रेरित है, तो सामान्य मूल्य की गणना नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के प्रावधानों के अनुसार की जानी चाहिए।

71. वर्तमान मामले में किसी भी नमूना उत्पादक ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा नहीं किया है। तदनुसार, सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार किया गया है, जिसमें निम्नानुसार प्रावधान है -

"गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश की कीमत अथवा संरचित मूल्य, अथवा किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव न हो, अथवा अन्य किसी समुचित आधार पर किया जाएगा जिसमें भारत में समान वस्तु के लिए वास्वित रूप से संदत्त अथवा भुगतान योग्य कीमत, जिनमें यदि आवश्यक हो तो लाभ की समुचित गुंजाइश भी शामिल की जाएगी निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे समुचित देश का चयन उचित तरीके से किया जाएगा जिसमें संबंधित देश के विकास के स्तर तथा प्रश्नगत उत्पाद का ध्यान रखा जाएगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना का भी ध्यान रखा जाएगा। जहां उचित हो, उचित समय सीमा के भीतर किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में इसी प्रकार के मामले में की गई जांच पर भी ध्यान दिया जाएगा। जांच से संबंधित पक्षों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के उपर्युक्त प्रकार से चयन के बारे में बिना किसी विलंब के सूचित किया जाएगा और उन्हें अपनी टिप्पणियां देने के लिए उचित अवधि प्रदान की जाएगी।"

72. वर्तमान मामले में किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में प्रचलित कीमत या परिकलित कीमत का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, उत्पाद के लिए कोई विशिष्ट टैरिफ कोड उपलब्ध नहीं है, जिससे किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों, को निर्यातित कीमत

पर विचार किया जा सके। अतः प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य का निर्धारण भारत में देय कीमत के आधार पर किया है, जो आवेदक की उत्पादन लागत पर आधारित है तथा जिसमें बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा युक्तिसंगत लाभ के लिए विधिवत रूप से समायोजन किया गया है।

## 2. चीन जन. गण. के लिए निर्यात कीमत

फुज़ियान हाईसन सिंथेटिक फ़ाइबर टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड और फुज़ियान लिहेंग पॉलियामाइड इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड के लिए निर्यात कीमत

73. जांच की अवधि के दौरान, फुज़ियान हाईसन सिंथेटिक फ़ाइबर टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड (फुज़ियान हाईसन) ने भारत को [\*\*\*] मीट्रिक टन उत्पाद का निर्यात किया है, जिसमें से उसने [\*\*\*] मीट्रिक टन उत्पाद को सीधे निर्यात किया है। शेष [\*\*\*] मीट्रिक टन उत्पाद को अपने संबंधित उत्पादक, फुज़ियान लिहेंग पॉलियामाइड इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड (फुज़ियान लिहेंग) के माध्यम से निर्यात किया है। फुज़ियान लिहेंग पॉलियामाइड इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड ने भारत को [\*\*\*] मीट्रिक टन उत्पाद का निर्यात किया है, जिसमें से उसने [\*\*\*] मीट्रिक टन उत्पाद को सीधे निर्यात किया है। शेष [\*\*\*] मीट्रिक टन उत्पाद को अपने संबद्ध उत्पादक फुज़ियान हाईसन सिंथेटिक फ़ाइबर टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड के माध्यम से निर्यात किया है।

फुज़ियान हाईसन → भारत में असंबद्ध ग्राहकों को

फुज़ियान हाईसन → फुज़ियान लिहेंग → भारत में असंबद्ध ग्राहकों को

फुज़ियान लिहेंग → भारत में असंबद्ध ग्राहकों को

फुज़ियान लिहेंग → फुज़ियान हाईसन → भारत में असंबद्ध ग्राहकों को

74. फुज़ियान हाईसन और फुज़ियान लिहेंग द्वारा भारत में असंबद्ध ग्राहकों से ली गई बिक्री कीमत के आधार पर निर्यात कीमत निर्धारित की गई है। डेस्क सत्यापन किए जाने के बाद समुद्री माल भाड़ा, समुद्री बीमा, स्वदेशी परिवहन, बंदरगाह एवं अन्य संबद्ध व्ययों, सीमा शुल्क घोषणा प्रभार, ऋण लागत, बैंक प्रभार एवं अन्य प्रभारों के लिए समायोजन किए गए हैं। प्राधिकारी ने फुज़ियान हाईसन और फुज़ियान लिहेंग द्वारा निर्मित वस्तुओं के निर्यात के लिए पीसीएन-वार निर्यात कीमत की गणना की है और उसकी तुलना संबंधित पीसीएन के सामान्य मूल्य से की है। उसी के अनुसार एक भारित औसत पाटन मार्जिन का निर्धारण किया गया था। इस तरह से निर्धारित की गई निवल निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है।

## यिवू हुआर्डिंग नायलॉन कंपनी लिमिटेड के लिए निर्यात कीमत

75. जांच की अवधि के दौरान, यिवू हुआर्डिंग नायलॉन कंपनी लिमिटेड (यिवू हुआर्डिंग) ने [\*\*\*] मीट्रिक टन विचाराधीन उत्पाद सीधे भारत को निर्यात किया है। निर्यात कीमत का निर्धारण यिवू हुआर्डिंग द्वारा भारत में असंबद्ध ग्राहकों से ली गई बिक्री कीमत के आधार पर किया गया है।

यिवू हुआर्डिंग → भारत में असंबद्ध ग्राहकों को

76. डेस्क सत्यापन किए जाने के बाद समुद्री माल भाड़ा, समुद्री बीमा, स्वदेशी परिवहन, बंदरगाह हैंडलिंग प्रभार, सीमा शुल्क घोषणा शुल्क, लोडिंग शुल्क और बैंक प्रभारों के लिए समायोजन किए गए हैं। प्राधिकारी ने फुज़ियान हाईसन और फुज़ियान लिहेंग द्वारा निर्मित वस्तुओं के निर्यात के लिए पीसीएन-वार निर्यात कीमत की गणना की है और उसकी तुलना संबंधित पीसीएन के सामान्य मूल्य से की है। उसी के अनुसार एक भारित औसत पाटन मार्जिन का

निर्धारण किया गया था। इस तरह से निर्धारित की गई निवल निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है।

### चीन जन. गण. में अन्य उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

77. प्राधिकारी ने चीन जन. गण. के गैर- नमूनाकृत सहयोगी उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए निवल निर्यात कीमत, चीन जन. गण. के नमूनाकृत उत्पादकों की भारत औसत निवल निर्यात कीमत के आधार पर निर्धारित की है।

### चीन जन. गण. में अन्य उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

78. चीन जन. गण. के शेष सभी गैर- नमूनाकृत सहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत मौजूदा तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है और इसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

### 3. वियतनाम के लिए सामान्य मूल्य

#### ह्योसंग डोंग नाई कंपनी लिमिटेड और ह्योसंग डोंग नाई नायलॉन कंपनी लिमिटेड के लिए सामान्य मूल्य

वियतनाम से जांच में दो उत्पादकों/ निर्यातकों, ह्योसंग डोंग नाई और ह्योसंग डोंग नाई नायलॉन ने भाग लिया है। दोनों संगत पक्षकार हैं।

79. जांच की अवधि के दौरान, ह्योसंग डोंग नाई कंपनी लिमिटेड (ह्योसंग डोंग नाई) ने घरेलू बाजार में [\*\*\*] मीट्रिक टन संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की है, जबकि इसने भारत को [\*\*\*] मीट्रिक टन संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। इसके संबद्ध उत्पादक, ह्योसंग डोंग नाई नायलॉन कंपनी लिमिटेड (ह्योसंग डोंग नाई नायलॉन) ने घरेलू बाजार में [\*\*\*] मीट्रिक टन संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की है, जबकि इसने भारत को [\*\*\*] मीट्रिक टन संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि भारत को निर्यातों की तुलना में घरेलू बिक्री पर्याप्त मात्रा में है।
80. प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए, पीसीएन-वार संबद्ध वस्तुओं की उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभ अर्जक घरेलू बिक्री लेन देन निर्धारित करने के लिए सामान्य व्यापार जांच प्रक्रिया का आयोजन किया है। पीसीएन के मामले में, जहां पर 80% से अधिक बिक्री लाभ हुआ था, वहां पर सामान्य मूल्य का निर्धारण कारखाना बाह्य बिक्री कीमत के आधार पर किया गया है। जहां पर 80% से कम बिक्रियां लाभ पर हुई थीं, वहां पर सामान्य मूल्य का निर्धारण लाभ योग्य बिक्रियों की कारखाना बाह्य बिक्री कीमत के आधार पर किया गया है। ऐसे पीसीएन के लिए जहां प्रत्येक उत्पादक के लिए 20% से कम बिक्रियां लाभ पर हुई थीं, या जहां पर पीसीएन को घरेलू बाजार में नहीं बेचा गया है, सामान्य मूल्य का निर्धारण पीसीएन की उत्पादन लागत के आधार किया गया है, जिसमें बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों और लाभ को समुचित रूप से जोड़ा गया है। डेस्क सत्यापन किए जाने के बाद स्वदेशी परिवहन, बैंक प्रभार और ऋण लागत के लिए बिक्री कीमत में समायोजन किए गए हैं। ह्योसंग डोंग नाई और ह्योसंग डोंग नाई नायलॉन के लिए कारखाना बाह्य स्तर पर भारत औसत सामान्य मूल्य की गणना नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाए गए अनुसार की गई है।

**वियतनाम में अन्य उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य**

81. वियतनाम के अन्य सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है और इसे नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

**4. वियतनाम के लिए निर्यात कीमत****ह्योसंग डोंग नाई कंपनी लिमिटेड और ह्योसंग डोंग नाई नायलॉन कंपनी लिमिटेड के लिए निर्यात कीमत**

82. जांच की अवधि के दौरान, ह्योसंग डोंग नाई ने भारत को [\*\*\*] मीट्रिक टन विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है, जिसमें से [\*\*\*] मीट्रिक टन उत्पाद सीधे निर्यात किया गया है। शेष [\*\*\*] मीट्रिक टन उत्पाद को अन्य व्यापारियों, शिनहान ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, कोरिया गणराज्य (शिनहान) के माध्यम से निर्यात किया गया है। ह्योसंग डोंग नाई नायलॉन ने भारत को [\*\*\*] मीट्रिक टन विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है, जिसमें से [\*\*\*] मीट्रिक टन सीधे निर्यात किया गया है। शेष [\*\*\*] मीट्रिक टन को शिनहान के माध्यम से निर्यात किया गया है।

ह्योसंग डोंग नाई → भारत में असंबद्ध ग्राहकों को

ह्योसंग डोंग नाई → शिनहान → भारत में असंबद्ध ग्राहकों को

ह्योसंग डोंग नाई नायलॉन → भारत में असंबद्ध ग्राहकों को

ह्योसंग डोंग नाई नायलॉन → शिनहान → भारत में असंबद्ध ग्राहकों को

83. निर्यात कीमत का निर्धारण, यथास्थिति ह्योसंग डोंग नाई, ह्योसंग डोंग नाई नायलॉन और शिनहान द्वारा भारत में असंबद्ध ग्राहकों से ली गई विक्री कीमत के आधार पर किया गया है। समुद्री मालभाड़ा, बीमा, स्वदेशी परिवहन, बंदरगाह एवं हैंडलिंग प्रभार, बैंक प्रभार और ऋण लागत के लिए डेस्क सत्यापन किए जाने के बाद समायोजन किए गए हैं। इसके अलावा, शिनहान द्वारा कमीशन, बिक्रियों, सामान्य एवं प्रशासनिक खर्चों को समायोजित किया गया। प्राधिकारी ने ह्योसंग डोंग नाई और ह्योसंग डोंग नाई नायलॉन द्वारा निर्मित वस्तुओं के निर्यात के लिए पीसीएन-वार निर्यात कीमत की गणना की है और उत्पादक के लिए संबद्ध पीसीएन के सामान्य मूल्य से इसकी तुलना की है। उसी के अनुसार एक भारित औसत पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया था। इस तरह से निर्धारित की गई निवल सामान्य निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है।

**वियतनाम में अन्य उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत**

84. वियतनाम के सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत मौजूदा तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है और यह नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाई गई है।

**छ.3.2. पाटन मार्जिन**

85. संबद्ध उत्पादकों और निर्यातकों को एक ही संस्था माना गया और उन्हें एक ही पाटन मार्जिन प्रदान किया गया, जिसकी गणना सहयोगी संबद्ध उत्पादक और निर्यातक के पाटन मार्जिन के भारित औसत के आधार पर की गई थी। क्षति मार्जिन का निर्धारण भी इसी तरह से किया गया है।

86. ऊपर दिए गए सामान्य मूल्य और निर्धारित की गई निर्यात कीमत को ध्यान में रखते हुए, संबद्ध देश के लिए निर्धारित किया गया पाटन मार्जिन इस प्रकार से है:

**पाटन मार्जिन तालिका**

क्र. सं.	उत्पादक का नाम	सामान्य मूल्य	निर्यात कीमत	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन
		(यूएस डॉलर/ मी टन)	(यूएस डॉलर/ मी टन)	(यूएस डॉलर/ मी टन)	(%)	(रेंज)
क	<b>चीन जन. गण.</b>					
1.	फुज़ियान हाईसन सिंथेटिक फ़ाइबर टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड	***	***	***	***	10-20
2.	फुज़ियान लिहेंग पॉलियामाइड इंडस्ट्री कं, लिमिटेड	***	***	***	***	40-50
3.	फुज़ियान समूह (भारित औसत)	***	***	***	***	15-25
4.	यिवू हुआडिंग नायलॉन कं, लिमिटेड	***	***	***	***	40-50
5.	गैर नमूनाकृत कोऑपरेटिव प्रोड्यूसर	***	***	***	***	20-30
6.	कोई अन्य उत्पादक	***	***	***	***	45-55
ख	<b>वियतनाम</b>					
1.	ह्योसंग डोंग नाई कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	100-110
2.	ह्योसंग डोंग नाई नायलॉन कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	135-145
3.	ह्योसंग समूह (भारित औसत)	***	***	***	***	110-120
4.	कोई अन्य उत्पादक	***	***	***	***	110-120

### ज. क्षति और कारणात्मक संबंध का आकलन

#### ज.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

87. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- i. घरेलू उद्योग ने आयात वृद्धि को बढ़ा-चढ़ाकर बताया है, और क्षति होने की बात जानबूझकर बनाई है।
  - ii. वियतनाम से होने वाले अयातों को जांच के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि उनकी मात्रा बहुत कम है, कुल आयातों का लगभग 3% और घरेलू खपत का 1% से भी कम है। इसके अलावा, ऐसे आयातों में डाउनग्रेडेड या विशिष्ट सामग्री सम्मिलित हैं या ये संबद्ध पक्षकारों के बीच के लेन देन हैं।
  - iii. सस्ते आयातों के बावजूद, मेक्सिको को संबद्ध देश के रूप में शामिल नहीं किया गया है, जिससे यह पता चलता है कि घरेलू उद्योग ने चुनिंदा देशों को लक्ष्य किया है।
  - iv. आयातों की मात्रा में बढ़ोतरी भारतीय उद्योग की बढ़ती मांग और बिक्री में बढ़ोतरी के साथ हुई है। बाज़ार ने घरेलू आपूर्ति को हटाए बिना बढ़े हुए आयातों को समायोजित कर लिया।
  - v. समर्थकों द्वारा किए गए आयातों को क्षति के विश्लेषण से बाहर रखा जाना चाहिए, क्योंकि समर्थक पाटन को आसान नहीं बना सकते और फिर शुल्क लगाए जाने का समर्थन नहीं कर सकते। ऐसे आयातों से उन्हें घरेलू आपूर्ति को नियंत्रित करने और कीमतों पर प्रभाव डालने में मदद मिलती है। यह सुनिश्चित करना होगा कि क्षति का विश्लेषण अपने लाभ के तरीकों या सुरक्षा चाहने वाले पक्षकारों की बनाई आपूर्ति की रुकावटों से प्रभावित न हो।
  - vi. घरेलू उद्योग ने उन्नति की है और भारतीय उद्योग की कुल क्षमता में वृद्धि हुई है। क्षति में यह वृद्धि मांग या उत्पादन प्रवृत्ति में वृद्धि से समर्थित नहीं है।
  - vii. घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, घरेलू बिक्रियों, कर्मचारियों, वेतन भुगतान, उत्पादकता और समर्थकों की बिक्रियों में वृद्धि हुई है। जैसा कि थाईलैंड में डब्ल्यूटीओ पैनेल – एच- बीम्स ने यह अवगत कराया है, घरेलू उद्योग के मापदंडों में सुधार को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।
  - viii. क्षमता उपयोग में गिरावट अति क्षमता, वास्तविक मांग के साथ तालमेल की कमी और अक्षमता के कारण से है।
  - ix. घरेलू उद्योग की बिक्रियों में महत्वपूर्ण और निरंतर वृद्धि हुई है, जो मात्रा आधारित क्षति के किसी भी दावे को खारिज करती है। घरेलू उद्योग की बिक्रियों में और अधिक बढ़ोतरी चीन से आयातों में बढ़ोतरी से कहीं अधिक है।
  - x. वस्तुसूची नियंत्रण में रही है और वस्तुसूची कारोबार में सुधार हुआ है। वस्तुसूची में गिरावट आई है, जिसे उत्पादन और बिक्रियों के दिनों की संख्या के रूप में दिखाया गया है।
  - xi. बिक्रियों की लागत और निवल बिक्री प्राप्ति लगभग एक-दूसरे के समानांतर बढ़े हैं। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि संबद्ध आयातों से कीमत कटौती या कीमत पर दबाव आया है।
  - xii. घरेलू उद्योग के प्रति इकाई निर्यात में बिक्री कीमत, घरेलू बिक्री कीमत से अधिक कमी आई, जो संबद्ध आयातों की वजह से नहीं हो सकता।
  - xiii. लाभों में गिरावट आयात की प्रवृत्ति से अलग है और आंतरिक रणनीतिक निर्णयों से ज़्यादा जुड़ी हुई है।
  - xiv. निरंतर निवेश, जो शामिल पूंजी और निर्धारित परिसंपत्तियों में वृद्धि से स्पष्ट है, विकास और विश्वास को दर्शाता है।
  - xv. सेंचुरी एनका लिमिटेड, गुजरात पॉलीफिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड, एग्लॉन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, एवाईएम सिंटेक्स लिमिटेड, टोडी रेयॉन्स प्राइवेट लिमिटेड और ओरिलोन के वित्तीय विवरण यह दर्शाते हैं कि गुजरात पॉलीफिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड ही अकेला उत्पादक है जिसे क्षति हो रही है।
  - xvi. घरेलू उत्पादकों ने 75% से अधिक का बाजार अंश बनाए रखा है, जो संभव नहीं होता यदि संबद्ध आयातों से उनकी बिक्रियों/बिक्रियों में कमी नहीं आ रही होती।
  - xvii. उत्पादकता में सुधार होने के साथ ही कर्मचारियों की संख्या में भी वृद्धि हुई है।
  - xviii. प्रति मीट्रिक टन ब्याज लागत में 9% की कमी आई, जो बेहतर क्षमता दिखाती है।

- xix. औसत नियोजित पूंजी, निवल निर्धारित परिसंपत्तियां और स्थापित क्षमता में वृद्धि से तात्पर्य है कि याचिकाकर्ता रणनीतिक रूप से विस्तार कर रहा है, क्षति का सामना नहीं कर रहा है।
- xx. घरेलू उद्योग के लाभ में बड़ी गिरावट होने का कारण केवल चीन से होने वाला आयात नहीं हो सकता। पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध -II के पैरा (v) के अनुसार, पाटन और क्षति के बीच कोई सीधा संबंध होना चाहिए।
- xxi. आयातों के अलावा, क्षति का कारण बनने वाले अन्य कारकों की भी जांच होनी चाहिए। इस बात का उल्लेख यूएस-हॉट-रोल्ड स्टील और यूएस-नॉर्वेजियन सैल्मन एडी में अपील निकाय ने भी किया था।
- xxii. पहले इन आयातकों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बावजूद, घरेलू उद्योग को अभी भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जो क्षति का कारण बनने वाले अन्य कारकों की ओर संकेत करता है।
- xxiii. कोई भी कथित क्षति आंतरिक कमियों, अधिक विस्तार, या लागत से जुड़े कारकों की वजह से है और यह इन आयातों की वजह से नहीं है।
- xxiv. प्रौद्योगिकी में बदलाव आया है, जिससे प्रति लाइन वाइंडर्स की संख्या बढ़कर 24 यूनिट्स हो गई है, जबकि घरेलू उद्योगों में 12 यूनिटें काम करती हैं। इस वजह से, घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत अधिक है।
- xxv. कार्यशील पूंजी की जरूरतों और ब्याज लागतों में बढ़ोतरी, वस्तुसूची स्तर में बदलाव के हिसाब से नहीं है और यह पाटित किए गए आयातों के बजाय आंतरिक कमियों और निर्णयों की वजह से वित्तीय बोझ को दिखाता है।
- xxvi. घरेलू उद्योग पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, जिससे उसकी प्रतिस्पर्धा क्षमता पर प्रभाव पड़ रहा है।
- xxvii. आयात या कम गणवत्ता के अस्थिर कच्ची सामग्री पर निर्भरता घरेलू उद्योग की प्रतिस्पर्धा क्षमता में रुकावट डालती है।
- xxviii. कुशल कामगारों की कमी और अधिक श्रम लागत उत्पादन की गुणवत्ता और सक्षमता पर प्रभाव डालती हैं।
- xxix. भौगोलिक पतिकूलता कुल उत्पादन खर्च, बाजार पहुंच और शिपिंग लागत बढ़ा सकते हैं।
- xxx. अधिक उधार लेने की लागत या वित्तीय विकल्प की कमी प्रतिस्पर्धा क्षमता को प्रभावित कर सकती है।
- xxxi. समर्थकों सहित शेष सभी घरेलू उत्पादकों के निष्पादन पर ध्यान देना चाहिए।
- xxxi. बाजार की मांग में बदलाव, बढ़ती प्रतिस्पर्धा, उतार-चढ़ाव वाली विनिमय दर, ग्राहक की रुचि, बाजार की मंदी, अलग-अलग सरकारी नीतियां और व्यापार करार भी घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।
- xxxi. प्राधिकारी को उत्पाद के तकनीकी पहलुओं की जांच करनी चाहिए, जिसमें घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए सामान की गुणवत्ता, घरेलू उद्योग की वजह से कम प्रचालनात्मक क्षमता, घरेलू धागे का इस्तेमाल होने की वजह से अधिक बर्बादी और उत्पादन डाउनटाइम, ऐसे धागे की बॉबिन की लंबाई अलग-अलग होना, और विशिष्ट या हाई-एंड एप्लीकेशन के साथ इसकी कम अनुकूलता जैसी चिंताएं शामिल हैं।

## ज.2. घरेलू उद्योग के विचार

88. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. वर्ष 2022-23 के दौरान कम कीमत वाले आयातों में वृद्धि होने की वजह से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। जांच की अवधि में आयातों में कमी आई लेकिन यह काफी अधिक रही और आयातों की कीमत कम रही। इस वजह से, जांच की अवधि में भी क्षति जारी रही।
- ii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के उलट, समर्थकों द्वारा किए गए आयातों को क्षति की जांच के लिए बाहर रखने का कोई आधार नहीं है। नियमों के तहत पाटित कीमतों पर सभी आयातों की मात्रा और कीमत के प्रभाव की जांच का प्रावधान है, चाहे उस उत्पाद को आयात करने वाले पक्षकारों की प्रकृति कुछ भी हो।
- iii. क्षति अवधि के दौरान मांग में बढोतरी की तुलना में संबद्ध आयातों में अधिक वृद्धि हुई है।
- iv. संबद्ध आयातों में पूर्ण और सापेक्ष संदर्भ में वृद्धि हुई है। उत्पादन के संबंध में संबद्ध आयातों में वृद्धि हुई है, भले ही क्षति अवधि के दौरान सर्वाधिक भारतीय उत्पादन पर विचार किया जाए।
- v. भारतीय उद्योग के पास भारत में पूरी मांग को पूरा करने के लिए काफी क्षमता होने के बावजूद, क्षति अवधि में संबद्ध आयातों में काफी वृद्धि हुई है।
- vi. वर्ष 2021-22 को छोड़कर, क्षति अवधि में मांग में वृद्धि की तुलना में संबद्ध आयातों में वृद्धि अधिक हुई है।
- vii. जांच की अवधि में, देश में मांग में कमी और क्षमता में वृद्धि के कारण आयातों में कुछ कमी आई। फिर भी, क्षति अवधि में संबद्ध आयातों में काफी वृद्धि हुई है।
- viii. देश में होने वाले कुल आयातों में संबद्ध आयातों का हिस्सा अधिक है।
- ix. भारत औसत और पीसीएन के हिसाब से कीमत कटौती सकारात्मक और पर्याप्त है। कीमत कटौती सकारात्मक है, भले ही घरेलू उद्योग ने क्षति में बिक्री की हो।
- x. आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कमी आई है और कीमत में वृद्धि में रुकावट आई है, जो अन्यथा होती।
- xi. आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से काफी कम है।
- xii. वर्ष 2022-23 और जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की क्षमता में कमी आ गई।
- xiii. पाटित किए गए आयातों की मात्रा बढ़ने से घरेलू उद्योग के लाभ पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, जिससे उसे क्षति में बिक्री करनी पड़ी।
- xiv. वर्ष 2021-22 में घरेलू उद्योग का लाभ बेहतर हुआ क्योंकि बाजार में कीमतें प्रतिस्पर्धी हो गईं। हालांकि, उसके बाद आयातों की कीमतें कम हो गईं और घरेलू उद्योग को घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत से कम कीमतों पर बिक्री करनी पड़ी।
- xv. जांच की अवधि में नुकसान में बिक्री करने के बावजूद, घरेलू उद्योग की वस्तुसूची में वृद्धि हुई और यह जांच की अवधि में सबसे अधिक थी।
- xvi. नकदी लाभ में काफी गिरावट आई और वह नुकसान में परिवर्तित हो गया। जांच की अवधि में नकदी हानि सबसे अधिक थी।
- xvii. घरेलू उद्योग ने अपने निवेश पर नकारात्मक प्रतिफल दर्ज किया है और इससे आगे निवेश जुटाने की उसकी क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ा है।
- xviii. घरेलू उत्पादकों को निरंतर नुकसान हो रहा है, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि कई घरेलू उत्पादकों, जैसे, पारस पेट्रोफिल्स, जीएसएफसी, गुप्ता सिंथेटिक्स और जेसीटी लिमिटेड ने अपना परिचालन बंद कर दिया है।
- xix. मांग और क्षमता में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप उत्पादन, बिक्री, वेतन और कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हुई है। तथापि, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट आई है।

- xx. घरेलू उद्योग को कीमतों के स्तर पर नुकसान हुआ है क्योंकि उसने ग्राहक आधार, उत्पादन और क्षमता उपयोग को बनाए रखने का विकल्प चुना है। लाभप्रदता मापदंडों में गिरावट के बहिष्कार में मात्रा संबंधी मापदंडों में सुधार नहीं देखा जा सकता है।
- xxi. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, कानून में सूचीबद्ध सभी मापदंडों को भौतिक क्षति को प्रदर्शित करने के लिए गिरावट दिखाने की आवश्यकता नहीं है। यह पाकिस्तान में डब्ल्यूटीओ पैनल की टिप्पणियों के अनुरूप है - संयुक्त अरब अमीरात से द्विअक्षीय रूप से उन्मुख पॉलीप्रोपाइलीन फिल्म पर पाटनरोधी उपाय [2018 (363) ई.एल.टी. 566 (ट्रिब्यूनल - दिल्ली)] मौजूदा मामले में घरेलू उद्योग को लाभ में गिरावट के कारण नुकसान हुआ है।
- xxii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, नियम 11 में निर्धारित घरेलू उद्योग की क्षति की जांच के लिए प्रावधान है। किसी भी मामले में, समर्थको के लिए जानकारी दी गई है जिससे यह पता चलता है कि क्षति अवधि में समर्थको के लाभ में भी उसी प्रवृत्ति का अनुसरण किया गया है।
- xxiii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, क्षति का तात्पर्य ज़रूरी नहीं कि नुकसान हो और लाभ में गिरावट भी क्षति दर्शाती है।
- xxiv. हितबद्ध पक्षकारों के दावों के प्रतिकूल, क्षति घरेलू उद्योग द्वारा उपयोग की जाने वाली पुरानी प्रौद्योगिकी की वजह से नहीं है। वास्तव में, पीएनपी, एग्लॉन और सेंचुरी एनका ने नई क्षमता और मशीनें लगाई हैं और नई प्रौद्योगिकी शामिल की है। दूसरी ओर, चीन में संयंत्र 20-25 वर्ष पुराने माने जाते हैं।
- xxv. घरेलू उद्योग प्राधिकारी से उन दावों का सत्यापन करने का अनुरोध करता है कि विदेशी उत्पादकों के पास प्रत्येक लाइन में 24 वाइंडर हैं।
- xxvi. घरेलू उद्योग में मौजूद कारकों जैसे कच्ची सामग्री का स्रोत, उद्योग की अवस्थिति और संयंत्र की मियाद के लिए गैर-आरोपण विश्लेषण नहीं किया जाना चाहिए। यह यूरोपीय संघ – बायोडीज़ल (अर्जेटीना) में अपील निकाय के परिणामों से मेल खाता है।
- xxvii. इस बात के कोई सबूत नहीं हैं कि विशिष्ट उत्पाद आयात किया जा रहा है और संबद्ध पक्षकार लेन देन हैं।
- xxviii. वियतनाम से होने वाले आयातों को जांच से बाहर नहीं रखा जाना चाहिए क्योंकि वियतनाम से होने वाले आयातों का हिस्सा 3% से अधिक है और पाटन मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।
- xxix. हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि घरेलू उद्योग ने डाउनग्रेडेड सामग्रियों की आपूर्ति की है और साथ ही यह भी कहा है कि वियतनाम से होने वाला आयात डाउनग्रेडेड सामग्री का है। इससे यह पता चलता है कि सभी आपूर्तिकर्ता सभी बाजारों में अलग-अलग गुणवत्ता के सामान की आपूर्ति करते हैं।
- xxx. मेक्सिको से होने वाले आयातों को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि ऐसे आयात कुल आयातों का केवल 1% हैं और नियम 14 के तहत उनकी जांच की अनुमति नहीं है।
- xxxi. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के प्रतिकूल, नियोजित पूंजी और निर्धारित परिसंपत्तियों में बढ़ोतरी और ब्याज लागत में कमी नुकसान के लिए मापदंड नहीं हैं।
- xxxii. यह दावा कि दूसरे कारकों से घरेलू उद्योग को नुकसान हो रहा है, बेबुनियाद है क्योंकि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने ऐसे कारकों की पहचान नहीं की है।
- xxxiii. घरेलू उद्योग जिस प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है, वह पुरानी नहीं है। उद्योग की भौगोलिक, या कच्ची सामग्री की गुणवत्ता और स्रोत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। श्रमिकों के कौशल में भी कोई बदलाव नहीं आया है।
- xxxiv. इस दावे के प्रतिकूल कि नुकसान आंतरिक अक्षमता, अति विस्तार, या लागत से जुड़े कारकों की वजह से है, घरेलू उद्योग को लाभप्रदता के मामले में नुकसान हुआ है, मात्रात्मक मापदंडों के मामले में नहीं। पहुंच कीमत में भारी गिरावट की वजह से कीमतों में गिरावट और लाभ के बीच एक स्पष्ट संबंध है।

- xxxv. नुकसान अधिक वित्तीय लागत की वजह से नहीं है क्योंकि यह उत्पादन की कुल लागत का केवल 1.5% है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग को अपने ब्याज की गणना करने से पहले ही नुकसान हुआ है।
- xxxvi. करेंसी में उतार-चढ़ाव घरेलू उद्योग को नुकसान होने का कारण नहीं है क्योंकि इससे आयात अलाभकारी हो जाएगा, न कि घरेलू उत्पाद।
- xxxvii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने उपभोक्ता की पसंद में कोई बदलाव नहीं देखा है। उपभोक्ता के पास आयात के उत्पाद को पसंद करने का कोई कारण नहीं है, जब तक कि वह पाटित कीमतों पर उपलब्ध न हो।
- xxxviii. ऐसी कोई भी खराब सरकारी नीति या करार नहीं हैं जो घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचा रहे हों। भारत-आशियान करार 2010 से लागू है और यह घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचाने का कारण नहीं हो सकता।
- xxxix. इस बात का दावा करना गलत है कि घरेलू उत्पाद का समर्थन करने के उद्देश्य से की गई कोशिशें, जैसे कि व्यापार करार, घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचाएंगे।

### ज.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

89. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों और प्रति-तर्कों की जांच की है। प्राधिकारी द्वारा नीचे किया गया विश्लेषण सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अलग-अलग तर्कों को बताता है।
90. हितबद्ध पक्षकारों ने इस बात पर बल दिया है कि घरेलू उद्योग के कतिपय मापदंडों में सुधार को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। घरेलू उद्योग ने यह उत्तर दिया है कि केवल कतिपय मापदंडों में सुधार का अर्थ यह नहीं है कि क्षति नहीं हुई है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उसे सभी मापदंडों का समग्र मूल्यांकन करना होगा, और अपने निष्कर्षों पर पहुंचना होगा। यदि समग्र मूल्यांकन के आधार पर, उसे पता चलता है कि आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है, तो कुछ मापदंडों में सुधार ऐसे निष्कर्षों को नकार नहीं देगा। दूसरी ओर, यदि सभी मापदंडों की जांच से पता चलता है कि क्षति नहीं हुई है, तो कुछ मापदंडों में गिरावट को क्षति का कारण नहीं माना जा सकता।
91. इस बात के संबंध में कि नियोजित पूंजी और निर्धारित पूंजी निवेश में वृद्धि हुई है, जो घरेलू उद्योग के प्रदर्शन में भरोसा होने को दर्शाता है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि ऐसे संकेतक यह तय नहीं करते कि घरेलू उद्योग को क्षति हुई है या नहीं। अतः केवल नियोजित पूंजी में वृद्धि का यह अर्थ नहीं है कि घरेलू उद्योग को संबद्ध वस्तुओं के पाटन के कारण क्षति नहीं हुई है।
92. इस बात के संबंध में कि उत्पादकों का प्रदर्शन उनके वित्तीय विवरण में घरेलू उद्योग के प्रदर्शन से मेल नहीं खाता है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि प्राधिकारी ने केवल संबद्ध वस्तुओं के प्रदर्शन के संबंध में आवेदकों की सत्यापित जानकारी पर भरोसा किया है। उत्पादकों के वित्तीय विवरण का संदर्भ शायद सही न हो, क्योंकि इसमें दूसरे बाजारों और अन्य उत्पादकों में प्रदर्शकों के बारे में भी जानकारी शामिल होगी।
93. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि समर्थकों सहित सभी अन्य घरेलू उत्पादकों के प्रदर्शकों पर विचार किया जाना चाहिए। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उसे तय घरेलू उद्योग के लिए खति विश्लेषण करना ज़रूरी है। यह ईसी – बेड लिनन में डब्ल्यूटीओ पैनेल के निष्कर्ष के अनुसार भी है।

*6.182 तथापि, भारत के दावे के दूसरे पहलू के संबंध में हमारा निष्कर्ष अलग है। जैसा कि हमने नोट किया है, क्षति का निर्धारण घरेलू उद्योग के लिए किया जाना है, जैसा कि जांच प्राधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट किया गया है,*

इस मामले में 35 उत्पादक हैं, जिसमें यूरोपीय समुदायों द्वारा निर्दिष्ट "सामुदायिक उद्योग" शामिल है। हमारे दृष्टिकोण से, घरेलू उद्योग के अंदर न आने वाली कंपनियों के संबंध में सूचना अनुच्छेद 3.4 के तहत आवश्यक "उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले ज़रूरी आर्थिक कारकों और संकेतकों" के मूल्यांकन के लिए असंगत है। यह तब भी सत्य है, जब वे कंपनियां अभी वैसा ही उत्पाद, बेड लिनन बना रही हों, या पहले बना चुकी हों। घरेलू उद्योग से बाहर की कंपनियों के लिए अनुच्छेद 3.4 के कारकों के संबंध में सूचना, पाटित आयातों के घरेलू उद्योग पर प्रभाव के संबंध में निष्कर्षों का कोई आधार नहीं देती है। यदि अन्य मौजूदा या पहले के बेड लिनन उत्पादकों को घरेलू उद्योग का हिस्सा माना जाता, तो यह बात कि उनमें से कुछ का कारोबार बंद हो गया, घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव के मूल्यांकन के लिए ज़रूरी होती। लेकिन यह देखते हुए कि यूरोपीय समुदायों ने घरेलू उद्योग को परिभाषित किया है। बेड लिनन के 35 उ उत्पादक होने के नाते, दूसरी कंपनियों से जुड़ी सूचना एडी एग्रीमेंट के अनुच्छेद 3.4 के तहत "उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले कारकों और संकेतकों" के मूल्यांकन के संबंध में जानकारी नहीं देती है, और इसलिए यह घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में निष्कर्षों का आधार नहीं बन सकती है।

94. हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी नहीं दर्शाया है कि प्राधिकारी को उन उत्पादकों के वित्तीय निष्पादन की जांच करने की ज़रूरत है जो घरेलू उद्योग का हिस्सा नहीं हैं। इसलिए, यह पाते हुए कि आवेदक और पीएनपी पॉलिमर्स घरेलू उद्योग में शामिल हैं, प्राधिकारी ने केवल इस तरह से बताया गए घरेलू उद्योग के लिए ही क्षति का विश्लेषण किया है।

### ज.3.1. क्षति का संचित आकलन

95. डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 3.3 और नियमावली के अनुबंध II के पैरा (iii) में यह प्रावधान है कि यदि एक से अधिक देशों से किसी उत्पाद के आयात की एक साथ पाटनरोधी जांच हो रही है, तो प्राधिकारी ऐसे आयात के प्रभाव का संचित आकलन करेंगे, यदि यह निर्धारित किया जाता है कि:

क. प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में निर्धारित पाटन मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत के तौर पर दो प्रतिशत से अधिक है और हर देश से आयात की मात्रा उसी तरह की वस्तु के आयात का तीन प्रतिशत (या उससे ज़्यादा) है या जहां अलग-अलग देशों का निर्यात तीन प्रतिशत से कम है, तो आयात मिलकर उसी तरह की वस्तु के आयात का सात प्रतिशत से अधिक है, और

ख. आयात किए गए उत्पादों के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों और आयात किए गए उत्पादों तथा वैसे ही घरेलू सामानों के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को देखते हुए आयात के प्रभाव का संचित आकलन उपयुक्त है।

96. इस मामले में, हर संबद्ध देश से आयातों की मात्रा और पाटन मार्जिन न्यूनतम से अधिक है। इसके अलावा, संबद्ध देशों से आयात और घरेलू उद्योग द्वारा बनाए गए उत्पादों में आपस में मिलती-जुलती विशिष्टताएं हैं और उनका उपयोग समान आवेदनों के लिए और ग्राहकों के एक ही सेगमेंट द्वारा किया जा रहा है। इस तरह, संबद्ध आयात भारतीय बाज़ार में आपस में और साथ ही घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित की गई संबद्ध वस्तुओं के साथ भी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।

97. अतः, प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि नीचे दिए गए कारणों से मौजूदा जांच में क्षति का संचित आकलन करना उपयुक्त होगा।

क. संबद्ध वस्तुएं संबद्ध देशों से भारत में पाटित की जा रही हैं।

- ख. हर संबद्ध देश से पाटन का मार्जिन नियमों के तहत तय की गई न्यूनतम सीमा से अधिक है।  
 ग. हर संबद्ध देश से आयातों की मात्रा, कुल आयात की मात्रा के 3% से अधिक है।  
 घ. आयातों के प्रभाव का संचित आकलन उपयुक्त है क्योंकि संबद्ध देशों से आयात न सिर्फ हर संबद्ध देश से आयातों के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा करते हैं, बल्कि भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली समान वस्तुओं के साथ भी प्रतिस्पर्धा करता है।

98. इस चिंता के संबंध में कि वियतनाम से होने वाले आयातों को जांच से बाहर रखा जाना चाहिए, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वियतनाम से होने वाला आयात भारत में होने वाले कुल आयातों का 3% से अधिक है। इसके अलावा, यह भी नोट किया जाता है कि वियतनाम से आयातों के लिए पाटन मार्जिन सकारात्मक और पर्याप्त है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि वियतनाम से आयातों की कीमत चीन जन. गण. से होने वाले आयातों की कीमत से बहुत कम है। इसे देखते हुए, वियतनाम को मौजूदा जांच से बाहर रखना सही नहीं है।

### ज.3.2. पाटित किए गए आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

#### i. मांग का आकलन (स्पष्ट खपत)

99. प्राधिकारी ने, इस जांच के प्रयोजन के लिए, भारत में उत्पाद की मांग या स्पष्ट खपत को भारतीय उत्पादों की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयातों के जोड़ के तौर पर निर्दिष्ट किया है। इस तरह से आकलित की गई मांग नीचे दी गई तालिका में दी गई है।

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि (क)
घरेलू उद्योग की बिक्रियां	मी टन	40,638	58,162	64,831	68,314
आबद्ध खपत	मी टन	30	शून्य	शून्य	शून्य
समर्थक उत्पादकों की बिक्रियां	मी टन	22,739	30,138	35,413	37,759
अन्य उत्पादकों की बिक्रियां	मी टन	30,869	46,035	44,465	37,559
संबद्ध आयात	मी टन	18,170	24,179	38,180	31,823
चीन	मी टन	16,946	23,341	36,879	30,547
वियतनाम	मी टन	1,224	839	1,301	1,276
अन्य उत्पादक	मी टन	5,542	5,101	4,006	4,736
कैप्टिव को छोड़कर कुल मांग/ खपत	मी टन	1,17,957	1,63,615	1,86,894	1,80,191
कैप्टिव को शामिल कर कुल मांग/ खपत	मी टन	1,17,988	1,63,615	1,86,894	1,80,191

\* आयात डीजी सिस्टम्स के डेटा के अनुसार, शेष आंकड़े घरेलू उद्योग के डेटा के अनुसार

100. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं की मांग में वर्ष 2022-23 तक वृद्धि हुई है और जांच की अवधि में कुछ कम हुई है। यह मांग आधार वर्ष की मांग से अधिक रही है।

## ii. पूर्ण और सापेक्ष संदर्भ में आयात

101. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, यह विचार किया जाना ज़रूरी है कि क्या भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में पाटित आयातों में पूर्ण संदर्भ में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। क्षति अवधि के दौरान आयातों की मात्रा इस प्रकार से थी:

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि (क)
संबद्ध आयात	मी टन	18,170	24,179	38,180	31,823
चीन	मी टन	16,946	23,341	36,879	30,547
वियतनाम	मी टन	1,224	839	1,301	1,276
अन्य आयात	मी टन	5,542	5,101	4,006	4,736
कुल आयात	मी टन	23,711	29,280	42,185	36,559
निम्नलिखित के संबंध में संबद्ध आयात					
घरेलू उत्पादन	%	43%	41%	56%	45%
खपत (आबद्ध सहित)	%	15%	15%	20%	18%
कुल आयात	%	77%	83%	91%	87%

102. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि:

- क्षति अवधि के दौरान संबद्ध आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है। आधार वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 में संबद्ध आयातों में \*\*\*% की वृद्धि हुई है। जांच की अवधि के दौरान, जबकि संबद्ध आयातों में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट आई, यह अभी भी आधार वर्ष की तुलना में \*\*\*% अधिक रहा।
- खपत और उत्पादन दोनों के संबंध में संबद्ध आयातों में वर्ष 2022-23 में वृद्धि हुई है और उसके बाद जांच की अवधि में कुछ कम हुई है।
- कुल आयातों में संबद्ध आयातों का हिस्सा क्षति अवधि में आधार वर्ष में \*\*\*% से बढ़कर जांच की अवधि में \*\*\*% हो गया है।
- आवेदकों ने यह अनुरोध किया है कि जांच की अवधि में आयातों में गिरावट मांग में कमी और घरेलू उद्योग की क्षमता में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप थी।

103. हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि समर्थकों से होने वाले आयातों को क्षति जांच से बाहर रखा जाना चाहिए। हालांकि, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध -II के साथ पठित नियम 11 के प्रावधानों के तहत, प्राधिकारी को पाटित किए गए आयातों के संबंध में क्षति जांच करना ज़रूरी है। ऐसे आयातों में समर्थकों या आवेदकों द्वारा किए गए आयात भी शामिल होंगे।

### ज.3.3. कीमत संबंधी प्रभाव

104. संबद्ध देशों से आयातों के कीमत संबंधी प्रभाव के संबंध में, यह विश्लेषण करना आवश्यक है कि क्या कथित आयात से भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में कोई महत्वपूर्ण कीमत कटौती हुई है, या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को कम करना या कीमतों में बढ़ोतरी को रोकना है, जो सामान्यतः तौर पर होती। संबद्ध देशों से

आयातों के चलते घरेलू उद्योग की कीमतों पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच कीमत कटौती, कीमत ह्रास और कीमत दबाव, यदि कोई हो, के संदर्भ में की गई है।

#### i. कीमत कटौती

105. कीमत कटौती के विश्लेषण के प्रयोजन के लिए, घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति की तुलना संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच कीमत से की गई है। तालिका नीचे दी गई है:

विवरण	इकाई	संबद्ध देश
निवल बिक्री प्राप्ति	₹/ मी टन	***
पहुंच कीमत	₹/ मी टन	1,94,680
कीमत कटौती	₹/ मी टन	***
कीमत कटौती	%	***
कीमत कटौती	रेंज	5-15%

\* पहुंच कीमत डीजी सिस्टम्स के डेटा के अनुसार, निवल बिक्री प्राप्ति घरेलू उद्योग के डेटा के अनुसार

106. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध आयातों की कीमत घरेलू उद्योग की निवल बिक्रियों की प्राप्ति से कम है। सभी संबद्ध देशों से कीमत कटौती सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।

#### ii. कीमत ह्रास/ दबाव

107. यह पता लगाने के लिए कि क्या पाटित किए गए आयातों से घरेलू कीमतों में काफी हद तक कमी हो रही है या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमत को काफी हद तक कम करना है या कीमत में बढ़ोतरी को रोकना है जो सामान्य तौर पर होती, प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्रियों की लागत और निवल बिक्री प्राप्ति में हुए परिवर्तनों की जांच की है।

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि (क)
बिक्री की लागत	₹/ मी टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	122	123	112
निवल बिक्री प्राप्ति	₹/ मी टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	128	122	109
पहुंच कीमत	₹/ मी टन	1,63,702	2,32,761	2,16,204	1,94,680
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	142	132	119

\* पहुंच कीमत डीजी सिस्टम्स के डेटा के अनुसार, निवल बिक्री प्राप्ति और बिक्री लागत घरेलू उद्योग के डेटा के अनुसार

108. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान बिक्रियों की लागत, निवल बिक्री प्राप्ति और पहुंच कीमत में बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2021-22 में, घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति में बढ़ोतरी हुई, जो लागत में बढ़ोतरी से अधिक थी। तथापि, वर्ष 2022-23 के दौरान, जबकि बिक्रियों की लागत लगभग वैसी ही रही, बिक्री कीमत और पहुंच कीमत में गिरावट आई है। जांच की अवधि के दौरान, जबकि बिक्रियों की लागत में गिरावट आई, निवल बिक्री प्राप्ति में अत्यधिक गिरावट देखने में आई। क्षति अवधि में, जबकि बिक्रियों की लागत में 12% की बढ़ोतरी हुई है, निवल बिक्री प्राप्ति में केवल 9% की बढ़ोतरी हुई है। इस तरह, संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों को दबा दिया है और कीमतों का ह्रास कर दिया है।

**ज.3.4. घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड**

109. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II के अनुसार, क्षति का पता लगाने में संबद्ध वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के प्रभाव की एक उद्देश्यपरक जांच शामिल होनी चाहिए। इन आयातों के घरेलू उत्पादकों पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में, नियमावली में सह भी प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी ज़रूरी आर्थिक कारकों और संकेतकों का बिना किसी भेदभाव के मूल्यांकन शामिल होगा, जिसमें बिक्रियां, लाभ, आउटपुट, बाजार अंश, उत्पादकता, निवेशों पर प्रतिफल या क्षमता के उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों पर प्रभाव डालने वाले कारक, नकदी प्रवाह, वस्तुसूची, रोज़गार, वेतन, वृद्धि, पूंजीगत निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव शामिल हैं। अतः, क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के प्रदर्शन की जांच की गई है।

**i. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्रियां**

110. क्षति अवधि के दौरान क्षमता, उत्पादन, बिक्रियां और क्षमता के उपयोग के मामले में घरेलू उद्योग का प्रदर्शन इस प्रकार था:

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि (क)
स्थापित क्षमता	मी टन	94,152	94,152	1,08,652	1,12,624
उत्पादन	मी टन	41,782	59,573	68,171	70,101
क्षमता का उपयोग	%	44%	63%	63%	62%
घरेलू बिक्री	मी टन	40,638	58,162	64,831	68,314
निर्यात बिक्री	मी टन	307	1,613	380	420
कैप्टिव खपत	मी टन	30	शून्य	शून्य	शून्य

\* घरेलू उद्योग के डेटा के अनुसार आंकड़े

111. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि:

- i. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता में वृद्धि हुई है।
- ii. क्षमता में वृद्धि होने के साथ, घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्रियों में भी वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्रियों में वृद्धि केवल लाभप्रदता से समझौता करने के कारण से वृद्धि हुई है। क्योंकि संबद्ध आयातों की कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत से कम थी, इसलिए घरेलू उद्योग ने अपने मात्रात्मक मापदंडों को बनाए रखने के लिए अपनी कीमतें कम कर दीं।
- iii. वर्ष 2021-22 में क्षमता उपयोग में सुधार हुआ, लेकिन जांच की अवधि के दौरान इसमें थोड़ी गिरावट आई है।

112. इस दावे के संबंध में कि क्षमता में वृद्धि की वजह से क्षमता उपयोग कम है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता में 20% वृद्धि हुई है, जबकि मांग में 53% वृद्धि हुई है। इसके अलावा,

भारतीय उद्योग की क्षमता देश में मांग के बराबर है। ऐसे में देश में बढ़ती मांग को देखते हुए क्षमता में बढ़ोतरी को अधिक नहीं माना जा सकता।

## ii. मांग में बाजार अंश

113. इस अवधि के दौरान संबद्ध आयातों, घरेलू उद्योग और अन्य उत्पादकों का बाजार अंश इस प्रकार था।

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि (क)
घरेलू उद्योग	%	34%	36%	35%	38%
अन्य उत्पादक	%	45%	47%	43%	42%
संबद्ध आयात	%	15%	15%	20%	18%
अन्य आयात	%	5%	3%	2%	3%

114. यह नोट किया जाता है कि क्षति अवधि 2022-23 से जांच की अवधि के दौरान संबद्ध आयातों के बाजार अंश में कुछ कमी आई है, जबकि घरेलू उद्योग और समग्र भारतीय उद्योग के बाजार अंश में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

115. हितबद्ध पक्षकारों ने इस बात का उल्लेख किया है कि मांग में वृद्धि होने पर आयातों में वृद्धि हुई है, जबकि घरेलू उद्योग को हटाया नहीं गया था। घरेलू उद्योग ने इस बात पर बल दिया है कि अपना उत्पादन और बिक्री बनाए रखने के लिए, उसने लाभ से समझौता किया है। क्षति अवधि के दौरान, संबद्ध आयात और घरेलू उद्योग दोनों ने अपने बाजार अंश में वृद्धि की है।

## iii. माल सूचियां

116. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की वस्तुसूचियां इस प्रकार थीं:

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि (क)
प्रारंभिक वस्तुसूची	मी टन	4,387	4,629	3,601	5,663
अंतिम वस्तुसूची	मी टन	4,629	3,601	5,663	6,475
औसत वस्तुसूची	मी टन	4,508	4,115	4,632	6,069

\* घरेलू उद्योग के डेटा के अनुसार वस्तुसूचियां

117. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की वस्तु सूचियों में क्षति अवधि के दौरान महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है और जांच की अवधि में यह सबसे अधिक थी।

## iv. रोज़गार, उत्पादकता और मज़दूरी

118. प्राधिकारी ने रोज़गार, मज़दूरी और उत्पादकता से जुड़ी सूचना की जांच की है, जो नीचे दी गई है:

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि (क)
कर्मचारियों की संख्या	सं.	1,805	1,963	2,083	2,611
उत्पादकता प्रति दिन	मी टन/ दिन	116	165	189	195
उत्पादकता प्रति कर्मचारी	मी टन/ सं.	23	30	33	27
वेतन और मज़दूरी	₹ लाख	3,648	4,347	4,662	4,616

\* घरेलू उद्योग के डेटा के अनुसार आंकड़े

119. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि क्षमता में वृद्धि के साथ-साथ क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के कर्मचारियों की संख्या और वेतन में बढ़ोतरी हुई है। उत्पादन में वृद्धि होने पर घरेलू उद्योग की उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग ने इस वजह से कोई भी क्षति होने का दावा नहीं किया है।

v. लाभ, नकदी लाभ और नियोजित पूंजी पर प्रतिफल

120. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का लाभ, नकदी लाभ और नियोजित पूंजी पर प्रतिफल नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
बिक्रियों की लागत	₹/ मी टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	122	123	112
बिक्री कीमत	₹/ मी टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	128	122	109
लाभ / (हानि)	₹/ मी टन	(***)	***	(***)	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	77	-159	-188
लाभ / (हानि)	₹/ मी टन	(***)	***	(***)	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	110	-254	-315
नकदी लाभ	₹/ मी टन	***	***	(***)	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	239	-30	-72
नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	%	(***)	***	(***)	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	463	-451	-485

\* आंकड़े घरेलू उद्योग के डेटा के अनुसार हैं

121. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि:

- घरेलू उद्योग को वर्ष 2021-22 को छोड़कर, पूरी क्षति अवधि के दौरान हानि हुई है। घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि वर्ष 2021-22 में बाजार की कीमतें प्रतिस्पर्धी हो गईं, जिससे उसे लाभ हुआ। वर्ष 2021-22 के बाद, घरेलू उद्योग का लाभ बहुत कम हो गया और घरेलू उद्योग को हानि हुई। जांच की अवधि के दौरान हानि सबसे अधिक थी।
- घरेलू उद्योग ने वर्ष 2021-22 तक नकदी लाभ अर्जित किया। हालांकि, आयात की कीमतों में गिरावट के साथ, घरेलू उद्योग को वर्ष 2022-23 में नकदी हानि हुई, और जांच की अवधि के दौरान हानि और बढ़ गई।
- घरेलू उद्योग ने वर्तमान में लगाई गई पूंजी पर नकारात्मक प्रतिफल दर्ज किया है।

122. हितबद्ध पक्षकारों ने यह दर्शाया है कि वर्तमान में ब्याज लागत कम हुई है। तथापि, कमतर ब्याज लागत का मतलब पाटित किए गए आयातों के प्रतिकूल प्रभाव की मौजूदगी या गैर-मौजूदगी से नहीं निकाला जा सकता।

**vi. वृद्धि**

123. मात्रा और लाभप्रदता मापदंड के संदर्भ में घरेलू उद्योग की वृद्धि इस प्रकार है।

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
स्थापित क्षमता	%	-	0%	15%	4%
उत्पादन	%	-	43%	14%	3%
घरेलू बिक्रियां	%	-	43%	11%	5%
लाभ / (हानि) प्रति इकाई	%	-	177%	-308%	-18%
नकदी लाभ प्रति इकाई	%	-	67%	-111%	-128%
नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	%	-	563%	-197%	-7%

124. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के मात्रात्मक मापदंडों में क्षति अवधि के दौरान सकारात्मक वृद्धि दिखाई गई है। तथापि, घरेलू उद्योग के लाभप्रदता मापदंडों में वर्ष 2022-23 और जांच की अवधि के दौरान नकारात्मक वृद्धि दिखाई गई है। घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि मात्रात्मक मापदंडों में केवल इसलिए वृद्धि हुई है क्योंकि घरेलू उद्योग ने लाभप्रदता से समझौता किया है।

**vii. पूंजीगत निवेश जुटाने की क्षमता**

125. प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में काफी गिरावट आई है और घरेलू उद्योग को जांच की अवधि में काफी क्षति और नकदी हानि हुई है। इस प्रकार, आयातों से घरेलू उद्योग की पूंजीगत निवेश जुटाने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

**viii. पाटन मार्जिन की मात्रा**

126. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं को संबद्ध देशों से भारत में पाटित किया जा रहा है। पाटन मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।

**ix. कीमतों पर प्रभाव डालने वाले कारक**

127. संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और बिक्रियों की लागत से भी कम है। इतनी कम पहुंच कीमत ने घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव डाला है। इसके अलावा, आयातों की कीमतें घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमतों से कम हैं। इससे घरेलू उद्योग के लाभ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस प्रकार, संबद्ध देशों से आयातों की कीमतों से घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव पड़ा है।

**ज.3.5. क्षति के संबंध में निष्कर्ष**

128. उपरोक्त के आधार पर, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालने का प्रस्ताव करते हैं कि:

- i. भारत में उत्पादन और खपत के साथ-साथ पूर्ण संदर्भ में संबद्ध आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है। जांच की अवधि में आयात पिछले वर्ष के मुकाबले कम हुए हैं लेकिन आधार वर्ष से अधिक बने हुए हैं।
- ii. संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर दिया है।
- iii. आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर दिया है, और कीमतों में वृद्धि होने से रोका है, जो अन्यथा होती।
- iv. संबद्ध आयातों की कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है।
- v. मांग में वर्ष 2022-23 तक वृद्धि हुई है और जांच की अवधि में कमी आई है। समग्र भारतीय उद्योग के बाजार अंश में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।
- vi. घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्रियों में वृद्धि हुई है।
- vii. घरेलू उद्योग की वस्तुसूची में वृद्धि हुई है और यह जांच की अवधि में सबसे अधिक थी।
- viii. घरेलू उद्योग को वर्ष 2021-22 को छोड़कर, क्षति अवधि में हानि हुई है। घरेलू उद्योग को जांच की अवधि में वित्तीय हानि हुई है।
- ix. क्षति अवधि में नकदी लाभ और निवेश पर प्रतिफल में काफी गिरावट आई है, और जांच की अवधि में घरेलू उद्योग का लाभ सबसे कम था।
- x. आयातों ने घरेलू उद्योग की पूंजीगत निवेश जुटाने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।
- xi. संबद्ध देशों के लिए पाटन मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।

**झ. क्षति मार्जिन**

129. प्राधिकारी ने यथासंशोधित अनुबंध के साथ पठित नियमावली में निर्दिष्ट किए गए सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत निर्धारित की है। जांच की अवधि के लिए उत्पादन की लागत से जुड़ी सत्यापित जानकारी/ डेटा को अपनाकर संबद्ध वस्तुओं की क्षतिरहित कीमत निर्धारित की गई है। क्षति मार्जिन की गणना करने के लिए संबद्ध देशों से पहुंच कीमत की तुलना करने के लिए क्षतिरहित कीमत पर विचार किया गया है। क्षतिरहित कीमत तय करने के लिए, क्षति अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा कच्चे माल, यूटिलिटीज और उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि उत्पादन की लागत पर कोई असाधारण या अनावर्ती खर्च नहीं लगाया गया है। नियमावली के अनुबंध III में बताए गए अनुसार, क्षतिरहित कीमत पर पहुंचने के लिए, विचाराधीन उत्पाद के लिए उपयोग की गई औसत पूंजी (र्थात्, औसत निवल निर्धारित परिसंपत्तियां एवं औसत कार्यशील पूंजी) पर एक उपयुक्त प्रतिफल (प्री-टैक्स @ 22%) को प्री-टैक्स लाभ के तौर पर अनुमति दी गई थी और इसका पालन किया जा रहा है।
130. सहयोगी निर्यातकों के लिए पहुंच कीमत, निर्यातकों द्वारा दिए गए डेटा के आधार पर तय की गई है। गैर सैंपलकृत सहयोगी निर्यातकों के लिए, पहुंच मूल्य को सहयोगी उत्पादकों/ निर्यातकों के भारित औसत पहुंच मूल्य के तौर पर लिया गया है।
131. संबद्ध देशों के सभी असहयोगी उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए, प्राधिकारी ने मौजूदा तथ्यों के आधार पर पहुंच कीमत तय की है।

132. उपरोक्त के अनुसार पहुंच कीमत और क्षतिरहित कीमत के आधार पर, प्राधिकारी ने उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन तय किया है और यह नीचे दी गई तालिका में दिया गया है: -

**क्षति मार्जिन**

क्र. सं.	उत्पादक का नाम	क्षतिरहित कीमत	पहुंच कीमत	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन
		(यूएस डॉलर/ मी टन)	(यूएस डॉलर/ मी टन)	(यूएस डॉलर/ मी टन)	(%)	(रेंज)
<b>क चीन जन. गण.</b>						
1.	फुज़ियान हाईसन सिंथेटिक फ़ाइबर टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	0-10
2.	फुज़ियान लिहेंग पॉलियामाइड इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	25-35
3.	फुज़ियान समूह (भारित औसत)	***	***	***	***	5-15
4.	यिवू हुआर्डिंग नायलॉन कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	25-35
5.	गैर नमूनाकृत सहयोगी उत्पादक	***	***	***	***	10-20
6.	कोई अन्य उत्पादक	***	***	***	***	35-45
<b>ख वियतनाम</b>						
1.	ह्योसंग डोंग नाई कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	30-40
2.	ह्योसंग डोंग नाई नायलॉन कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	25-35
3.	ह्योसंग समूह (भारित औसत)	***	***	***	***	30-40
4.	कोई अन्य उत्पादक	***	***	***	***	40-50

**ज. कारणात्मक संबंध**

**ज.1.1. गैर- आरोपण विश्लेषण और कारणात्मक संबंध**

133. घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित किए गए आयातों की क्षति, मात्रा और कीमत के प्रभाव की मौजूदगी की जांच करने के बाद, प्राधिकारी ने यह जांच की है कि क्या घरेलू उद्योग को क्षति नियमों के तहत सूचीबद्ध किए गए पाटित आयातों के अलावा किसी और वजह से हो सकती है:

**क. तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और मूल्य**

134. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों के अलावा, ताइवान से काफी मात्रा में आयात किया गया है। हालांकि, ताइवान से आयातों की कीमत संबद्ध देशों से आयातों की कीमत से बहुत अधिक है। इसके अलावा, ऐसे आयातों की कीमत घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत से अधिक है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग को क्षति ताइवान से आयातों

के कारण नहीं हो सकती। अन्य देशों से आयातों की मात्रा अधिक नहीं है और इसलिए, क्षति ऐसे आयातों के कारण नहीं है।

135. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि मेक्सिको को संबद्ध देश के तौर पर चुनकर छोड़ दिया गया है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मेक्सिको से आयात कुल आयातों का केवल 0.69% है। इसलिए, यह क्षति मेक्सिको से आयातों के कारण से नहीं है, और मेक्सिको से आयातों के खिलाफ पाटनरोधी जांच नहीं की जा सकती।

**ख. मांग में कमी**

136. क्षति अवधि में संबद्ध वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई है, लेकिन यह जांच की अवधि में कुछ कम हुई है। इस कमी के बावजूद, जांच की अवधि में मांग आधार वर्ष मांग से अधिक थी। इसलिए, यह क्षति मांग में कमी की वजह से नहीं है।

**ग. खपत की पद्धति**

137. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि ग्राहक अधिमानता ने घरेलू उद्योग के प्रदर्शन पर प्रभाव डाला है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि ऐसे दावों को सबूतों से साबित नहीं किया गया है। इसके अलावा, रिकॉर्ड में मौजूद सूचना ग्राहक अधिमानता में बदलाव का संकेत नहीं देती है क्योंकि ग्राहकों ने घरेलू उद्योग से खरीदना जारी रखा है और साथ ही विचाराधीन उत्पाद का आयात भी किया है। हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी आरोप लगाया है कि बाजार में कमी की वजह से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। हालांकि, जैसा कि ऊपर बताया गया है, क्षति अवधि में संबद्ध वस्तुओं की मांग में सुधार हुआ है। इस तरह, जिस उत्पाद पर विचार किया जा रहा है, उसके उपयोग की पद्धति में कोई विशेष बदलाव नहीं हुआ है, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती था।

**घ. प्रतिस्पर्धा की शर्तें और व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रियाएं**

138. ऐसी कोई भी व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रिया या प्रतिस्पर्धा की शर्तें नहीं हैं, जिससे कि घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो।

**ड. प्रौद्योगिकी में विकास**

139. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग पुरानी प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है और हर लाइन में केवल 12 वाइंडर हैं। यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि निर्यातक 24 वाइंडर का उपयोग करते हैं, इस दावे को सत्यापित किया जाना चाहिए। इस संबंध में यह नोट किया जाता है कि ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है कि विदेशी निर्माता हर लाइन में 24 वाइंडर का उपयोग करते हैं। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने प्रौद्योगिकी या संयंत्र में कोई ऐसा बदलाव नहीं किया है जिससे कि घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो।

140. इस संबंध में, यह भी नोट किया जाता है कि विदेशी उत्पादक द्वारा दी गई जानकारी से संबद्ध देशों से काफी पाटन दिखाई देता है।

**च. उत्पादकता**

141. क्षति के दौरान घरेलू उद्योग का कुल उत्पादन और प्रति दिन और प्रति कर्मचारी की उत्पादकता बढ़ी है। इसलिए, उत्पादकता में कमी के कारण क्षति नहीं हो सकती।

**छ. घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन**

142. उपरोक्तानुसार जांच की गई क्षति की सूचना केवल घरेलू बाजार के संदर्भ में घरेलू उद्योग के निष्पादन से जुड़ी है। इसलिए, हुए नुकसान को घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन के लिए ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

143. जहां तक इस बात का संबंध है कि घरेलू उद्योग की निर्यात कीमत उसकी घरेलू कीमत से अधिक गिरी है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान, घरेलू उद्योग की निर्यात कीमत उसकी घरेलू बिक्री कीमत से अधिक रही है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग की निर्यात बिक्रियां, घरेलू उद्योग की कुल बिक्रियों के मुकाबले न के बराबर हैं। ऐसे में, घरेलू उद्योग को उसके निर्यात प्रदर्शन की वजह से नुकसान हुआ नहीं माना जा सकता।

**ज. अन्य उत्पादकों का निष्पादन**

144. हुई क्षति को कंपनी के अन्य उत्पादों के निष्पादन के लिए ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि घरेलू उद्योग ने केवल उसी तरह की वस्तुओं के बारे में जानकारी अलग करके दी है।

**झ. करेंसी में उतार-चढ़ाव**

145. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग को करेंसी में उतार-चढ़ाव की वजह से काफी क्षति हुई है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस तरह के दावे के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने कोई सबूत नहीं दिया है।

**ञ. घरेलू उद्योग की भौगोलिक अवस्थिति और कुशल श्रम**

146. जहां तक इस दावे का संबंध है कि घरेलू उद्योग को कुशल श्रम शक्ति की कमी और खराब भौगोलिक अवस्थिति का सामना करना पड़ रहा है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की भौगोलिक अवस्थिति में क्षति की अवधि में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसलिए, जांच की अवधि में हुई क्षति को भौगोलिक अवस्थिति के कारण नहीं माना जा सकता। यदि घरेलू उद्योग को इस वजह से क्षति हुई होती, तो उसे समूची अवधि के दौरान क्षति होती।

147. इसके अलावा, यह भी नोट किया जाता है कि क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की प्रति कर्मचारी उत्पादकता में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग की उत्पादकता में उत्पाद में वृद्धि के संदर्भ में वृद्धि हुई है। इसलिए, क्षति इन कारणों से नहीं हो सकती।

**ट. घरेलू उद्योग द्वारा अति विस्तार**

148. हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी आरोप लगाया है कि घरेलू उद्योग को उसके अति विस्तार की वजह से क्षति हुई है। हालांकि, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि बाजार में घरेलू उद्योग की क्षमता से अधिक मांग है। इसलिए, घरेलू उद्योग द्वारा किए गए क्षमता विस्तार को "अतिविस्तार" नहीं कहा जा सकता।

### ठ. ब्याज लागत और कार्यशील पूंजी में वृद्धि

149. हितबद्ध पक्षकारों ने यह उल्लेख किया है कि ब्याज लागत और कार्यशील पूंजी में, वस्तुसूची के मुकाबले बहुत अधिक वृद्धि हो गई है, जो क्षति का कारण हो सकता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, घरेलू उद्योग को मौजूदा ब्याज दायित्व की गणना करने से पहले ही क्षति हुई है। इसलिए घरेलू उद्योग को अधिक ब्याज लागत की वजह से क्षति नहीं हुई है। जहां तक कार्यशील पूंजी का संबंध है, इसे सीधे वस्तुसूची स्तर से नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि इसमें कई अन्य मौजूदा परिसंपत्तियां और मौजूदा देयताएं शामिल हैं।

### ड. घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद की गुणवत्ता

150. हितबद्ध पक्षकारों ने यह आरोप लगाया है कि घरेलू उद्योग को उसके द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद की खराब गुणवत्ता और असमान यार्न लेंथ की वजह से क्षति हुई है। इस संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों ने ऐसा कोई सबूत नहीं दिखाया है जिससे पता चले कि घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद की गुणवत्ता आयातित उत्पाद के समान नहीं है। घरेलू उद्योग ने अपने मात्रात्मक मापदंडों में सुधार किया है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने दिखाया है कि उसने लगातार यार्न लेंथ की आपूर्ति की है। इसलिए, यह नहीं माना जा सकता कि घरेलू उद्योग को खराब गुणवत्ता की वजह से क्षति हुई है।

151. हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा बनाया गया धागा हाई-एंड एप्लीकेशन के लिए सही नहीं है। हालांकि, ऐसे हाई-एंड एप्लीकेशन की पहचान नहीं की गई है, और यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं दिया गया है कि घरेलू उद्योग का उत्पाद ज़रूरतों को पूरा नहीं करता है।

### डू. प्रक्रिया संबंधी मापदंडों के कारण क्षति

152. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि उत्पाद के तकनीकी पहलुओं जैसे वेस्टेज, उत्पादन डाउनटाइम की जांच होनी चाहिए। प्राधिकारी ने मामले की जांच की है और यह नोट किया है कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह पता चले कि क्षति अवधि के दौरान कोई असामान्य डाउनटाइम या वेस्टेज हुआ हो, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो। किसी भी मामले में, प्राधिकारी ने क्षतिरहित कीमत तय करने और क्षति मार्जिन तय करने के लिए उस समय के दौरान कच्ची सामग्री, यूटिलिटीज और क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया है। इसलिए, यदि कोई ज़्यादा वेस्टेज या उत्पादन डाउनटाइम हुआ, तो क्षतिरहित कीमत की गणना में उसके प्रभाव को नज़रअंदाज़ किया गया।

### ण. अन्य कारक

153. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि कम गुणवत्ता कच्ची सामग्री का उपयोग, वित्तपोषण विकल्प की कमी, अलग-अलग सरकारी नीति और व्यापार करार ने घरेलू उद्योग के निष्पादन पर प्रभाव डाला है। प्राधिकारी ने मामले की जांच की है, और नोट किया है कि जांच के दौरान उसे कम गुणवत्ता कच्ची सामग्री के बारे में कोई सबूत नहीं मिला है। इसके अलावा, हितबद्ध पक्षकारों ने यह नहीं दिखाया है कि घरेलू उद्योग कम गुणवत्ता का कच्चा माल इस्तेमाल करती है, या इस्तेमाल किए गए कच्चे माल की गुणवत्ता में समय के साथ बदलाव आया है। इसी तरह, यह भी नहीं दिखाया गया है कि घरेलू उद्योग को वित्तपोषण विकल्प की कमी का सामना करना पड़ा है। व्यापार करार के मामले में, हितबद्ध पक्षकारों ने यह नहीं दिखाया है कि ऐसे कारकों ने घरेलू उद्योग के निष्पादन पर कैसे प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

### ट. घरेलू उद्योग का हित और अन्य मामले

#### ट.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

154. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. ओरिलॉन इंडिया की निर्माण सुविधा में आग लगने से उत्पाद की घरेलू सप्लाई में रुकावट आई है, जिससे मांग और आपूर्ति में काफी अंतर पैदा हो गया है। इससे आयातों पर निर्भरता बढ़ी है, कीमतों में उतार-चढ़ाव आया है और प्रयोक्ता उद्योग को दिक्कत हुई है।
- ii. घरेलू उद्योग व्यापार सुधार के उपायों का नियमित रूप से उपयोगकर्ता है। अलग-अलग स्रोतों से आयातों पर 17 वर्ष तक पाटनरोधी शुल्क लागू था। यदि शुल्क फिर से लगाया जाता है, तो इसका यह अर्थ होगा कि शुल्क स्थायी हैं।
- iii. विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर 5% का सीमा शुल्क लागू है।
- iv. संबद्ध वस्तुएं देश के उभरते हुए वस्त्र निर्माण क्षेत्र में प्रयोग में लाई जाती हैं। पाटनरोधी शुल्क लगाना लोक हित के खिलाफ होगा, क्योंकि इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त कीमतों पर आयात को जारी रखना आवश्यक है।
- v. डाउनस्ट्रीम क्षेत्र अधिकतर एमएसएमई हैं, जो कम मार्जिन पर काम करते हैं। शुल्क लगाए जाने से ऐसे प्रयोक्ताओं की लागत बढ़ जाएगी, जिससे उनके लाभ, बाजार प्रतिस्पर्धी और निर्यात संभावना पर प्रभाव पड़ेगा।
- vi. एनएफवाई का घरेलू उत्पादक, मात्रा, किस्म और समय पर आपूर्ति के संदर्भ में डाउनस्ट्रीम उपयोगकर्ताओं की मांग को पूरा नहीं कर पा रहा है। आवश्यक आयात पर रोक लगाने से आपूर्ति में कमी और देरी होगी।
- vii. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से घरेलू एनएफवाई बाजार में प्रतिस्पर्धा कम हो जाएगी, जो पहले से ही कुछ उत्पादकों के बीच ही है। इससे कीमतें बढ़ेंगी या नवोन्मेष करने या अक्षमताओं को सुधारने का प्रोत्साहन कम होगा।
- viii. कई डाउनस्ट्रीम उद्योग रोजगार और निर्यात में काफी योगदान देती हैं, कच्चे माल की ज़्यादा लागत से नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी और देश की निर्यात प्रतिस्पर्धा कम हो जाएगी।
- ix. एनएफवाई उद्योग पहले से ही बढ़ रहा है, और इसलिए, डाउनस्ट्रीम उद्योग की कीमत पर इसे बचाने की ज़रूरत नहीं है।

#### ट.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

155. घरेलू उद्योग द्वारा भारतीय उद्योग के हित के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. लोक हित का निर्णय निम्नलिखित को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए: (क) समान वस्तुओं के घरेलू उत्पादक, (ख) उत्पाद के घरेलू उपभोक्ता, (ग) उत्पादन करने वाले और उपभोक्ता दोनों उद्योगों अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम उद्योग, और (घ) आम जन।
- ii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के प्रतिकूल, ओरिलोन और सेंचुरी के संयंत्र में आग लगना जांच की अवधि के बाद की घटनाएं हैं और इसकी वजह से हुई रुकावट अस्थायी थी। दोनों कंपनियों ने सामान्य उत्पादन फिर से शुरू कर दिया है।

- iii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के प्रतिकूल, संबद्ध देशों में उत्पादकों और निर्यातकों का भारत के बाजार में पाटन करने का स्वभाव रहा है, जिसकी वजह से उत्पाद पर कई बार पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है। जिस समय तक शुल्क लागू रहा है, वह यह तय करने के लिए कोई ज़रूरी बात नहीं है कि पाटनरोधी शुल्क फिर से लगाने की ज़रूरत है या नहीं। ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें पाटनरोधी शुल्क अधिकतर 20 वर्षों से अधिक समय से लागू है।
- IV. जहां विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर 5% का सीमाशुल्क लागू है, वहीं डाउनस्ट्रीम उत्पाद पर 20% की सीमाशुल्क है।
- V. संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने से डाउनस्ट्रीम उपभोक्ताओं की लागत पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- VI. विचाराधीन उत्पाद पर पहले भी पाटनरोधी शुल्क लगता था, हालांकि, इस दौरान भारतीय वस्त्र उद्योग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। भारत में बढ़ती आबादी और उपभोक्तावाद के कारण वस्त्र उद्योग का विकास धीमा होने की संभावना नहीं है।
- VII. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के प्रतिकूल, घरेलू उद्योग की कीमत पर पाटन की गई कीमतों पर उत्पाद तक पहुंच की मांग उचित नहीं है। एक आत्मनिर्भर सप्लाई चेन के लिए यह ज़रूरी है कि हर स्तर पर उचित प्रतिस्पर्धा बनी रहे।
- VIII. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के प्रतिकूल, पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारत में आयातों पर रोक नहीं लगती, बल्कि यह सुनिश्चित होता है कि आयात उचित कीमतों पर किया जाए। इसके अलावा, जिस उत्पाद पर विचार किया जा रहा है, उसे असंबद्ध देशों से भी आयात किया जा सकता है।
- IX. पाटनरोधी शुल्क लगाने से बाजार पर एकाधिकार नहीं होगा, क्योंकि बाजार में कई उत्पादक होते हैं और पाटनरोधी लगाए जाने से देश में आयातों पर रोक नहीं लगती।
- X. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने पाटनरोधी शुल्क लगाने से नौकरियों पर प्रतिकूल प्रभाव को दिखाने का कोई सबूत नहीं दिया है।
- XI. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के प्रतिकूल, घरेलू उद्योग, डाउनस्ट्रीम उद्योग की तुलना में भारत से निर्यात में बहुत बड़ा भागीदार है। किसी भी हालत में, डाउनस्ट्रीम उद्योग पाटनरोधी शुल्क का भुगतान किए बिना अग्रिम अधिकरण के तहत आयात कर सकता है।
- XII. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के प्रतिकूल, भारत में पाटन की वजह से भारतीय उद्योग स्वयं को बनाए नहीं रख पा रहा है। यह इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि कई उत्पादकों ने भारत में काम करना बंद कर दिया है।
- XIII. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से विदेशी मुद्रा के भुगतान में बचत होगी।

### ट.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

156. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने का मुख्य उद्देश्य पाटन के गलत व्यापार तरीकों से घरेलू उद्योग को हुई क्षति को ठीक करना है, जिससे भारतीय बाजार में खुले और समान प्रतिस्पर्धा का वातावरण बनेगा। पाटनरोधी उपाय लागू करने का प्रयोजन संबद्ध देशों से मनमाने ढंग से आयात को कम करना नहीं है। बल्कि, यह सबके लिए समान अवसर सुनिश्चित करने का एक तरीका है।
157. प्राधिकारी यह मानते हैं कि निरंतर पाटनरोधी शुल्क भारत में कीमतों पर प्रभाव डाल सकता है। हालांकि, ये शुल्क भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। इसके बजाय, ये कंपनियों को पाटन की गई कीमतों पर सामान बेचकर गलत लाभ उठाने से रोकता हैं। पाटनरोधी उपाय उचित व्यापार संरक्षण प्रदान करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि उपभोक्ताओं को इन उत्पादों की एक बड़ी रेंज मिलती रहे।

158. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारतीय उद्योग को समान अवसर मिलेगा जिससे प्रयोक्ता उद्योग भारतीय उद्योग से खरीदने के लिए प्रोत्साहित होगा। इससे आयातों पर निर्भता कम होगी और बाहर जाने वाली विदेशी मुद्रा की बचत होगी।
159. जबकि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाना लोक हित के खिलाफ होगा क्योंकि जिस उत्पाद पर विचार किया जा रहा है, उसका उपयोग उभरते हुए वस्तु निर्माण क्षेत्र में होता है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जिस उत्पाद पर विचार किया जा रहा है, उस पर 2017 तक पाटनरोधी शुल्क लगता था। रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह पता चले कि ऐसा शुल्क लगाने से डाउनस्ट्रीम उद्योग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो।
160. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से आयात पर रोक नहीं लगती, बल्कि यह सुनिश्चित होता है कि आयात उचित कीमतों पर किए जाएं और भारतीय के लिए समान अवसर मिले। इसके अलावा, पाटनरोधी शुल्क एक सुधार का तरीका है जो भारत में आयातों के पाटन के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने पर बल देता है। पाटनरोधी शुल्क लगाने से देश में आपूर्ति की कमी नहीं होती है। इसके अलावा, प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि आयात संबद्ध देशों के अलावा अन्य स्रोतों से भी किया जा सकता है। पहले असंबद्ध देशों से निम्नलिखित आयात हुए थे:

निर्यातक देश	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि (क)
ताइवान	मी टन	1,234	1,253	1,379	1,287
इंडोनेशिया	मी टन	496	343	206	308
थाईलैंड	मी टन	1,433	944	817	501
संयुक्त राज्य अमरीका	मी टन	185	189	132	539
जापान	मी टन	105	207	183	299
कोरिया	मी टन	616	748	226	282
इटली	मी टन	162	166	156	230

161. जहां तक इस बात का संबंध है कि घरेलू उद्योग व्यापार उपचार का उपयोग करता रहता है और उत्पाद पर पहले भी पाटनरोधी शुल्क लग चुका है। यह नोट किया जाता है कि उत्पाद पर पहले भी पाटनरोधी शुल्क लग चुका है, यह बात इस जांच के लिए संगत नहीं है।
162. जहां तक इस बात का संबंध है कि दो आवेदकों के संयंत्रों में आग लगने से देश में मांग आपूर्ति में अंतर आ गया और प्रयोक्ता आयात पर निर्भर हो गए, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच की अवधि के बाद ओरिलॉन और सेंचुरी की फैक्ट्रियों में आग लगने से उत्पादन कुछ समय के लिए रुक गया था। घरेलू उद्योग ने यह दिखाने के लिए सबूत दिए हैं कि उत्पादन पर रोक बहुत कम समय के लिए थी, और दोनों संयंत्रों में सामान्य उत्पादन फिर से शुरू हो गया है। इसलिए, इसका कोई भी प्रतिकूल प्रभाव कुछ समय के लिए था और उसे पहले ही समाप्त कर दिया गया है।
163. जहां तक इस बात का संबंध है कि जिस उत्पाद पर विचार किया जा रहा है, उसके आयातों पर 5% का सीमाशुल्क लगता है और घरेलू उद्योग पूरी तरह से सुरक्षित है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सीमा शुल्क शामिल करने के

बाद भी, उत्पाद की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत, बिक्रियों की लागत और क्षतिरहित कीमत से बहुत कम है।

164. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि डाउनस्ट्रीम उद्योग एमएसएमई प्रकार का है और पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से डाउनस्ट्रीम उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जो कि मामूली लाभ पर काम करता है। मामले की जांच की गई है और यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी के समक्ष कोई ऐसी जानकारी रिकॉर्ड में नहीं रखी गई जिससे यह पता चले कि डाउनस्ट्रीम उद्योग लागत में बढ़ोतरी का बोझ आखिरी उपभोक्ता पर नहीं डाल पाएगा। इसलिए प्राधिकारी को इस बात में कोई दम नहीं लगता कि शुल्क लगाने से डाउनस्ट्रीम उद्योग को अपने मार्जिन पर अनावश्यक क्षति होगी।

### ठ. प्रकटन प्रश्नात टिप्पणियां

#### ठ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

165. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने मोनो फिलामेंट यार्न के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले मदर यार्न को बाहर करने के अनुरोध, पीसीएन के मापदंड के रूप में गुणवत्ता पर विचार करने के अनुरोध, प्रूटेक्स को उसकी उत्पाद के आधार पर एक नमूना उत्पादक के रूप में मानने के अनुरोध, 24 विंडर्स वाली मशीनों को अपनाने के लिए प्रौद्योगिकी में बदलाव, संबद्ध सामानों के संरक्षण का इतिहास आदि के संबंध में अपने पूर्व के अनुरोधों को दोहराया है। इसके अतिरिक्त, अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने प्रकटन विवरण जारी होने के बाद अपने अनुरोधों में निम्नलिखित बातों पर जोर दिया है:

- i. प्राधिकारी ने इन अनुरोधों को हल नहीं किया है कि घरेलू उद्योग की मदर यार्न के उत्पादन की क्षमता कुल मांग का केवल 15% है। सीमित क्षमता और आसन्न गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के कारण भारत में मदर यार्न की उपलब्धता कम हो गई है।
- ii. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए साक्ष्यों का प्रकटन नहीं किया है, जिसमें मदर यार्न के साथ-साथ कुछ डेनियर्स और फिलामेंट्स के साथ यार्न के उत्पादन और आपूर्ति के बारे में सूचना दी गई थी, जिसे बाहर रखने जाने का अनुरोध किया गया था।
- iii. जबकि प्राधिकारी ने नोट किया है कि घरेलू उद्योग ने 70 डेनियर्स/48 फिलामेंट्स फुल डुल एफडीवाई के उत्पादन और बिक्री के संबंध में साक्ष्य प्रदान किए हैं, घरेलू उद्योग द्वारा दायर अनुरोधों के अगोपनीय रूपांतर में प्रस्तुत साक्ष्यों की प्रकृति का कोई संकेत नहीं है।
- iv. बिना किसी साक्ष्य के मात्र विवरण कि 70 / 68 एफडी एफडीवाई की तुलना 70/ 72 एफडी एफडीवाई से की जा सकती है, पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। चूंकि घरेलू उद्योग ने समान उत्पाद का उत्पादन नहीं किया है, इसलिए इसे बाहर रखा जाना चाहिए।
- v. जबकि प्राधिकारी ने नोट किया है कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए घटिया उत्पादों के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दिया है, गुणवत्ता मुद्दों को दर्शाने वाली पैकिंग सूचियां और बीजक पहले ही प्रदान किए जा चुके हैं।
- vi. प्राधिकारी ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ इस तरह के साक्ष्य साझा किए बिना घरेलू उद्योग द्वारा जारी क्रेडिट नोटों पर भरोसा किया है। प्राधिकारी ने रंगाई गारंटी के संबंध में किसी भी साक्ष्य की जांच नहीं की है।
- vii. प्राधिकारी द्वारा विचार की गई नमूनाकरण पद्धति उपयुक्त नहीं है क्योंकि निर्यात किए गए पीसीएन, निर्यात चैनलों और उद्योग परिपाटियों के बजाय केवल निर्यात की मात्रा पर भरोसा किया गया है।

- viii. चूंकि चीन से कुल निर्यात में 70% हिस्सेदारी वाले निर्यातकों ने भाग नहीं लिया है, इसलिए पाटन के अधिक प्रतिनिधि कारक मूल्यांकन करने के लिए कम से कम 3 उत्पादक समूहों को शामिल करने के लिए नमूना आकार बढ़ाया जाना चाहिए।
- ix. तीन नमूना समूहों पर विचार करना प्राधिकारी के लिए अत्यधिक बोझिल नहीं होगा। चूंकि किसी भी निर्माता ने बाजार अर्थव्यवस्था उपचार का दावा नहीं किया है, इसलिए प्राधिकारी का भार पहले से ही कम हो गया है।
- x. जबकि प्राधिकारी ने उन उत्पादकों के लिए नमूनाकरण की मांग को अस्वीकार करने के लिए यूरोपीय परिपाटी पर विचार किया है जिन्होंने स्वैच्छिक प्रतिक्रिया प्रस्तुत की है, यूरोपीय आयोग ने स्वयं कई जांच परिणामों में स्वैच्छिक प्रतिक्रियाओं को स्वीकार किया है जहां अलग अलग जांच अनुचित रूप से बोझिल नहीं थी।
- xi. प्रूटेक्स नायलॉन कं, लिमिटेड और फुजियान वानहोंग टेक्सटाइल कं, लिमिटेड का सीमा शुल्क को पाटनरोधी शुल्क एकत्र करने के लिए स्पष्टता प्रदान करने के लिए अंतिम जांच परिणामों में गैर-नमूनाकृत सहयोगी उत्पादक के रूप में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।
- xii. सेंचुरी एंका को छोड़कर सभी आवेदकों ने भारत में संबद्ध सामानों का आयात किया है। घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति का आकलन करते समय ऐसे आयात पर विचार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उत्पादकों को पाटन में योगदान करने और फिर ऐसे पाटन के कारण होने वाली क्षति का दावा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
- xiii. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में वृद्धि की तुलना में आयात की पहुंच कीमत में अधिक वृद्धि हुई है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग के पास अपनी कीमत बढ़ाने का विकल्प था और कोई कीमत हास नहीं है।
- xiv. नायलॉन 6 के आयात की पाटनरोधी जांच में जीपीपीएल द्वारा दायर याचिका के अनुसार, प्रमुख कच्चे माल की कीमत वर्ष दर वर्ष 2020-21 से कम हो गई है। ऐसे में यह स्पष्ट नहीं है कि घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत कैसे बढ़ी है।
- xv. जांच की अवधि में केवल गुजरात पॉलीफिम्स को ही नुकसान हुआ है और घरेलू उद्योग के अन्य घटकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इससे पता चलता है कि घरेलू उद्योग को क्षति भारत में आयात के कारण नहीं हुई है।
- xvi. एग्लोन और टोडी रेयन्स की लाभप्रदता में वृद्धि हुई है क्योंकि वे 24 / 16 एंड विंडर कॉन्फिगरेशन पर काम करते हैं जो अन्य उत्पादकों की तुलना में अपेक्षाकृत आधुनिक और उत्पादकता-कुशल वाइंडिंग तकनीक है। इस प्रकार, क्षति तकनीकी अप्रचलन, परिचालन अक्षमता या पूंजीगत परिसंपत्तियों को आधुनिक बनाने में विफलता के कारण होती है।
- xvii. अन्य हितबद्ध पक्षकार ने यह अनुरोध किया है कि पाटनरोधी शुल्क को कम अवधि के लिए लगाया जाना चाहिए।
- xviii. पुरानी तकनीक के उपयोग के कारण घरेलू उद्योग द्वारा की गई वृद्धिशील लागत को क्षतिरहित कीमत से समायोजित किया जाना चाहिए क्योंकि आधुनिकीकरण की कमी के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव पाटित आयातों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।
- xix. भारतीय उत्पादक एकतरफा बिक्री शर्तें लगाते हैं, जिसमें प्रतिबंधात्मक आपूर्ति शर्तें और सीमित ऋण लचीलापन शामिल है जो एमएसएमई बुनकर उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।
- xx. पाटनरोधी शुल्क लगाने से निचले स्तर के उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जो पहले से ही संकट की स्थिति में हैं, इकाइयां प्रतिदिन बंद हो रही हैं, मशीनरी को नष्ट किया जा रहा है और काफी रोजगार हानियां हो रही हैं।

- xxi. पाटनरोधी शुल्क, यदि कोई हो, तो संदर्भ कीमत के रूप में होना चाहिए। घरेलू उद्योग ने पहले ही न्यूनतम आयात कीमत लगाने के लिए आवेदन किया है, इस प्रकार, घरेलू उद्योग स्वयं को संदर्भ कीमत युक्त लगती है।
- xxii. यदि संदर्भ कीमत शुल्क नहीं लगाया जाता है, तो यिवू हुआर्डिंग नायलॉन कं, लिमिटेड, प्राधिकारी से अपने कीमत वचनबद्धता को स्वीकार करने का अनुरोध करता है।

## ठ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

166. घरेलू उद्योग ने प्रकटन विवरण जारी होने के पश्चात् निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे संबद्ध सामानों के आयात पर पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करते समय एचएस कोड को 4 अंकों के स्तर पर मानें।
- ii. क्षतिरहित कीमत के निर्धारण पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है क्योंकि सत्यापन के दौरान संशोधित सेंचुरी एन्का लिमिटेड के उत्पादन और क्षमता को क्षतिरहित कीमत (लागत टीम) के निर्धारण के लिए नहीं माना गया है।
- iii. घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित क्षतिरहित कीमत न्यूनीकृत की गई है क्योंकि प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के उत्पादन की वास्तविक लागत पर विचार नहीं किया है। चूंकि घरेलू उद्योग के प्रचालनों में कोई अक्षमता नहीं है, इसलिए कच्चे माल, यूटिलिटियों, उत्पादन क्षमताओं के मानकीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। (लागत टीम)
- iv. वर्तमान जांच पिछली जांच से अलग है, क्योंकि आयात की मात्रा, कीमत प्रभाव, कम क्षमता उपयोग, कम बाजार हिस्सेदारी और उच्च हानियों के संदर्भ में अधिक क्षति हुई है। इस प्रकार, पिछली जांच के अनुसार शुल्क लागू नहीं होने के कारण घरेलू उद्योग को अत्यधिक क्षति हुई है।
- v. पिछली जांच में शुल्क लागू नहीं होने के कारण, पारस पेट्रोफिल्स और जेसीटी लिमिटेड सहित कई उत्पादकों ने प्रचालन बंद कर दिया है। प्रफुल्ल ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड ने अब खुद को वित्तीय संस्थानों के नियंत्रण में एक गैर-निष्पादन परिसंपत्ति (एनपीए) घोषित कर दिया है।
- vi. जबकि देश में पहले मांग-आपूर्ति का कोई अंतराल नहीं था, लगातार पाटन के कारण, 37,000 एमटी से अधिक की क्षमता बंद हो गई है जो भारत को मांग आपूर्ति अंतराल के करीब धकेल रही है।
- vii. किसी भी प्रतिभागी आयातक और प्रयोक्ता ने आर्थिक हित प्रभावली का कोई उत्तर दायर नहीं किया है और भारत में ऐसे प्रयोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के प्रतिकूल प्रभाव का कोई साक्ष्य नहीं है।
- viii. संबद्ध देशों से पाटित कम कीमत वाले संबद्ध सामानों के आयात के कारण, कच्चे माल, नायलॉन चिप्स और संबद्ध सामानों के आयात के बीच का अंतर काफी कम हो गया है।
- ix. नायलॉन फिलामेंट यार्न टेक्सटाइल उद्योग के भीतर एक बहुत छोटा भाग है। भारत में कुल टेक्सटाइल उत्पादन का केवल 1% है। अधिकतर टेक्सटाइल उद्योग पाटनरोधी शुल्क लगाने के प्रति उदासीन रहेगा। टेक्सटाइल उद्योग के सामने आने वाले मुद्दे प्राकृतिक वस्त्रों जैसे कपास, रेशम और ऊन से संबंधित हैं जो भारत में प्रमुख निर्यात क्षेत्र भी है।
- x. भारत से निर्यात में घरेलू उद्योग का योगदान निचले स्तर के उद्योग की तुलना में बहुत अधिक है और घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट से देश में निर्यात निष्पादन और विदेशी मुद्रा के प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उद्योग के निर्यात निष्पादन से पता चलता है कि भारतीय उद्योग द्वारा निर्मित उत्पाद की गुणवत्ता को विश्व स्तर पर प्रयोक्ताओं द्वारा स्वीकार किया जाता है।

- xi. निचले स्तर के उद्योग की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बाधित नहीं होगी क्योंकि यह अग्रिम प्राधिकार के तहत संबद्ध सामानों को शुल्क मुक्त आयात करके अपने उत्पाद का निर्यात करने में सक्षम होगा।
- xii. पाटनरोधी शुल्क लगाने का प्रभाव निचले स्तर के उद्योग पर नगण्य होगा। विचाराधीन उत्पाद वित्त में पाटनरोधी शुल्क के अधीन रहा है और निचले स्तर के उद्योग के निष्पादन पर उक्त अवधि में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।
- xiii. संबद्ध सामानों पर 50 रुपये प्रति किलोग्राम का पाटनरोधी शुल्क अंतिम फैब्रिक की खुदरा कीमत पर कीमत में नगण्य वृद्धि में तब्दील हो जाएगा। इस तरह के छोटे खुदरा कीमत प्रभाव से घरेलू स्पिनिंग क्षमताओं के बड़े पैमाने पर पतन को रोका जा सकता है।
- xiv. निचले स्तर के उद्योग को भारत सरकार द्वारा 20% के उच्च मूल सीमा शुल्क और फैब्रिक के आयात पर न्यूनतम आयात कीमत के संदर्भ में सहायता के साथ अच्छी तरह से संरक्षित किया गया है। पाटनरोधी शुल्क लागू न होने और निचले स्तर के उद्योग को पाटित कच्ची सामग्री तक पहुंच के मामले में, इसे प्रतिस्पर्धी होने का कोई प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। निचले स्तर के उद्योग की स्थिति के विपरीत, संबद्ध सामानों के आयात पर मूल सीमा शुल्क 7.5% से घटाकर 5% कर दिया गया था।
- xv. संबद्ध देशों में उत्पादक केवल भारत में ही नहीं बल्कि अन्य न्याय क्षेत्रों में भी पाटन कर रहे हैं। संबद्ध देशों में उत्पादक अन्य न्याय क्षेत्रों में बहुत अधिक शुल्क के अध्यधीन रहे हैं।
- xvi. चीनी उत्पादकों की क्षमता भारत में मांग से 20 गुना अधिक है। ऐसी केवल 5% क्षमताएं ही भारतीय बाजार में बाढ़ लाने में सक्षम हैं। इसके अतिरिक्त, चीनी उत्पादक लगभग 3,00,000 एमटी की क्षमता का विस्तार कर रहे हैं। ऐसी क्षमताएं निर्यात बाजार के लिए हैं क्योंकि ये चीन जन.गण. में मांग से अधिक हैं।
- xvii. पाटनरोधी शुल्क लगाने से बाजार का एकाधिकार नहीं होगा क्योंकि बाजार में कई उत्पादक शामिल हैं और पाटनरोधी शुल्क लगाने से देश में आयात को रोका नहीं जा सकता है।
- xviii. घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद की गुणवत्ता भारत में आयातित उत्पादों से बेहतर है।
- xix. संबद्ध सामानों का बाजार 7.9% सीएजीआर की दर से बढ़ रहा है। यह उद्योग रसद, पैकेजिंग और रासायनिक उद्योग से जुड़े लोगों को छोड़कर 50,000 से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है।
- xx. जांच की अवधि के बाद संबद्ध आयातों में काफी वृद्धि हुई है और इसने भारतीय उद्योग के बाजार हिस्सेदारी को छीन लिया है।
- xxi. पिछले 5 वर्षों में मांग बढ़ने के साथ भारतीय उद्योग की क्षमताएं बढ़ी हैं, लेकिन चीन जन.गण. से अतिरिक्त आयात के कारण ऐसी क्षमताएं अप्रयुक्त रही हैं।

### ठ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

167. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटन पश्चात अनुरोधों की जांच की है और नोट किया है कि कई अनुरोध पुनरावृत्ति हैं जिनकी पहले ही उपयुक्त रूप से जांच की जा चुकी है और अंतिम जांच परिणामों के संगत पैरा में पर्याप्त रूप से हल किया गया है। प्रकटन पश्चात की टिप्पणियों/अनुरोधों में पहली बार उठाए गए मुद्दों और हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा समर्थित साक्ष्यों को प्राधिकारी द्वारा संगत माना गया है, जिनकी जांच नीचे की गई है।
168. मदर यार्न को बाहर करने के संबंध में, प्राधिकारी दोहराते हैं कि मदर यार्न एक बहु-तंतु यार्न है जिसका उत्पादन और बिक्री घरेलू उद्योग द्वारा जांच की अवधि के दौरान वाणिज्यिक मात्रा में किया गया है।

तदनुसार, विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से इसे बाहर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त, भारत में किसी उत्पाद प्रकार के लिए मांग-आपूर्ति अंतराल विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से उक्त उत्पाद को बाहर करने का औचित्य नहीं है। पाटनपरोधी शुल्क लगाने से भारत में आयात प्रतिबंधित नहीं होगा, बल्कि यह सुनिश्चित होगा कि उचित कीमतों पर ही आयात किया जाए। इस प्रकार, उपभोक्ता पाटनपरोधी शुल्क लगाने के बाद भी उक्त उत्पाद का आयात कर सकते हैं।

169. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पाद प्रकारों के उत्पादन और आपूर्ति के संबंध में प्रदान किए गए साक्ष्य, जिसमें मदर यार्न, विभिन्न डेनियर और फिलामेंट्स और रंगाई गारंटी सहित संबद्ध सामान शामिल हैं, प्राधिकारी द्वारा प्रकट नहीं किए गए हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने इन उत्पाद प्रकार के उत्पादन और आपूर्ति को दर्शाने के लिए उत्पादन रिकॉर्ड, वाणिज्यिक बीजक और क्रेडिट नोट प्रदान किए हैं। चूंकि ऐसे दस्तावेज अलग अलग घरेलू उत्पादकों की वाणिज्यिक स्वामित्व वाली सूचना हैं, जिनका प्रकटन घरेलू उद्योग के लिए प्रतिस्पर्धी नुकसान का होगा, इसलिए उन्हें प्रकट नहीं किया गया है। यह भी नोट किया जाता है कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान किए गए समान साक्ष्य घरेलू उद्योग को प्रकट नहीं किए गए हैं।
170. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि केवल विवरण को यह दर्शाने के लिए स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए कि एक उत्पाद प्रकार दूसरे उत्पाद प्रकार के तुलनीय है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिकॉर्ड पर कोई साक्ष्य नहीं है जो यह दर्शाता है कि इनकार करने वाले और फिलामेंट्स में थोड़ा अंतर दो उत्पादों को आवश्यक उत्पाद विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया, कच्चे माल, उत्पादन प्रौद्योगिकी, प्रकार्यों और प्रयोगों, ग्राहकों की धारणाओं, सीमा शुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में अलग करता है। जैसा कि इन अंतिम जांच परिणामों के संगत भाग में उल्लेख किया गया है, घरेलू उद्योग ने इस बात का प्रमाण दिया है कि उसने भारत में आयात किए गए समान डेनियर्स और फिलामेंट्स के साथ समान वस्तु का उत्पादन और बिक्री की है।
171. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जबकि प्रयोक्ता उद्योग ने उल्लेख किया है कि घरेलू उद्योग भारत में आयात किए गए उत्पादों की तुलना में घटिया उत्पादों की आपूर्ति करता है, रिकॉर्ड पर मौजूद सूचना से पता चलता है कि घरेलू उद्योग ने मुख्य रूप से घरेलू बाजार में एए ग्रेड उत्पादों की आपूर्ति की है। संबद्ध देशों के उत्पादकों और निर्यातकों ने अनुरोध किया है कि उन्होंने भारत को घटिया उत्पादों का निर्यात किया है। वास्तव में वियतनाम के उत्पादकों ने विस्तृत लेनदेन वार सूचना प्रदान की है जिससे पता चलता है कि उन्होंने जांच की अवधि के दौरान भारत को ऑफ-ग्रेड विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है। इसके अतिरिक्त, केवल यह तथ्य कि घरेलू उद्योग ने घटिया उत्पाद की कुछ मात्रा बेची है, उत्पादन प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। हितबद्ध पक्षकारों का यह दावा भी नहीं है कि घरेलू उद्योग केवल घटिया उत्पादों का उत्पादन करता है।
172. इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग की आपूर्ति शर्तें कठोर हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि भले ही आपूर्ति शर्तें कठोर हों, प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों ने यह सिद्ध नहीं किया है कि ये आपूर्ति शर्तें सामान्य व्यावसायिक शर्तों से परे कैसे हैं जो उत्पादकों द्वारा लगाई जा सकती हैं। घरेलू उद्योग पूरी क्षति की अवधि में उत्पाद की अत्यधिक मात्रा का उत्पादन और बिक्री कर रहा है और ऐसा कोई आरोप नहीं है कि आपूर्ति की शर्तें सबसे हाल की अवधि में कठोर या अव्यावहारिक बनाई गई थीं। इसके अतिरिक्त, आपूर्ति शर्तों में अंतर उन मामलों में पाटनपरोधी शुल्क लगाने का औचित्य नहीं रखता है जहां संबद्ध देशों के उत्पादकों और निर्यातकों ने पाटन किया है जिससे घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। पाटनपरोधी शुल्क लगाने के बाद भी, प्रयोक्ता उद्योग उचित कीमतों पर संबद्ध देशों से समान आपूर्ति शर्तों पर विचाराधीन उत्पाद का आयात करने में सक्षम होगा।
173. जहां तक ऑफ-ग्रेड और प्राइम ग्रेड को अलग-अलग पीसीएन के रूप में विचार करने के अनुरोध को दोहराने का संबंध है, जैसा कि अंतिम जांच परिणामों के संगत भाग में उल्लेख किया गया है, उत्पाद की लागत गुणवत्ता के आधार पर भिन्न नहीं होती है। प्रकटन विवरण जारी करने के बाद भी किसी भी

पक्षकार ने यह नहीं दर्शाने के लिए साक्ष्य प्रदान नहीं किए हैं कि प्राइम और ऑफ ग्रेड के उत्पादन की लागत अलग-अलग है। इसलिए, उत्पाद की गुणवत्ता के आधार पर एक अलग पीसीएन बनाने का कोई औचित्य नहीं है।

174. अपनाई गई नमूनाकरण पद्धति के संबंध में, प्राधिकारी ने पहले ही नोट किया है कि वर्तमान जांच में माना गया नमूना सहयोगी उत्पादकों द्वारा भारत में आयात का 61% है। चूंकि इस तरह की प्रतिक्रियाएं भारत में सहयोगी उत्पादकों से आयात का प्रतिनिधि हैं, इसलिए आगे की अलग-अलग प्रक्रियाओं पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त, भले ही उत्पादकों में से किसी एक ने अलग-अलग पीसीएन बेचे हों, इस कारण से ऐसी प्रतिक्रिया पर विचार करना उचित नहीं है।
175. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा किए गए आयात को क्षति विश्लेषण के उद्देश्य से बाहर रखा जाना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटित आयातों की संपूर्णता को ध्यान में रखते हुए अनुबंध-II के तहत क्षति विश्लेषण करने की आवश्यकता है। क्षति विश्लेषण से ऐसे आयातों को बाहर रखने के लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। चूंकि आवेदकों द्वारा आयात की मात्रा संबद्ध देशों से कुल आयात की तुलना में नगण्य है, ऐसे आवेदकों द्वारा उत्पादन के साथ-साथ भारत में मांग, इन कंपनियों को घरेलू उद्योग के गठन के उद्देश्य से पात्र माना गया है। किसी भी मामले में, केवल सेंचुरी एन्का लिमिटेड और ओरियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है। इसके अलावा, संबद्ध देशों से कुल आयात में से 31,823 एमटी में से, जांच की अवधि में ऐसे आयात केवल \*\*\* एमटी हैं।
176. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि पहुंच कीमत में क्षति की अवधि के दौरान संबद्ध सामानों की बिक्री लागत में वृद्धि की अपेक्षा वृद्धि हुई है और इसीलिए, वर्तमान मामले में कोई कीमत ह्रास/न्यूनीकरण नहीं हो सकता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यहां तक कि जब पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से अधिक बढ़ गई है, तो पहुंच कीमत, बिक्री लागत से कम रही है। तदनुसार, घरेलू उद्योग अपनी बिक्री लागत के अनुसार अपनी कीमतें बढ़ाने में सक्षम नहीं रहा है।

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
बिक्री लागत	र./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	122	123	112
बिक्री कीमत	र./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	128	122	109
पहुंच कीमत	र./एमटी	1,63,702	2,32,761	2,16,204	1,94,680
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	142	132	119

177. इस अनुरोध के संबंध में कि जांच की अवधि के दौरान केवल जीपीपीएल को ही हानियां हुई हैं और इसलिए, आयात के कारण क्षति नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उसने परिभाषित घरेलू उद्योग कर क्षति की जांच की है। इस संबंध में घरेलू उद्योग के प्रत्येक अलग अलग घटक का निष्पादन संगत नहीं है। समग्र रूप से घरेलू उद्योग का निष्पादन दर्शाता है कि पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में कमी आई है। प्राधिकारी ने इन अंतिम जांच परिणाम के संगत भाग में पहले ही नोट किया है कि आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर रहे हैं और घरेलू उद्योग की कीमतों का न्यूनीकरण/ह्रास किया है। इसके अलावा, वर्तमान जांच में पाटन और क्षति के बीच एक कारणात्मक

- संपर्क सिद्ध किया गया है। इसलिए, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट भारत में संबद्ध आयात के पाटन के कारण है।
178. इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग को पुरानी तकनीक के कारण क्षति हुई है, प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणाम के भाग में पहले ही नोट किया है कि उत्पाद के उत्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है; और इसलिए, क्षति प्रौद्योगिकी में विकास के कारण नहीं हो सकती है। इसके अलावा, यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है कि विदेशी उत्पादक पहले अलग-अलग प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे थे और अब अलग-अलग प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं।
179. इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत का ह्रास हुआ है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षतिरहित कीमत पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध III के सिद्धांतों के अनुसार निर्धारित की गई है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सेंचुरी एन्का लिमिटेड की क्षमता और उत्पादन कंपनी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर लिया गया है। इसके अलावा, कच्चे माल, यूटिलिटियों या उत्पादन क्षमताओं का मानकीकरण पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-III के प्रावधानों के अनुसार किया गया है।
180. जहां तक कम अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाने के अनुरोध का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि कम समय के लिए शुल्क लगाने का कोई औचित्य नहीं है। अतीत में पाटनरोधी शुल्क लगाने से पता चलता है कि संबद्ध देशों के उत्पादकों ने लंबे समय तक उत्पाद को पाटित करने का सहारा लिया। किसी भी मामले में, यदि यह पाया जाता है कि अब पाटनरोधी शुल्क लगाने का कोई औचित्य नहीं है तो हितबद्ध पक्षकार नियम 23 के तहत समीक्षा की मांग कर सकते हैं।
181. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से प्रयोक्ताओं के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में आयात के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। घरेलू उद्योग ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि पारस पेट्रोफिल्स, जेसीटी लिमिटेड और प्रफुल्ल ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड ने भारत में पाटन और पिछली जांच में पाटनरोधी शुल्क लागू नहीं होने के कारण प्रचालन बंद कर दिया है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग काफी कम है और घरेलू उद्योग के सभी घटकों को वित्तीय हानियां, नकद हानियां और निवेश पर नकारात्मक आय हो रही हैं। प्रयोक्ता उद्योगों ने यह दर्शाने के लिए साक्ष्य नहीं दिया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से उन पर असहनीय बोझ पड़ेगा।
182. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड और गुप्ता सिंथेटिक्स सहित कुछ उत्पादकों ने पिछली जांच से पहले और भारत में पाटन के कारण प्रचालन बंद कर दिये थे। इसके अलावा, अधिक उत्पादकों ने पाटनरोधी शुल्क लागू नहीं होने के बाद प्रचालन बंद कर दिया है। जबकि भारत संबद्ध सामानों के उत्पादन के लिए आत्मनिर्भर और भारत में मांग-आपूर्ति का कोई अंतराल नहीं था, उत्पादकों की बंदी होना भारत को मांग-आपूर्ति के अंतराल के साथ अधिक आयात पर निर्भर बाजार की ओर धकेल रहा है।
183. प्राधिकारी घरेलू उद्योग के इस अनुरोध को नोट करते हैं कि समग्र टेक्सटाइल उद्योग में संबद्ध सामानों की तुलनात्मक रूप से कम हिस्सेदारी के कारण, संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का टेक्सटाइल उद्योग पर सामान्य रूप से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि वस्त्र उद्योग में प्रमुख निर्यात प्राकृतिक वस्त्र हैं जिनमें कपास, ऊन और रेशम शामिल हैं। ऐसे उद्योग नायलॉन फिलामेंट यार्न उद्योग के प्रति उदासीन हैं।
184. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सिंथेटिक फिलामेंट यार्न के बुने हुए कपड़े के प्रमुख आईटीसी एचएस कोड पर 20% की उच्च मूल सीमा शुल्क के साथ निचले स्तर के उद्योग को भारत सरकार द्वारा अच्छी तरह से संरक्षित किया गया है। इसके अलावा, बुने हुए फैब्रिक के आयातों पर न्यूनतम आयात कीमत भी

लगती है। इसके विपरीत, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि संबद्ध सामानों के आयात के लिए मूल सीमा शुल्क 7.5% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

185. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि संबद्ध देशों के उत्पादकों को अन्य न्याय क्षेत्राधिकार में भी पाटनरोधी शुल्क का सामना करना पड़ता है क्योंकि वे न केवल भारत में बल्कि तीसरे देशों में भी पाटन कर रहे हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ब्राजील ने संबद्ध देशों से आयातित सामानों पर उच्चतर पाटनरोधी शुल्क लगाया है। चीनी निर्यातक पर \*\*\* अमेरिकी डॉलर प्रति एमटी का पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है और वियतनामी निर्यातक की मूल कंपनी पर \*\*\* अमेरिकी डॉलर प्रति एमटी का पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है।
186. भारत में संबद्ध सामानों के कई उत्पादक हैं जो देश में उत्पाद के उत्पादन और बिक्री में लगे हुए हैं, इस प्रकार पर्याप्त अंतर-से प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित होती है। इस प्रकार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने के कारण भारतीय बाजार में एकाधिकार या कार्टेलाइजेशन के संबंध में कोई चिंता नहीं है। किसी भी मामले में, एक हितबद्ध पक्षकार नियम 23 के तहत प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा मांग सकता है, यदि शुल्क लगाने के लिए अपर्याप्त औचित्य हो।
187. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग ने पहले भी पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया था और प्राधिकारी ने 2020 में पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी। तथापि, वित्त मंत्रालय द्वारा ऐसा कुछ भी लागू नहीं किया गया था। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि पिछली जांच की तुलना में घरेलू उद्योग को क्षति में वृद्धि हुई है। यह नोट किया जाता है कि पिछली जांच से तुलना करने पर, संबद्ध देशों से आयात की मात्रा काफी बढ़ गई है। इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अकेले चीन जन.गण. से आयात की मात्रा निम्नलिखित तरीके से बढ़ी है:

विवरण	इकाई	पूर्व जांच परिणामों में पीओआई	वर्तमान पीओआई
चीन से आयात	एमटी	7,024	30,547

स्रोत: चीन जन.गण., कोरिया गणराज्य, ताइवान और थाईलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्याति नायलॉन मल्टी फिलामिन यार्न के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच में दिनांक 04.03.2020 के अंतिम जांच परिणाम (फा. संख्या. 6 / 11 / 2019-डीजीटीआर)

188. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है, जबकि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में पूर्व जांच में जांचावधि की तुलना में वर्तमान जांच की अवधि में गिरावट आई है। कीमत कटौती में भी उपर्युक्त अवधि के बीच वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि पाटनरोधी शुल्क लागू नहीं होने से घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है क्योंकि दो अवधियों के बीच घरेलू उद्योग की हानियां काफी बढ़ गई हैं।

विवरण	इकाई	पूर्व जांच परिणामों में पीओआई	वर्तमान पीओआई	परिवर्तन
मांग	एमटी	1,36,995	1,80,191	+32%
बाजार हिस्सा				
संबद्ध आयात	%	10	18	+80%
कुल आयात	%	15	21	+40%
भारतीय उद्योग	%	85	79	-7%
आयातों की पहुंच कीमत	एमटी	2,12,206	1,94,680	-8%

स्रोत: चीन जन.गण., कोरिया गणराज्य, ताइवान और थाईलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्याति नायलॉन मल्टी फिलामिन यार्न के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच में दिनांक 04.03.2020 के अंतिम जांच परिणाम (फा. संख्या. 6 / 11 / 2019-डीजीटीआर)

189. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया है कि जबकि पिछली जांच में संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों का ह्रास कर रहे थे, वर्तमान जांच में संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों का न्यूनीकरण और ह्रास किया है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग को वर्तमान जांच में उच्च प्रतिकूल प्रभाव का सामना करना पड़ा है।
190. संदर्भ कीमत शुल्क के अनुरोध के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पाद में भारी संख्या में विभिन्न प्रकार शामिल हैं। आयात और घरेलू उद्योग की लागतों के बारे में सूचना से पता चलता है कि सैकड़ों पीसीएन की मौजूदगी लागत में और परिणामस्वरूप कीमत में अंतर के साथ, घरेलू उद्योग द्वारा आयात और आपूर्ति किए गए हैं। अतः संदर्भ कीमत के रूप में पाटनरोधी शुल्क लगाना व्यावहारिक नहीं होगा।
191. यिवू हुआर्डिंग नायलॉन कं, लिमिटेड द्वारा दी गई कीमत वचनबद्धता के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादक ने निर्धारित प्रारूप का अनुरोध प्रस्तुत नहीं किया है और इसलिए ऐसे अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

#### ड. निष्कर्ष एवं सिफारिशें

192. सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और उसमें उठाए गए मुद्दों की जांच करने के बाद; और रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों पर विचार करते हुए, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि:
- विचाराधीन उत्पाद नायलॉन फिलामेंट यार्न है जो एक बहु-फिलामेंट यार्न है। विचाराधीन उत्पाद में मदर यार्न, पूरी तरह से खींचा गया यार्न, आंशिक रूप से उन्मुख यार्न, खींचा हुआ बनावट वाला यार्न या क्रिम्प यार्न, हवा बनावट वाला यार्न, हवा कवर वाला यार्न, उच्च उन्मुख यार्न और उच्च दृढ़ता वाला यार्न शामिल हैं।
  - सभी मानव निर्मित फिलामेंट यार्न जिनमें नायलॉन या पॉलियामाइड नहीं हैं, विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखे गए हैं।
  - विचाराधीन उत्पाद में नायलॉन या पॉलियामाइड के सभी प्रकार के सिंथेटिक फिलामेंट यार्न शामिल हैं, जैसे कि फ्लैट यार्न - मुड़ा हुआ और/या बिना मुड़े हुए, पूरी तरह से खींचा गया यार्न (एफडीवाई), स्पिन ड्रॉ यार्न (एसडीवाई), पूरी तरह से उन्मुख यार्न (एफओवाई), उच्च उन्मुख यार्न (एचओवाई), आंशिक रूप से उन्मुख यार्न (पीओवाई), बनावट वाला यार्न - मुड़ा हुआ और/ या बिना मुड़े हुए, और रंगा हुआ यार्न, एकल, दोहरा, बहु, मुड़ा हुआ या केबल वाला, और नॉयलान का उच्च तनन यार्न, जो सीमा शुल्क शीर्ष 5402 के तहत अध्याय 54 के अंतर्गत वर्गीकरणीय हैं।
  - मदर यार्न एक मल्टी फिलामेंट यार्न है जिसका उत्पादन और बिक्री घरेलू उद्योग द्वारा की गई है। उत्पाद का अंतिम प्रयोग विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से उसे बाहर करने का आधार नहीं हो सकता है।
  - घरेलू उद्योग ने घरेलू बाजार में मदर यार्न के प्रति फिलामेंट समान डेनियर का उत्पादन और आपूर्ति की है जो संबद्ध देशों से आयात किया गया था।
  - 840 से ऊपर के डेनियर वाले उच्च दृढ़ता वाले यार्न का उपयोग टायर कॉर्ड फैब्रिक में किया जाता है और इसे विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा गया है।
  - घरेलू उद्योग ने घरेलू बाजार में उच्च डेनियर उच्च टेनसिटी और कम डेनियर उच्च टेनसिटी यार्न का उत्पादन और आपूर्ति की है और इसे विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर नहीं रखा जा सकता है।

- viii. डिनियर और फिलामेंट में मामूली बदलाव से अलग-अलग विशेषताओं और प्रयोग के साथ एक अलग उत्पाद नहीं बनता है। फिलामेंट्स और डेनियर की संख्या स्पिनरेट और पिघलने के प्रवाह की गति पर निर्भर करती है। घरेलू उद्योग ने घरेलू बाजार में समान फिलामेंट्स और डेनियर्स के साथ समान वस्तुओं की आपूर्ति की है और इसे विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर नहीं रखा जा सकता है।
- ix. घरेलू उद्योग ने घरेलू बाजार में मुख्य रूप से एए ग्रेड उत्पाद की आपूर्ति की है जबकि पर्याप्त आयात गौण ग्रेड का रहा है। घरेलू उद्योग नवीनतम प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रहा है और बीआईएस मानकों के अनुसार संबद्ध सामानों का उत्पादन करता है।
- x. घरेलू उद्योग ने घरेलू बाजार में नायलॉन स्पैन्डेक्स कवर किए गए यार्न का उत्पादन और आपूर्ति की है और इसे विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में शामिल किया गया है।
- xi. प्राधिकारी ने विभिन्न ग्रेडों के उत्पादन के बीच लागत अंतर के आधार पर वर्तमान जांच में पीसीएन पर विचार किया है। उत्पाद की गुणवत्ता उत्पादन लागत में अंतर का कारण नहीं बनती है क्योंकि कच्चे माल, यूटिलिटियों की लागत और ऑफ-ग्रेड उत्पाद के निर्माण के लिए अन्य व्यय समान रहते हैं। इसलिए, इसे अलग पीसीएन नहीं माना गया है।
- xii. घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित संबद्ध सामान संबद्ध देशों से भारत में आयातित विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु हैं।
- xiii. संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए आवेदन-पत्र सेंचुरी एन्का लिमिटेड, गुजरात पॉलीफिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड और ओरियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया था। इस आवेदन-पत्र का समर्थन एग्लॉन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, एवाईएम सेंटैक्स लिमिटेड, सालासर पॉलीप्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड और टोडी रेयन्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया था।
- xiv. जांच की शुरुआत के बाद, पीएनपी पॉलीमर्स लिमिटेड ने अपनी क्षति और लागत की सूचना प्रदान की और घरेलू उद्योग के हिस्से के रूप में विचार करने का अनुरोध किया। सभी हितबद्ध पक्षकारों को पीएनपी पॉलीमर्स द्वारा प्रस्तुत सूचना पर टिप्पणी करने का अवसर प्रदान किया गया था।
- xv. पीएनपी को शामिल करने से घरेलू उद्योग में क्षति का अधिक व्यापक विश्लेषण किया जा सकता है और विकृति के जोखिम को कम किया जा सकता है। प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के उद्देश्य से पीएनपी पॉलीमर्स को घरेलू उद्योग का हिस्सा माना है।
- xvi. घरेलू उद्योग को भारत में पाटन के कारण क्षति हुई है, चाहे पीएनपी पॉलीमर्स को घरेलू उद्योग के हिस्से के रूप में माना जाए या नहीं।
- xvii. जांच की अवधि के बाद ओरियन और सेंचुरी एन्का लिमिटेड में आग लगने से वर्तमान जांच के उद्देश्य के लिए घरेलू उद्योग के आधार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
- xviii. घरेलू उद्योग बनने वाले कोई भी घरेलू उत्पादक संबद्ध देश में किसी निर्यातक या भारत में संबद्ध सामानों के आयातक से संबद्ध नहीं है। इसके अलावा, सेंचुरी एन्का लिमिटेड और ओरियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने जांच की अवधि के दौरान भारत में उक्त माल का आयात किया है। हालाँकि, भारत में कुल आयात, भारत में मांग और ऐसे उत्पादकों के उत्पादन के संदर्भ में इस तरह के आयात नगण्य हैं। इस प्रकार, उन्हें वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग बनने के लिए पात्र माना गया है।
- xix. यदि 12 महीने की अवधि पर विचार किया जाए तो व्यावहारिक कठिनाईयां हैं क्योंकि इससे दो वित्तीय वर्षों की सूचना का विभाजन हो जाएगा। चूंकि उद्योग में छोटे उत्पादक भी शामिल हैं, इसलिए दो वित्तीय वर्षों की जांच अवधि पर विचार करने से घरेलू उत्पादकों को अनुचित

- कठिनाई होती। तदनुसार, वर्तमान जांच में 15 महीने की जांच की अवधि पर विचार किया गया है।
- xx. चीन जन.गण. से बड़ी संख्या में उत्पादकों और निर्यातकों की प्रतिभागिता को देखते हुए, प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में सबसे बड़े मात्रा के निर्यात के आधार पर नमूनाकरण किया है।
- xxi. प्राधिकारी ने चीन जन.गण. दोनों से दो सबसे बड़े उत्पादक समूहों के लिए अलग अलग मार्जिन निर्धारित किया है। भले ही 2 समूहों का चयन किया गया है, प्राधिकारी ने ऐसे समूहों के हिस्से के रूप में 3 उत्पादकों की जांच की है।
- xxii. वर्तमान जांच में चीन जन.गण. से सहयोगी उत्पादकों द्वारा आयात की मात्रा का 61% नमूनाकृत उत्पादकों का है। इसलिए, नमूने का आकार पर्याप्त है।
- xxiii. चीन जन.गण. से अन्य गैर-नमूनाकृत सहयोगी उत्पादकों के लिए मार्जिन उनके संबंधित देश के नमूनाकृत उत्पादकों के भारित औसत मार्जिन पर आधारित है।
- xxiv. वियतनाम के सहयोगी उत्पादकों द्वारा दायर की गई प्रतिक्रियाओं के आधार पर सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत निर्धारित किया गया है।
- xxv. निर्धारित पाटन मार्जिन सकारात्मक और काफी है।
- xxvi. कानूनी आवश्यकताओं और डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार के अनुसार घरेलू उद्योग के संबंध में क्षति विश्लेषण किया गया है।
- xxvii. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में संचयी मूल्यांकन की सभी शर्तों को पूरा करने के साथ क्षति का संचयी मूल्यांकन किया है।
- xxviii. घरेलू उद्योग को निम्नानुसार वास्तविक क्षति हुई है।
- क. भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में पूर्ण रूप से संबद्ध आयात की मात्रा में वृद्धि हुई है।
- ख. संबद्ध सामान घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती कर रहे थे।
- ग. क्षति की अवधि के दौरान, घरेलू उद्योग की शुद्ध बिक्री प्राप्ति में हुई वृद्धि की तुलना में बिक्री लागत में अधिक वृद्धि हुई है। इस प्रकार, आयात ने घरेलू उद्योग की कीमतों को दबा दिया है।
- घ. संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम रही है।
- ड. घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में क्षति की अवधि में वृद्धि हुई है क्योंकि घरेलू उद्योग ने भारतीय बाजार में घाटे पर संबद्ध सामानों को बेचा है।
- च. घरेलू उद्योग की सूची में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है और जांच की अवधि में सबसे अधिक थी।
- छ. जांच की अवधि में घरेलू उद्योग को वित्तीय हानियां हुई हैं।
- ज. घरेलू उद्योग के नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय में क्षति की अवधि में गिरावट आई है। जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता सबसे कम थी।
- झ. घरेलू उद्योग को नकदक हानियां हुई हैं और नियोजित पूंजी पर नकारात्मक आय दर्ज की गई है।
- ञ. पूंजी निवेश बढ़ाने की घरेलू उद्योग की क्षमता पर गंभीर प्रभाव पड़ा है।
- xxix. निर्धारित क्षति मार्जिन सकारात्मक और काफी है।
- xxx. घरेलू उद्योग को क्षति भारतीय बाजार में पाटन के कारण हुई है। किसी अन्य ज्ञात कारक ने घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचाई है।
- xxxi. कोई सूचना नहीं दी गई है कि विदेशी निर्माता प्रति लाइन 24 विंडर्स का उपयोग करते हैं। इसके अलावा, घरेलू उद्योग द्वारा प्रौद्योगिकी या संयंत्र में कोई परिवर्तन नहीं आया है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो।

- xxxii. घरेलू उद्योग की निर्यात कीमत उसकी घरेलू कीमत से अधिक रही है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग की कुल बिक्री की तुलना में घरेलू उद्योग की निर्यात बिक्री नगण्य है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन के कारण क्षति नहीं हो सकती।
- xxxiii. चूंकि घरेलू उद्योग की भौगोलिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया है, अतः क्षति को भौगोलिक स्थिति के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।
- xxxiv. घरेलू उद्योग ने ब्याज लागत के हिसाब से पहले ही हानियां उठाई हैं। अतः घरेलू उद्योग के ब्याज दायित्व के कारण क्षति नहीं हुई है।
- xxxv. पाटनपरोधी शुल्क लगाना सार्वजनिक हित के विरुद्ध नहीं होगा। प्राधिकारी इस संबंध में निम्नलिखित नोट करते हैं:
- क. पाटनपरोधी शुल्क लगाने से भारतीय उद्योग को उचित अवसर मिलेगा।
- ख. विचाराधीन उत्पाद अतीत में पाटनरोधी शुल्क के अधीन था, हालांकि, निचले स्तर के उद्योग पर ऐसे शुल्क के प्रतिकूल प्रभाव का कोई साक्ष्य नहीं है।
- ग. पाटनपरोधी शुल्क लगाने से देश में आपूर्ति की कमी नहीं होती। इसके अतिरिक्त, आयात संबद्ध देशों के अलावा अन्य स्रोतों से भी किया जा सकता है।
- घ. दोनों संयंत्रों में ओरियन और सेंचुरी एन्का लिमिटेड का उत्पादन फिर से शुरू हो गया है, और इस तरह के अस्थायी ठहराव का आम जनता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।
- ड. वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग बनने वाले सभी घरेलू उत्पादकों को जांच की अवधि में हानियां हुई हैं और घरेलू उद्योग को क्षति की भरपाई के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाने की आवश्यकता है।
- च. पारस पेट्रोफिल्स, जेसीटी लिमिटेड, प्रफुल्ल ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड, गुप्ता सिंथेटिक्स और गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड सहित कई घरेलू उत्पादकों ने अपना प्रचालन बंद कर दिया है।
- छ. उत्पादकों की बंदी से भारत मांग-आपूर्ति की स्थिति की ओर बढ़ रहा है और इससे भारत को आयात पर निर्भर रहने की संभावना है।
- ज. नायलॉन फिलामेंट उद्योग का टेक्सटाइल उद्योग में अपेक्षाकृत कम हिस्सा है। संबद्ध सामानों की इतनी कम हिस्सेदारी के कारण, संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का टेक्सटाइल उद्योग पर सामान्य रूप से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- झ. संबद्ध सामानों के उत्पादन में लगे भारतीय उद्योग, देश से निर्यात में निचले स्तर के उद्योग की तुलना में एक बड़ा योगदानकर्ता है। उद्योग के निष्पादन पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव भारत से निर्यात को अत्यधिक रूप से बाधित करेगा।
- ञ. रिकॉर्ड में कोई साक्ष्य नहीं है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने का प्रतिकूल प्रभाव दिखाया गया है।
- ट. उपर्युक्त उल्लिखित जांच के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि विषय देशों से विषय वस्तुओं के डंप किए गए आयात के कारण घरेलू उद्योग को काफी नुकसान हुआ है।
193. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया था और घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क के पहलू पर सकारात्मक सूचना प्रदान करने का पर्याप्त अवसर दिया गया। पाटनरोधी नियमावली के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क की जांच शुरू करने और जांच करने पर, प्राधिकारी का यह मत है कि पाटन और क्षति को दूर करने के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाना आवश्यक है। अतः, प्राधिकारी इसे आवश्यक मानते हैं और संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं।

194. प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी पाटन मार्जिन से कमतर के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं। तदनुसार, प्राधिकारी इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से, नीचे संलग्न शुल्क तालिका के कॉलम 7 में दर्शाई गई राशि के बराबर, संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं।

**शुल्क- तालिका**

क्र.सं.	शीर्ष	विवरण*	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	5402	नायलॉन फिलामेंट यार्न	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई देश	फुजियान हाईसन सिंथेटिक फ़ाइबर टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	236	एमटी	यूएसडॉ.
2	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई देश	फुजियान लिहेंग पॉलियामाइड इंडस्ट्री कं, लिमिटेड	236	एमटी	यूएसडॉ.
3	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई देश	यीवू हुआर्डिंग नायलॉन कं, लिमिटेड	653	एमटी	यूएसडॉ.
4	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई देश	गैर-नमूनाकृत उत्पादक, नीचे दी गई सूची के अनुसार*	338	एमटी	यूएसडॉ.
5	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई देश	क्र.सं. 1 से 4 को छोड़कर कोई उत्पादक	782	एमटी	यूएसडॉ.
6	-वही-	-वही-	चीन जन.गण और वियतनाम सहित कोई देश	चीन जन.गण.	कोई	782	एमटी	यूएसडॉ.
7	-वही-	-वही-	वियतनाम	वियतनाम सहित कोई देश	ह्योसुंग डोंग नाई कंपनी लिमिटेड	684	एमटी	यूएसडॉ.
8	-वही-	-वही-	वियतनाम	वियतनाम सहित कोई देश	ह्योसुंग डोंग नाई नायलॉन कंपनी लिमिटेड	684	एमटी	यूएसडॉ.
9	-वही-	-वही-	वियतनाम	वियतनाम सहित कोई देश	क्र.सं. 7 से 8 में उल्लिखित को छोड़कर कोई उत्पादक	827	एमटी	यूएसडॉ.
10	-वही-	-वही-	चीन जन.गण. और वियतनाम को छोड़कर कोई देश	वियतनाम	कोई	827	एमटी	यूएसडॉ.

\* पॉलियामाइड यार्न या नायलॉन यार्न के रूप में भी जाना जाने वाला नायलॉन से बना "सिंथेटिक फिलामेंट यार्न"। विचाराधीन उत्पाद मल्टी-फिलामेंट यार्न है। विचाराधीन उत्पाद में मदर यार्न, पूरी तरह से खींचा गया यार्न, आंशिक रूप से उन्मुख यार्न, खींचा गया टेक्सचर्ड यार्न या क्रिम्प यार्न, एयर टेक्सचर्ड यार्न, एयर कवर किया गया यार्न, उच्च उन्मुख यार्न और उच्च दृढ़ता यार्न शामिल हैं। सभी मानव निर्मित फिलामेंट यार्न जिनमें नायलॉन या पॉलीएमाइड नहीं होते हैं, विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखे हैं। निम्नलिखित को विशेष रूप से विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा गया है।

- क. मोनो फिलामेंट यार्न  
 ख. बल्क कंटीन्यूअस फाइबर  
 ग. नायलॉन 66 यार्न  
 घ. हॉट मेल्ट यार्न  
 ड. कम पिघलने वाला यार्न  
 च. बांडेड यार्न  
 छ. कंडक्टिव यार्न  
 ज. एंटी-स्टैटिक यार्न  
 झ. नोमेक्स और अरामिड्स यार्न  
 ज. 840 डेनियर्स और उससे अधिक के साथ हाई टेनेसिटी यार्न।

विचाराधीन उत्पाद में नायलॉन या पॉलियामाइड के सभी प्रकार के सिंथेटिक फिलामेंट यार्न शामिल हैं, जैसे कि फ्लैट यार्न - मुड़ा हुआ और/या बिना मुड़े हुए, पूरी तरह से खींचा गया यार्न (एफडीवाई), स्पिन ड्रॉ यार्न (एसडीवाई), पूरी तरह से उन्मुख यार्न (एफओवाई), उच्च उन्मुख यार्न (एचओवाई), आंशिक रूप से उन्मुख यार्न (पीओवाई), बनावट वाला यार्न - मुड़ा हुआ और/या बिना मुड़े हुए, और रंगा हुआ यार्न, सिंगल, डबल, मल्टीपल, फोल्डेड और केबलड, और सीमा शुल्क शीर्ष 5402 के तहत अध्याय 54 के अंतर्गत वर्गीकरणीय नायलॉन का उच्च दृढता यार्न। उत्पाद में नायलॉन के सभी प्रकार (या फिलामेंट यार्न या पॉलियामाइड यार्न जैसे कि फ्लैट/बनावट/ मुड़ा हुआ/ बिना मुड़े हुए, चमकीले/सेमि डल/उनके फुल डल प्रकार), ग्रे/रंगीन/रंगा हुआ (या उसके प्रकार), सिंगल/डबल/ मल्टीपल/फोल्डेड/केबलड (या उसके प्रकार), चाहे आकार का हो या नहीं)

195. उपर्युक्त शुल्क तालिका में उल्लिखित कंपनियों के लिए निर्दिष्ट अलग अलग शुल्क दरों का अनुप्रयोग सीमा शुल्क अधिकारियों को एक वैध वाणिज्यिक बीजक प्रस्तुत करने पर सशर्त होगा, जिस पर ऐसे बीजक जारी करने वाली कंपनी के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित दिनांकित घोषणा दिखाई देगी, जो उसके नाम और कार्य से पहचाना जाता है, जैसा कि निम्नलिखित रूप से तैयार किया गया है:

"मैं, अधोहस्ताक्षरी, प्रमाणित करता हूं कि इस बीजक द्वारा कवर किए गए भारत को निर्यात के लिए बेचे गए (पीयूसी का नाम) की मात्रा [संबंधित देश] में (कंपनी का नाम और पता) द्वारा निर्मित की गई थी। मैं घोषणा करता हूं कि इस बीजक में प्रदान की गई सूचना पूर्ण और सही है।"

196. यदि ऐसा कोई बीजक प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो अन्य सभी दरों पर लागू शुल्क लागू होगा। यह आवश्यकता लागू सीमा शुल्क कानून और विनियमों के तहत सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा स्वतंत्र रूप से की गई सत्यापन प्रक्रियाओं के लिए पूर्वाग्रह के बिना है।

### चीन जन.गण. से गैर-नमूनाकृत उत्पादकों की सूची

क्र.सं.	गैर-नमूनाकृत सहयोगी उत्पादक
1.	फुजियान कैबांग पॉलियामाइड टेक्नोलॉजी कं., लिमिटेड
2.	पूटेक्स नायलॉन कं., लिमिटेड
3.	फुजियान वानहोंग टेक्सटाइल कं., लिमिटेड

4.	हेंगझोऊ डिकई इंडस्ट्रियल फैब्रिक्स कं, लिमिटेड।
5.	फुजियान चांगले योंगडा फैब्रिक्स कं, लिमिटेड

**द. आगे की प्रक्रिया**

197. इन जांच परिणामों में निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्धारण के विरुद्ध कोई अपील अधिनियम/नियमावली के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष की जाएगी।

अमिताभ कुमार, निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**  
**(Department of Commerce)**  
**(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)**  
**FINAL FINDINGS NOTIFICATION**  
 New Delhi, the 19th March, 2026  
**Case No. – AD(OI) – 45/2024**

**Subject: Anti-Dumping Investigation concerning imports of Nylon Filament Yarn originating in or exported from China PR and Vietnam.**

**F. No. 6/48/2024-DGTR.**— Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Act”), and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time, (hereinafter also referred to as the “Anti-Dumping Rules” or the “Rules”);

**A. BACKGROUND OF THE CASE**

1. Whereas, Century Enka Limited, Gujarat Polyfilms Private Limited and Oriilon India Private Limited (hereinafter referred to as the “applicants”) filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”), in accordance with the Act and the Rules for initiation of anti-dumping investigation concerning imports of Nylon Filament Yarn (hereinafter also referred to as the “product under consideration” or the “subject goods”) from China PR and Vietnam (hereinafter also referred to as the “subject countries”).
2. And whereas, in view of the duly substantiated application filed by the applicants, the Authority issued a public notice vide Notification No. 6/48/2024-DGTR dated 26<sup>th</sup> December 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary initiating anti-dumping investigation into imports of the product under consideration from China PR and Vietnam in accordance with Rule 5 of the Anti-Dumping Rules to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping of the subject goods and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

**B. PROCEDURE**

3. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:

### 3.1 Initiation

- a. The Authority notified the Embassies of the subject countries in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with section 9A sub-rule (5) of Rule 5.
- b. The Authority issued a public notice dated 26<sup>th</sup> December 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating anti-dumping investigation concerning import of subject goods from the subject countries.
- c. The Authority sent a copy of the initiation notification to the Governments of the subject countries, through their Embassies in India, known producers and exporters from the subject countries, known importers / users and the domestic industry as well as other domestic producers, as per the addresses made available by the applicants and requested them to make their views known in writing within the prescribed time limit.

### 3.2 Circulation of non-confidential version of the application

- a. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Governments of the subject countries, through their Embassies in India, in accordance with Rule 6(3) of the Anti-Dumping Rules. A copy of the non-confidential version of the application was made available to other interested parties, wherever requested.

### 3.3 Participation by Producer/Exporter

- a. The Embassies of the subject countries in India were requested to advise the exporters/producers from their countries to respond to the questionnaire within the prescribed time limit.
- b. The Authority sent exporter's questionnaire to the following known producers/exporters in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
  - i. Barbarik International Logistic, Hongkong, China PR
  - ii. Bestory Checmical Fiber Co Ltd, China PR
  - iii. Bharat Green - Tech Global PTE Ltd
  - iv. Bhavvishyaa Private Limited
  - v. Bosca Enterprise Ltd
  - vi. Change Highsun Synthetic Fiber Technologies Co Ltd, China PR
  - vii. Changshu Polyester Co Ltd, China PR
  - viii. Changzhou Gather Imp Exp Co Ltd, China PR
  - ix. Danx Viet Nam Industrial Co Ltd, Vietnam
  - x. Dynasty Asia International Ltd, Hong Kong, China PR
  - xi. For You Win International Limited, China PR
  - xii. Frontier Development Co Ltd
  - xiii. Fujain Wanhong Textile Co Ltd, China PR
  - xiv. Fujian Highsun Synthetic Fiber Technology Co Ltd, China PR
  - xv. Fujian Jiayi Chemical Fiber Co Ltd, China PR
  - xvi. Fujian Jinfeng Technology Co Ltd, China PR
  - xvii. Fujian Kaibang Polyamide Technology Co Ltd, China PR
  - xviii. Fujian Xinsen Synthetic Fiber Technology Co Ltd, China PR
  - xix. Fuzhou City Tian Fang Technology Co Ltd, China PR
  - xx. Fuzhou Dewei Industrial Co Ltd, China PR
  - xxi. Fuzhou Henghe New Material Co Ltd, China PR
  - xxii. General Tex Crossing Co Ltd, China PR
  - xxiii. Global Best Industrial Co Ltd, Hong Kong, China PR
  - xxiv. GTW International Co Limited, China PR
  - xxv. Guangdong Xinhui Media Nylon Co Ltd, China PR

- xxvi. Guangzhou Hiwide Trading Co Ltd, China PR
- xxvii. Haian Jinhong Chemical Fibre Co Ltd, China PR
- xxviii. Haiyang Technology Co Ltd, China PR
- xxix. Hangzhou Dikai Industrial Fabrics Co Ltd, China PR
- xxx. Hangzhou Dikai Industrial Fabrics Co Ltd, China PR
- xxxi. Hangzhou Hengniu Fancy Yarn Co, China PR
- xxxii. Hehler Engineered Products Suzhou, China PR
- xxxiii. Hi-Tech Textile Company Ltd, Vietnam and China PR
- xxxiv. Hongkong CYX International Limited, Hong Kong, China PR
- xxxv. Hunan Nat Trading Co Ltd, China PR
- xxxvi. Invista China Investment Co, China PR
- xxxvii. Jiangsu Onetouch Business Service Co Ltd, China PR
- xxxviii. Jiangsu Tongxin Chemical Fibres Co Ltd, China PR
- xxxix. Jiangsu Wenfeng Chemical Fiber Group Co Ltd, China PR
- xl. Jiaxing Skytime Imp and Exp Co Ltd, China PR
- xli. Jinjiang Xinglilai Yarns Co Ltd, China PR
- xlii. Junma Tyre Cord Company Limited, China PR
- xlili. Junma Tyre Cord Hongkong Co Limited, Hong Kong, China PR
- xliv. Kohyei Trading Co Ltd, China PR
- xlv. Linked Fiber Co Limited, China PR
- xlvi. M S Bestory Chemical Fiber Co Ltd, China PR
- xlvii. M S Changle Highsun Synthetic Fiber, China PR
- xlviii. M S Changzhou Dahua Imp and Exp G, China PR
- xliv. M S Fujian Jingfeng Technology Co, China PR
- l. Maptrasco
- li. Media Nylon Company Limited, China PR
- lii. Mehler Engineered Products, China PR
- liii. Meida Nylon Company Limited, China PR
- liv. Minky International Trading Co Ltd, China PR
- lv. Nanjing Finetex Technology Co Ltd, China PR
- lvi. Nantong Beilian Imp Exp Co Ltd, China PR
- lvii. Nantong Jinhong Import and Export Co Ltd, China PR
- lviii. Nantong Pufeite Fiber Twisting Co Ltd, China PR
- lix. Nantong Suyuan Chemical Fiber Co Ltd, China PR
- lx. Nantong Xuanfei International Trading Co Ltd, China PR
- lxi. Nilit Nylon Technologies Suzhou, China PR
- lxii. Ningbo Haoyue Textile Tech Co Ltd, China PR
- lxiii. Ningbo Hoshare Import and Export Co Ltd, China PR
- lxiv. Ningbo Huayi Import and Export Co Ltd, China PR
- lxv. Ningbo Topwin Co Ltd, China PR
- lxvi. Nontong Suyuan Chemical Fiber Co Ltd, China PR
- lxvii. Orient Industries Suzhou Ltd, China PR
- lxviii. Orient Techtex Solutions Pte Ltd
- lxix. Oriental Industries Suzhou Ltd, China PR
- lxx. Pioneer Elastic Hong Kong Limited, China PR
- lxxi. Pioneer Elastic Hong Kong Ltd, Hongkong, China PR
- lxxii. Prutex Nylon Co Ltd, China PR

- lxxiii. Qin Xiang Industrial Co Limited, China PR  
lxxiv. Qingdao Bangyu Industries Co Ltd, China PR  
lxxv. Qingdao Topfibre Co Ltd, China PR  
lxxvi. Qingdao Very Fiber Technologies Co Ltd, China PR  
lxxvii. Qingyuan Wanjiali High Technology Co Ltd, China PR  
lxxviii. Radiant International Ventures Pte Ltd, China PR  
lxxix. Raidy Security Technology Limited, China PR  
lxxx. Revlog International Trading FZE  
lxxxi. Seven Stars International, China PR  
lxxxii. Shandong Rifa Textile Machinery, China PR  
lxxxiii. Shandong Shifeng Group Co Ltd, China PR  
lxxxiv. Shanghai Everbright Imp and Export Trading Co Ltd, China PR  
lxxxv. Shanghai Shileju Textile Co Ltd, China PR  
lxxxvi. Shanghai Vico Industrial Co Ltd, China PR  
lxxxvii. Shaoxing Hengniu Textile Co Ltd, China PR  
lxxxviii. Shaoxing Rain Home Textile Co Ltd, China PR  
lxxxix. Shaoxing Shiffon Textile Co Ltd, China PR  
xc. Shaoxing Xingji Import and Export Co Ltd, China PR  
xci. Shaoxing Yaonu Textile Co Ltd, China PR  
xcii. Sherry Industrial Hk Co Limited, China PR  
xciii. Shinhan Trading Co Ltd  
xciv. Shishi Yiming Dyeing and Weaving Co Ltd, China PR  
xcv. Shitech Zhangjiagang Technology, China PR  
xcvi. Shuangyi Industries Holding Limited, China PR  
xcvii. Shuangyi Industries Holding Ltd, China PR  
xcviii. Supreme Materials Limited  
xcix. Suzhou Develop Trading Co Ltd, China PR  
c. Suzhou Harry Machinery Co Ltd, China PR  
ci. Suzhou Rhz Textile Technology Co Ltd, China PR  
cii. Suzhou Sunnywear New Material Co Ltd, China PR  
ciii. Taekwang Industrial Co Ltd, China PR  
civ. Taizhou Tianfang Packaging Material Co Ltd, China PR  
cv. Tas Commodities Pte Ltd  
cvi. Tonna International Trading HK Co Ltd, Hong Kong, China PR  
cvii. Toray International Singapore  
cviii. United Raw Material Pte Ltd  
cix. Unitex Equipment Co Limited, China PR  
cx. Vekstar Textile Shanghai Co Ltd, China PR  
cxii. Wenzhou Walker Import And Export Co Ltd, China PR  
cxiii. Wuxi Longshine International Trade Co Ltd, China PR  
cxiv. Wuxi Taiyu International Trading Co Ltd, China PR  
cxv. Xiamen ITG Group Corp Ltd, China PR  
cxvi. Xin Ji Da Pte Ltd  
cxvii. Xinhui Dehua Nylon Chips Co Ltd, China PR  
cxviii. Yiwu Huading Nylon Co Ltd, China PR  
cxix. Yiwu Yoojump Import Export Co Ltd, China PR

- cxx. Zhangjiagang Forbus Trading Co Ltd, China PR
  - cxxi. Zhangjiagang Hengmei Textile Co Ltd, China PR
  - cxxii. Zhangjiagang Holyain Imp and Exp Co Ltd, China PR
  - cxxiii. Zhangjiagang Kaierben Fiber Co Ltd, China PR
  - cxxiv. Zhangjiagang Obis Trading Co Ltd, China PR
  - cxxv. Zhangjiagang Wellhow Trading Co Ltd, China PR
  - cxxvi. Zhangjiagang Xinyuanda Textile Co Ltd, China PR
  - cxxvii. Zhejiang Free Trade Zone Solead Commerce & Trading Co., Ltd, China PR
  - cxxviii. Zhejiang Guxiandao Polyester Dope Dyed Yarn Co. Ltd, China PR
  - cxxix. Zhejiang International Trading Supply Chain Co Ltd, China PR
  - cxxx. Zhejiang Qida Textile Co Ltd, China PR
  - cxxxi. Zhejiang Summer Plus Trading Co Ltd, China PR
  - cxxxii. Zhejiang Xiangxi Import Exoprt Co Ltd, China PR
  - cxxxiii. Zhuji Baiti Import Export Co Ltd, China PR
  - cxxxiv. Zhuji Yueqiang Knitting Machinery, China PR
  - cxxxv. Zhuji Yusheng Import and Export Co Ltd, China PR
  - cxxxvi. Zhuji Zhuotai Import and Export Co Ltd, China PR
  - cxxxvii. Apollo Tyres Holdings Singapore Pte Ltd
  - cxxxviii. Areva Industries PTE Ltd, Singapore
  - cxxxix. Brotex Vietnam Co Ltd, Vietnam
  - cxli. Chain Yarn Vietnam Co Ltd, Vietnam
  - cxlii. Hyosung Dong Nai Co Ltd, Vietnam
  - cxliii. Hyosung Vietnam Co Ltd, Vietnam
  - cxliiii. Indotech Textile Trading L L C
  - cxliv. Italon Company Ltd, Vietnam
- c. In response to the initiation of the subject investigation, the following producers/exporters from the subject countries have responded by filing questionnaire response:
- i. Fujian Betterlife Supply Chain Management Co., Ltd, China PR
  - ii. Fujian Changle Yongda Textile Co., Ltd, China PR
  - iii. Fujian Highsun Synthetic Fiber Technology Co., Ltd, China PR
  - iv. Fujian Kaibang Polyamide Technology Co., Ltd, China PR
  - v. Fujian Liheng Polyamide Industrial Co. Ltd, China PR
  - vi. Fujian Wanhong Textile Co., Ltd, China PR
  - vii. Hangzhou Dikai Industrial Fabrics Co., Ltd, China PR
  - viii. Yiwu Huading Nylon Co., Ltd, China PR
  - ix. Hyosung Dong Nai Co. Ltd, Vietnam
  - x. Hyosung Dong Nai Nylon Co. Ltd, Vietnam
  - xi. Prutex Nylon Co., Ltd, China PR
  - xii. Shinhan Trading Co. Ltd., South Korea (related Trader)

### 3.4 Participation by Importers/Users

- d. The Authority sent Importer's and User's Questionnaire to the following known importers / users of the subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules.
- i. Agarwal Fabtex Pvt Ltd
  - ii. Aglon Industries Private Limited
  - iii. Aym Syntex Ltd
  - iv. Bhadresh Yarn Traders
  - v. Brothers Stretch Yarn Pvt Ltd

- vi. Chandak Expo International
  - vii. Chidambaram Fishnets Private Limited
  - viii. Chidambaram Fishnets Pvt Ltd
  - ix. Coreflow Chemi Opc Pvt Ltd
  - x. DCM Shriram Industries Ltd
  - xi. Eagle Fashions Private Limited
  - xii. Eagle Fashions Pvt Ltd
  - xiii. Element Knitts
  - xiv. Filink Exim Private Limited
  - xv. Garware Technical Fibres Limited
  - xvi. Garware Technical Fibres Ltd
  - xvii. Ginza Industries Ltd
  - xviii. Glofil Fibres Plastics
  - xix. Hydraguard International Private Limited
  - xx. Jai Sobhagya Textile
  - xxi. K K Fishnet Company
  - xxii. K R Composites Private Limited
  - xxiii. Kob Medical Textiles Pvt Ltd
  - xxiv. Kothari Rayons Pvt Ltd
  - xxv. Krishna Fashion
  - xxvi. Kumaran Filaments Private Limited
  - xxvii. Kumaran Filaments Pvt Ltd
  - xxviii. Kusumgar Corporates Pvt Ltd
  - xxix. M S Synthetics
  - xxx. Madura Industrial Textiles Ltd
  - xxxi. Mecords India Ltd
  - xxxii. Meher Filaments
  - xxxiii. Meher International
  - xxxiv. Pratiman Textiles Private Limited
  - xxxv. Pratiman Textiles Pvt Ltd
  - xxxvi. Prime Weave Tex Pvt Ltd
  - xxxvii. R S Processors
  - xxxviii. S G P India
  - xxxix. Sakshi Yarns Private Limited
  - xl. Sakshi Yarns Pvt Ltd
  - xli. Sangam India Limited
  - xl.ii. Sangam India Ltd
  - xl.iii. Sanrhea Technical Textiles Ltd
  - xl. iv. Seal Nets Private Limited
  - xl. v. Shree Sai Chem
  - xl. vi. Sky Industries Limited
  - xl. vii. SPG International
  - xl. viii. SRF Limited
  - xl. ix. Tufropes Private Limited
  - l. Tufropes Pvt Ltd
  - li. Valson Polyester Pvt Ltd
- e. In response to the initiation of the subject investigation, following the importers/users have responded by filing questionnaire response.
- i. Ginza Industries Limited
  - ii. Jigisha Fibres Private Limited
  - iii. Sky Industries Limited

### 3.5 Period of Investigation and Injury Period

- a. The period of investigation (POI) for the purpose of present investigation is 1<sup>st</sup> April 2023 to 30<sup>th</sup> June 2024. The examination of trends in the context of injury analysis covered the periods 2020-21, 2021-22, 2022-23 and the period of investigation.

### 3.6 Further Procedure

- a. The Authority sent the application proforma and economic interest questionnaire to the following other domestic producers of the subject goods in India calling for necessary information and participation in the present investigation.
  - i. PNP Polymers Private Limited
  - ii. Aglon Industries Private Limited
  - iii. Todi Rayon Private Limited
  - iv. Shiven Yarn Private Limited
  - v. Prafull Overseas Private Limited
  - vi. AYM Syntex Limited
  - vii. Sarla Performance
  - viii. Salasaar Polytex Private Limited
  - ix. J Korin
  - x. Kejriwal Industries Private Limited
  - xi. JP Fibers
  - xii. Varda Atmanirbhar
  - xiii. Garden Vareli
  - xiv. Eagle Synthetics Private Limited
- b. In response to the initiation of the subject investigation, on 17<sup>th</sup> February 2025, PNP Polymers Private Limited (“PNP”) responded by filing its injury and costing information and requested to be considered as part of domestic industry in the subject investigation.
- c. The Authority invited comments on the injury information circulated after including information of PNP.
- d. A copy of the initiation notification and non-confidential version of the application was sent to the following known associations of users in India.
  - i. ASSOCHAM
  - ii. Federation of Gujarat Weavers Association
  - iii. Federation of Indian Art Silk Weaving Industry
  - iv. Surat Grey Kapada Utpadak Sangh
- e. The Authority issued an Economic Interest Questionnaire to the Embassies of the subject countries, all the known exporters/producers, importers/users, domestic industry as well as the other known producers in India. The following parties responded to the Economic Interest Questionnaire.
  - i. Domestic industry (including PNP Polymers Private Limited)
  - ii. Yiwu Huading Nylon Co., Ltd.
  - iii. Prutex Nylon Co., Ltd
  - iv. Fujian Wanhong Textile Co., Ltd
- f. The Authority invited views from the interested parties regarding the PCN methodology proposed by the domestic industry. All the interested parties were requested to make their views known in writing within the time limit prescribed. Based on the comments received from the other interested parties, the Authority notified PCN methodology vide notification dated 7<sup>th</sup> March 2025.
- g. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties. A list of all interested parties was uploaded on the DGTR website, along with the request to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all the other interested parties.

- h. Request was made to DG Systems to provide the transaction-wise details of imports of subject goods for the injury period and also the period of investigation. The Authority has relied upon the DG Systems data for computation of the volume of imports and required analysis after due examination of the transactions.
- i. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided opportunity to the interested parties to present their views orally in a public hearing held on 24<sup>th</sup> July 2025 and 2<sup>nd</sup> December 2025. The parties, which presented their views in the oral hearing, were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions.
- j. Submissions were filed in the subject investigation on behalf of the following interested parties including producers, exporters, users and importers as well as association of users.
- i. Domestic industry (including PNP)
  - ii. Yiwu Huading Nylon Co., Ltd.
  - iii. Prutex Nylon Co., Ltd
  - iv. Fujian Wanhong Textile Co., Ltd
  - v. Hangzhou Dikai Industrial Fabrics Co., Ltd.
  - vi. Fujian Changle Yongda Textile Co., Ltd.
  - vii. Fujian Betterlife Supply Chain Management Co., Ltd.
  - viii. Hyosung Dong Nai Nylon Co. Ltd.
  - ix. Hyosung Dong Nai Co. Ltd.
  - x. Jigisha Fibres Private Limited
  - xi. Knitters Association of Western India
  - xii. Pandesara Weavers Co-operative Society Limited
  - xiii. Ginza Industries Limited
  - xiv. Sky Industries Limited
- k. The non-injurious price (NIP) based on the optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India, based on the information furnished by the domestic industry and having regard to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Rules, has been worked out so as to ascertain whether anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- l. An email was sent to line ministry informing about the application filed for anti-dumping duty investigation and seeking their opinion in the matter. However, no input from the line ministry has been received.
- m. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, to the extent supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority in this Final Findings.
- n. The Authority circulated the disclosure statement containing all essential facts under consideration for making the final recommendations to the Central Government to all interested parties on 04.02.2026. The Authority has examined all the post-disclosure comments made by the interested parties in these final findings to the extent relevant. Any submission which was merely a reproduction of the previous submission, and which had been adequately examined by the Authority has not been repeated for the sake of brevity.
- o. The Authority, during the course of the investigation, satisfied itself as to the accuracy of the information supplied by the interested parties, which forms the basis of this Final Finding, to the extent possible and verified the data documents submitted by the domestic industry and the interested parties to the extent considered relevant, practicable and necessary.
- p. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- q. Wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the

- investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the views/observations on the basis of the facts available.
- r. Request was made for extension of three months timeline to complete the investigation and notifying the final findings. Central Government accorded permission for extension of time period by three months i.e., till 25<sup>th</sup> March 2026 for completing the subject investigation and notifying the final findings.
  - s. '\*\*\*' in this notification represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
  - t. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US\$ = ₹ 83.82.

### **C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE**

#### **C.1. Submissions made by other interested parties**

4. The other interested parties have made the following submissions with regard to the scope of the product under consideration and like article.
  - a. High denier (HD) high tenacity (HT) NFY and low denier (LD) high tenacity (HT) NFY is used for fishnet applications and the same must be excluded as done in previous investigations. Three major producers of the product do not cater to the demand in the fishnet sector due to capacity limitations. Century caters to less than 10% of fishnet demand.
  - b. Applicants, other than Century, and supporters produce only textile grade NFY and not HD HT NFY. AYM Syntex Ltd. has started producing HD HT NFY but is facing quality issues.
  - c. Share in demand for HD HT NFY (840 denier and above) for Indian industry is only 15%. Share in LD HT NFY (210 denier; 420 denier and up to 630 denier) is 75%.
  - d. HT NFY with 210 denier and above is not produced by the applicants and supporters.
  - e. Since monofilament yarns are excluded from the scope of investigation, mother yarns used as inputs to produce mono filament yarns should be excluded as well.
  - f. Mother yarn should be excluded from the scope of the product under consideration as only Century Enka Private Limited is producing Mother Yarn domestically, with its capacity being just 15% of the total domestic capacity. Imports of the product under consideration have witnessed a decline due to impending imposition of Quality Control Orders and the anti-dumping investigation. The prices of Mother Yarns have increased due to supply constraints, and the market is dependent on imports.
  - g. There is a surge in demand and prices for Mother yarn as the downstream industry is adopting advanced spilt warping machines. This would create a demand surge for mother yarn.
  - h. Since the domestic industry does not produce 70/68 FD FDY and 70/48 FD FDY, they should be excluded from the scope of product under consideration.
  - i. The yarns of the following specifications must be excluded as the domestic industry supplies such yarn at substandard quality or of unequal length and weight. However, the yarns imported are of equal lengths.
    - i. 20 Deniers /16 to 34 Filaments semi dull and full dull FDY
    - ii. 30 Deniers /24 to 48 Filaments semi dull and full dull and bright FDY
    - iii. 40 Deniers /12 Filaments semi dull FDY
    - iv. 40 Deniers /12 Filaments full dull FDY
    - v. 40 Deniers /12 Filaments bright FDY
    - vi. 40 Deniers /34 Filaments semi dull FDY
    - vii. 40 Deniers /34 Filaments full dull FDY
    - viii. 111 Deniers /24 Filaments semi dull DTY
    - ix. 170 Deniers recycled nylon yarn
    - x. 280 Deniers recycled nylon yarn
    - xi. 170 Deniers Multifilament yarn
    - xii. 280 Deniers Multifilament yarn
    - xiii. 200 Deniers /10 Filaments semi dull mother yarn
    - xiv. 200 Deniers /10 Filaments bright mother yarn
    - xv. 240 Deniers /12 Filaments bright mother yarn
    - xvi. 240 Deniers /12 Filaments semi dull mother yarn

- xvii. 250 Deniers /10 Filaments round bright mother yarn
- xviii. 250 Deniers /10 Filaments bright mother yarn
- xix. 300 Deniers /10 Filaments semi dull mother yarn
- xx. 300 Deniers /10 Filaments bright mother yarn
- xxi. 300 Deniers /10 Filaments round bright mother yarn
- j. The domestic industry does not provide a “Yarn Dyeing Guarantee” which is routinely provided with imported yarns. Chinese producers accepted return of used, defective goods to China, and allowed refund.
- k. Nylon-spandex covered yarn should be excluded from the scope of the investigation as it has distinct technical properties, different manufacturing process and unique end-use applications.
- l. Prime and off-grade product under consideration must be considered as separate PCNs as they entail material differences in terms of quality, price, usage, physical properties, appearance and certification standards. Prime grade has strict quality standards and are used in high precision applications, while off grade is unsuitable for high precision applications, they are not interchangeable. The grades do not compete in the same market. The buyers of the prime-grade are manufacturers of B2C products while buyers of the off-grades are manufacturers producing B2B products.
- m. Mother yarn and Fully Drawn Yarn should not be consolidated into one PCN category. There are differences in the machinery used for production thereof, cost and application and end use.
- n. PCN methodology adopted in the previous investigation may be notified for the subject investigation as well.
- o. Separate PCNs for product used for industrial purposes and those used for textile purposes must be adopted.
- p. PCNs must also be made for differences in Grade type that are, High grade (AA); Medium Grade (A0); Low Grade (A1).

## C.2. Submissions made by the domestic industry

5. The domestic industry has made the following submissions with regard to the product under consideration and like article:
  - a. High tenacity yarn of 840 deniers and above may be excluded from the scope of the product under consideration as the same is primarily used for tyre cord fabric.
  - b. As opposed to the submissions of the other interested parties, mother yarn is a multi-filament yarn and an intermediate product to produce mono-filament yarn. The same has been produced and sold by the domestic industry. Thus, there is no requirement to exclude the same. The Authority did not exclude mother yarn, even in the previous investigation on the product under consideration.
  - c. Claims for exclusion of certain filaments and deniers, on ground of sub-substandard quality produced by the domestic industry is unsubstantiated.
  - d. A slight change in denier and filament does not make significant change in characteristics, applications or prices of products. The machinery installed by the domestic producers can be used to produce various deniers and filaments. Only a change of spinneret is required for creating variation in filaments. Further, the denier can be changed by a change in the speed of the flow of melt. The brightness of the yarn, that is, semi dull, full dull or bright, depends on the chips used. Thus, exclusion requests for particular permutation and combination of denier and filament are unwarranted.
  - e. As opposed to the contentions of the other interested parties, the domestic industry has produced and sold 70/48 FD FDY in the market. The imports of 70D/68F FD FDY are negligible in volume from the subject countries. The domestic industry has also produced and supplied 70D/48F FD FDY and 70D/72F FD FDY which are comparable products.
  - f. If the yarns of particular combination of denier and filament are excluded, importers of similar deniers and filaments are likely to import the excluded product and render any anti-dumping duty ineffective.
  - g. Contrary to the submissions of the other interested parties, there is no need to exclude low density or high-density HT Yarn as the domestic industry has produced and supplied the same. The user association has itself stated that the domestic industry has supplied the same in the market.
  - h. The domestic industry supplies yarn of consistent length, as evidenced from documents showing that the weight of each bobbin is constant.

- i. Since mother yarn is split into monofilament yarns, the similarity of denier per filament is relevant. The domestic industry has produced and supplied the like article having the same denier per filament, in the Indian market, including to some of the parties that have requested these exclusions.
- j. As opposed to the submissions of the other interested parties, dyeing guarantee has been offered by the domestic industry and credit notes have been issued to customers which have raised concerns. Further, 81% subject goods supplied by the domestic industry is of AA grade while only 45% subject imports are of AA grade.
- k. The submissions that the domestic industry has supplied substandard product with unequal lengths are untenable, considering that the domestic industry has held a high market share during the injury period. On the contrary, the exporters have admitted that they have exported off-grade products to India.
- l. Claims that the domestic industry utilises old machinery leading to production of substandard product is without any merit. The domestic industry has installed state of the art machinery which is similar to the machinery installed by the foreign producers, from TMT Japan and Barmag Germany.
- m. The Indian industry meets the global standards which is evident from growing export performance of the domestic industry. Further, the domestic producers have received BIS licenses, which demonstrates the quality of goods supplied by the domestic industry.
- n. As against the submissions of other interested parties, demand-supply gap is not a justification for exclusion of a product type from the scope of the product under consideration. In any case, there is no demand-supply gap for mother yarn in India.
- o. Contrary to the submissions of the other interested parties, imposition of anti-dumping duty will not jeopardize the converters but would put them at par with global players as anti-dumping duty is imposed to the extent of difference between normal value and net export price.
- p. The domestic industry has produced and supplied nylon covered spandex yarn. There is no requirement for the scope of product under consideration to be homogenous or like to each other as evident from Panel Report in European Communities – Anti-Dumping Measure on Farmed Salmon from Norway [WT/DS337/R], European Communities – Definitive Anti-Dumping Measures on Certain Iron or Steel Fasteners from China [WT/DS397/R] and judgment of CESTAT in Huawei Technologies Co. Limited vs. Designated Authority [2016 (334) E.L.T. 339 (Tri. - Del.)].
- q. There is no significant difference in cost of production of FDY and Mother Yarn. The request for separate PCNs has been made by importers/users and not foreign producers and must be rejected.
- r. There is no need to form separate PCN for prime grade and off-grade products as the cost of production does not vary on account of quality. Both the grades use the same raw material and undergo the same production process with same conversion costs.
- s. There is no need to form PCN based on application as the application does not impact the cost of production for products.
- t. There is no need to form PCN for specialty products as the same have already been excluded from the scope of the product under consideration.

### C.3. Examination by the Authority

6. At the time of initiation of the present investigation, the Authority considered the following as the scope of product under consideration.

*“The product under consideration is “Synthetic Filament Yarn” made of Nylon also known as polyamide yarns or Nylon Filament Yarn. Nylon Filament Yarn is a synthetic filament yarn produced by polymerization of organic monomers. The product under consideration is multi-filament yarn. The product under consideration includes Mother Yarn, Fully Drawn Yarn, Partially Oriented Yarn, Draw Textured Yarn or Crimp Yarn, Air Textured Yarn, Air Covered Yarn, High Oriented Yarn and High Tenacity Yarn. All man-made filament yarns not having nylon or polyamides, are excluded from the scope of the product under consideration. The following are specifically excluded from the scope of the product under consideration.*

- a. Mono filament yarn
- b. Bulk Continuous Fiber
- c. Nylon 66 yarn
- d. Hot melt yarn

- e. *Low melt yarn*
- f. *Bonded yarn*
- g. *Conductive yarn*
- h. *Anti-static yarn*
- i. *Nomex and aramids yarn*

*The product under consideration includes all kinds of synthetic filament yarns of Nylon or Polyamides, such as flat yarn - twisted and/or untwisted, fully drawn yarn (FDY), spin drawn yarn (SDY), fully oriented yarn (FOY), high oriented yarn (HOY), partially oriented yarn (POY), textured yarn – twisted and/or untwisted, and dyed yarn, single, double, multiple, folded or cabled, and high tenacity yarn of nylon classifiable within Chapter 54 under Customs heading 5402. The product includes all variants of Nylon (or Filament Yarn or Polyamide Yarns such as flat/ textured/ twisted/ untwisted, bright/semi dull/full-dull variants thereof), grey/ colored/ dyed (or variants thereof), single/double/multiple/folded/cabled (or variants thereof), whether or not sized.”*

7. The interested parties have sought exclusion of mother yarn on the basis that it is used to manufacture mono-filament yarn. The Authority notes that mother yarn is a multi-filament yarn and covered within the scope of the product under consideration. The end use of the product, that is, conversion into mono-filament yarn, cannot be a basis for exclusion from the scope of the product under consideration. Further, the domestic industry has provided evidence that it has produced and sold mother yarn in the domestic market during the period of investigation. Therefore, the domestic industry has supplied like article to the product under consideration imported in India.
8. With regard to exclusion of mother yarns of certain denier and filament, as emphasized by the domestic industry, since mother yarn is spilt into mono filament yarns, there is no difference in types of mother yarn, provided the denier per filament is the same. The other interested parties have requested exclusion of mother yarn of 300/10 and 250/10 mother yarn, having a denier per filament of 30 and 25 respectively. The domestic industry has provided evidence showing supply of 300/10 and 300/12 mother yarn, which have the same deniers per filament of 30 and 25. Therefore, the domestic industry has supplied like article in the domestic market. In view of the same, the Authority does not find merit in the request for exclusion of 300/10 and 250/10 mother yarn from the scope of the product under consideration.
9. The other interested parties have requested exclusion of high denier high tenacity yarn having deniers 840 and above as they are primarily used in tyre cord fabrics. The Authority notes that the domestic industry has also clarified that high tenacity yarn having 840 Deniers and above is primarily used in tyre cord fabrics and may be excluded from the scope of the product under consideration. Thus, the high tenacity yarn having 840 Deniers and above is excluded from the scope of the investigation.
10. With regard to request for exclusion of high denier high tenacity and low denier high tenacity yarns, the Authority notes that the domestic industry has provided evidence of sale of such product in the domestic market during the period of investigation. Further, it is noted that the user association itself has submitted that the Indian industry caters to 75% of the demand for such product. The domestic industry has submitted that it is operating with underutilised capacities and can supply the product in increased quantities in case of orders in hand. Since the domestic industry has supplied like article to the product imported in India, the Authority does not find a need for exclusion of the said product from the scope of the product under consideration.
11. The other interested parties have requested exclusion of various product grades based on specifications which include number of deniers and filaments. The Authority notes that none of the interested parties have provided any evidence showing that a slight change in denier and filaments leads to a different product which has different characteristics and uses. The domestic industry has claimed that it has supplied like article to the imported deniers and filaments. The Authority notes that number of filaments depends on the spinneret used, and the speed of flow of melt leads to change in the denier of the subject goods. The Authority notes that the domestic industry has provided evidence that it has produced and sold like article with similar deniers and filaments to that imported into India. Therefore, the domestic industry has produced goods with closely

comparable characteristics to the imported product. In view of the same, an exclusion based on specific deniers and filaments would not be appropriate.

12. With regard to the request for exclusion of 70 Deniers /68 Filaments full dull FDY and 70 Deniers /48 Filaments full dull FDY on the ground that the same are not being produced by the domestic industry, the Authority notes that the domestic industry has provided evidence that it has produced and sold 70 Deniers / 48 Filaments full dull FDY. Further, it is noted that the domestic industry has also sold 70 Deniers / 72 Filaments FD FDY. The domestic industry has submitted that 70 Deniers / 72 Filaments FD FDY is the comparable product in terms of physical and technical characteristics as well as application.
13. With regard to the request for exclusion for certain deniers and filament of yarns on the ground that the domestic industry has supplied yarns of substandard quality and uneven length and weight, the Authority notes the other interested parties have not provided any evidence with regard to supply of substandard product. The domestic industry has provided evidence refuting the allegation of interested parties that it has supplied yarn of unequal length. It is also noted that the foreign producers have admitted to supplying yarn of substandard quality. The foreign producers had also sought consideration of grade or quality as a parameter of PCN, due to the same. In any case, difference in the quality of product imported from the subject countries and supplied by the domestic industry is not a basis of exclusion of a product type from the scope of the product under consideration.
14. As regards the claim that the machinery used by the domestic industry is old, thereby producing substandard products, the Authority notes that as per evidence on record, the domestic industry is using latest machinery in its plants. Further, the domestic producers have BIS licenses and manufacture the subject goods in accordance with the quality standards in India.
15. The interested parties also contended that the domestic industry does not provide dyeing guarantee, which is provided by foreign producers, in the form of rebates. However, the domestic industry has placed evidence demonstrating that it also issues credit notes, in case of dyeing issues identified by customers.
16. The other interested parties have requested exclusion of nylon-spandex covered yarn as such product has different properties, manufacturing process and end-use as that compared to other grades of the product under consideration. The Authority notes that different categories/types of the product are intended to meet different end-user requirements. It is well settled that there is no requirement for product types to be alike to each other in order to fall within the scope of the product under consideration. The domestic industry has provided evidence showing that it has produced and supplied nylon-spandex covered yarn in the domestic market during the period of investigation. In view of the same, a request for exclusion cannot be considered due to difference in the product type, compared to other product types forming part of the product scope.
17. In view of the above, the Authority concludes the following scope of the product under consideration.

*“The product under consideration is “Synthetic Filament Yarn” made of Nylon also known as polyamide yarns or Nylon Filament Yarn. Nylon Filament Yarn is a synthetic filament yarn produced by polymerization of organic monomers. The product under consideration is multi-filament yarn. The product under consideration includes Mother Yarn, Fully Drawn Yarn, Partially Oriented Yarn, Draw Textured Yarn or Crimp Yarn, Air Textured Yarn, Air Covered Yarn, High Oriented Yarn and High Tenacity Yarn. All man-made filament yarns not having nylon or polyamides, are excluded from the scope of the product under consideration. The following are specifically excluded from the scope of the product under consideration.*

- j. *Mono filament yarn*
- k. *Bulk Continuous Fiber*
- l. *Nylon 66 yarn*
- m. *Hot melt yarn*
- n. *Low melt yarn*
- o. *Bonded yarn*

- p. *Conductive yarn*
- q. *Anti-static yarn*
- r. *Nomex and aramids yarn*
- s. *High Tenacity Yarn with 840 Deniers and above.*

*The product under consideration includes all kinds of synthetic filament yarns of Nylon or Polyamides, such as flat yarn - twisted and/or untwisted, fully drawn yarn (FDY), spin drawn yarn (SDY), fully oriented yarn (FOY), high oriented yarn (HOY), partially oriented yarn (POY), textured yarn – twisted and/or untwisted, and dyed yarn, single, double, multiple, folded or cabled, and high tenacity yarn of nylon classifiable within Chapter 54 under Customs heading 5402. The product includes all variants of Nylon (or Filament Yarn or Polyamide Yarns such as flat/ textured/ twisted/ untwisted, bright/semi dull/full-dull variants thereof), grey/ colored/ dyed (or variants thereof), single/double/ multiple/folded/cabled (or variants thereof), whether or not sized.”*

18. The Authority also invited comments on PCN methodology vide Initiation Notification dated 26<sup>th</sup> December 2024. Various interested parties have filed submissions, which were considered and the PCN was notified by the Authority vide notice dated 7<sup>th</sup> March 2025.
19. The interested parties sought that specialty products should be considered as a parameter for PCN. However, speciality yarn has already been excluded from the scope of the product under consideration and hence, there is no need to make a separate PCN in this regard.
20. With regard to request for separate PCNs for product being used in industrial applications and textile applications, the Authority notes that the other interested parties have not provided any information to demonstrate that different product grades with different cost and price are used for such applications. It is further noted, that the cost and price of the product does not vary based on the application and hence, application has not been considered as an appropriate parameter for PCN in the present investigation.
21. The other interested parties have submitted that a separate PCN should be taking into consideration various technical considerations such as line density deviation rate, line density variation co-efficiency, fracture strength, dyeing uniformity level and uneven rate of strip drying. The Authority notes that no information has been provided to demonstrate that there is substantial difference in the price and cost of the product based on the aforesaid technical parameters. Due to absence of any information to show cost differences based on technical properties, no separate PCNs have been formed in this regard.
22. With regard to request for separate PCNs for Mother Yarn and Fully Drawn Yarns, the Authority notes that no information has been provided to demonstrate that there is a significant difference in the cost and price of such products. In the absence of sufficient information demonstrating difference in costs of mother yarn and fully drawn yarns, the Authority has not adopted the same as a PCN criterion.
23. With regard to request for separate PCNs for prime grade and off grade yarns, the Authority notes that quality cannot be considered as the basis to form PCN as the cost of the product does not vary based on the quality. Despite claims in this regard, no interested party has provided evidence to demonstrate that the cost of production of prime and off grade is different. Off grade is generated during the process of production of prime grade itself. The raw material as well as the cost of utilities and other expenses for manufacturing of off-grade product remains the same. Hence, there is no need to form a separate PCN based on the quality of the product.
24. Accordingly, the Authority considers type of yarn, denier, filaments, luster and colour as PCN parameter for the purpose of the present investigation, as below.

S.No.	Parameter	Product Type	Code
1	Yarns	Partly Oriented Yarn / High Oriented Yarn	POY
		Flat yarn / Fully Drawn Yarn/ Spin Drawn / Draw winder / Mother Yarn	FDY
		High Tenacity yarn	HTY
		Draw Textured Yarn / Crimped Yarn	DTY
		Air Textured Yarn	ATY
		Air Covered Yarn	ACY
		Twisted and Cabled Yarn	TCY
		Other than above (please specify and give explanation/justification separately)	OTY
2	Denier	Next 3 digits denote denier, illustrated as below	Xxx
		15 Denier	015
		20 Denier	020
		100 Denier	100
3	Filaments	Next 3 digits denote filament, illustrated as below	Xxx
		12 Filaments	012
		34 Filaments	034
		210 Filaments	210
4	Luster	Bright Luster	BR
		Semi Dull	SD
		Full Dull	FD
		Other than above (please specify and give explanation/justification separately)	OT
5	Colour	Raw White/Grey	GR
		Dope Dyed	DY
		Unidentified	UN
		Other than above (please specify and give explanation/justification separately)	OT

25. The subject goods are classified under Chapter 54 of the Customs Tariff Act under the heading 5402. The subject goods are classified and have been imported under a number of codes, including 5402 19 10, 5402 19 90, 5402 31 00, 5402 32 00, 5402 45 00, 5402 51 00, 5402 61 00. Additionally, the product has also been imported under the HS Code 5402 19 20. The subject goods have also been imported under other HS codes falling under the heading 5402. The Authority has considered HS Codes at 4-digit level for the purpose of the present investigation. The Customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.
26. The Authority notes that there are no significant differences in the product produced by the domestic industry and the goods imported from the subject countries. The product produced by the domestic industry and imported from the subject countries are comparable in terms of physical & chemical properties, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The product produced by the domestic industry and that imported from the subject countries are being used interchangeably by the consumers. In view of the same, the product manufactured by the domestic industry is considered as like article to the product being imported from the subject countries.

**D. SCOPE OF THE DOMESTIC INDUSTRY & STANDING****D.1. Submissions made by other interested parties**

27. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to the scope of domestic industry and standing:
- a. The share of 36% held by the applicants in total domestic production is too low to be considered major proportion. Considering how long the product has been subject to duty, producers constituting at least 50% of the domestic production must be considered. In all previous investigation concerning the subject goods, applicants have constituted over 40% of the domestic production.
  - b. There is no reason why domestic producers who participated in previous investigations, such as Prafful Overseas Pvt. Ltd., AYM Syntex, JCT Ltd., have not participated in the present investigation.
  - c. After filing of the petition, fires in the manufacturing facilities of Oriilon India Pvt. Ltd. and Century Enka have led to curtailment of production and supply. The standing of domestic industry has fallen to less than 36% after the fire in facilities of Oriilon.
  - d. The claim of Oriilon India concerning resumption of production should be evidenced by supporting information.
  - e. Century Enka and Oriilon have imported subject goods during period of investigation. Further, some of the supporters have also imported the subject goods.
  - f. PNP is not even a supporter in the present investigation. The domestic industry has not given any justification for inclusion of PNP as part of the domestic industry. There are 14 other domestic producers which have not been considered.
  - g. The 40 days deadline for registration as interested party, stipulated in Trade Notice 20/2018 has lapsed. Request for inclusion is belated. Belated requests have been denied in Aniline from China PR and Vietnam (F. No. 6/42/2019-DGTR) and New Pneumatic Radial Tyres from Thailand (F. No. 6/30/2019-DGTR).
  - h. Change in standing of the domestic industry due to the fire at Oriilon cannot be revived by inclusion of PNP.
  - i. Data of PNP cannot be used to present favorable claims of injury to avoid termination.
  - j. No prejudice will be caused if the present investigation is terminated and a fresh application is filed with a revised domestic industry.
  - k. The information with regard to PNP was provided to the Authority on 17<sup>th</sup> February 2025 and was circulated 3 months after. No reason has been provided for such unreasonable delay in circulation.
  - l. Initiation has been done based on information submitted by applicants and the standing of the domestic industry is crystalized at the initiation. The Manual provides that standing must not altered arbitrarily and without sufficient and compelling justification. No justification has been provided for the inclusion of PNP at this stage and why was the same not included at the stage of initiation.
  - m. The belated inclusion of PNP Polymers as a constituent of the domestic industry, 5 months after the initiation is procedurally irregular and violates rule 5(3) of the Anti-Dumping Rules, which bases the initiation of the investigation on the standing of the applicants and degree of support.
  - n. It has not been clarified whether PNP has imported or is related to an importer or exporter of the product under consideration. In a previous investigation, the Authority noted PNP was an importer of the subject goods.
  - o. The inclusion of a new producer alters all economic parameters underlying the injury analysis.
  - p. Allowing the domestic industry to revise standing and resubmit consolidated data is unfair as the opportunity to join the investigation at this stage or supplement / amend their response has not been given to the other interested parties.
  - q. Share of applicants at the time of the initiation is lower than the share as compared to previous investigation.
  - r. If PNP is accepted, the Authority must provide a detailed explanation of the criteria, process, and supporting evidence at post-initiation stage.

- s. Data submitted by PNP should be segregated for injury and causal link analysis, unless stakeholders are allowed to comment on its inclusion and impact.

## D.2. Submissions made by the domestic industry

28. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the scope of domestic industry and standing:

- a. The application for initiation of the present investigation has been filed by Century Enka Limited, Gujarat Polyfilms Limited and Oriilon India Private Limited. The applicants constitute major proportion of total domestic production in India.
- b. The application for initiation of anti-dumping investigation has been supported by Aglon Industries Private Limited, AYM Syntex Limited, Salasar Polyplex Private Limited and Todi Rayons Private Limited.
- c. As opposed to the submissions of the other interested parties, there is no requirement that the applicants must constitute at least 50% of total Indian production to constitute domestic industry.
- d. As opposed to the submissions by other interested parties, there is no requirement for the scope of domestic industry to be the same in each investigation. There have been multiple sunset reviews wherein the scope of domestic industry has changed. Out of the producers which participated in the previous investigation, JCT Limited has closed down operations, Prafull Overseas Private Limited has been declared as a non-performing asset and AYM Syntex Limited has supported the present application.
- e. PNP Polymers Limited filed detailed information pursuant to the communication sent by the Authority to domestic producers seeking participation, and requested it to be considered as part of the domestic industry.
- f. At the stage of initiation, the applicants accounted for 37% of total Indian production and accounted for 62%, along with the supporters. After inclusion of PNP, the domestic industry accounted for 46% of total Indian production. This is consistent with the view of the on Appellate Body Report in EC-Fasteners (China).
- g. Inclusion of PNP provides a more accurate and comprehensive picture to the Authority for determination of injury and reduce any possibility of distortion of information. There is no bar on inclusion of a domestic producer in the scope of the domestic industry post initiation of an investigation and such practice is consistent with the practice in the USA, European Union and the past practice of the Authority.
- h. As opposed to the submissions by the other interested parties, PNP has not been included only to show injury to the domestic industry as the Authority initiated the present investigation based on the data filed by the applicants which already showed injury to the domestic industry.
- i. Contrary to the submissions made by other interested parties, while the criterion for standing is to be met at the stage of initiation, there is no bar to addition of a producer in the scope of the domestic industry post initiation. The Authority in a number of previous investigations has added producers within the scope of the domestic industry post initiation of the investigation.
- j. The interested parties have raised contradictory claims as initially the other interested parties opposed the application by stating that the standing is inadequate and later opposed inclusion of additional producers.
- k. Request for inclusion of PNP is not belated as PNP has filed its information much prior to the deadline for filing of responses by other interested parties. Since PNP is not an applicant, the timelines applicable for other interested parties are also applicable to it. Since PNP has filed detailed information within time limits, its failure to register as an interested party is of no relevance.
- l. There is no bar for producer, which is not a supporter, to be considered as part of domestic industry. USA even allows a producer opposing imposition of anti-dumping duty to be a part of the domestic industry.
- m. PNP has not imported the subject goods from the subject countries during the period of investigation and is not related to an exporter of product under consideration or an importer in India.

- n. The information for PNP has been circulated to the other interested parties as per the guidance sought from the Authority and directions given by the Authority.
- o. The consolidated information for the domestic industry considering 4 producers has been circulated voluntarily. The interested parties have not demonstrated how the inclusion of PNP has caused prejudice to their interest, since all parties were given the opportunity to comment on the consolidated information. The consolidated injury information was circulated 2 months prior to the Oral hearing and parties were provided with ample opportunity to comment on the same.
- p. Contrary to the submissions of the other interested parties, the fire at the plant of Oriilon and Century are developments subsequent to the period of investigation, having temporary impact on operations. This does not impact the standing of the domestic industry.
- q. Oriilon and Century have made negligible imports during the period of investigation and such details have already been provided in the application. The Rules do not prevent a producer which has imported the subject goods to support the application, thus, volume of imports by supporters are not relevant. Any imports made by producers post imposition of duties will also be subject to anti-dumping duty.

### D.3. Examination by the Authority

29. Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules defines domestic industry as under:

*“(b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”.*

30. The Authority notes that the application for initiation of the present investigation was filed by Century Enka Limited, Gujarat Polyfilms Private Limited and Oriilon India Private Limited. The application was supported by Aglon Industries Private Limited, AYM Syntex Limited, Salasar Polyplex Private Limited and Todi Rayons Private Limited.
31. The Authority notes that post initiation of the present investigation, an intimation regarding initiation of investigation and proforma application format was sent to all known interested parties, including all domestic producers of the subject goods in India. Pursuant to the notice, PNP Polymers Limited provided its injury and costing information on 17<sup>th</sup> February 2025 and requested that it may be considered as part of the domestic industry in the present investigation. After its inclusion as part of domestic industry, non-confidential version of the data filed by PNP Polymers Limited and the consolidated injury information including PNP was circulated to the interested parties by the domestic industry on 14<sup>th</sup> May 2025. All other interested parties were given an opportunity to provide comments on the information circulated on behalf of PNP, including the consolidated information.
32. The Authority does not find merit in the submission that information filed by PNP is belated. The Authority notes that PNP was not an applicant in the present investigation. The deadline for filing response including exporter’s response/importer’s response/ user’s response and response to economic interest questionnaire by all interested parties in the present investigation was 6<sup>th</sup> April 2025. Since PNP has filed its information along with the request on 17<sup>th</sup> February 2025, that is, much prior to the deadline, the information cannot be considered belated.
33. The interested parties have claimed that standing cannot be revised at this stage as it is fixed at the stage of initiation. The Authority notes that while the standing is to be established at the time of initiation, there is no bar on addition of producers post initiation of the investigation. At the time of initiation, the application satisfied the requirements of Rule 5(3) of the Anti-Dumping Rules. The same has not been disputed by any interested party. Inclusion of another producer post initiation does not impact such standing under Rule 5(3).

34. Contrary to the arguments of the interested parties, the Authority is required to ensure that the constitution of domestic industry is determined in a manner, that makes it more representative of domestic producers as a whole. If any producer comes forward pursuant to initiation of the investigation, the Rules require that they be considered as part of domestic industry, provided it is found that the data provided by them is adequate and accurate for the purpose of injury analysis. Inclusion of PNP results in more comprehensive information being available to the Authority regarding injury to the domestic industry and reduces the risk of distortion of information.
35. With regard to the submissions that the PNP has been used to strengthen the claims of injury, the Authority notes that the interested parties have not demonstrated that there is no injury to the domestic industry, if PNP is not included as a part of domestic industry. In any case, if a producer comes forward to participate in the investigation, the decision to include or exclude such producer from scope of domestic industry does not depend upon whether such inclusion would strengthen or weaken the injury.
36. It has also been highlighted that PNP was not a supporter and cannot be considered as part of domestic industry. However, the interested parties have not shown any legal provision that requires that a producer must be a supporter at the stage of initiation, to be subsequently included as part of domestic industry. PNP is a domestic producer of subject goods in India and has provided detailed injury information. Accordingly, it has been considered as part of the domestic industry.
37. As regards the submission that information of PNP has been provided to revive the standing post a fire at plant of Oriilon, the Authority notes that the domestic industry has claimed that fire at the plant of Oriilon was post the period of investigation. Since scope of domestic industry and standing is defined considering production during the period of investigation, fire at Oriilon post the period of investigation does not change the standing of the applicants at the time of initiation of the investigation. Thus, inclusion of PNP does not impact the standing at the time of initiation of the investigation.
38. With regard to the submissions that the present investigation should be terminated and a new application should be filed with PNP as an applicant, it is noted that there is no cause for termination of the present investigation. Inclusion or non-inclusion of PNP in the scope of the domestic industry, does not make the applicants ineligible to file the present investigation. Since the applicants meet the standing criteria, even without inclusion of PNP, termination in the present case is not warranted.
39. As regards the claims that due to disruption in production by Century and Oriilon, there is a demand-supply gap in the country, the Authority notes that there is no demand-supply gap in the country and the disruption in production due to fire was a temporary situation.
40. With regard to the claims that the share of applicants at the time of the initiation is lower than the share as compared to previous investigation, the Authority notes that the scope of domestic industry is established for each investigation separately. Since the applicants and PNP Polymers account for major share of total Indian production during the period of investigation, they have been considered eligible to constitute domestic industry.
41. The interested parties have also emphasized that the applicants in the previous investigation have not participated in the present investigation. However, as highlighted by the domestic industry, the earlier applicant, JCT Limited has already ceased operations, while Prafful Overseas Limited has been declared as non-performing asset. As regards AYM Syntex, the producer has supported the investigation. However, the Authority notes that there exists no legal obligation on the Authority or the applicants to maintain the same scope of the domestic industry. The Authority is only required to ascertain whether the production of the domestic producers before it meets the requirement of the domestic industry under the law.
42. The Authority notes that none of the domestic producers constituting domestic industry are related to any exporter of the subject goods in the subject countries or any importer of the product under consideration in India.

43. In view of the foregoing, the Authority notes that the applicants and PNP account for major proportion of domestic production. Thus, the Authority concludes that the applicants and PNP constitute domestic industry under Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules and the application satisfies the requirement of standing in terms of Rule 5(3) of the Anti-Dumping Rules.

### **E. CONFIDENTIALITY**

#### **E.1. Submissions made by the other interested parties**

44. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to confidentiality:
- a. The aggregate information where the domestic industry consists of more than two producers is to be provided in actual figures and not trend values. The claims of confidentiality for data must be revised.
  - b. The domestic industry has not shared consolidated data for sales value, cost of sales, selling price, profitability, depreciation, capital employed, net fixed assets, working capital and volume, price and value of self-imported product.

#### **E.2. Submissions made by the domestic industry**

45. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to confidentiality.
- i. Excessive confidentiality has been claimed by exporters/producers in violation of Trade Notice 10/2018.
  - ii. Fujian Kaibang Polyamide Technology Co., Ltd has claimed certain differences in products sold in its domestic market and those exported to India. The same have been claimed confidential without good cause.
  - iii. The methodology for claiming adjustments to export price in India has not been disclosed.
  - iv. The claims of confidentiality after including PNP have remained the same as for the information of the applicants.
  - v. The aggregate sales volume has been shared with the other interested parties. Aggregate value information would disclose pricing and profit related information, which is sensitive information, disclosure of which would give significant advantage to users, in future negotiations, and would impact the interest of the domestic producers.

#### **E.3. Examination by the Authority**

46. The submissions made by the other interested parties and the domestic industry with regard to confidentiality have been examined as under:
47. The Authority made available non-confidential version of the information provided by various parties to all interested parties as per Rule 6(7) of the AD Rules. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of AD Rules provides as follows:

*“(1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub -rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.*

*(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarisation is not possible. (3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information”*

48. The information provided by all the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, the parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. With regard to the submissions that the other interested parties have failed to disclose certain information in their responses, the Authority notes that the interested parties have justified the confidentiality claimed by them. Further, no prejudice has been caused to the interest of the domestic industry due to non-disclosure of such information.
49. As regard to the submissions that the domestic industry has claimed excessive confidentiality with regard to pricing and profitability information, the domestic industry has claimed that disclosure of price and profitability information will cause an adverse impact on the domestic industry as the same will lead to disclosure of the costing and profitability information. The Authority accepts the confidentiality claims of the domestic industry in this regard.

## F. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS

### F.1. Submissions made by the other interested parties

50. The following miscellaneous submissions have been made by the other interested parties.
- i. Import data relied upon by the domestic industry has not been revised according to the revised scope of the product under consideration and PCN.
  - ii. The reliability of the import data used must be examined.
  - iii. There was insufficient evidence to justify initiation of investigation, and the application was devoid of legal and factual basis.
  - iv. The investigation is invalid due to irregularity of period of investigation. No justification was given by the Authority for permitting deviation from 12-month period of investigation as required under Rule 5(3A) of the Anti-Dumping Rules.
  - v. The initiation notification reflects the submissions of the applicants, without independent assessment by the Authority regarding period of investigation. In the cases of Union of India v Mohan Lal Capoor and Union of India vs. Anand Mohan Sharan, it was held that the Authority must give a clear reasoning, that is to be recorded in writing which is demonstrative of application of mind.
  - vi. Mere convenience of the applicants does not meet the requirements of evaluation by the Authority for the consideration of a longer period of investigation.
  - vii. In the absence of reasoning concerning consideration of lengthier period of investigation, the initiation itself is unsustainable in law.

### F.2. Submissions made by the domestic industry

51. The following miscellaneous submissions have been made by the domestic industry.
- i. As opposed to the submissions of the other interested parties, there is no onus on the domestic industry to provide updated import information.
  - ii. The Authority may consider DGCI&S or DG Systems information for its examination.
  - iii. The other interested parties have not provided any justification for stating that there is insufficient evidence justifying initiation of investigation. The investigation has been initiated based on sufficient accuracy and adequacy of the evidence provided.
  - iv. The applicants have proposed a 15 months period of investigation which includes one financial year and an additional quarter as consideration of July 2023 – June 2024 (12 month) as period of investigation would pose significant practical difficulties for the preparation of the costing data. It would require collating information for two separate financial years, when most applicants are small companies having limited resources. 15 months period of investigation is in consonance with the Manual of Standard Operating Procedures.

- v. As opposed to the submissions of the other interested parties, the Authority has considered 15 months period of investigation after examining the submissions of the domestic industry.

### F.3. Examination by the Authority

52. With regard to the submissions that revised import data for the product under consideration and PCN wise import data has not been provided and reliability of import data provided may be checked, the Authority notes that it has not relied upon the import data furnished by the domestic industry. Instead, the Authority has relied upon DG Systems data for the purpose of the present investigation. The Authority has considered import transactions as per the revised scope of the product under consideration. The Authority further notes that once a PCN methodology is notified, each party is obligated to furnish their own information based on such PCN methodology. The domestic industry has duly complied with such requirement.
53. As regards claims of insufficient evidence for initiation, it is noted that the investigation has been initiated based on prima facie evidence of dumping, injury and causal link between such dumping and injury. The information filed by the applicants was verified and only after prima facie satisfaction regarding the accuracy and adequacy of the information furnished, the present investigation was initiated.
54. As regards the submissions that the period of investigation is irregular and no reason has been provided in the initiation notification for considering a 15 months period of investigation, the Authority notes that the deviation from a 12 months period of investigation has been allowed in a number of cases provided reasons for such deviation are stated. There are considerable practical constraints if a 12-month period is considered as it would cause bifurcating information of two financial years. Since the industry comprises of smaller producers as well, consideration of an investigation period spanning two financial years would have caused undue hardship to the domestic producers and may even make it impossible for smaller producer to participate in the present investigation. Accordingly, a 15-months period of investigation was considered in the present investigation. The Authority noted the same in the initiation notification.

*“11. The applicants have proposed that a period 1st April 2023 to 30th June 2024 as the period of investigation. The applicants have submitted that a 15 months period of investigation is appropriate for the purpose of the present investigation, as it would allow inclusion of one full accounting year and as well as the most recent period. It has been further submitted that the consideration of July 2023 – June 2024 as period of investigation would result in significant practical difficulties for preparation of the costing data, as it would require culling information for two separate financial years. The applicants have claimed that majority of them are relatively small companies having limited resources. Preparation of information by extracting and collating information from two separate financial years would become unduly onerous for the applicants.*

*12. In view of the above, the period of investigation considered appropriate for the purpose of the present investigation is 1st April 2023 to 30th June 2024 (15 months). The injury analysis period covers the period of investigation and the three preceding financial years that is, 1st April 2020 – 31st March 2021, 1st April 2021 – 31st March 2022, 1st April 2022– 31st March 2023 and the period of investigation”*

## G. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

### G.1. Submissions made by the other interested parties

55. The following submissions have been made by the other interested parties, with reference to determination of normal value, export price and dumping margin.
- Sampling is unnecessary in the present case as only 8 producers from China and 2 producers from Vietnam have participated, the determination of individual dumping margin in feasible.
  - Considering only 2 producer/exporter groups as sampled companies is inadequate. In all recent investigations where sampling has been undertaken, the Authority has selected at least 3 groups of producers.

- iii. Rule 17(3) requires determination of individual dumping margin, which should be determined for all cooperating producers.
- iv. In the previous investigation concerning subject goods, the Authority did not do sampling and determined individual dumping margin for all. In all recent investigations where sampling has been undertaken, the Authority has selected at least 3 groups of producers. Further, in previous investigations such as in case of Printed Circuit Boards and Resin Bonded Thin Wheels, the Authority has not resorted to sampling despite there being a substantial number of participants.
- v. Cooperating producer/exporters have not claimed market economy status and the Authority is only required to examine the export price. In view of this, individual determination would not be unduly burdensome.
- vi. Sampling would prejudice the non-sampled cooperating producer/exporters, which furnished timely response to the questionnaire.
- vii. There is ample time to evaluate individual export prices of all participating producers from China, till December 2025.
- viii. If sampling is done, it must be done within 80 days from initiation and export volume should be picked from cross section of participating producers/exporters as per the Manual of Operating Practices.
- ix. Fujian Highsun Synthetic Fiber Technology Co. Ltd. and Fujian Liheng Polyamide Industry Co. Ltd. belong to the same group as given in the EQR of the latter. Effectively only two producer groups have been sampled.
- x. The Authority must ensure that the manufacturers of maximum categories PCNs, industry practices and export patterns are adequately represented.
- xi. At least 5-6 groups must be considered, as the Authority has considered upto 19 producers as part of sample in the jute investigation. Further, the Authority must adopt a “stratified and purposive sampling methodology” as adopted in the Jute Products investigation.
- xii. It must be ensured that the responses of the sampled exporters are complete and of the highest quality.
- xiii. Prutex Nylon Co., Ltd. should be included in the sampled producers, as it has export volume is comparable to the volume of the sampled producers. Prutex has exported more than 20 PCNs to India, which would make the sample more representative.
- xiv. Dikai must be sampled producer/exporter since it has exported high quality product at higher prices, allowing for a representative sample.
- xv. If anti-dumping duty is recommended, individual duty rate should be recommended for exports made by cooperating producers/exporters based on information submitted by them.
- xvi. Weighted average anti-dumping duty based on sampled producers should be applied to Prutex, if it is not included in sample, and to Wanhong. Individual duty rate should be recommended for Yiwu Huading, since it has been sampled.
- xvii. Hyosung TNC, Korea has two subsidiaries in India, namely Hyosung Corporation India Pvt Ltd and Hyosung India Pvt. Ltd. These are the direct subsidiaries of Hyosung TNC, a company incorporated in Korea. These are not subsidiaries of Hyosung Dong Nai and Hyosung Nylon, Vietnam. Furthermore, these subsidiary companies belong to the group but are not involved in the sale, purchase or production of the PUC in the instant Investigation. Apart from these two companies, Hyosung Dong Nai and Hyosung Nylon, Vietnam do not have any related entity in India.

## **G.2. Submissions made by the domestic industry**

56. The domestic industry has submitted as follows with reference to determination of normal value, export price and dumping margin.
  - i. There is a history of dumping in respect of the subject goods from multiple countries. This shows that the producers / exporters in subject countries are unable to sell at fair prices and have to resort to dumping in order to gain a market share in India.
  - ii. China PR should be treated as a non-market economy in accordance with Article 15(a)(i) of China’s Accession Protocol and the normal value should be determined in terms of Annexure I, Rule 7 of the AD Rules.
  - iii. Since the provisions of Article 15(a)(i) of China’s Accession Protocol continue to remain in force, the producers in China PR are required to show that market economy conditions prevail.

- iv. In the application, the normal value for China PR was determined based on price payable in India. The normal value for Vietnam was calculated based on the cost of production in Vietnam, on the basis of price of caprolactam and the power rates in Vietnam, and conversion costs and consumption norms of the domestic industry, and reasonable profits.
- v. The dumping margin is positive and significant.
- vi. Hyosung Dong Nai Company Limited and Hyosung Dong Nai Nylon Company Limited have responded to the exporter questionnaire response but have failed to disclose their direct or indirect subsidiaries of the South Korean textile manufacturer, Hyosung TNC.
- vii. Hyosung Dong Nai Company Limited, Hyosung Dong Nai Nylon Company Limited and their trading company Shinhan Trading have reported their sales information based on 1st grade and 2nd grade in addition to the other PCNs. The parties have not followed the PCNs notified and have not complied with the directions of the Authority. The response filed by such parties is deficient and should be rejected.
- viii. Public information shows that Hyosung TNC has multiple subsidiaries engaged in textiles and trading. The role played by such entities in the value chain must be examined.
- ix. Highsun has exported products produced by itself or its affiliate Liheng. Since related entities are involved in the production and sales of the subject goods, it must be examined whether the sales within the group companies have been made at arm's length prices.
- x. Prutex should not be considered as a part of sample, as the sampling has been undertaken on basis of largest export volumes.
- xi. Article 6.10 of the Anti-dumping Agreement and the Rules do not provide for product categories or PCNs to be considered as a parameter for sampling.
- xii. Reference to previous investigation wherein sampling was done for more producers is misplaced. The Authority has undertaken a significantly higher number of investigations recently, which makes it unviable to determine individual dumping margins for individual producers.
- xiii. Sampling of two producers/exporters is in line with global practice such as the EU, GCC, China and the US. These jurisdictions have initiated far less cases, as compared to the Authority in India and yet have considered only 2-3 producers only.
- xiv. Sampling of 2 to 3 producers have been undertaken in other jurisdictions, it cannot be that the same has not caused prejudice. That being the case, there is no cause to conclude that sampling undertaken in this case caused prejudice.
- xv. Article 6.10 of the Anti-dumping Agreement and the Rules do not provide consideration of volume bands, export channels or product categories as a parameter for sampling. The Anti-dumping Agreement provides that the percentage of volume of exports may be considered.
- xvi. The Manual of Operating Procedures also provides that export volume or a cross section of data should be considered for sampling.
- xvii. The Manual of Operating Procedures does not prescribe a "deadline" for sampling. The timeline provided in the Manual is only a guideline and is not binding on the Authority.
- xviii. There is no provision in law for sampling producers based on quality of the response provided.
- xix. Article 9.4 of the Anti-dumping agreement provides that the dumping margin for non-sampled producers shall be determined based on the weighted average dumping margin of sampled producers, excluding any zero and de minimis margins and margins based on facts available.
- xx. Merely because producer/exporter has exported high-quality products cannot be a ground for being considered in sampling. The same would suggest that such exports are not representative of the responding producers and overall imports.
- xxi. Individual duty rate may be given to sampled producers after the due verification of the accuracy and adequacy of the information furnished.

### G.3. Examination by the Authority

57. Under section 9A(1)(c), the normal value in relation to an article means:

*"i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or*

*ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:*

*(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*

*the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);*

*(b) Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin."*

58. The Authority notes that the following producers/exporters of the subject goods have filed exporter's questionnaire responses:

- i. Fujian Liheng Polyamide Industrial Co. Ltd.
- ii. Fujian Kaibang Polyamide Technology Co., Ltd.
- iii. Fujian Highsun Synthetic Fiber Technology Co., Ltd.
- iv. Yiwu Huading Nylon Co., Ltd.
- v. Prutex Nylon Co., Ltd
- vi. Fujian Wanhong Textile Co., Ltd
- vii. Hangzhou Dikai Industrial Fabrics Co., Ltd.
- viii. Fujian Changle Yongda Textile Co., Ltd, China PR
- ix. Fujian Betterlife Supply Chain Management Co., Ltd, China PR
- x. Hyosung Dong Nai Nylon Co. Ltd, Vietnam
- xi. Hyosung Dong Nai Co. Ltd
- xii. Shinhan Trading Co. Ltd

59. As regards the PCN wise sales information provided by Hyosung Dong Nai Company Limited, Hyosung Dong Nai Nylon Company Limited and their trader, it is noted that the information has been examined for accuracy and that the dumping margin has been determined based on information provided by the producers/exporters. The Authority has not considered the information based on grades of the product.

60. As per the provisions of Rule 17, while the Authority shall determine individual dumping margin in respect of all those producers/exporters who have filed questionnaire responses; in a situation where a large number of producers/ exporters from China have filed questionnaire responses, the Authority may resort to sampling by limiting the response to a limited number of producers. The Rules provides as follows in this regard.

*"17(3) The designated authority shall determine an individual margin of dumping for each known exporter or producer concerned of the article under investigation:*

***Provided** that in cases where the number of exporters, producers, importers or types of articles involved are so large as to make such determination impracticable, it may limit its findings either to a reasonable number of interested parties or articles by using statistically valid samples based on information available at the time of selection, or to the largest percentage of the volume of the exports from the country in question which can reasonably be investigated, and any selection, of exporters, producers, or types of articles, made under this proviso shall preferably be made in consultation with and with the consent of the exporters, producers or importers concerned :*

***Provided** further that the designated authority shall, determine an individual margin of dumping for any exporter or producer, though not selected initially, who submit necessary information in time, except where the number of exporters or producers are so large that individual examination would be unduly burdensome and prevent the timely completion of the investigation."*

61. In view of the large number of responses, the Authority considered sampling of producers from China PR. The same was proposed vide notification dated 8<sup>th</sup> May 2025. After receiving comments from various parties, the

sampled producers were notified vide notification dated 5<sup>th</sup> June 2025. The sample considered was based on the volume of exports to India, with the producers having the largest volume of exports, being considered as a part of the sample. The following producers were considered as a part of the sample.

1. Fujian Highsun Synthetic Fiber Technology Co., Ltd. and Fujian Liheng Polyamide Industry Co., Ltd.
2. Yiwu Huading Nylon Co., Ltd

62. The Authority notes that even though only 2 Groups are selected within sample, it nevertheless requires examination of responses for three producers. The interested parties have emphasized that three producers must be considered in the sample. However, the Rules do not mandate consideration of three producers. Moreover, the Authority notes that some investigating authorities in other jurisdictions like USA and EU mostly consider a sample of only 2 producers. It is further noted that the sampled producers comprise of 61% of the volume of exports by the cooperative producers. Therefore, the size of the sample cannot be considered inadequate, particularly when there are three producers involved in such sample.
63. The Authority does not find merit in the contention of the interested parties that considering voluntary responses filed by such exporters, an individual dumping margin must be accorded to all such exporters. Further, the fact that none of the producers/exporters from China PR have claimed market economy status, is not adequate for determination of individual dumping margin for all such exporters. Rule 17(3) and its proviso make it amply clear that the Authority may limit examination to certain exporters, where necessary in the interest of timely completion of the investigation.
64. It is noted that the sampling rules in particular allow Authority to limit individual determination to number of product types. This implies that it is not necessary that the Authority considers a sample in such a manner that all the products supplied to India get included within the sample.
65. As regards the request for inclusion on the grounds that producer/exporter has supplied specialty products or the product profile forming part of the sample should be comprehensive, the Authority notes that there is no such obligation under Rule 17(3).
66. With regard to the submissions that sampling must be done within 80 days of initiation, the Authority notes that Rule 17(3) of the Anti-Dumping Rules allows sampling of producers / exporters. There is no deadline in the Rules for undertaking sampling of producers / exporters in an anti-dumping investigation.
67. As regards the request to sample responses which are complete and of highest quality, it is noted that there is no provision under Rule 17(3) which requires the sampling to be done on basis of quality of responses given. The sampling has been done on the basis of volume of exports and the quality of response cannot form basis of whether the response should be considered for individual examination. This is particularly since if the Authority is required to examine each response in detail, to first identify that the responses are of highest quality, and then consider them for sampling, it would defeat the purpose of sampling.
68. In view of the above, Authority finalizes the sampling as notified vide notification dated 5<sup>th</sup> June 2025. Further, it is noted that the dumping margin for all other cooperative non-sampled producers has been determined based on the weighted average margin for the cooperative sampled producers.

### **G.3.1. Determination of Normal value and Export Price**

#### **1. Normal value for China PR**

69. Article 15 of the China's Accession Protocol to the WTO provides as follows:

*"Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following.*

15. (a) *In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:*

(i) *If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;*

(ii) *The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.*

(b) *In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.*

(c) *The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.*

(d) *Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."*

70. The domestic industry has cited and relied upon Article 15(a)(i) of China's Accession Protocol. The domestic industry has claimed that producers in China PR must be asked to demonstrate that market economy conditions prevail in their industry producing the like product with regard to the manufacturing, the production and the sale of the product under consideration. It has been stated by the domestic industry that in case the responding Chinese producers are not able to demonstrate that their costs and price information are market-driven, the normal value should be calculated in terms of provisions of Para 7 and 8 of Annexure- I to the Rules.
71. None of the sampled producers have claimed market economy treatment in the present case. Accordingly, the normal value has been determined in accordance with paragraph 7 of Annexure I of the Rules which state as follows.

*"In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments."*

72. In the present case, there is no evidence of price or constructed value prevailing in a market economy third country brought forward by any interested party. Further, the product does not have a dedicated tariff code, to

permit consideration of price of exports from a market economy third country to other countries, including India. The Authority has therefore, determined normal value as per the price payable in India, based on cost of production of the applicant, duly adjusted for selling, general and administrative expenses and reasonable profits.

## 2. Export price for China PR

### Export price for Fujian Highsun Synthetic Fiber Technology Co., Ltd. and Fujian Liheng Polyamide Industry Co., Ltd.

73. During the period of investigation, Fujian Highsun Synthetic Fiber Technology Co., Ltd. (Fujian Highsun) has exported [\*\*\*] MT of the product under consideration to India, of which [\*\*\*] MT has been exported directly. The balance [\*\*\*] MT has been exported through its related producer, Fujian Liheng Polyamide Industry Co., Ltd. (Fujian Liheng). Fujian Liheng Polyamide Industry Co., Ltd. has exported [\*\*\*] MT of the product under consideration to India, of which [\*\*\*] MT has been exported directly. The balance [\*\*\*] MT has been exported through its related producer Fujian Highsun Synthetic Fiber Technology Co., Ltd.

Fujian Highsun → Unrelated customers in India

Fujian Highsun → Fujian Liheng → Unrelated customers in India

Fujian Liheng → Unrelated customers in India

Fujian Liheng → Fujian Highsun → Unrelated customers in India

74. The export price has been determined based on the price of sale charged by Fujian Highsun and Fujian Liheng from unrelated customers in India. Adjustments have been made for ocean freight, ocean insurance, inland transportation, port and other related expenses, Customs declaration charges, credit cost, bank charges and other charges after desk verification. The Authority has calculated PCN-wise export price for exports of goods produced by Fujian Highsun and Fujian Liheng, and compared the same with the normal value for the respective PCN. A weighted average dumping margin was determined accordingly. The net export price and dumping margin so determined has been mentioned in the table below.

### Export price for Yiwu Huading Nylon Co., Ltd.

75. During the period of investigation, Yiwu Huading Nylon Co., Ltd. (Yiwu Huading) has exported [\*\*\*] MT of the product under consideration to India directly. The export price has been determined based on the price of sale charged by Yiwu Huading from unrelated customers in India.

Yiwu Huading → Unrelated customers in India

76. Adjustments have been made for ocean freight, ocean insurance, inland freight, port handling charge, Customs declaration fee, loading fee and bank charges after desk verification. The Authority has calculated PCN-wise export price, and compared the same with the normal value for the respective PCN. A weighted average dumping margin was determined accordingly. The net export price and dumping margin so determined has been mentioned in the table below.

### Export price for other producers/exporters in China PR

77. The Authority has determined the net export price for non-sampled cooperating producers/ exporters from China PR on the basis of weighted average net export price of the sampled producers from China PR.

### Export price for other producers/exporters in China PR

78. The export price for all other non-cooperating producers and exporters of China PR has been determined based on facts available and the same is mentioned in the dumping margin table below.

### 3. Normal value for Vietnam

#### Normal value for Hyosung Dong Nai Co. Ltd and Hyosung Dong Nai Nylon Co. Ltd

Two producers / exporters namely, Hyosung Dong Nai and Hyosung Dong Nai Nylon have participated in the investigation from Vietnam. Both are related parties.

79. During the period of investigation, Hyosung Dong Nai Co. Ltd. (Hyosung Dong Nai) has sold [\*\*\*] MT of the subject goods in the domestic market, whereas it has exported [\*\*\*] MT of the subject goods to India. Its related producer, Hyosung Dong Nai Nylon Co. Ltd. (Hyosung Dong Nai Nylon) has sold [\*\*\*] MT of the subject goods in the domestic market, whereas it exported [\*\*\*] MT of the subject goods to India. The Authority notes that the domestic sales are in sufficient volumes when compared with exports to India.
80. To determine the normal value, the Authority has conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to the cost of production of the subject goods, on a PCN-wise basis. In case of PCNs, with where more than 80% of sales were made at profits, the normal value has been determined based on the ex-factory selling price. Where less than 80% of sales were made at profits, the normal value has been determined based on the ex-factory selling price of profitable sales. For PCNs where less than 20% sales for each producer were made at profits, or where the PCN has not been sold in the home market, the normal value has been determined based on cost of production of the PCN with a reasonable addition towards selling, general and administrative expenses and profits. Adjustments to selling price have been made for inland transportation, bank charges and credit cost after desk verification. The weighted average normal value at ex-factory level for Hyosung Dong Nai and Hyosung Dong Nai Nylon has been calculated as mentioned in the dumping margin table below.

#### Normal value for other producers/exporters in Vietnam

81. The normal value for all other non-cooperating producers and exporters from Vietnam has been determined based on facts available and the same is mentioned in the dumping margin table below.

### 4. Export Price for Vietnam

#### Export Price for Hyosung Dong Nai Co. Ltd and Hyosung Dong Nai Nylon Co. Ltd

82. During the period of investigation, Hyosung Dong Nai has exported [\*\*\*] MT of the product under consideration to India, of which [\*\*\*] MT has been exported directly. The balance [\*\*\*] MT has been exported through the unrelated trader, Shinhan Trading Co. Ltd., Korea RP (Shinhan). Hyosung Dong Nai Nylon has exported [\*\*\*] MT of the product under consideration to India, of which [\*\*\*] MT has been exported directly. The balance [\*\*\*] MT has been exported through Shinhan.

Hyosung Dong Nai → Unrelated customers in India

Hyosung Dong Nai → Shinhan → Unrelated customers in India

Hyosung Dong Nai Nylon → Unrelated customers in India

Hyosung Dong Nai Nylon → Shinhan → Unrelated customers in India

83. The export price has been determined based on the price of sale charged by Hyosung Dong Nai, Hyosung Dong Nai Nylon and Shinhan from unrelated customers in India, as applicable. Adjustments have been made for ocean freight, insurance, inland transportation, port and handling charges, bank charges, and credit cost after desk verification. Further, the commission, selling, general and administrative expenses incurred by Shinhan were adjusted. The Authority has calculated PCN-wise export price for exports of goods produced by Hyosung Dong Nai and Hyosung Dong Nai Nylon and compared the same with the normal value for the respective PCN for the producer. A weighted average dumping margin was determined accordingly. The net export price and dumping margin so determined has been mentioned in the table below.

**Export Price for other producers/exporters in Vietnam**

84. The export price for all non-cooperating producers and exporters of Vietnam has been determined based on facts available and the same is mentioned in the dumping margin table below.

**G.3.2. Dumping margin**

85. The related producers and exporters were regarded as one single entity and attributed one single dumping margin which was calculated on the basis of the weighted average of the dumping margins of the cooperating related producers and exporters. Injury margin has also been determined in a similar way.

86. Considering the normal value constructed as provided above, and export price as determined, the dumping margin determined for the subject country is as follows:

**Dumping Margin Table**

S.No.	Name of Producer	Normal Value	Export Price	Dumping Margin	Dumping Margin	Dumping Margin
		(USD/MT)	(USD/MT)	(USD/MT)	(%)	(Range)
A	<b>China PR</b>					
7.	Fujian Highsun Synthetic Fiber Technology Co., Ltd.	***	***	***	***	10-20
8.	Fujian Liheng Polyamide Industry Co., Ltd.	***	***	***	***	40-50
9.	Fujian Group (weighted average)	***	***	***	***	15-25
10.	Yiwu Huading Nylon Co., Ltd	***	***	***	***	40-50
11.	Non-sampled Cooperative producers	***	***	***	***	20-30
12.	Any other producer	***	***	***	***	45-55
B	<b>Vietnam</b>					
5.	Hyosung Dong Nai Co. Ltd	***	***	***	***	100-110
6.	Hyosung Dong Nai Nylon Co. Ltd.	***	***	***	***	135-145
7.	Hyosung Group (weighted average)	***	***	***	***	110-120
8.	Any other producer	***	***	***	***	110-120

**H. ASSESSMENT OF INJURY AND CAUSAL LINK****H.1. Submissions made by the other interested parties**

87. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to injury and causal link:

- i. The domestic industry has exaggerated increased imports, and deliberately invented injury.
- ii. Imports from Vietnam should be excluded from scope of investigation as their volume is negligible, only approximately 3% of total imports, and less than 1% of domestic consumption. Further, such imports comprise of downgraded or specialized materials or are transactions between affiliated parties.
- iii. Despite cheaper imports, Mexico has not been included as a subject country, suggesting selective targeting by the domestic industry.

- iv. The increase in import volumes coincides with expanding demand and growth in the sales of the Indian industry. The market absorbed the increased imports without displacing domestic supply.
- v. Imports by supporters must be excluded from injury analysis, as supporters cannot facilitate dumping and then support the imposition of duty. Such imports allow them to control significant domestic supply and influence prices. It must be ensured that injury analysis is not skewed by self-serving practices or supply constraints created by parties seeking protection.
- vi. The domestic industry has witnessed growth and total capacity of Indian industry has increased. The increase in capacity is not supported by growth in demand or production trends.
- vii. The capacity, production, domestic sales, employees, salary payments, productivity of the domestic industry and sales of supporters have increased. As noted by WTO Panel in Thailand – H-Beams, improvement in parameters of domestic industry cannot be ignored.
- viii. The decline in capacity utilization is due to overcapacity, misaligned with actual demand, and inefficiency.
- ix. The sales of the domestic industry have seen significant and consistent increase, undermining any claims of volume-based injury. Further increase in sales of domestic industry is much than increase in imports from China.
- x. Inventories have remained controlled and inventory turnover has improved. There is a decline in inventory, expressed as number of days of production and sales.
- xi. The cost of sales and net sales realization increased nearly parallel to one another. There is no proof that the subject imports have led to price undercutting or depression.
- xii. The export selling price per unit of the domestic industry decreased more than the domestic selling price, which cannot be due to subject imports.
- xiii. The deterioration in profits is disconnected from the import trend and aligns more with internal strategic decisions.
- xiv. The continued investment, evident from increase in capital employed and fixed assets, indicates growth and confidence.
- xv. Financial statements of Century Enka Limited, Gujarat Polyfims Private Limited, Aglon Industries Private Limited, AYM Syntex Limited, Todi Rayons Private Limited and Oriilon show that Gujarat Polyfilms Private Limited is the only producer incurring losses.
- xvi. The domestic producers have maintained a market share of more than 75%, which would not be possible if the subject imports were undercutting its sales.
- xvii. The number of employees increased, along with improvement in productivity.
- xviii. Interest cost per MT declined by 9%, showing improved efficiency.
- xix. Increase in average capital employed, net fixed assets and installed capacity imply that the petitioner is strategically expanding, not suffering from injury.
- xx. The significant decline in the profitability of domestic industry cannot be solely attributed to imports from China. As per para (v) of Annexure – II to the Anti-Dumping Rules, there must be causal link between dumping and injury.
- xxi. Factors other than imports that may cause injury must be examined. The same was also observed by the Appellate Body in US- Hot-Rolled Steel and US – Norwegian Salmon AD.
- xxii. Despite the imposition of anti-dumping duty on subject imports in the past, the domestic industry still faces challenges, which indicates other factors causing injury.
- xxiii. Any alleged injury is due to internal inefficiencies, overexpansion, or cost-related factors and is not attributable to the subject imports.
- xxiv. There has been a change in technology, with the number of winders per line increasing to 24 units, while the domestic industry employs 12 units. As a result, the cost of production of the domestic industry is higher.
- xxv. Increase in working capital requirements and interest cost is not proportionate to change in inventory levels and indicates financial burdens attributable to internal inefficiencies and decisions, rather than dumped imports.
- xxvi. The domestic industry uses outdated technology, which is affecting its competitiveness.

- xxvii. The reliance on imports or low quality unsustainable raw material obstructs competitiveness of the domestic industry.
- xxviii. Shortage of skilled workers and high labor costs affect production quality and efficiency.
- xxix. Geographical disadvantages can increase overall production expenses, market access and increase shipping costs.
- xxx. High borrowing costs or lack of financing options may affect competitiveness.
- xxxi. Performance of all other domestic producers, including the supporters, must be considered.
- xxxii. Change in market demand, rising competition, fluctuating exchange rates, consumer preferences, market saturation, inconsistent government policies and trade agreements may also negatively impact the domestic industry.
- xxxiii. The Authority must examine the technical aspects of the product, including concerns regarding quality of goods supplied by domestic industry, lower operational efficiency caused by domestic industry, increased wastage and production downtime due to use of domestic yarn, uneven bobbin length of such yarn, and its limited compatibility with specialized or high-end applications.

## H.2. Submissions made by the domestic industry

88. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the injury and causal link:
- i. The domestic industry suffered injury on account of the increase in low-priced imports during 2022-23. The imports declined in the period of investigation but remained significant and the import price remained low. As a result, the injury continued in the period of investigation.
  - ii. Contrary to the submissions of the other interested parties, there is no basis for excluding imports made by supporters for injury examination. The Rules provide for examination of volume and price effect of all imports at dumped prices, irrespective of the nature of the parties importing the said product.
  - iii. The subject imports have increased more than the increase in demand over the injury period.
  - iv. The subject imports have increased in absolute and relative terms. The subject imports in relation to production increased even if the highest Indian production during the injury period is considered.
  - v. Despite Indian industry having sufficient capacity to cater to the entire demand in India, the subject imports have increased significantly over the injury period.
  - vi. Barring 2021-22, the increase in subject imports has outpaced the increase in demand in the injury period.
  - vii. During the period of investigation, the imports declined slightly due to the decline in demand and increase in capacity in the country. Even then, the subject imports have shown a significant increase over the injury period.
  - viii. The subject imports account for majority of total imports into the country.
  - ix. The weighted average and PCN wise price undercutting is positive and significant. Price undercutting is positive even though the domestic industry has sold at losses.
  - x. The imports have depressed the prices of the domestic industry, and prevented price increases, which otherwise would have occurred.
  - xi. The landed price of imports is materially lower than cost of sales of the domestic industry.
  - xii. The capacities of the domestic industry declined in 2022-23 and the period of investigation.
  - xiii. The increase in volume of dumped imports severely impacted the profitability of the domestic industry, forcing it to sell at losses.
  - xiv. The profitability of the domestic industry improved in 2021-22 as the prices in the market became competitive. However, the price of imports declined thereafter and forced the domestic industry to sell at prices below the cost of sales of the domestic industry.
  - xv. Despite selling at losses during the period of investigation, the inventories of the domestic industry increased, and were the highest during the period of investigation.
  - xvi. The cash profits declined significantly and turned into losses. The cash losses were highest in the period of investigation.

- xvii. The domestic industry has recorded a negative return on its investments and this has adversely impacted its ability to raise further investments.
- xviii. The domestic producers are suffering continuous injury which is evident from the fact that a number of domestic producers, such as, Paras Petrofils, GSFC, Gupta Synthetics, and JCT Limited have shut down their operations.
- xix. The production, sales, wages and employees have increased as a consequence of increase in demand and capacity. However, the profitability of the domestic industry has declined.
- xx. The domestic industry has suffered on the price front as it opted to maintain its customers base, production and capacity utilisation. Improvement in volume parameters cannot be seen in exclusion to decline in profitability parameters.
- xxi. As opposed to the submissions of the other interested parties, all parameters listed in law are not required to show deterioration to demonstrate material injury. This is consistent with the observations of the WTO Panel in Pakistan – Anti-Dumping Measures on Biaxially Oriented Polypropylene Film from the United Arab Emirates and the order of the Tribunal in Reliance Industries Limited vs. Designated Authority [2018 (363) E.L.T. 566 (Tri. - Del.)]. The domestic industry has suffered injury in the present case in terms of decline in profitability.
- xxii. Contrary to the submissions of the other interested parties, Rule 11 provides for injury examination of the defined domestic industry. In any case, information for supporters has been provided which shows that the profits of the supporters have followed the same trend in the injury period.
- xxiii. As opposed to the submissions of the other interested parties, injury does not necessarily mean losses and even a decline in profits show injury.
- xxiv. Contrary to the claims of the interested parties, the injury is not on account of old technology used by the domestic industry. In fact, PNP, Aglon and Century Enka have set up new capacities and machines and have added new technology. On the other hand, plants in China are known to be 20-25 years old.
- xxv. The domestic industry requests the Authority to verify the claims that foreign producers have 24 winders per lines.
- xxvi. The non-attribution analysis must not be done for factors inherent to the domestic industry such as source of raw material, location of industry and age of plant. This is consistent with the findings of the Appellate Body in European Union – Biodiesel (Argentina).
- xxvii. There is no evidence with regard to the submissions that specialised product is being imported and there are related party transactions.
- xxviii. The imports from Vietnam must not be excluded from the investigation as the share of imports from Vietnam is more than 3% and the dumping margin is positive and significant.
- xxix. The interested parties have claimed that the domestic industry has supplied downgraded material and at the same time submitted that imports from Vietnam are of downgraded material. This shows that all suppliers supply different qualities to all markets.
- xxx. Imports from Mexico have not been included as such imports only form 1% of total imports and investigation of the same is not permitted under Rule 14.
- xxxi. Contrary to the submissions of the other interested parties, the increase in capital employed and fixed assets and a decline in interest costs are not parameters of injury.
- xxxii. The claims that other factors are causing injury to the domestic industry are unsubstantiated as the other interested parties have not identified such factors.
- xxxiii. The technology used by the domestic industry is not outdated. There has been no change in geographical location of the industry, or quality and source of raw material. The skill of the labour force has also not undergone any change.
- xxxiv. Contrary to the claims that the injury is due to internal inefficiencies, overexpansion, or cost related factors, the domestic industry has suffered in terms of profitability and not in terms of volume parameters. There is a clear nexus between the decline in prices and profits due to the steep decline in landed prices.
- xxxv. Injury is not due to high finance cost as the same is only 1.5% of total cost of production. Further, the domestic industry has faced losses even before counting its interest.

- XXXVI. Fluctuations in currency is not a reason for injury to the domestic industry as it would render imports unviable and not the domestic product.
- XXXVII. The other interested parties have not identified any changes in consumer preferences. There are no reasons for consumers to prefer imported product barring its availability at dumped prices.
- XXXVIII. There are no unfavourable government policies or agreements causing injury to the domestic industry. The India -ASEAN agreement has been in effect since 2010 and cannot be a factor causing injury to the domestic industry.
- XXXIX. It is unreasonable to claim that efforts which aim to support domestic production, such as, trade agreements, would cause injury to the domestic industry.

### H.3. Examination by the Authority

89. The Authority has examined the arguments and counterarguments of the interested parties with regard to injury to the domestic industry. The analysis made by the Authority hereunder addresses the various submissions made by all the interested parties.
90. The interested parties have emphasized that improvement in certain parameters of the domestic industry cannot be ignored. The domestic industry has countered that mere improvement in certain parameters does not imply absence of injury. The Authority notes that it is required to conduct a holistic assessment of all parameters, and arrive at its conclusions. If based on a holistic assessment, it finds that imports have caused injury to the domestic industry, the improvement in certain parameters shall not negate such a conclusion. If, on the other hand, an examination of all parameters shows absence of injury, the deterioration in certain parameters cannot be considered determinative of injury.
91. As regards the submission that there is an increase in capital employed and fixed assets investments which shows confidence in the performance of the domestic industry, the Authority notes that such indicators are not determinative of whether the domestic industry has suffered injury. Therefore, mere increase in capital employed does not imply that the domestic industry did not suffer injury due to dumping of the subject goods.
92. With regard to submissions that the performance of producers in their financial statements do not match the performance of the domestic industry, the Authority notes that the Authority has relied upon the verified information of the applicants with regard to performance of only the subject goods. Reference to financial statements of the domestic producers may not be appropriate, as it would include information with regard to performance in other markets, and other products as well.
93. The other interested parties have submitted that the performance of all other domestic producers, including the supporters, must be considered. The Authority notes that it is required to undertake injury analysis for the defined domestic industry. This is also in consonance with the observations of the WTO Panel in EC – Bed Linen.

*“6.182 However, our conclusion with respect to the second aspect of India's claim is different. As we have noted, the determination of injury has to be reached for the domestic industry as defined by the investigating authorities, in this case the 35 producers comprising the "Community industry" as defined by the European Communities. In our view, information concerning companies that are not within the domestic industry is irrelevant to the evaluation of the "relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry" required under Article 3.4. This is true even though those companies may presently produce, or may have in the past produced, the like product, bed linen. Information concerning the Article 3.4 factors for companies outside the domestic industry provides no basis for conclusions about the impact of dumped imports on the domestic industry itself. If other present or former bed linen producers had been considered part of the domestic industry, the fact that some of them went out of business would be relevant to the evaluation of the impact of dumped imports on the domestic industry. But given that the European Communities defined the domestic industry as 35 producers of bed linen, information concerning other companies does not inform the evaluation of "factors and indices having a bearing on the state of the industry" under Article 3.4 of the AD Agreement, and thus cannot serve as the basis of findings regarding the impact of dumped imports on the domestic industry.”*

94. The interested parties have also not demonstrated that the Authority is required to examine the financial performance of producers not forming part of the domestic industry. Therefore, having found that the applicants and PNP Polymers constitute domestic industry, the Authority has undertaken injury analysis only for the domestic industry so defined.

### H.3.1. Cumulative assessment of injury

95. Article 3.3 of WTO agreement and para (iii) of Annexure II of the Rules provides that in case where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti-dumping investigation, the Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that:
- The margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two percent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent (or more) of the import of like article or where the export of individual countries is less than three percent, the imports collectively account for more than seven percent of the import of like article, and
  - A cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported products and the conditions of competition between the imported products and the like domestic articles.
96. In the instant case, volume of imports and dumping margin from each of the subject countries are more than the de-minimis. Further, the imports from the subject countries and the product manufactured by the domestic industry have inter-se comparable properties and is being used for the same applications and by the same segment of customers. Thus, the subject imports are competing in the Indian market inter-se as well as with the subject goods manufactured by the domestic industry.
97. The Authority thus, concludes that it would be appropriate to undertake cumulative assessment of injury in the present investigation for the following reasons.
- The subject goods are being dumped into India from the subject countries.
  - The margin of dumping from each of the subject countries is more than the *de minimis* limits prescribed under the Rules.
  - The volume of imports from each of the subject countries is individually more than 3% of the total volume of imports.
  - Cumulative assessment of the effects of import is appropriate as the imports from the subject countries not only directly compete with the imports from each of the subject countries but also the like articles offered by the domestic industry in the Indian market.
98. As regards the concern that the imports from Vietnam must be excluded from the examination, the Authority notes that imports from Vietnam are more than 3% of total imports into India. Further, it is noted that the dumping margin for imports from Vietnam is positive and significant. The Authority also notes that the price of imports from Vietnam is much less than the price of imports from China PR. In view of this, the exclusion of Vietnam from the present investigation is not warranted.

### H.3.2. Volume Effect of dumped imports

#### i. **Assessment of Demand (Apparent Consumption)**

99. The Authority, for the purpose of the present investigation, has defined demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the Indian producers and imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below.

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI (A)
Sales of domestic industry	MT	40,638	58,162	64,831	68,314
Captive Consumption	MT	30	Nil	Nil	Nil
Sales of the Supporting Producers	MT	22,739	30,138	35,413	37,759

Sales of other producers	MT	30,869	46,035	44,465	37,559
Subject imports	MT	18,170	24,179	38,180	31,823
China	MT	16,946	23,341	36,879	30,547
Vietnam	MT	1,224	839	1,301	1,276
Other imports	MT	5,542	5,101	4,006	4,736
Total Demand/Consumption excluding Captive	MT	1,17,957	1,63,615	1,86,894	1,80,191
Total Demand/Consumption including Captive	MT	1,17,988	1,63,615	1,86,894	1,80,191

\* Imports as per DG Systems data, other figures as per domestic industry data

100. The Authority notes that the demand for the subject goods has increased till 2022-23 and declined slightly in the period of investigation. The demand has remained higher than the demand in the base year.

## ii. Imports in Absolute and Relative Terms

101. With regard to the volume of dumped imports, it is required to be considered whether there has been a significant increase in dumped imports either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The volume of imports over the injury period was as follows:

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI (A)
Subject imports	MT	18,170	24,179	38,180	31,823
China	MT	16,946	23,341	36,879	30,547
Vietnam	MT	1,224	839	1,301	1,276
Other imports	MT	5,542	5,101	4,006	4,736
Total imports	MT	23,711	29,280	42,185	36,559
Subject Imports in relation to					
Domestic production	%	43%	41%	56%	45%
Consumption (Including captive)	%	15%	15%	20%	18%
Total Imports	%	77%	83%	91%	87%

102. The Authority notes that:

- The volume of subject imports has increased over the injury period. The subject imports have increased by \*\*\*% in 2022-23 as compared to base year. In the period of investigation, while the subject imports declined compared to previous year, it still remained \*\*\*% higher than the base year.
- The subject imports in relation to both consumption and production has increased in 2022-23 and thereafter declined slightly in the period of investigation.
- The share of subject imports in total imports has increased over the injury period from \*\*\*% in the base year to \*\*\*% during the period of investigation.
- The applicants have submitted that the decline in imports during the period of investigation was a result of the decline in demand and increase in capacities of the domestic industry.

103. The interested parties have contended that imports from supporters must be excluded from the injury examination. However, the Authority notes that under the provisions of Rule 11 of the Anti-Dumping Rules, read with Annexure-II thereto, the Authority is required to undertake injury examination with regard to the dumped imports. Such imports shall include the imports made by supporters or applicants as well.

### H.3.3. Price Effect

104. With regard to the price effect of the imports from the subject countries, it is required to be analysed whether there has been a significant price undercutting by the alleged imports as compared to price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in the normal course. The impact on the prices of the domestic industry on account of the imports from the subject countries has been examined with reference to price undercutting, price suppression and price depression, if any.

**i. Price Undercutting**

105. For the purpose of price undercutting analysis, the net sales realisation of the domestic industry has been compared with the landed price of imports from subject countries. Table is shown below:

Particulars	Unit	Subject countries
Net sales realization	₹/MT	***
Landed price	₹/MT	1,94,680
Price undercutting	₹/MT	***
Price undercutting	%	***
Price undercutting	Range	5-15%

\* Landed price as per DG Systems data, net sales realisation as per domestic industry data

106. The Authority notes that the subject imports are priced below the net sales realisation of the domestic industry. The price undercutting from all subject countries is positive and significant.

**ii. Price Suppression / Depression**

107. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices to a significant degree or whether the effect of such imports is to suppress price to a significant degree or prevent price increase which otherwise would have occurred in normal course, the Authority has examined the changes in the costs of sales and net sales realisation of the domestic industry over the injury period.

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI (A)
Cost of sales	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	122	123	112
Net sales realisation	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	128	122	109
Landed price	₹/MT	1,63,702	2,32,761	2,16,204	1,94,680
Trend	Indexed	100	142	132	119

\* Landed price as per DG Systems data, net sales realisation and cost of sales as per domestic industry data

108. The Authority notes that the cost of sales, net sales realisation and landed price have increased over the injury period. In 2021-22, the net sales realisation of the domestic industry increased, outpacing the increase in cost. However, in 2022-23, while the cost of sales remained almost the same, the selling price and landed price have declined. During the period of investigation, while the cost of sales declined, the net sales realisation showed a much higher decline. Over the injury period, while the cost of sales has increased by 12%, the net sales realisation has only increased by 9%. Thus, the subject imports have suppressed and depressed the prices of the domestic industry.

**H.3.4. Economic Parameters of the Domestic Industry**

109. Annexure II to the Anti-Dumping Rules require that the determination of the injury shall involve an objective examination of the consequent impact of dumped imports on the domestic producers of the subject goods. With regards to the consequent impact of these imports on the domestic producers of subject goods, the Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry would include an objective unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. Accordingly, performance of the domestic industry has been examined over the injury period.

**i. Production, capacity, capacity utilization and sales**

110. The performance of the domestic industry with regard to capacity, production, sales and capacity utilization over the injury period was as below:

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI (A)
Installed Capacity	MT	94,152	94,152	1,08,652	1,12,624
Production	MT	41,782	59,573	68,171	70,101
Capacity utilization	%	44%	63%	63%	62%
Domestic Sales	MT	40,638	58,162	64,831	68,314
Export sales	MT	307	1,613	380	420
Captive Consumption	MT	30	Nil	Nil	Nil

\* Figures as per domestic industry data

111. The Authority notes that:

- i. The capacity of the domestic industry has increased over the injury period.
- ii. With increase in capacity, the production and sales of the domestic industry have also increased. The domestic industry has submitted that the production and sales of the domestic industry have increased only due to compromising on the profitability. Since the subject imports were priced below the cost of sales and the selling price of the domestic industry, the domestic industry reduced its prices to maintain its volume parameters.
- iii. The capacity utilisation improved in 2021-22, but has dipped slightly during the period of investigation.

112. As regards the claim that the capacity utilisation is low on account of increase in capacity, the Authority notes that the capacity of the domestic industry has increased by 20% over the injury period, while the demand has increased by 53%. Further, the capacities of the Indian industry are comparable to the demand in the country. In such a situation, considering the increase in the demand in the country, the increase in capacities cannot be considered inordinate.

**ii. Market share in demand**

113. The market share of subject imports, domestic industry and other producers over the period was as under.

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI (A)
Domestic industry	%	34%	36%	35%	38%
Other producers	%	45%	47%	43%	42%
Subject imports	%	15%	15%	20%	18%
Other imports	%	5%	3%	2%	3%

114. It is noted that the market share of subject imports has declined slightly in the POI from the injury period 2022-23 while that of domestic industry and Indian industry as a whole has increased over the injury period.

115. The interested parties have highlighted that the imports increased, in response to increase in demand, without displacing the domestic industry. The domestic industry has emphasized that in order to maintain its production and sales, it has compromised on profitability. Over the injury period, both the subject imports and the domestic industry increased their market share.

**iii. Inventories**

116. Inventories of the domestic industry over the injury period were as follows.

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI (A)
Opening inventory	MT	4,387	4,629	3,601	5,663

Closing inventory	MT	4,629	3,601	5,663	6,475
Average inventory	MT	4,508	4,115	4,632	6,069

\* Inventory as per domestic industry data

117. The Authority notes that the inventories of the domestic industry has increased significantly over the injury period and were the highest during the period of investigation.

**iv. Employment, productivity and wages**

118. The Authority has examined the information relating to employment, wages and productivity, as given below:

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI(A)
No. of employees	No.	1,805	1,963	2,083	2,611
Productivity per day	MT/Day	116	165	189	195
Productivity per employee	MT/No	23	30	33	27
Salaries & Wages	₹ lakhs	3,648	4,347	4,662	4,616

\* Figures as per domestic industry data

119. The Authority notes that the number of employees and wages of the domestic industry has increased over the injury period with increase in capacities. The productivity of the domestic industry has also increased, in response to increase in production. The domestic industry has not claimed any injury on this account.

**v. Profits, cash profits and return on capital employed**

120. Profits, cash profits and return on capital employed of the domestic industry over the injury period are given in the table below:

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Cost of sales	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	122	123	112
Selling price	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	128	122	109
Profit / (loss)	₹/MT	(***)	***	(***)	(***)
Trend	Indexed	-100	77	-159	-188
Profit / (loss)	₹ Lacs	(***)	***	(***)	(***)
Trend	Indexed	-100	110	-254	-315
Cash profits	₹ Lacs	***	***	(***)	(***)
Trend	Indexed	100	239	-30	-72
Return on capital employed	%	(***)	***	(***)	(***)
Trend	Indexed	-100	463	-451	-485

\* Figures as per domestic industry data

121. The Authority notes that:

- i. The domestic industry has incurred losses throughout the injury period, barring 2021-22. The domestic industry has submitted that the market price in 2021-22 became competitive, allowing it to achieve profits. After 2021-22, profitability of the domestic industry has declined steeply and the domestic industry incurred losses. The losses were highest in the period of investigation.

- ii. The domestic industry earned cash profits till 2021-22. However, with decline in price of imports, the domestic industry incurred cash losses in 2022-23, and the losses further aggravated during the period of investigation.
- iii. The domestic industry has recorded a negative return on capital employed in this period.

122. The interested parties have shown that the interest cost has declined over the period. However, a lower interest cost cannot be construed to apply presence or absence of an adverse impact of dumped imports.

#### vi. Growth

123. The growth of the domestic industry in terms of volume and profitability parameters is as under.

Particulars	Units	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Installed Capacity	%	-	0%	15%	4%
Production	%	-	43%	14%	3%
Domestic sales	%	-	43%	11%	5%
Profit / (loss) per unit	%	-	177%	-308%	-18%
Cash profits per unit	%	-	67%	-111%	-128%
Return on capital employed	%	-	563%	-197%	-7%

124. It is noted that the volume parameters of the domestic industry have shown positive growth in the injury period. However, the profitability parameters of the domestic industry showed a negative growth in 2022-23 and the period of investigation. The domestic industry has submitted that the volume parameters have increased only because the domestic industry has compromised on profitability.

#### vii. Ability to Raise Capital Investment

125. The Authority notes that the profitability of the domestic industry has declined significantly and the domestic industry has incurred significant losses and cash losses in the period of investigation. Thus, the imports have adversely impacted the ability of the domestic industry to raise capital investment.

#### viii. Magnitude of Dumping Margin

126. The Authority notes that the subject goods are being dumped in India from the subject countries. The dumping margin is positive and significant.

#### ix. Factors affecting prices

127. The landed price of subject imports is below the selling price as well as cost of sales of the domestic industry. Such low landed price has created a strain on the prices of the domestic industry. Further, the imports are priced below the non-injurious price of the domestic industry. This has adversely impacted the profitability of the domestic industry. Thus, price of imports from the subject countries has impacted the prices of the domestic industry.

### H.3.5 Conclusions on injury

128. Based on the above, the Authority concludes that:

- i. The volume of subject imports has increased in absolute terms as well as in relation to production and consumption in India. The imports have declined in POI compared to the previous year but remain higher than base year.
- ii. The subject imports have undercut the prices of the domestic industry.
- iii. The imports have depressed the prices of the domestic industry, and have prevented price increases, which otherwise would have occurred.

- iv. The subject imports are priced below the cost of sales of the domestic industry.
- v. The demand has increased till 2022-23 and declined in the period of investigation. The market share of the Indian industry as a whole has increased in the injury period.
- vi. The production and sales of the domestic industry have increased.
- vii. The inventories of the domestic industry have increased and were the highest in the period of investigation.
- viii. The domestic industry has incurred losses in the injury period, barring 2021-22. The domestic industry has incurred financial losses in the period of investigation.
- ix. The cash profits and return on investment have declined significantly over the injury period, and the profitability of the domestic industry was the lowest during the period of investigation.
- x. The imports have adversely affected the ability of the domestic industry to raise capital investments.
- xi. The dumping margin for the subject countries is positive and significant.

### **I. INJURY MARGIN**

129. The Authority has determined the non-injurious price for the domestic industry on the basis of the principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The non-injurious price of the subject goods has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the period of investigation. The non-injurious price has been considered for comparing the landed price from the subject countries for calculating the injury margin. For determining the non-injurious price, the best utilisation of the raw materials, the utilities and the production capacity by the domestic industry over the injury period have been considered. It is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses were charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on the average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive at the non-injurious price as prescribed in Annexure III of the Rules and is being followed.
130. The landed price for the cooperative exporters has been determined on the basis of the data furnished by the exporters. For non-sampled cooperative exporters, landed value has been taken as the weighted average landed value of the co-operative producers/exporters.
131. For all the non-cooperative producers/exporters from the subject countries, the Authority has determined the landed price based on facts available.
132. Based on the landed price and non-injurious price determined as above, the injury margin for producers/exporters has been determined by the Authority and the same is provided in the table below: -

**Injury Margin Table**

S.No.	Name of Producer	Non-Injurious Price	Landed Price	Injury Margin	Injury Margin	Injury Margin
		(USD/MT)	(USD/MT)	(USD/MT)	(%)	(Range)
<b>A</b>	<b>China PR</b>					
1.	Fujian Highsun Synthetic Fiber Technology Co., Ltd.	***	***	***	***	0-10
2.	Fujian Liheng Polyamide Industry Co., Ltd.	***	***	***	***	25-35
3.	Fujian Group (Weighted average)	***	***	***	***	5-15

4.	Yiwu Huading Nylon Co., Ltd	***	***	***	***	25-35
5.	Non-sampled Cooperative producers	***	***	***	***	10-20
6.	Any other producer	***	***	***	***	35-45
<b>B</b>	<b>Vietnam</b>					
1.	Hyosung Dong Nai Co. Ltd	***	***	***	***	30-40
2.	Hyosung Dong Nai Nylon Co. Ltd.	***	***	***	***	25-35
3.	Hyosung Group (Weighted average)	***	***	***	***	30-40
4.	Any other producer	***	***	***	***	40-50

## J. CAUSAL LINK

### J.1.1 Non-attribution analysis and casual link

133. Having examined the existence of injury, volume and price effects of dumped imports on the prices of the domestic industry, the Authority has examined whether injury to the domestic industry can be attributed to any factor, other than the dumped imports, as listed under the Rules:

#### a. Volume and value of imports from third countries

134. It is noted that apart from the subject countries, imports have been made in substantial quantities from Taiwan. However, the price of imports from Taiwan is much more than the price of imports from the subject countries. Further, such imports are priced above the non-injurious price of the domestic industry. Thus, injury to the domestic industry cannot be attributed to imports from Taiwan. The imports from other countries are not substantial in quantity and thus, the injury is not attributable to such imports.

135. The other interested parties have submitted that Mexico has been selectively omitted as a subject country. The Authority notes that the imports from Mexico are only 0.69% of the total imports. Therefore, the injury is not attributable to imports from Mexico, and an anti-dumping investigation cannot be maintained against the imports from Mexico.

#### b. Contraction in demand

136. The demand for the subject goods has increased over the injury period but declined slightly in the period of investigation. Despite such decline, the demand in the period of investigation was higher than the demand in the base year. Hence, injury is not attributable to contraction in demand.

#### c. Pattern of consumption

137. The other interested parties have submitted that consumer preferences have impacted the performance of the domestic industry. The Authority notes that such claims have not been substantiated with evidence. Further, the information on record does not indicate change in consumer preferences as the customers have continued to procure from the domestic industry as well as import the product under consideration. The interested parties have also alleged that the domestic industry has suffered due to market saturation. However, as noted above, the demand for the subject goods has improved over the injury period. Thus, there has been no material change in pattern of consumption of the product under consideration, which could have caused injury to the domestic industry.

#### d. Conditions of competition and trade restrictive practices

138. There are no trade restrictive practices or conditions of competition, which may have caused injury to the domestic industry

**e. Developments in technology**

139. The other interested parties have submitted that the domestic industry uses outdated technology and only have 12 winders per lines. It is noted that the domestic industry has submitted that the claims that exporters use 24 winders must be verified. In this regard it is noted that no information has been provided that the foreign manufacturers use 24 winders per lines. Further, there has been no change in technology or plant by the domestic industry which could have led to injury to the domestic industry.
140. In this regard, it is also noted that the information provided by the foreign producers show significant dumping from subject countries.

**f. Productivity**

141. The total production as well as productivity per day and per employee of the domestic industry has increased over the injury period. Thus, injury cannot be due to decline in productivity.

**g. Export performance of the domestic industry**

142. The injury information examined hereinabove relates only to the performance of the domestic industry in terms of its domestic market. Thus, the injury suffered cannot be attributed to the export performance of the domestic industry.
143. As regards the submissions that the export price of the domestic industry has declined more than its domestic price, the Authority notes that during the period of investigation, the export price of the domestic industry has remained higher than its domestic selling price. Further, the export sales of the domestic industry are negligible in relation to the total sales of the domestic industry. In such a situation, the domestic industry cannot be considered to have suffered due to its export performance.

**h. Performance of other products**

144. The injury suffered cannot be attributed to the performance of other products of the company, as the domestic industry has segregated and provided information with regard to the like article only.

**i. Currency fluctuation**

145. The other interested parties have submitted that the domestic industry has incurred material injury due to currency fluctuations. The Authority notes that no evidence has been provided by the other interested parties regarding such claim.

**j. Geographical location and skilled labour of the domestic industry**

146. As regards claims that the domestic industry faces shortage of skilled labour force and unfavorable geographical location, the Authority notes that the geographical location of the domestic industry has not changed over the injury period. Therefore, the injury suffered during the period of investigation cannot be attributed to the geographical location. Had the domestic industry suffered on this account, it would have suffered throughout the period.
147. Further, it is noted that the productivity per employee of the domestic industry has increased in the injury period. The productivity of the domestic industry has increased in line with increase in production. Thus, injury cannot be due to the said factors.

**k. Over-expansion by the domestic industry**

148. The interested parties have also alleged that the domestic industry suffered injury due to over-expansion by it. However, the Authority notes that there is significant demand in the market, exceeding the capacity of the domestic industry. Therefore, the capacity expansion undertaken by the domestic industry cannot be labelled as "overexpansion".

**l. Increase in interest cost and working capital**

149. The interested parties have highlighted that the interest cost and working capital have increased disproportionate to the inventories, which could be the cause of injury. As noted above, the domestic industry

has suffered loss even before accounting for present interest obligation. Therefore, the domestic industry has not suffered due to high interest cost. As regards working capital, the same cannot be directly correlated with inventory levels, as it accounts for multiple other current assets and current liabilities.

**m. Quality of product supplied by domestic industry**

150. The interested parties have alleged that the domestic industry has suffered injury due to poor quality and uneven yarn length of the product supplied by it. In this regard, the Authority notes that the interested parties have not demonstrated any evidence showing that the quality of the product supplied by the domestic industry is not at par with the imported product. The domestic industry has achieved an improvement in its volume parameters. Further, the domestic industry has demonstrated that it has supplied consistent yarn length. Thus, it cannot be considered that the domestic industry has suffered due to poor quality.

151. The interested parties have also claimed that the yarn produced by the domestic industry is incompatible for high end application. However, such high-end applications have not been identified, and no evidence has been provided to demonstrate that the product of the domestic industry did not meet the requirements.

**n. Injury due to process parameters**

152. The other interested parties have claimed that the technical aspects of the product such as wastage, production downtime, must be examined. The Authority has examined the matter and notes that there is no evidence on record to show that there was any abnormal downtime or wastage during the injury period, which may have caused injury to the domestic industry. In any case, the Authority has considered the best utilization of raw materials, utilities and capacities over the period for determination of non-injurious price, and injury margin determination. Therefore, if there were any higher wastage or production downtime, the effect of the same was disregarded, in calculation of non-injurious price.

**o. Other factors**

153. The other interested parties have claimed that use of low-quality raw material, lack of financing options, inconsistent government policies and trade agreements have impacted the performance of the domestic industry. The Authority has examined the matter, and notes that it has not come across any evidence during the investigation about the low-quality raw material. Further, the interested parties have not demonstrated that the domestic industry uses low-quality raw material, or that the quality of raw materials used has changed over the period. Likewise, it has not been shown that the domestic industry has faced lack of financing options. With regard to trade agreements, the interested parties have not demonstrated how such factors have adversely impacted the performance of the domestic industry.

**K. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES**

**K.1. SUBMISSIONS MADE BY THE OTHER INTERESTED PARTIES**

154. The other interested parties have made the following submissions with regard to the Indian industry's interest:
- i. A fire in the manufacturing facility of Oriilon India has disrupted the domestic supply of the product creating a substantial demand-supply gap. This has led to increased dependence on imports, price volatility, and disruption for the user industry.
  - ii. The domestic industry is a habitual user of trade remedial measures. Anti-dumping duty was applicable of imports from different sources for 17 years. If the duty is imposed again, it would imply the duties are permanent.
  - iii. A Customs duty of 5% is applicable on imports of product under consideration.
  - iv. The subject goods are used in the emerging textile manufacturing sector of the country. Imposition of anti-dumping duty would be against public interest, as continuation of imports at fair prices is essential for this purpose.
  - v. Downstream sectors are predominantly MSME, which operate on narrow margins. Imposition of duty would increase cost of such users, affecting their profitability, market competitiveness, and export potential.
  - vi. Domestic production of NFY is unable to meet the demand of downstream users in terms of quantity, variety, and timely supply. Restricting necessary imports would cause supply shortages and delays.

- vii. Imposing anti-dumping duty would reduce competition in domestic NFY market, which is already concentrated among few producers. This would lead to price hikes or reduced incentive to innovate or improve inefficiency.
- viii. Many downstream industries contribute substantially to employment and exports, higher raw material costs would jeopardize jobs and reduce export competitiveness of the country.
- ix. The NFY industry is already expanding, and thus, does not require to be shielded, at the cost of the downstream industry.

## **K.2. SUBMISSIONS MADE BY THE DOMESTIC INDUSTRY**

155. The domestic industry has made the following submissions with regard to the Indian industry's interest:

- i. Public interest must be determined with regard to interests of (a) the domestic producer of like article, (b) the domestic consumers of the product, (c) the upstream and downstream industries in both the producing and consuming industry, and (d) the general public.
- ii. As opposed to the submissions of the other interested parties, fire at plants of Oriilon and Century are developments post period of investigation and disruption caused due to it was temporary in nature. Both the companies have resumed normal production.
- iii. Contrary to the submissions of the other interested parties, the producers and exporters in the subject countries are habitual of dumping in the India market due to which the product has been subject to anti-dumping duty multiple times. The period for which duty has been in force is not a relevant consideration to determine whether anti-dumping duty is required to be levied again. There are a number of instances wherein anti-dumping duty has been in force for more than 20 years.
- iv. While a Customs duty of 5% is applicable on imports of the product under consideration, the Customs duty on downstream product is 20%.
- v. Imposition of anti-dumping duty on imports of the product under consideration from the subject countries will have an insignificant impact on the cost of the downstream users.
- vi. The product under consideration were subject to anti-dumping duty in the past, however, there was no adverse impact on the Indian textile industry during this period. The growth of textile industry is unlikely to slow down due to increasing population and consumerism in India.
- vii. As opposed to the submissions of the other interested parties, the demand for access to product at dumped prices at the expense of the domestic industry is not justified. A self-sufficient supply chain requires that fair competition should be upheld at each and every level.
- viii. Contrary to the submissions of the other interested parties, imposition of anti-dumping duty does not restrict imports into India but only ensures that the imports are made at fair prices. Further, the product under consideration can also be imported from non-subject countries.
- ix. Imposition of anti-dumping duty will not lead to monopolisation of the market as the market is comprised of multiple producers and imposition of anti-dumping duty does not bar imports into the country.
- x. The other interested parties have not provided any evidence showing adverse impact on jobs due to imposition of anti-dumping duty.
- xi. As opposed to the submissions by other interested parties, the domestic industry is a much larger contributor to exports from India as compared to downstream industry. In any case, the downstream industry can import under advance authorisation without payment of anti-dumping duty.
- xii. Contrary to the submissions of the other interested parties, the Indian industry is unable to sustain itself due to dumping in India. This is evident from the fact that a number of producers have ceased operations in India.
- xiii. Imposition of anti-dumping duty will lead to conservation of foreign exchange payments.

## **K.3. EXAMINATION BY THE AUTHORITY**

156. The Authority notes that the primary objective of anti-dumping duties is to rectify the injury inflicted upon the domestic industry by the unjust trade practices of dumping, thereby fostering an environment of open and equitable competition in the Indian market. The imposition of anti-dumping measures is not designed to curtail imports from the subject countries arbitrarily. Rather, it is a mechanism to ensure a level playing field.

157. The Authority acknowledges that continuing anti-dumping duties can affect prices in India. However, these duties do not harm fair competition in the Indian market. Instead, they stop companies from gaining unfair benefits by selling goods at dumped prices. Anti-dumping measures protect fair trade and ensure that consumers continue to have access to a wide range of these products.
158. The Authority notes that imposition of anti-dumping duty will provide a level playing field to the Indian industry which will encourage the user industry to purchase from the Indian industry. This will reduce the dependence on imports and lead to conserving the outgoing foreign exchange.
159. While the other interested parties have submitted that the imposition of anti-dumping duty will be against public interest as the product under consideration is used in emerging textile manufacturing sector, the Authority notes that the product under consideration was subject to anti-dumping duty till 2017. There is no evidence on record to show that there was an adverse impact on the downstream industry due to imposition of such duties.
160. The Authority notes that imposition of anti-dumping duty does not restrict imports but only ensures that the imports are made at fair prices and a level playing field is created for the Indian industry. Further, anti-dumping duty is a remedial measure which is focused on redressing the injury to the domestic industry due to dumping of imports into India. Imposition of anti-dumping duty does not create a supply shortage in the country. Further, the Authority also notes that imports can be made from sources other than the subject countries as well. There were following imports from non-subject countries in the past.

Exporting Country	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI (A)
Taiwan	MT	1,234	1,253	1,379	1,287
Indonesia	MT	496	343	206	308
Thailand	MT	1,433	944	817	501
United States	MT	185	189	132	539
Japan	MT	105	207	183	299
Korea	MT	616	748	226	282
Italy	MT	162	166	156	230

161. As regards the submission that the domestic industry is habitual user of trade remedies and the product has been subject to anti-dumping duty previously. It is noted that the product has been subject to anti-dumping duty in the past is not relevant for the present investigation.
162. With regard to the submission that the fire at the plants of two of the applicants led to demand-supply gap in the country and dependence of users on imports, the Authority notes that the fire at the factories of Oriilon and Century post the period of investigation led to a temporary halt in production. The domestic industry has provided evidence to show that suspension of production was of a very short duration, and the normal production has resumed in both the plants. Therefore, any adverse effect of the same was temporary and has already been nullified.
163. With regard to the submissions that a Customs duty of 5% is applicable on imports of the product under consideration and the domestic industry is well protected, the Authority notes that even after inclusion of Customs duty, the landed price of the product is much below the selling price, cost of sales and non-injurious price of the domestic industry.
164. The other interested parties have submitted that the downstream industry is MSME in nature and imposition of anti-dumping duty will adversely impact the downstream industry which operates at marginal profits. The matter has been examined and it is noted that no information was placed on record before the Authority to demonstrate that the downstream industry would not be able to pass on cost increases further, to the final

consumer. Therefore, the Authority does not find merit in the contention that the downstream industry would face an undue crunch on their margins, due to the imposition of duty.

#### L. POST DISCLOSURE COMMENTS

##### L.1. Submissions made by the other interested parties

165. The other interested parties have reiterated their earlier submissions regarding request for exclusion of mother yarn used solely to produce mono filament yarn, request for consideration of quality as a parameter of PCN, request for Prutex to be considered as a sampled producer based on its product basket, change in technology to adoption of machines with 24 winders, history of protection to the subject goods, etc. Additionally, the other interested parties have emphasized the following in their submissions post issuance of the disclosure statement:
- i. The Authority has not addressed the submissions that the capacity of the domestic industry for producing mother yarn is only 15% of total demand. Due to limited capacity and impending Quality Control Order, the availability of mother yarn has declined in India.
  - ii. The Authority has not disclosed the evidence provided by the domestic industry regarding production and supply of mother yarn as well as yarns with certain deniers and filaments for which exclusion was requested.
  - iii. While the Authority has noted that the domestic industry has provided evidence regarding production and sales of 70 deniers / 48 filaments full dull FDY, there is no indication of the nature of evidence submitted in the non-confidential version of the submissions filed by the domestic industry.
  - iv. Mere statements without any evidence that 70/68 FD FDY is comparable to 70/72 FD FDY should not be considered. Since the domestic industry has not produced identical product, the same should be excluded.
  - v. While the Authority has noted that the other interested parties have not provided any evidence with regard to the substandard products supplied by the domestic industry, the packing lists and invoices showing quality issues have already been provided.
  - vi. The Authority has merely relied on credit notes issued by the domestic industry without sharing such evidence with the other interested parties. The Authority has not examined any evidence regarding dyeing guarantee.
  - vii. The sampling methodology considered by the Authority is not appropriate as reliance has been placed only on the volume of exports instead of PCNs exported, export channels and industry practices.
  - viii. Since exporters accounting for 70% share in total exports from China have not participated, the sample size should be increased to include at least 3 producer groups for arriving at more representative assessment of dumping.
  - ix. Consideration of three sample groups will not be unduly burdensome to the Authority. Since none of the producers have claimed market economy treatment, the burden of the Authority has already reduced.
  - x. While the Authority has considered European practice to reject request for sampling for producers which have submitted voluntary responses, the European Commission itself, in a number of findings have accepted voluntary responses where individual examination was not unduly burdensome.
  - xi. Prutex Nylon Co., Ltd and Fujian Wanhong Textile Co., Ltd. should be clearly mentioned in the final findings as non-sampled cooperative producer in order to provide clarity for Customs to collect anti-dumping duty.
  - xii. All applicants barring Century Enka have imported the subject goods in India. Such imports cannot be considered while assessing injury to the domestic industry, as the producers should not be allowed to contribute to dumping and then claim injury due to such dumping.
  - xiii. The landed price of the imports has increased more than the increase in cost of sales of the domestic industry over the injury period. Thus, the domestic industry had an option of increasing its price and there is no price suppression.
  - xiv. As per the petition filed by GPPL in anti-dumping investigation into imports of Nylon 6, the price of major raw material has declined year on year from 2020-21. In such a case, it is not clear how the cost of sales of the domestic industry has increased.

- xv. Only Gujarat Polyfims has incurred losses in the period of investigation and other constituents of the domestic industry have not been impacted. This shows that the injury to the domestic industry is not due to imports into India.
- xvi. The profitability of Aglon and Todi Rayons has increased as they operate on 24/16 End Winder configurations which are relatively modern and productivity-efficient winding technology as compared to other producers. Thus, the injury is due to technological obsolescence, operational inefficiency, or failure to modernize capital assets.
- xvii. It has been requested by other interested party that imposition of anti-dumping duty should be for a shorter duration.
- xviii. Incremental cost incurred by domestic industry due to use of older technology should be adjusted from non-injurious price as any adverse impact arising due to lack of modernization cannot be attributed to dumped imports.
- xix. Indian producers impose one-sided sales terms, including restrictive supply conditions and limited credit flexibility which adversely impacts the MSME weavers industry.
- xx. Imposition of anti-dumping duty will adversely impact the downstream industry which is already in a state of crisis, with units closing daily, machinery being scrapped, and significant job losses.
- xxi. Anti-dumping duty, if any, should be in the form of reference price. The domestic industry has already applied for imposition of minimum import price, thus, the domestic industry itself feels reference price is appropriate.
- xxii. In case, reference price duties are not imposed, Yiwu Huading Nylon Co., Ltd requests the Authority to accept its price undertaking.

## L.2. Submissions made by the domestic industry

166. The domestic industry has made the following submissions post issuance of the disclosure statement:

- i. The Authority is requested to considered HS code at 4-digit level while recommending anti-dumping duties on imports of the subject goods.
- ii. There is a need to re-consider the non-injurious price determined as the production and capacity of Century Enka Limited revised during the verification has not been considered for the determination of non-injurious price.
- iii. The non-injurious price determined for the domestic industry has been suppressed as the Authority has not considered the actual cost of production of the domestic industry. Since there is no inefficiency in the operations of the domestic industry, there is no need for normation of the raw materials, utilities or production capacities.
- iv. The present investigation is distinct from the previous investigation, as there is higher injury suffered in terms of volume of imports, price effect, lower capacity utilization, lower market share and higher losses. Thus, the domestic industry has suffered to a higher degree due to non-imposition of duty pursuant to the previous investigation.
- v. Due to non-imposition of duties in the previous investigation, a number of producers have ceased operations including Paras Petrofils and JCT Limited. Prafull Overseas Private Limited has now declared itself as a Non-Performing Asset (NPA) under control of the financial institutions.
- vi. While there was no demand-supply gap in the country previously, due to continued dumping, capacities equivalent to more than 37,000 MT have shut down which is pushing India closer to demand supply gap.
- vii. None of the participating importers and users have filed a response to economic interest questionnaire and there is no evidence of adverse impact of imposition of anti-dumping duty on such users in India.
- viii. Due to imports of dumped low priced subject goods from the subject countries, the delta between imports of raw material, nylon chips and subject goods has reduced significantly.

- ix. Nylon filament yarn is a very small section within the textile industry and accounts for only 1% of total textile output in India. Majority of the textile industry which will be indifferent to the imposition of anti-dumping duties. The issues faced by textile industry pertain to natural textiles such as cotton, silk and wool which is also major exporting segment in India.
- x. The domestic industry is a much larger contributor to exports from India as compared to downstream industry and any deterioration in performance of the domestic industry will adversely impact the export performance and inflow of foreign exchange in the country. Export performance of the industry shows that the quality of the product manufactured by the Indian industry is accepted to users globally.
- xi. The export competitiveness of the downstream industry will not be hampered as it will be able to export its product by importing the subject goods duty free under advance authorisation.
- xii. The impact of imposition of anti-dumping duty will be negligible on the downstream industry. The product under consideration has been subject to anti-dumping duty in the past and the performance of the downstream industry has not been impacted in the said period.
- xiii. An anti-dumping duty of ₹50 per kg on subject goods will translate to a negligible increase in price on the final fabric retail price. Such small retail price impact can prevent a large-scale collapse of domestic spinning capacities.
- xiv. The downstream industry is well protected by the Government of India with higher Basic Customs Duty of 20% and support in terms of minimum import price on imports of fabrics. In case of non-imposition of anti-dumping duty and access to dumped raw material to the downstream industry, it will have no incentive to be competitive. Contrary to the situation of downstream industry, the Basic Customs Duty on imports of the subject goods was reduced from 7.5% to 5%.
- xv. The producers in the subject countries are not just dumping in India but also in other jurisdictions. The producers in the subject countries have been subject to much higher duties in other jurisdictions.
- xvi. The capacities of the Chinese producers are more than 20 times the demand in India. Only 5% of such capacities are capable to flood the Indian market. Further, the Chinese producers are expanding capacity by almost 3,00,000 MT. Such capacities are meant for export market as these are more than demand in China PR.
- xvii. Imposition of anti-dumping duty will not lead to monopolisation of the market as the market is comprised of multiple producers and imposition of anti-dumping duty does not bar imports into the country.
- xviii. The quality of product supplied by the domestic industry is better than that imported into India.
- xix. The market for subject goods is growing at 7.9% CAGR. The industry provides employment to more than 50,000 people other than those associated with logistics, packaging and chemical industry.
- xx. The subject imports have increased significantly post the period of investigation and have taken away the market share of the Indian industry.
- xxi. While the capacities of the Indian industry have increased in the past 5 years with increase in demand, such capacities have remained unutilised due to excess imports from China PR.

### **L.3. Examination by the Authority**

167. The Authority has examined the post disclosure submissions made by the domestic industry and the other interested parties and notes that a number of submissions are reiterations which have already been examined suitably and addressed adequately in the relevant paras of the final findings. The issues raised for the first time

in the post-disclosure comments/submissions by the interested parties and the domestic industry and those backed up with evidence have been considered relevant by the Authority are examined below.

168. With regard to exclusion of mother yarn, the Authority reiterates that mother yarn is a multi-filament yarn which has been produced and sold by the domestic industry in commercial quantities during the period of investigation. Accordingly, there is no need for exclusion of the same from the scope of the product under consideration. Further, the demand-supply gap for a product type in India is not a justification for exclusion of the said product from the scope of the product under consideration. Imposition of anti-dumping duty will not restrict imports into India but only ensure that the same are imported at fair prices. Thus, the consumers can import the said product even after imposition of anti-dumping duty.
169. The other interested parties have submitted that the evidence provided by the domestic industry with regard to production and supply of product types including mother yarn, subject goods with various deniers and filaments and dyeing guarantee has not been disclosed by the Authority. The Authority notes that the domestic industry has provided production records, commercial invoices and credit notes to demonstrate production and supply of these product type. Since such documents are business proprietary information of individual domestic producers, disclosure of which would be of competitive disadvantage to the domestic industry, the same have not been disclosed. It is also noted that similar evidences provided by other interested parties have not been disclosed to the domestic industry.
170. As regard the submissions that mere statements should not be accepted to show that one product type is comparable to the other product type, the Authority notes that there is no evidence on record to show that a slight difference in denier and filaments makes two products different in terms of essential product characterizes, manufacturing process, raw materials, production technology, functions & usages, customers perceptions, Customs classification. As noted in the relevant part of these final findings, the domestic industry has provided evidence that it has produced and sold like article with similar deniers and filaments to that imported into India.
171. The Authority notes that while the user industry has stated that domestic industry supplies substandard products as compared to those imported into India, the information on record shows that the domestic industry has majorly supplied AA grade products in the domestic market. The producers and exporters from the subject countries have submitted that they have exported substandard products to India. In fact producers from Vietnam have provided detailed transaction wise information showing that they have exported off-grade PUC to India during the POI. Further, mere fact that the domestic industry has sold some volumes of substandard product is an integral part of the production process. It is not even the claim of the interested parties that the domestic industry produces only substandard products.
172. With regard to the submissions that the supply terms of the domestic industry are stringent, the Authority notes that even if supply terms are stringent, the Authority notes that the interested parties have not established how these supply terms are beyond normal terms of business that can be imposed by producers. The domestic industry has been producing and selling significant volumes of the product over entire injury period and there is no allegation that the supply terms were made stringent or unworkable in the most recent period. Further, the difference in supply terms does not warrant non-imposition of anti-dumping duty in case where the producers and exporters in the subject countries have engaged in dumping which has caused material injury to the domestic industry. Even after imposition of anti-dumping duty, the user industry will be able to import the product under consideration at fair prices from the subject countries at the same supply terms.
173. As regard the reiteration of request for consideration of off-grade and prime grade as separate PCNs, as noted in the relevant part of the final findings, the cost of the product does not vary based on the quality. Even after issuance of disclosure statement none of the parties have provided evidence to demonstrate that the cost of production of prime and off grade is different. Hence, there is no justification to form a separate PCN based on the quality of the product.

174. With regard to the sampling methodology adopted, the Authority has already noted that the sample considered in the present investigation constitutes 61% of imports into India by cooperating producers. Since such responses are representative of imports into India from cooperating producers, there is no need for consideration of further individual responses. Further, even if one of the producers has sold different PCNs, consideration of such response is not justified on this account.
175. The other interested parties have requested that the imports made by the domestic industry should be excluded for the purpose of the injury analysis. The Authority notes that injury analysis under Annexure-II is required to be undertaken considering entirety of dumped imports. There is no legal provision for exclusion of such imports from the injury analysis. Since the volume of imports by the applicants is negligible as compared to total imports from subject countries, production by such applicants as well as demand in India, these entities have been considered eligible for the purpose of constitution of domestic industry. In any case, only Century Enka Limited and Oriilon India Private Limited have imported the product under consideration during the period of investigation. Further, out of total imports from the subject countries of 31,823 MT, such imports are only \*\*\* MT in the POI.
176. The other interested parties have submitted that the landed price has increased more than the increase in cost of sales of the subject goods over the injury period and hence, there can be no price suppression/ depression in the present case. The Authority notes that even when the landed price has increased more than the increase in cost of sales of the domestic industry, the landed price has remained below the cost of sales. Accordingly, the domestic industry has not been able to increase its prices in accordance with its cost of sales.

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Cost of sales	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	122	123	112
Selling price	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	128	122	109
Landed price	₹/MT	1,63,702	2,32,761	2,16,204	1,94,680
Trend	Indexed	100	142	132	119

177. With regard to the submissions that only GPPL has incurred losses during the period of investigation and hence, the injury is not due to imports, the Authority notes that it has examined injury to the defined domestic industry. The performance of each individual constituent of domestic industry is not relevant in this regard. The performance of domestic industry as a whole show that the profitability of the domestic industry has suffered due to the dumped imports. The Authority has already noted in the relevant part of these final findings that the imports are undercutting the prices of the domestic industry and have suppressed and depressed the prices of the domestic industry. Further, a causal link between dumping and injury has been established in the present investigation. Hence, the decline in profitability of the domestic industry is due to dumping of subject imports in India.
178. Regarding the submission that the domestic industry has suffered injury due to outdated technology, the Authority in the relevant part of the final findings has already noted that there is no change in the technology employed for production of the product over the injury period; and, hence, injury cannot be due to developments in technology. Further, no evidence has been provided to show that the foreign producers were earlier using different technology and are now using different technology.
179. With regard to the submission that the non-injurious price of the domestic industry is suppressed, the Authority notes that the non-injurious price has been determined as per the principles of Annexure III to the Anti-Dumping Rules. The Authority also notes that the capacity and production of Century Enka Limited has been taken based on documents submitted by the company itself. Further, the normation of the raw materials,

utilities or production capacities has been done in accordance with the provisions of Annexure III of Anti-Dumping Rules, 1995.

180. As regard request for imposition of anti-dumping duty for a shorter duration, the Authority notes that there is no justification for imposition of duty for a shorter period of time. Imposition of anti-dumping duty in the past shows that the producers in the subject countries resorted to dumping the product over a long duration. In any case, the interested parties can seek review under Rule 23, if it is found that there is no longer a justification for continued imposition of anti-dumping duty.
181. As regard the submission that imposition of anti-dumping duty will adversely impact the interest of the users, the Authority notes that domestic industry has suffered material injury due to imports into India. The domestic industry has highlighted that Paras Petrofils, JCT Limited and Prafull Overseas Private Limited have shut down operations due to dumping in India and non-imposition of anti-dumping duty in the previous investigation. Further, the capacity utilization of the domestic industry is quite low and all constituents of the domestic industry are suffering financial losses, cash losses, and negative return on investment. The user industries have not provided evidence to show that imposition of anti-dumping duty would result in unbearable burden on them.
182. The domestic industry has submitted that certain producers including Gujarat State Fertilizers and Chemicals Limited and Gupta Synthetics had shut down prior to the previous investigation and due to dumping in India. Further, more producers have shutdown post non-imposition of anti-dumping duty. While India was self-sufficient for production of the subject goods and there was no demand-supply gap in India, the shutdown of producers is pushing India towards a more import reliant market with demand-supply gap.
183. The Authority note the submission of the domestic industry that due to the comparatively low share of subject goods in overall textile industry, imposition of anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject countries will not have an adverse impact on the textile industry in general. Further, the domestic industry has submitted that the major exports in textiles industry are natural textiles including cotton, wool and silk. Such industries are indifferent to nylon filament yarn industry.
184. The Authority further notes that the downstream industry has been well protected by the Government of India with higher Basic Customs Duty of 20% on major ITC HS code of woven fabric of synthetic filament yarn. Further, the imports of knitted fabric attract a minimum import price as well. As opposed to this, the domestic industry has submitted that the Basic Customs Duty for imports of the subject goods has been reduced from 7.5% to 5%.
185. The domestic industry has submitted that the producers from the subject countries also face anti-dumping duty in other jurisdictions as they are dumping not just in India but third countries as well. The Authority notes that Brazil has imposed higher anti-dumping duty on imports of the subject goods from China. The Chinese exporter has been subject to anti-dumping duty of USD \*\*\* per MT and the parent company of the Vietnamese exporter has been subject to anti-dumping duty of USD \*\*\* per MT.
186. There are multiple producers of subject goods in India which are engaged in production and sale of the product in the Country, thus ensuring enough inter-se competition. Thus, the Authority notes that there is no concern regarding monopolisation or cartelization in the Indian market due to imposition of anti-dumping duty. In any case, an interested party can seek review of the anti-dumping duty under Rule 23 in case there is insufficient justification for continued imposition of duty.
187. The Authority notes that the domestic industry has submitted that the domestic industry had requested imposition of anti-dumping duty previously as well and the Authority had recommended imposition of anti-dumping duty in 2020. However, the same were not imposed by the Ministry of Finance. The domestic industry has submitted that the injury to the domestic industry has increased as compared to injury in the previous investigation. It is noted that on comparison with the previous investigation, the volume of imports

from the subject countries have increased significantly. In this regard, Authority notes that the import volume from China PR alone has increased in the following manner:

Particulars	Unit	POI in earlier findings	Current POI
Imports from China	MT	7,024	30,547

*Source: Final Findings dated 04.03.2020 in the Anti-dumping investigation on the import of Nylon Multi Filament Yarn originating in or exported from China PR, Korea RP, Taiwan and Thailand (F. No. 6/11/2019-DGTR)*

188. The Authority further notes that market share of subject imports has increased, while that of the domestic industry has declined in the current period of investigation as compared to the period of investigation in the previous investigation. The price undercutting has also increased between the said period. Domestic industry has claimed that the non-imposition of anti-dumping duty has adversely impacted the domestic industry as the losses of the domestic industry have increased significantly between the two periods.

Particulars	Unit	POI in earlier findings	Current POI	Change
Demand	MT	1,36,995	1,80,191	+32%
Market share				
Subject imports	%	10	18	+80%
Total imports	%	15	21	+40%
Indian industry	%	85	79	-7%
Landed price of imports	MT	2,12,206	1,94,680	-8%

*Source: Final Findings dated 04.03.2020 in the Anti-dumping investigation on the import of Nylon Multi Filament Yarn originating in or exported from China PR, Korea RP, Taiwan and Thailand. (F. No. 6/11/2019-DGTR)*

189. The Authority notes that the domestic industry has further submitted that while the subject imports were suppressing the prices of the domestic industry in the previous investigation, the subject imports have suppressed and depressed the prices of the domestic industry in the present investigation. Thus, the domestic industry has faced higher adverse impact in the present investigation.

190. With regard to request for reference price duties, the Authority notes that the product involves a large number of different types. Information on imports and costs of the domestic industry shows existence of hundreds of PCN have been imported and supplied by the domestic industry, with difference in cost and resultantly price. It would therefore not be feasible to impose anti-dumping duty in the form of reference price.

191. With regard to the price undertaking offered by Yiwu Huading Nylon Co., Ltd, the Authority notes that the producer has not submitted the request on prescribed format and therefore such request cannot be accepted.

### **M. CONCLUSION & RECOMMENDATIONS**

192. After examining the submissions made by all the interested parties and issues raised therein; and considering the facts available on record, the Authority concludes that:

- i. The product under consideration is Nylon Filament Yarn which is a multi-filament yarn. The product under consideration includes Mother Yarn, Fully Drawn Yarn, Partially Oriented Yarn, Draw Textured Yarn or Crimp Yarn, Air Textured Yarn, Air Covered Yarn, High Oriented Yarn and High Tenacity Yarn.
- ii. All man-made filament yarns not having nylon or polyamides, are excluded from the scope of the product under consideration.
- iii. The product under consideration includes all kinds of synthetic filament yarns of Nylon or Polyamides, such as flat yarn - twisted and/or untwisted, fully drawn yarn (FDY), spin drawn yarn (SDY), fully oriented yarn (FOY), high oriented yarn (HOY), partially oriented yarn (POY), textured yarn – twisted

- and/or untwisted, and dyed yarn, single, double, multiple, folded or cabled, and high tenacity yarn of nylon classifiable within Chapter 54 under Customs heading 5402
- iv. Mother yarn is a multi-filament yarn which has been produced and sold by the domestic industry. The end use of the product cannot be the basis for exclusion of the same from the scope of the product under consideration.
  - v. The domestic industry has produced and supplied the same deniers per filament of mother yarn in the domestic market as that imported from the subject countries
  - vi. High Tenacity Yarn having denier above 840 are used in tyre cord fabrics and have been excluded from the scope of the product under consideration.
  - vii. The domestic industry has produced and supplied high denier high tenacity and low denier high tenacity yarns in the domestic market and same cannot be excluded from the scope of the product under consideration.
  - viii. Slight change in denier and filament does not lead to a different product with different characteristics and usage. Number of filaments and denier depend upon spinneret used and the speed of flow of melt. The domestic industry has supplied like article with similar filaments and deniers in the domestic market and the same cannot be excluded from the scope of the product under consideration.
  - ix. The domestic industry has supplied majorly supplied AA grade product in the domestic market while substantial imports have been of secondary grade. The domestic industry is using latest technology and produces the subject goods as per BIS Standards.
  - x. The domestic industry has produced and supplied nylon spandex covered yarn in the domestic market and the same has been included in the scope of the product under consideration.
  - xi. The Authority has considered PCN in the present investigation based on cost difference between production of different grades. Quality of product does not lead to difference in cost of production as the raw material, cost of utilities and other expenses for manufacturing off-grade product remains the same. Hence, the same has not been considered a separate PCN.
  - xii. The subject goods manufactured by the domestic industry are like article to the product under consideration imported into India from the subject countries.
  - xiii. The application for imposition of anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject countries was filed by Century Enka Limited, Gujarat Polyfilms Private Limited and Oriilon India Private Limited. The application was supported by Aglon Industries Private Limited, AYM Syntex Limited, Salasar Polyplex Private Limited and Todi Rayons Private Limited.
  - xiv. Post initiation, PNP Polymers Limited provided its injury and costing information and requested to be considered as part of domestic industry. All interested parties were provided an opportunity to comment on information furnished by PNP Polymers.
  - xv. Inclusion of PNP allows a more comprehensive analysis of injury to the domestic industry and reduces the risk of distortion. The Authority has considered PNP Polymers as part of the domestic industry for the purpose of the present investigation.
  - xvi. The domestic industry has suffered injury due to dumping in India, with or without consideration of PNP Polymers as part of the domestic industry.
  - xvii. Fire at Oriilon and Century Enka Limited post the period of investigation does not impact the standing of the domestic industry for the purpose of the present investigation.
  - xviii. None of the domestic producers constituting the domestic industry are related to any exporter in the subject country or importer of the subject goods in India. Further, Century Enka Limited and Oriilon India Private Limited have imported the subject goods in India during the period of investigation. However, such imports are negligible in terms of total imports into India, demand in India and production of such producers. Thus, they have been considered eligible to constitute domestic industry in the present investigation.
  - xix. There are practical constraints if a 12-month period is considered as it would cause bifurcating information of two financial years. Since the industry comprises of smaller producers as well, consideration of an investigation period spanning two financial years would have caused undue hardship to the domestic producers. Accordingly, a 15-months period of investigation has been considered in the present investigation.
  - xx. In view of participation of large number of producers and exporters from China PR, the Authority has undertaken sampling based on largest volume of exports in the present investigation.

- xxi. The Authority has determined individual margins for two largest producer groups from both China PR. Even though 2 groups have been selected, the Authority has conducted examination of 3 producers which are part of such groups.
- xxii. Sampled producers account for 61% of volume of imports by cooperating producers from China PR in the present investigation. Therefore, the size of the sample is adequate.
- xxiii. The margins for other non-sampled cooperative producers from China PR is based on weighted average margins of sampled producers from their respective country.
- xxiv. The normal value and export price of cooperative producers from Vietnam have been determined based on the responses filed by them.
- xxv. The dumping margin determined is positive and significant.
- xxvi. The injury analysis has been undertaken with respect to the domestic industry as per the legal requirements and WTO Anti-Dumping Agreement.
- xxvii. The Authority has undertaken cumulative assessment of injury as all the conditions of cumulative assessment have been met in the present investigation.
- xxviii. The domestic industry has suffered material injury as.
  - a. The volume of subject imports in absolute terms as well as in relation to production and consumption in India has increased over the injury period.
  - b. The subject goods were undercutting the prices of the domestic industry in the domestic market.
  - c. Over the injury period, the cost of sales has increased more than the increase in the net sales realisation of the domestic industry. Thus, the subject imports have suppressed the prices of the domestic industry.
  - d. The landed price of subject imports has remained below the cost of sales of the domestic industry.
  - e. The production and sales of the domestic industry have increased over the injury period as the domestic industry has sold the subject goods at losses in the Indian market.
  - f. The inventories of the domestic industry have increased over the injury period and were the highest in the period of investigation.
  - g. The domestic industry has suffered financial losses in the period of investigation.
  - h. The cash profit and return on capital employed of the domestic industry have declined over the injury period. The profitability of the domestic industry was lowest in the period of investigation.
  - i. The domestic industry has incurred cash losses and recorded a negative return on capital employed.
  - j. The ability of the domestic industry to raise capital investment has been severely impacted.
- xxix. The injury margin determined is positive and significant.
- xxx. The injury to the domestic industry is due to dumping in the Indian market.
- xxxi. No information has been provided that the foreign manufacturers use 24 winders per lines. Further, there has been no change in technology or plant by the domestic industry which could have led to injury to the domestic industry.
- xxxii. The export price of the domestic industry remained higher than its domestic selling price. Further, the export sales of the domestic industry are negligible in relation to the total sales of the domestic industry. Thus, injury cannot be due to export performance of the domestic industry.
- xxxiii. Since the geographical location of the domestic industry has not changed, the injury is not attributable to geographical location.
- xxxiv. The domestic industry has incurred losses even before accounting for interest cost. Hence, injury is not due to interest obligation of the domestic industry.
- xxxv. Imposition of anti-dumping duty will not be against public interest. The Authority notes the following in this regard
  - a. Imposition of anti-dumping duty will provide a fair playing field to the Indian industry.
  - b. The product under consideration was subject to anti-dumping duty in the past, however, there is no evidence of adverse impact of such duty on the downstream industry.
  - c. Imposition of anti-dumping duty does not create a supply shortage in the country. Further, the imports can be made from sources other than the subject countries as well.

- d. The production of Oriilon and Century Enka Limited have resumed in both plants, and such temporary halt does not have any adverse impact on the public at large.
- e. All domestic producers constituting domestic industry in the present case have incurred losses in the period of investigation and there is a need to impose anti-dumping duty in order to remedy the injury to the domestic industry.
- f. A number of domestic producers including Paras Petrofils, JCT Limited, Prafful Overseas Private Limited, Gupta Synthetics and Gujarat State Fertilizers and Chemicals Limited have shut down their operation.
- g. The shutdown of producers is pushing India towards a demand-supply gap situation and is likely to make India import reliant.
- h. Nylon Filament industry accounts for comparatively lower share in the textile industry. Due to such low share of subject goods, imposition of anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject countries will not have an adverse impact on the textile industry in general.
- i. The Indian industry engaged in production of subject goods is a larger contributor to exports from the country as compared to the downstream industry. Any adverse impact on the performance of the industry will significantly hamper the exports from India.
- j. There is no evidence on record that showing adverse impact of imposition of anti-dumping duty.
- k. On the basis of examination as mentioned above, it is concluded that the domestic industry has suffered material injury on account of dumped imports of subject goods from subject countries.
193. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspect of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury and causal link in terms of the provisions laid down under the Anti-Dumping Rules, the Authority is of the view that imposition of anti-dumping duty is required to offset dumping and injury. Therefore, Authority considers it necessary and recommends imposition of anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject countries.
194. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, equal to the amount indicated in Col. 7 of the duty table appended below.

#### DUTY TABLE

S. No.	Heading	Description*	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	5402	Nylon Filament Yarn	China PR	Any country including China PR	Fujian Highsun Synthetic Fiber Technology Co., Ltd.	236	MT	USD
2	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Fujian Liheng Polyamide Industry Co., Ltd.	236	MT	USD
3	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Yiwu Huading Nylon Co., Ltd.	653	MT	USD
4	-do-	-do-	China PR	Any country including	Non-Sampled Producers, as per	338	MT	USD

S. No.	Heading	Description*	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount	Unit	Currency
				China PR	list below**			
5	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Any producer other than S.No. 1 to 4	782	MT	USD
6	-do-	-do-	Any country other than China PR, and Vietnam	China PR	Any	782	MT	USD
7	-do-	-do-	Vietnam	Any country including Vietnam	Hyosung Dong Nai Co., Ltd.	684	MT	USD
8	-do-	-do-	Vietnam	Any country including Vietnam	Hyosung Dong Nai Nylon Co., Ltd.	684	MT	USD
9	-do-	-do-	Vietnam	Any country including Vietnam	Any producer other than those at S. No 7 to 8	827	MT	USD
10	-do-	-do-	Any country other than China PR, and Vietnam	Vietnam	Any	827	MT	USD

\* “Synthetic Filament Yarn” made of Nylon also known as polyamide yarns or Nylon Filament Yarn. The product under consideration is multi-filament yarn. The product under consideration includes Mother Yarn, Fully Drawn Yarn, Partially Oriented Yarn, Draw Textured Yarn or Crimp Yarn, Air Textured Yarn, Air Covered Yarn, High Oriented Yarn and High Tenacity Yarn. All man-made filament yarns not having nylon or polyamides, are excluded from the scope of the product under consideration. The following are specifically excluded from the scope of the product under consideration.

- t. Mono filament yarn
- u. Bulk Continuous Fiber
- v. Nylon 66 yarn
- w. Hot melt yarn
- x. Low melt yarn
- y. Bonded yarn
- z. Conductive yarn
- aa. Anti-static yarn
- bb. Nomex and aramids yarn
- cc. High Tenacity Yarn with 840 Deniers and above.

The product under consideration includes all kinds of synthetic filament yarns of Nylon or Polyamides, such as flat yarn - twisted and/or untwisted, fully drawn yarn (FDY), spin drawn yarn (SDY), fully oriented yarn (FOY), high oriented yarn (HOY), partially oriented yarn (POY), textured yarn – twisted and/or untwisted, and dyed yarn, single, double, multiple, folded or cabled, and high tenacity yarn of nylon classifiable within Chapter 54 under Customs heading 5402. The product includes all variants of Nylon (or Filament Yarn or Polyamide Yarns such as flat/ textured/ twisted/ untwisted, bright/semi dull/full-dull variants thereof), grey/ colored/ dyed (or variants thereof), single/double/ multiple/folded/cabled (or variants thereof), whether or not sized.”

195. The application of the individual duty rates specified for the companies mentioned in the above duty table shall be conditional upon presentation to the customs authorities of a valid commercial invoice, on which shall appear a declaration dated and signed by an official of the entity issuing such invoice, identified by his/her name and function, drafted as follows:

“I, the undersigned, certify that the (volume) of (name of PUC) sold for export to the India covered by this invoice was manufactured by (company name and address) in [country concerned]. I declare that the information provided in this invoice is complete and correct.”

196. If no such invoice is presented, the duty applicable to all other rates shall apply. This requirement is without prejudice to the verification procedures independently undertaken by the Customs authorities under the applicable customs law and regulations.

**\*\*List of non-sampled producers from China PR**

<b>S.No.</b>	<b>Non-Sampled Cooperative Producers</b>
i.	Fujian Kaibang Polyamide Technology Co., Ltd.
i.	Prutex Nylon Co., Ltd.
i.	Fujian Wanhong Textile Co., Ltd.
v.	Hangzhou Dikai Industrial Fabrics Co., Ltd.
v.	Fujian Changle Yongda Textile Co., Ltd

#### **N. FURTHER PROCEDURE**

An appeal against the determination of the Designated Authority in these final findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act/Rules.

AMITABH KUMAR, Designated Authority